सत्यमेव जयते

TRAI

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
टेलीफोन: +91-11-23664147
फैक्स न.: +91-11-23211046
वेबसाइट: http://www.trai.gov.in

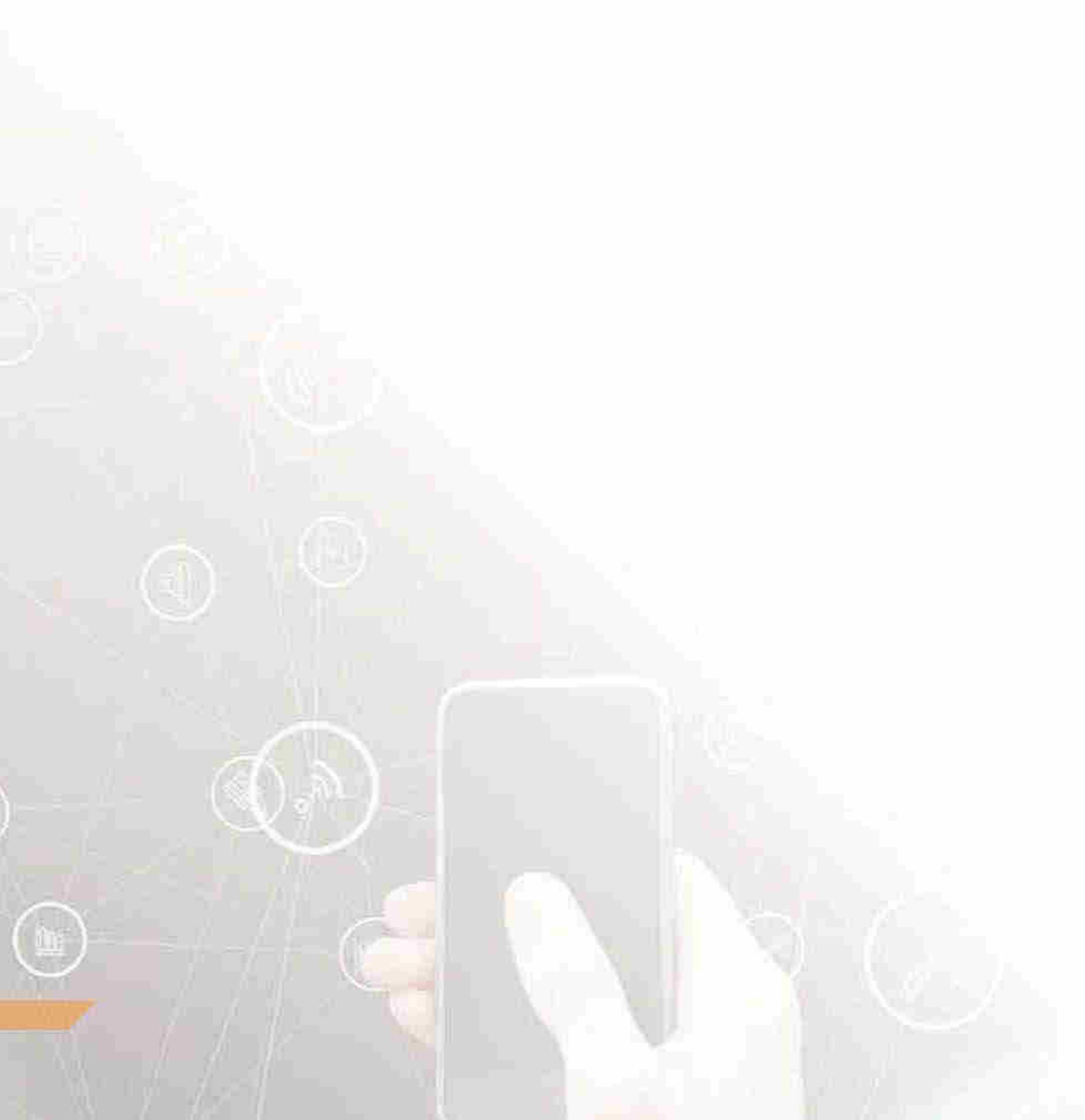

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

यह मेरा सौभाग्य है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए मुझे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2017–18 की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट भेजने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में वह सूचना शामिल है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस रिपोर्ट में, अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के विशेष उल्लेख के साथ, दूरसंचार व प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य तथा भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

(राम सेवक शर्मा)

अध्यक्ष

दिनांक : सितंबर 2018

विषय–सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	परिदृश्य	1-8
भाग–1	**नीतियां और कार्यक्रम**	9-60
	(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा	
	(ग) प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	भाग–1 के परिशिष्ट	
भाग–2	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा**	61-130
भाग–3	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य**	131-150
भाग–4	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय निष्पादन**	151-220
	क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	
	ख) वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	
	ग) वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता 31 मार्च, 2018 को तुलन–पत्र	

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य

परिदृश्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की स्थापना 1997 में की गई थी और यह दो दशकों से अधिक समय से दूरसंचार क्षेत्र को विनियामित और नियंत्रित कर रहा है। प्रसारण क्षेत्र को 2004 से भादूविप्रा के अंतर्गत लाया गया। अपनी स्थापना के दो दशकों के दौरान, भादूविप्रा ने देश में दूरसंचार के विकास का माहौल बनाने और उसको बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई और उसने इस काम को ऐसे तरीके और गति से अंजाम दिया जो भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा।

वर्ष 2017–18 के दौरान, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल क्षेत्रों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के अपने काम को बखूबी जारी रखने के लिए कई नए कदम उठाए, जिनके नतीजे स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में सामने आए और भारत को उभरते वैश्विक सूचना समुदाय के बीच अग्रणी देश के रूप में मान्यता मिली। प्राधिकरण द्वारा उठाए गए इन नए कदमों से 2017–18 के दौरान, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के विकास और विस्तार को बढ़ावा देने में मदद मिली। इन उपायों के परिणामस्वरूप, सेवाओं के विकल्प, किफायती दरें, सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता के रूप में उपभोक्ताओं को शानदार लाभ प्राप्त हुए हैं। सफलता की इन गाथाओं को कई महत्वपूर्ण कारकों ने और भी रोचक बनाया जिनमें विकास के नए अवसरों का सृजन; क्षेत्रों में उचित निवेश और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास शामिल हैं। कंपनियों के बीच स्वस्थ और अधिक प्रतिस्पर्धा का लाभ उपयोगकर्ताओं को किफायती दामों के रूप में मिला। इसी दौरान, दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं की अधिक उपलब्धता के बारे में ज्यादा जागरुकता से अधिक और बेहतर सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की मांग में इजाफा हुआ है। इस विकास गाथा का विस्तृत विवरण नीचे अग्रलिखित है।

वायरलेस उपभोक्ताओं द्वारा डेटा के उपयोग में वृद्धि एक नए स्तर पर पहुंच गई है, जो इस क्षेत्र की उत्कृष्ट वृद्धि की द्योतक है। देश में समग्र मोबाइल कवरेज और डेटा उपयोग में बढ़ोतरी हुई और इसके कवरेज के नक्शे पर और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बेहद किफायती दामों पर स्मार्ट फोनों की बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ मोबाइल फोन केवल संवाद का साधन मात्र बन कर नहीं रह गया है बल्कि अधिक से अधिक सेवाओं को मोबाइल, इंटरनेट और डिलिवरी के अन्य साधनों से निरंतर जोड़ा जा रहा है। 4जी सेवाओं की वृद्धि से नए उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जो इन सेवाओं के माध्यम से डेटा क्रांति के आगमन को अनुभव कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है, जिस पर अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा फल–फूल रहे हैं और इस प्रकार यह क्षेत्र देश के समग्र आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

तकनीकी प्रगति के चलते **दूरसंचार क्षेत्र** एक तेजी से उभरता क्षेत्र बन गया है जो नई–नई सेवाओं के शुभारंभ को सुगम बनाता है। वर्ष के दौरान, अपने विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कृत्यों का निर्वहन करने के साथ–साथ भादूविप्रा ने दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का निराकरण करने का प्रयास भी किया । दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को सिफारिशें प्रदान की गई जैसे "क्लाउड सेवाएं", "मशीन से मशीन (एम 2 एम) संचार में स्पेक्ट्रम, रोमिंग और क्यूओएस संबंधी शर्तें", "संपोषणीय दूरसंचार के लिए दृष्टिकोण", "इंटरनेट टेलीफोनी के लिए विनियामक रूपरेखा", "नेट निरपेक्षता", "ईज ऑफ डूइंग दूरसंचार बिजनेस", "इन–फ्लाइट कनेक्टीविटी", "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तैयार करने के लिए सूचना" आदि। जहां तक टैरिफ नीति की बात है तो भादूविप्रा ने अधिकांश सेवाओं के मामले में अधिस्थगन की सामान्य नीति को जारी रखा है। दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता, अविभेदन और नॉन–प्रीडेशन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) में संशोधन किए गए ।

प्रसारण क्षेत्र एनालॉग से डिजिटल युग में जाने के लिए रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है। भादूविप्रा ने प्रसारण क्षेत्र के समक्ष विनियामक चुनौतियों से निपटने के लिए भरपूर प्रयास किए। वर्ष 2017–18 में, भादूविप्रा ने प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित में कई असरदार उपाय किए। उदाहरण के लिए, केबल क्षेत्र का डिजिटलीकरण भादूविप्रा द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक था जो न केवल उपभोक्ता को सशक्त करेगा बल्कि उन्हें बेहतर सेवा और ज्यादा विकल्प मुहैया कराएगा। डिजिटलीकरण की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया गया तथा विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद उसकी निगरानी की जाती रही। प्राधिकरण ने अनेक अन्य कदम भी उठाए जिनका उद्देश्य क्षेत्र में स्थायित्व लाना तथा उसका समान विकास सुनिश्चित करना था जो वर्तमान में तत्कालीन एनालॉग युग से एक व्यापक रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है। वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने प्रसारण क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जिनमें "भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे", "प्रसारण क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनस" आदि शामिल हैं।

2. वर्ष 2017–18 के दौरान दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित उल्लेखनीय क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित है:

I. दूरसंचार क्षेत्र

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र उपभोक्ताओं की संख्या दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है, जिसके मुख्य कारण किफायती टैरिफ, सेवाओं की व्यापक उपलब्धता, नई सुविधाओं और सेवाओं का शुभारंभ जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी), 3जी और 4 जी, उपभोक्ताओं के उपयोग पैटर्नों का विकास तथा अनुकूल विनियामक परिवेश रहे हैं ।

इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, दूरसंचार क्षेत्र ने वर्ष 2017–18 के दौरान भी उपभोक्ताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की है । वित्त वर्ष की समाप्ति पर, उप. भोक्ता आधार 1206.22 मिलियन था जिसमें से 1183.41 मिलियन वायरलेस उपभोक्ता थे । वर्ष के दौरान, वायरलेस उपभोक्ता आधार में 13.23 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मार्च, 2018 के अंत में समग्र टेलीघनत्व 92. 84 प्रतिशत था। इस वर्ष ग्रामीण टेलीघनत्व भी 56.91 प्रतिशत से बढ़कर 59.05 प्रतिशत हो गया जबकि शहरी टेलीघनत्व 171.80 प्रतिशत से घटकर 165.90 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017–18 के दौरान, 98.07 मिलियन उपभोक्ताओं ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की सुविधा प्राप्त करने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास अपने पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए। इसके साथ ही, एमएनपी अनुरोधों की संख्या मार्च 2017 की समाप्ति पर 272.76 मिलियन से बढ़कर मार्च 2018 की समाप्ति पर 370.83 हो गई, जो सेवा प्रदाता के विकल्पों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को दर्शाता है। देश में इंटरनेट उपभोक्ता 31 मार्च 2017 में 422.19 मिलियन था जबकि 31 मार्च, 2018 को यह बढ़कर 493.96 मिलियन हो गया। देश में कुल ब्रॉडबैंड उपभोक्ता भी 31 मार्च 2017 में 276.52 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2018 को 412.60 मिलियन हो गया।

दूरसंचार सेवाओं के लिए एक समर्थकारी और स्थिर परिवेश का सृजन करने के उद्देश्य से तथा अधिक पहुंच, पारदर्शिता, निष्पक्षता, उपभोक्ता संरक्षण तथा क्षेत्र के कार्यकरण में स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा शुरू की गई है जिसमें टैरिफ, अंतरसंयोजन तथा सेवा की गुणवत्ता भी शामिल है । विद्यमान विनियामक फ्रेमवर्क में कोई परिवर्तन प्रभावी करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा परामर्श–पत्र जारी करता है जो हितधारकों को प्रस्तावित विनियामक फ्रेमवक पर विचार–विमर्श करने तथा अपनी टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान करता है । इस महत्वपूर्ण कवायद, जो यह सुनिश्चित करती है कि परामर्श प्रक्रिया से एक सुदृढ़ विनियम उभरकर आए, के भाग के रूप में भादूविप्रा ने इस वर्ष के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण परामर्श–पत्र जारी किए जिनके माध्यम से हितधारकों से लिखित टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इनमें "वायरलेस ब्रॉडबैंड प्लान के तहत डेटा स्पीड", "दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की निजता, सुरक्षा और स्वामित्व", "स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देना", "अगली पीढ़ी का सार्वजनिक संरक्षण और आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार नेटवर्क", "दिव्यांगों के लिए आईसीटी को सुगम्य बनाना", "पारदर्शी प्रणाली के रूप में नीलामी सहित पब्लिक रेडियो ट्रंकिंग सेवा हेतु स्पेक्ट्रम आवंटन विधि", "एलटीई उपयोगकर्ताओं (वीओएलटीई और सीएस फॉलबैक सहित) के लिए वॉइस सेवाएं" आदि पर परामर्श पत्र शामिल हैं।

जैसा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) अधिनियम के अंतर्गत अधिदेशित किया गया है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के कृत्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू सरकार को विभिन्न विषयों पर सिफारिशें करना है जिसमें शामिल हैं–बाजार संरचना, क्षेत्र में नए प्रचालकों का प्रवेश लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, दुर्लभ संसाधनों का प्रबंध जैसे स्पेक्ट्रम, उपभोक्ता सुरक्षा और संरक्षा आदि। इस अधिदेश के अनुसरण में, वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत विनियामक सिफारिशें की गईं जिनमें "फिक्स्ड लाइन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए ई–केवाईसी सेवा यूआईडीएआई को अपनाना", "भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड/ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री/किराया" पर अतिरिक्त सिफारिशे "केप्टिव वीसेट सीयूजी नीतिगत मुद्दे", "क्लाउड सेवाएं", "मशीन से मशीन संचार में स्पेक्ट्रम, रोमिंग और क्यूओएस संबंधी शर्तें", "संपोषणीय दूरसंचार के लिए दृष्टिकोण", "इंटरनेट टेलीफोनी के लिए विनियामक रूपरेखा", "नेट निरपेक्षता", "ईज ऑफ डूइंग दूरसंचार बिजनेस", "इन–फ्लाइट कनेक्टीविटी" आदि पर सिफारिशें शामिल हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में निरंतर बदलती नीतियों तथा विनियामक अपेक्षाओं के विषय में अद्यतन स्थिति से अवगत रहने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख संशोधन और विनियम भी जारी किए हैं :

1. बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलेस) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता के मानक (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017
2. दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017
3. दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018
4. दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन), विनियम, 2018
5. दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018

II. प्रसारण क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत के पास, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017–18 के अंत में कुल 286[1] मिलियन घरों में से लगभग 183[1] मिलियन घरों मे टीवी सेट होने का अनुमान लगाया गया है। ये 183 मिलियन घर केबल टीवी सेवाओं, डीटीएच सेवाओं, हिट्स सेवाओं, आईपी. टीवी सेवाओं और दूरदर्शन के भौमिक टीवी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन का भौमिक टीवी नेटवर्क भौमिक ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के जरिये देश की लगभग 92[2] प्रतिशत आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। पे टीवी यूनिवर्स में लगभग 98.5 मिलियन केबल टीवी वाले घर, 67.53[3] मिलियन नेट एक्टिव डीटीएच उपभोक्ता और 1.5 मिलियन हिट्स उपभोक्ता शामिल हैं। टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में 358[4] प्रसारक शामिल हैं, जिनमें से 49 पे चैनल चला रहे हैं। टेलीविजन वितरण क्षेत्र में 1469[4] मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत हैं, लगभग 60,000 केबल ऑपरेटर, 2 हिट्स ऑपरेटर, 5 पे डीटीएच ऑपरेटर और

[1] स्रोत: फिक्की– रिपोर्ट 2018
[2] स्रोत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2017–18
[3] स्रोत: DTH ऑपरेटरों द्वारा TRAI को सूचित विवरण
[4] स्रोत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वेबसाइट www.mib.gov.in

कुछ आईपीटीवी ऑपरेटर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी सेवा प्रसारक–दूरदर्शन भारत में फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा भी उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में, 31 मार्च, 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त 875[4] प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल हैं, जिनमें से 213[5] एसडी पे टीवी चैनल (एक विज्ञापन फ्री पे चैनल सहित), और 95 एचडी पे टीवी चैनल हैं।

भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2016–17 मे 58,800[6] करोड़ रुपये का था, जो 2017–18 में बढ़कर 66,000[6] करोड़ रुपये का हो गया है, इस प्रकार, इसमें लगभग 12.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विज्ञापन राजस्व के रूप में अन्य भाग, सब्सक्रिप्शन राजस्व की टीवी उद्योग के समग्र राजस्व में भागीदारी 59.5 प्रतिशत रही। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2016–17 के 38,700[6] करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 39,300[6] करोड़ रुपये हो गया है। विज्ञापन से आय वर्ष 2016–17 के 20,100[6] करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 26,700[6] करोड़ रुपये हो गई है, इस प्रकार इसमें वर्ष के दौरान 32.8 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। एफएम (आवृत्ति मॉडुलेशन) रेडियो प्रसारण क्षेत्र में भी शानदार वृद्धि देखने को मिली। सरकारी सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के भौमिक रेडियो नेटवर्क के अलावा, मार्च, 2018 तक 324[4] प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे। एआईआर का 469[7] केन्द्र और 662 भौमिक रेडियो ट्रांसमीटर (139 मीडियम वेवए 475[8]एफएम और 48[8] एसडब्ल्यू (शॉर्ट वेव) का नेटवर्क है। ऑल इंडिया रेडियो सेवा देश के लगभग 99.20% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और ये 99.19% आबादी[8] को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में, मार्च, 2018 के अंत में 216[9] सामुदायिक स्टेशनों ने काम करना शुरू कर दिया है। रेडियो उद्योग पूरी तरह से विज्ञापन से होने वाली आय पर निर्भर है, इसमें वर्ष 2017–18 के दौरान लगभग 6.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विज्ञापन से आय वर्ष 2016–17 की 2046.54 करोड़[10] रुपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 2170.04 करोड़[10] रुपये रही।

[5] स्रोतः ब्रॉडकास्टर्स द्वारा ट्राई को प्रदान की गयी सूचना पर आधरीत

[6] स्रोतः फिक्की– रिपोर्ट 2018

[7] स्रोतः आकासवाणी वेबसाइट – www.air.org.in

[8] स्रोतः एयर वेबसाइट – www.air.org.in

[9] स्रोतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

[10] स्रोतः प्राइवेट एफ एम रेडियो ऑपरेटरों द्वारा ट्राई को प्रदान की गई सूचना

भाग – I

नीतियां और कार्यक्रम

(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य वातावरण की समीक्षा

दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2017–18 के दौरान विकास का दौर जारी रहा और भादूविप्रा द्वारा समय पर किए गए विनियामक हस्तक्षेपों से भी इसमें काफी सहायता मिली। वर्ष के दौरान, उपभोक्ताओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत में दूरसंचार उपभोक्ताओं की समग्र संख्या बढ़कर 1206.22 मिलियन हो गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत में यह संख्या 1194.58 मिलियन थी। इस प्रकार, इसमें 11.64 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि दर्ज की गई। समग्र उपभोक्ता संख्या और टेलीघनत्व को **सारणी–1** में दर्शाया गया है।

सारणी–1 : समग्र उपभोक्ता संख्या और टेलीघनत्व

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल वायरलेस वायरलाइन
कुल उपभोक्ता (मिलियन)	**1183.41**	**22.81**	**1206.22**
शहरी उपभोक्ता (मिलियन)	**662.18**	**19.43**	**681.61**
ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन)	**521.23**	**3.38**	**524.61**
समग्र टेलीघनत्व	**91.09**	**1.76**	**92.84**
शहरी टेलीघनत्व	161.17	4.73	165.90
ग्रामीण टेलीघनत्व	58.67	0.38	59.05
शहरी उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी	55.96%	85.19%	56.51%
ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी	44.04%	14.81%	43.49%
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन)	**394.65**	**17.95**	**412.60**

वायरलेस, वायरलाइन सेगमेंट में उपभोक्ताओं का विवरण; मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हेतु अनुरोध; टेलीघनत्व; इंटरनेट उपभोक्ता और तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक का विवरण आगे दिया गया है।

(क) वायरलेस

1.1.1 31 मार्च, 2018 को वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या 1183.41 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह संख्या 1170.18 मिलियन थी, इस प्रकार, वर्ष 2017–18 के दौरान, इसमें 1.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 6 वर्षों के दौरान, वायरलेस उपभोक्ताओं की तुलनात्मक स्थिति चित्र–1 में दर्शाई गई है।

चित्र–1 : मार्च, 2013 से पिछले छह वर्षों के लिए वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या

(मिलियन में)

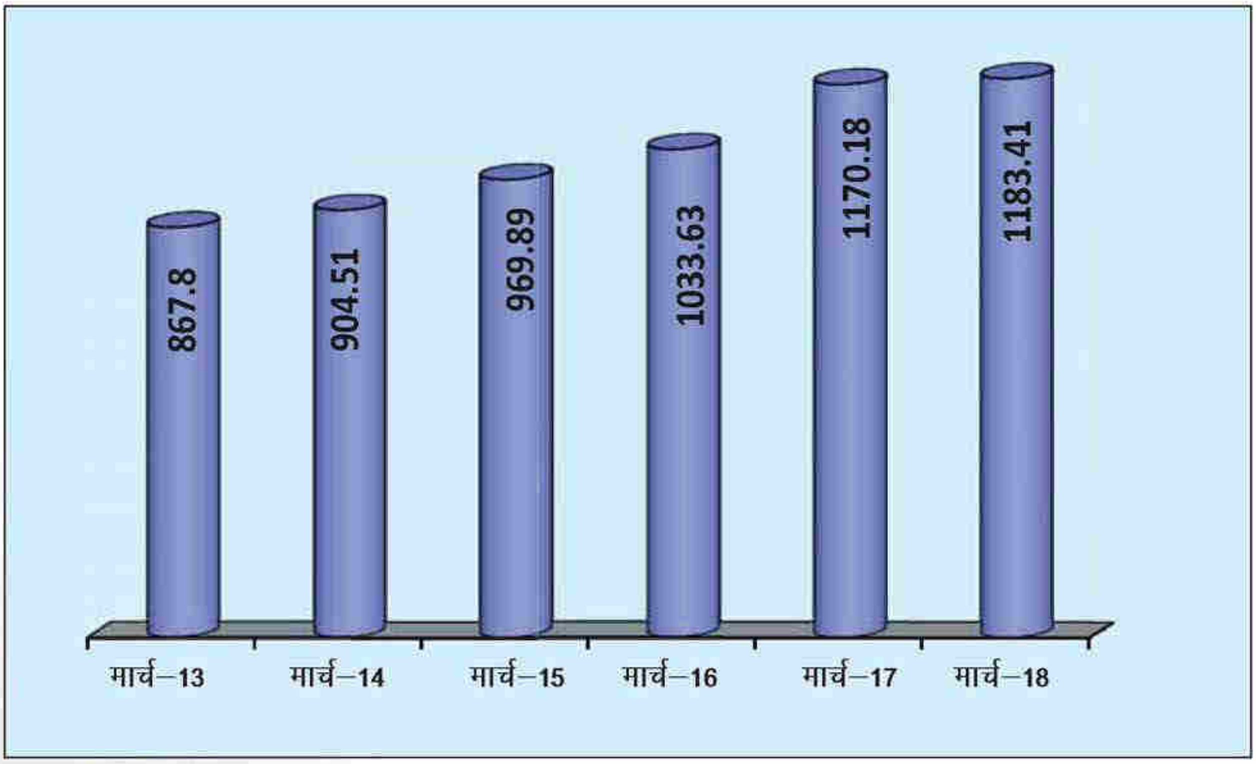

(ख) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

1.1.2 वर्ष 2017–18 के दौरान, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठाने के लिए 98.07 मिलियन उपभोक्ताओं ने अपने सेवा प्रदाताओं के पास पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए। इसके साथ, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोधों की संख्या मार्च, 2017 के अंत में 272.76 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2018 के अंत में 370.83 मिलियन हो गई। मार्च, 2018 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध **सारणी–2** में दर्शाए गए हैं।

सारणी–2: मार्च, 2018 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध

मार्च, 2018 के अंत में संचयी एमएनपी अनुरोध (सेवा क्षेत्रवार)				
	सेवा क्षेत्र	द्वारा संसाधित एमएनपी अनुरोध		पोर्टिंग अनुरोधों की कुल संख्या
		जोन – 1	जोन – 2	
जोन – 1	दिल्ली	18,006,488	365,940	18,372,428
	गुजरात	24,369,182	144,314	24,513,496
	हरियाणा	13,562,586	81,751	13,644,337
	हिमाचल प्रदेश	1,785,847	12,867	1,798,714
	जम्मू एवं कश्मीर	682,538	6,278	688,816
	महाराष्ट्र	25,249,877	252,192	25,502,069
	मुंबई	19,486,807	214,615	19,701,422
	पंजाब	13,569,350	208,547	13,777,897
	राजस्थान	30,747,021	124,323	30,871,344
	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	19,628,916	109,108	19,738,024
	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	16,011,919	60,335	16,072,254
जोन – 2	आन्ध्र प्रदेश	168,692	31,071,340	31,240,032
	असम	25,801	2,575,145	2,600,946
	बिहार	260,654	13,621,992	13,882,646
	कर्नाटक	293,950	35,866,990	36,160,940
	केरल	55,030	9,010,215	9,065,245
	कोलकाता	67,107	9,107,948	9,175,055
	मध्य प्रदेश	221,187	24,627,876	24,849,063
	पूर्वोत्तर	13,269	978,073	991,342
	ओडिशा	54,825	7,261,516	7,316,341
	तमिलनाडु	96,244	31,008,035	31,104,279
	पश्चिम बंगाल	95,455	19,666,836	19,762,291
	योग	184,452,745	186,376,236	370,828,981
	जोड़ (जोन–1+जोन–2)			

(ग) वायरलाइन

1.1.3 वायरलाइन सेवाएं

31 मार्च, 2018 को वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 22.81 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह 24.40 मिलियन थी, इस प्रकार, वर्ष 2017–18 के दौरान, इसमें 6.52 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 22.81 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं में से 19.43 मिलियन शहरी उपभोक्ता और 3.38 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता थे। पिछले पांच वर्षों के लिए वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या **चित्र–2** में दर्शाई गई हैं ।

चित्र–2 : पिछले 5 वर्षों के दौरान, वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)

(घ) टेलीघनत्व

1.1.4 मार्च, 2018 के अंत में टेलीघनत्व 92.84 हो गया था, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 92.98 था, जो 0.15 प्रतिशत की कमी को दर्शा रहा है। मार्च, 2013 से टेलीघनत्व के रूझान चित्र–3 में दर्शाए गए हैं।

चित्र–3 टेलीघनत्व की वृद्धि

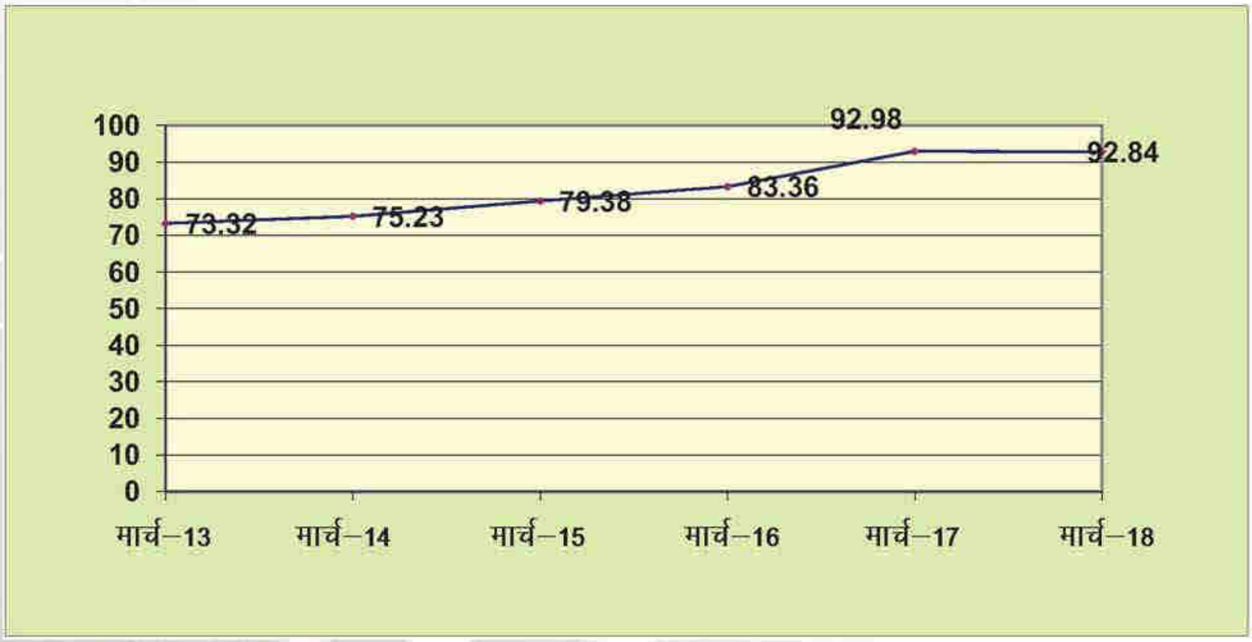

(ड) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता

1.1.5.1 31 मार्च, 2018 को देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 493.96 मिलियन थी, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह संख्या 422.19 मिलियन थी। 31 मार्च, 2018 को देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या 412.60 मिलियन थी जबकि 31 मार्च, 2017 को यह 276.52 मिलियन थी। सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को उपभोक्ताओं का विवरण **सारणी–3** में दिया गया है:

सारणी–3 : इंटरनेट उपभोक्ता

[उपभोक्ता मिलियन में]

	सेगमेंट		श्रेणी	इंटरनेट उपभोक्ता		% वृद्धि
				मार्च–17	मार्च–18	
क.	वायरलाइन		ब्रॉडबैंड	18.24	17.95	-1.58%
			नैरोबैंड	3.33	3.28	-1.48%
			कुल	21.58	21.24	-1.56%
ख.	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीसैट)	ब्रॉडबैंड	0.560	0.457	-18.45%
			नैरोबैंड	0.022	0.014	-37.40%
			कुल	0.582	0.471	-19.15%
		मोबाइल वायरलेस (फोन+डोंगल)	ब्रॉडबैंड	257.71	394.19	52.96%
			नैरोबैंड	142.32	78.06	-45.16%
			कुल	400.04	472.25	18.05%
कुल इंटरनेट उपभोक्ता			ब्रॉडबैंड	276.52	412.60	49.22%
			नैरोबैंड	145.68	81.35	-44.15%
			कुल	**422.19**	**493.96**	**17.00%**

1.1.5.2 सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2017–18 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या **सारणी–4** में दर्शाई गई है:

सारणी–4 : 2017–18 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या

[उपभोक्ता मिलियन में]

सेवा	जून – 17	सितंबर – 17	दिसंबर – 17	मार्च – 18
ब्रॉडबैंड	300.84	324.89	362.87	412.60
नैरोबैंड	130.38	104.34	83.09	81.35
कुल इंटरनेट	**431.21**	**429.23**	**445.96**	**493.96**

(च) भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक

1.1.6.1 भादूविप्रा दूरसंचार उपभोक्ता संबंधी विवरण पर एक मासिक प्रेस विज्ञप्ति निकालता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कुल उपभोक्ता संख्या, टेलीघनत्व, सेवा प्रदाता–वार बाजार शेयर, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोध, व्यस्त वीएलआर डेटा, वायरलेस, वायरलाइन और ब्राडबैंड सेगमेंट में माह के दौरान शुद्ध अभिवृद्धि से संबंधित सूचना शामिल की जाती है। 31 मार्च, 2018 को दूरंसचार उपभोक्ताओं पर प्रेस विज्ञप्ति के मुख्य विवरण **सारणी–5** में दिए गए हैं: दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए पैरामीटर और रूझान प्रस्तुत किए गए हैं:

सारणी–5 : 31 मार्च, 2018 को दूरंसचार उपभोक्ताओं के मुख्य विवरण

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल (वायरलेस + वायरलाइन)
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन)	**1183.41**	**22.81**	**1206.22**
मार्च, 2018 में शुद्ध अभिवृद्धि (मिलियन)	26.54	-0.15	26.39
मासिक वृद्धि दर	2.29%	-0.67%	2.24%
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन)	**662.18**	**19.43**	**681.61**
मार्च, 2018 में शुद्ध अभिवृद्धि (मिलियन)	12.15	-0.16	11.98
मासिक वृद्धि दर	1.87%	-0.84%	1.79%
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन)	**521.23**	**3.38**	**524.61**
मार्च, 2018 में शुद्ध अभिवृद्धि (मिलियन)	14.39	0.01	14.40
मासिक वृद्धि दर	2.84%	0.32%	2.82%
समग्र टेलीघनत्व*	**91.09**	**1.76**	**92.84**
शहरी टेलीघनत्व*	161.17	4.73	165.90
ग्रामीण टेलीघनत्व*	58.67	0.38	59.05
शहरी उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी	55.96%	85.19%	56.51%
ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी	44.04%	14.81%	43.49%
ब्राडबैंड उपभोक्ता (मिलियन)	**394.65**	**17.95**	**412.60**

- मार्च, 2018 के दौरान, 19.67 मिलियन उपभोक्ताओं ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए। इसको मिलाकर, एमएनपी को लागू होने के बाद, संचयी एमएनपी अनुरोधों की संख्या फरवरी–2018 के 351.16 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2018 के अंत में 370.83 मिलियन हो गई है।
- मार्च, 2018 में सक्रिय वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या {व्यस्त विजिटर लोकेशन रजिस्टर (वीएलआर) की तिथि पर} 998.00 मिलियन थी।

1.1.6.2 2017–18 के दौरान, देश में टेलीफोन और ब्राडबैंड सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या और टेलीघनत्व में प्रतिशत वृद्धि को **सारणी–6** में दर्शाया गया है:

सारणी–6: वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान, देश में टेलीफोन और ब्राडबैंड सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या और टेलीघनत्व में प्रतिशत वृद्धि

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2018 को	वित्त वर्ष 2017–18 में प्रतिशत वृद्धि
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	1194.58	1206.22	0.97%
वायरलेस टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	1170.18	1183.41	1.13%
वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	24.40	22.81	-6.52%
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	692.97	681.61	-1.64%
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	501.61	524.61	4.59%
समग्र टेलीघनत्व (%)	92.98	92.84	-0.15%
ब्राडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)	276.52	412.60	49.21%

1.1.6.3 भादूविप्रा 'भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन के सूचकों' पर एक तिमाही रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के प्रमुख पैरामीटर और विकास के रूझान प्रस्तुत किए जाते हैं। उपरोक्त अवधि के लिए दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचकों का संक्षिप्त विवरण **सारणी–7** में दिया गया है:

सारणी–7 : निष्पादन सूचक (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आंकड़ें)

दूरसंचार उपभोक्ता (वायरलेस+वायरलाइन)	
कुल उपभोक्ता (मिलियन में)	1206.22
पिछली तिमाही की तुलना में % बदलाव	1.31%
शहरी उपभोक्ता (मिलियन में)	681.61
ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)	524.61
प्राइवेट ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	89.15%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	10.85%
टेलीघनत्व	92.84
शहरी टेलीघनत्व	165.90
ग्रामीण टेलीघनत्व	59.05
कुल वायरलेस उपभोक्ता (मिलियन में)	1183.41

पिछली तिमाही की तुलना में % बदलाव	1.37%
शहरी उपभोक्ता (मिलियन में)	662.18
ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)	521.23
जीएसएम उपभोक्ता (मिलियन में)	1179.12
सीडीएमए उपभोक्ता (मिलियन में)	4.29
प्राइवेट ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	90.26%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	9.74%
टेलीघनत्व	91.09%
शहरी टेलीघनत्व	161.17%
ग्रामीण टेलीघनत्व	58.67%
तिमाही के दौरान कुल वायरलेस डेटा उपयोग	8,067,633 टीबी
वायरलाइन उपभोक्ता	
कुल वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)	22.81
पिछली तिमाही की तुलना में % बदलाव	-1.82%
शहरी उपभोक्ता (मिलियन में)	19.43
ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)	3.38
प्राइवेट ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	31.55%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	68.45%
टेलीघनत्व	1.76
शहरी टेलीघनत्व	4.73
ग्रामीण टेलीघनत्व	0.38
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या	1,99,057
पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की संख्या	3,60,053
दूरसंचार वित्तीय आंकड़े	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	62,198 करोड़ रुपये
पिछली तिमाही की तुलना में जीआर में % बदलाव	1.82%
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	35,697 करोड़ रुपये
पिछली तिमाही की तुलना में एजीआर में % बदलाव	-7.37%
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का शेयर	10.25%
एक्सेस सेवाओं के लिए मासिक औसत राजस्व प्रति यूजर (एआरपीयू)	71.62 रुपये
इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)	
कुल इंटरनेट उपभोक्ता	493.96

पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत बदलाव	10.76%
नैरोबैंड उपभोक्ता	81.35
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	412.60
वायर इंटरनेट उपभोक्ता	21.24
वायरलेस इंटरनेट उपभोक्ता	472.72
शहरी इंटरनेट उपभोक्ता	348.13
ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता	145.83
कुल इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	38.02
शहरी इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	84.74
ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	16.41
प्रसारण और केबल सेवाएं	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या	875
प्रसारकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पे टीवी चैनलों की संख्या	308
एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो को छोड़कर)	324
प्राइवेट डीटीएच उपभोक्ताओं के साथ सक्रिय पे उपभोक्ताओं की शुद्ध संख्या	67.53 मिलियन
चालू सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	216
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	5
राजस्व और उपयोग पैरामीटर	
एलटीई सहित मासिक एआरपीयू जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा	76 रुपये
मासिक एआरपीयू सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा	79 रुपये
उपयोग के मिनट (एमओयू) प्रति उपभोक्ता प्रति माह –एलटीई सहित जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा	584 मिनट
उपयोग के मिनट (एमओयू) प्रति उपभोक्ता प्रति माह – सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा	61 मिनट
इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उपयोग के कुल आउटगोइंग मिनट	258 मिलियन
मोबाइल यूजर के डेटा उपयोग	
औसत डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह – एलटीई सहित जीएसएम (2जी+3जी+4जी)	2,447 एमबी
औसत डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह - सीडीएमए	173 एमबी
औसत डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह – कुल (जीएसएम+सीडीएमए)	2,437 एमबी
एलटीई सहित जीएसएम (2जी+3जी+4जी) के लिए औसत आउटगो प्रति जीबी डेटा	14.94 रुपये
सीडीएमए के लिए औसत आउटगो प्रति जीबी डेटा	198 रुपये

(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 अपनी स्थापना के बाद से भादूविप्रा का उद्देश्य देश में दूरसंचार क्षेत्र का क्रमबद्ध विकास का वातावरण तैयार करना और इसका पोषण करना रहा है और इस काम को ऐसी रीति एवं गति से किया जाता है जो भारत को उभरती वैश्विक सूचना समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ बनाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भादूविप्रा ने बीती अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रम एवं नीतियां प्रारंभ और कार्यान्वित की है। दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में भादूविप्रा की मुख्य नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा नीचे दी गई है:

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क;

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार;

(ग) बेसिक और मूल्यसंवर्धित सेवाओं में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश;

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अंतः संयोजन;

(ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी;

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन;

(छ) सेवा की गुणवत्ता; और

(ज) सार्वभौमिक सेवा बाध्यताएं

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

वायरलेस

1.2.1.1 31 मार्च, 2018 को वायरलेस ग्रामीण ख्मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एफ), बाजार 521.23 मिलियन का हो गया है जबकि 31 मार्च, 2017 को यह 497.76 मिलियन था। अब, देश में ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी कुल वायरलेस उपभोक्ताओं का 44.04 प्रतिशत है। मार्च, 2013 से ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ताओं की वर्ष–वार संख्या **चित्र–4** में दर्शाई गई है। सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ताओं की वर्ष–वार संख्या और उनका बाजार शेयर **सारणी 8** और **चित्र–5** में दर्शाए गया है।

चित्र–4 : मार्च, 2013 से ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)

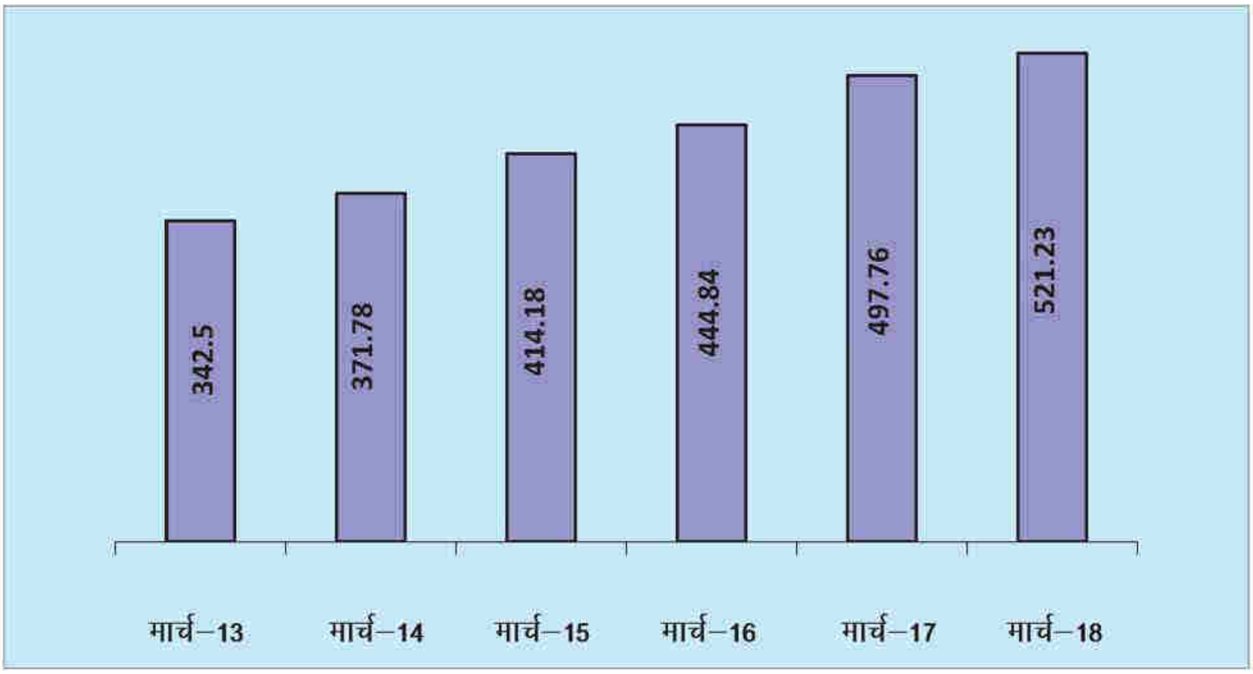

सारणी–8: सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता और बाजार शेयर

क्र. सं.	वायरलेस समूह	उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार शेयर	
		मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2017	मार्च 2018
1.	भारती	273.65	304.19	136.69	156.95	27.46%	30.11%
2.	वोडाफोन	209.06	222.70	114.03	120.31	22.91%	23.08%
3.	आइडिया	195.37	211.21	108.79	114.74	21.86%	22.01%
4.	आरसीएल/आरटीएल	83.50	0.19	19.40	0.02	3.90%	0.004%
5.	एयरसेल	90.90	74.15	31.86	28.04	6.40%	5.38%
6.	बीएसएनएल	100.99	111.68	32.88	35.82	6.60%	6.87%
7.	आरजेआईएल	108.68	186.56	26.14	49.73	5.25%	9.54%
8.	टाटा	48.99	31.19	12.01	4.81	2.41%	0.92%
9.	टेलीनॉर	50.49	37.98	14.85	10.76	2.98%	2.06%
10.	सिस्टमा	4.91	--	1.07	--	0.21%	--
11.	एमटीएनएल	3.63	3.56	0.05	0.05	0.01%	0.01%
	कुल	**1170.18**	**1183.41**	**497.76**	**521.23**	**100.00**	**100.00**

स्रोतः टीएसपी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित

चित्र–5: 31 मार्च, 2018 को ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार शेयर

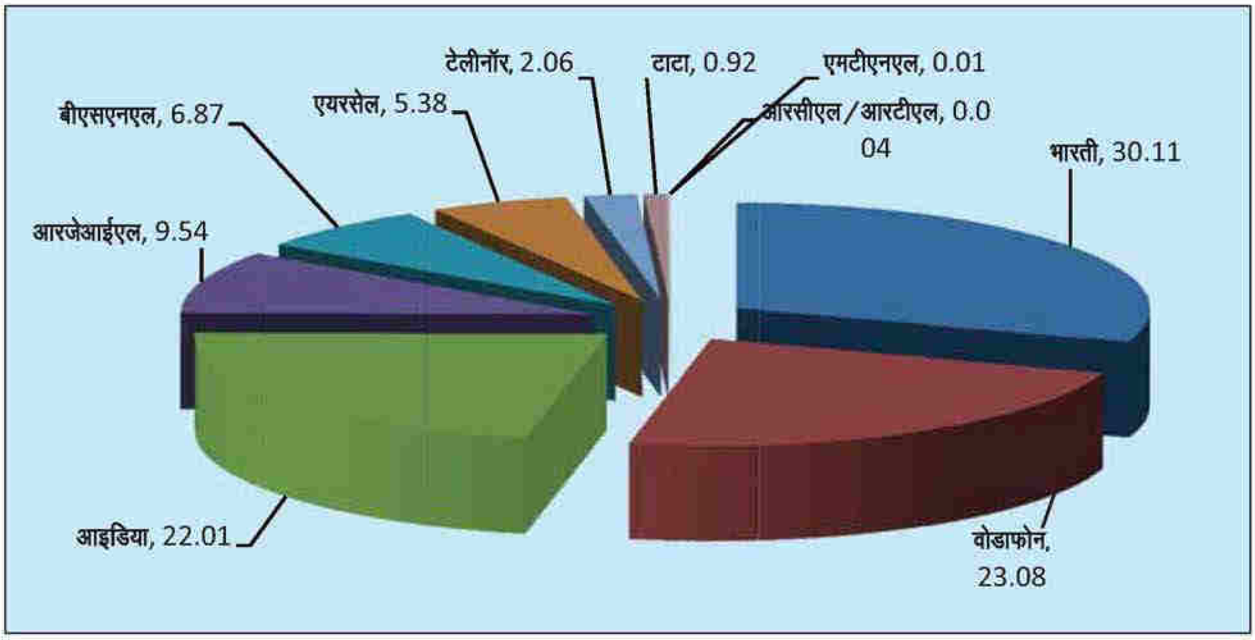

वायरलाइन सेवाएं

1.2.1.2 31 मार्च, 2018 को ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या 3.38 मिलियन थी जबकि 31 मार्च, 2017 के अंत में यह 3.85 मिलियन थी। इस प्रकार, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सेवा प्रदाता–वार वायरलाइन ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या और उनका बाजार शेयर **सारणी–9** में दर्शाया गए है।

सारणी–9: सेवा प्रदाता–वार वायरलाइन ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या और उनका बाजार शेयर

क्र. सं.	वायरलाइन समूह	कुल वायरलाइन उपभोक्ता		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं का बाजार शेयर (प्रतिशत में)	
		मार्च'17	मार्च '18	मार्च'17	मार्च'18	मार्च'17	मार्च'18
1	बीएसएनएल	13,688,964	12,267,391	3,723,712	3,270,003	96.85%	96.79%
2	एमटीएनएल	3,462,374	3,346,568	-		-	-
3	भारती	3,865,764	3,932,533	-		-	-
4	क्वाड्रेंट	262,891	243,820	58,711	51,868	1.53%	1.54%
5	सिस्टमा श्याम	56,669	-	10,023	-	-	-
6	टाटा	1,750,102	1,876,009	50,897	54,834	1.32%	1.62%
7	रिलायंस	1,174,675	923,414	1.673	1,640	0.04%	0.05%
8	वोडाफोन	139,188	220,981	-		-	-
	कुल	**24,400,627**	**22,810,716**	**3,845,016**	**3,378,345**	**100.00%**	**100.00%**

(ii) 2017–18 के दौरान, प्रत्येक तिमाही के अंत में ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति **चित्र–6 में** दर्शाई गई है:

चित्र–6: ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं को दर्शाता बार चार्ट

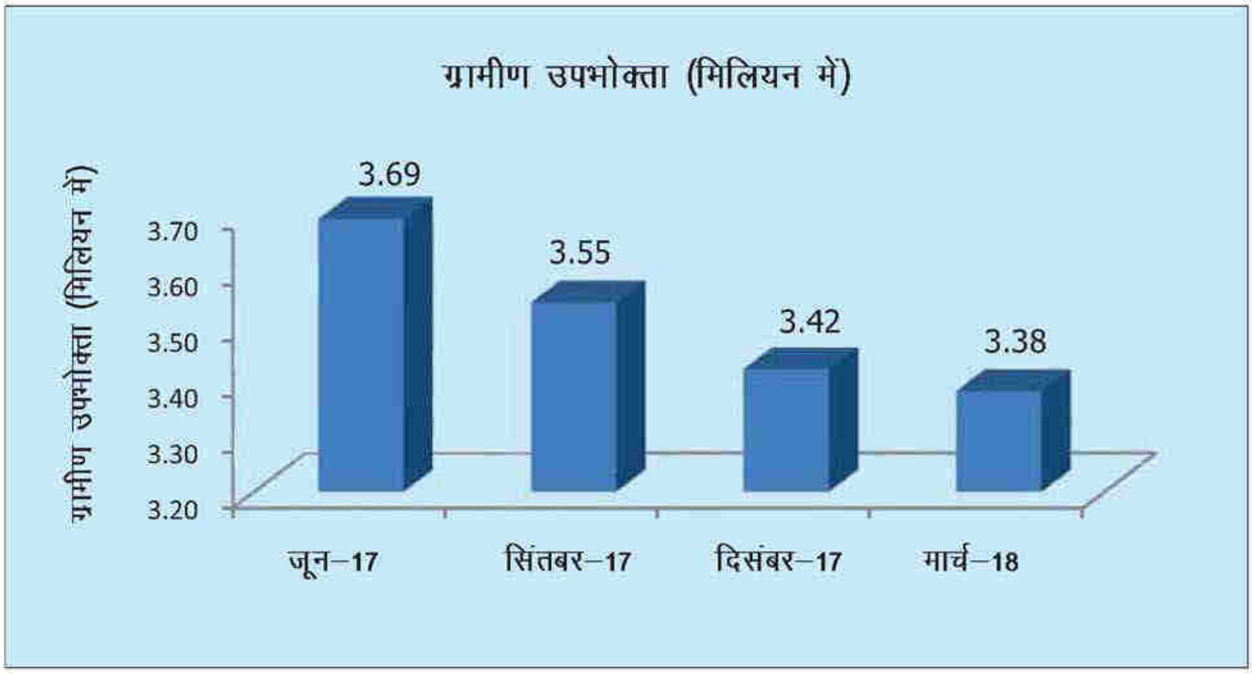

(iii) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति **चित्र–7** में दर्शाई गई है:

चित्र–7: 2014–18 के दौरान ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं को दर्शाता बार चार्ट

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

वायरलेस सेवाएं

1.2.2.1 पिछले वर्ष के दौरान, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि की वजह से बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए टेलीफोन नेटवर्क का पर्याप्त रूप से विकास और विस्तार हुआ। यह विस्तार इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि 31 मार्च, 2018 को वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या 1183.41 मिलियन तक पहुंच गई थी, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह संख्या 1170.18 मिलियन थी। इस प्रकार, वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या में 13.23 मिलियन की वृद्धि हुई। वायरलेस सेवा के उपभोक्ताओं की कुल संख्या, मार्च, 2013 की 867.80 मिलियन से बढ़कर मार्च 2018 में 1183.41 मिलियन हो गई जो पिछले पांच वर्षों के दौरान, दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत में 1183.41 मिलियन उपभोक्ताओं में से 1179.12 मिलियन उपभोक्ता (99.64 प्रतिशत) जीएसएम (एलटीई सहित) उपभोक्ता और 4.29 मिलियन (0.36 प्रतिशत) उपभोक्ता सीडीएमए उपभोक्ता थे। मार्च, 2013 से मार्च, 2018 के दौरान, उपभोक्ताओं की संख्या का रूझान **चित्र–8** में दर्शाया गया है।

चित्र–8 : वायरलेस ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)

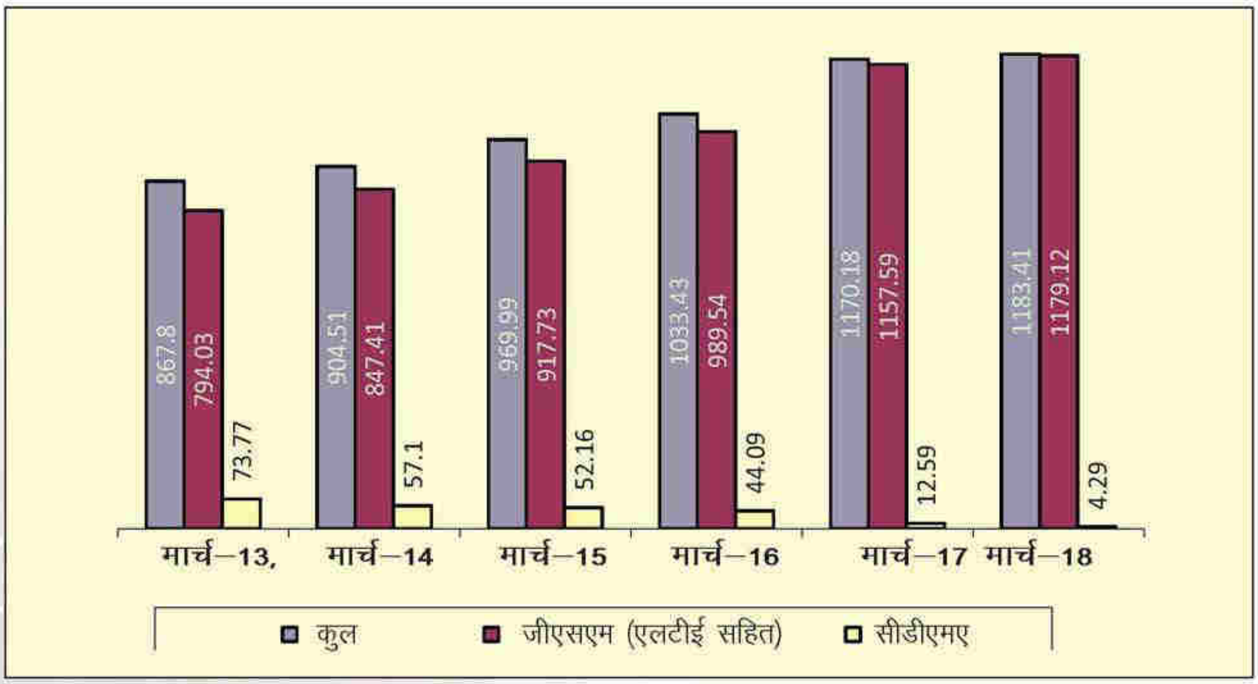

(ii) 2012–13 से 2017–18 तक एकल वायरलेस सेवा प्रदाता (जीएसएम (एलटीई सहित) और सीडीएमए, दोनों) के उपभोक्ताओं की संख्या और वित्तीय वर्ष 2016–17 की तुलना में उनकी प्रतिशत वृद्धि **सारणी–10** में दर्शाई गई है। 31 मार्च, 2018 को विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों का बाजार शेयर **चित्र–9** में दर्शाया गया है:

सारणी–10 : 2012–13 से 2017–18 तक वायरलेस सेवाओं (जीएसएम (एलटीई सहित) और सीडीएमए) के उपभोक्ताओं की संख्या

(उपभोक्ताओं की संख्या मिलियन में)

सेवा प्रदाता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वित्तीय वर्ष 2016–17 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि / कमी
भारती	188.20	205.39	226.02	251.24	273.65	304.19	11.16
वोडाफोन	152.35	166.56	183.80	197.95	209.06	222.70	6.52
आइडिया	121.61	135.79	157.81	175.07	195.37	211.21	8.11
आरकॉम / आरटीएल	122.97	110.89	109.47	102.41	83.50	0.19	-99.77
बीएसएनएल	101.21	94.65	77.22	86.35	100.99	111.68	10.59
एयरसेल	60.07	70.15	81.40	87.09	90.90	74.15	-18.43
रिलायंस जिओ (*)	-	-	-	-	108.68	186.56	71.66
टाटा	66.42	63.00	66.32	60.10	48.99	31.19	-36.33
टेलीनॉर	31.68	35.61	45.62	52.45	50.49	37.98	-24.78
सिस्टमा (&)	11.91	9.04	8.86	7.69	4.91	-	-
वीडियोकॉन (@)	2.01	4.99	7.13	6.56	-	-	-
एमटीएनएल	5.00	3.37	3.51	3.56	3.63	3.56	-1.93
लूप (#)	3.01	2.90	-	-	-	-	-
क्वाड्रेंट(@)	1.37	2.17	2.73	3.16	-	-	-
कुल	**867.8**	**904.51**	**969.89**	**1033.63**	**1170.18**	**1183.41**	**1.13**

स्रोतः सेवा प्रदाता

(*) मैसर्स रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लि. ने अपनी वाणिज्यिक सेवाएं 2016–17 में शुरू की

(#) मैसर्स लूप ने अपनी सेवाएं 2014–15 से बंद कर दी हैं

(@) मैसर्स वीडियोकॉन और मैसर्स क्वाड्रेंट ने अपनी सेवाएं 2016–17 से बंद कर दी हैं

(&) मैसर्स आरकॉम / आरटीएल ने 2017–18 में मैसर्स सिस्टमा श्याम लि. की सेवाओं का अधिग्रहण कर लिया है।

चित्र–9 : वायरलेस सेवा प्रदाताओं का बाजार शेयर (31मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार) (% में)

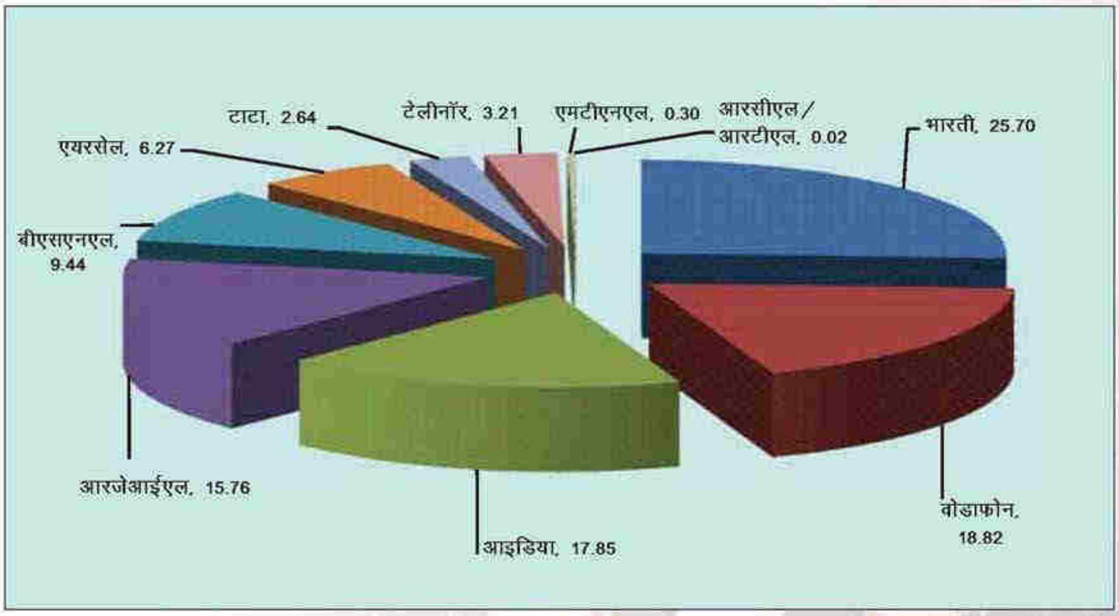

(iii) वायरलेस सेगमेंट में, मार्च, 2018 के अंत में जीएसएम (एलटीई सहित) उपभोक्ताओं की संख्या 1179.12 मिलियन थी, जबकि मार्च, 2017 के अंत में यह संख्या 1157.59 मिलियन थी। वर्ष के दौरान, जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या में 21.53 मिलियन की वृद्धि को समाहित करने के लिए जीएसएम नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार किया गया।

जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या और बाजार शेयर के मामले में मैसर्स भारती 304.19 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ सबसे बड़ी जीएसएम सेवा प्रदाता कंपनी बनी रही और उससे नीचे मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया, मैसर्स आरजेआईएल और मैसर्स बीएसएनएल क्रमशः 222.70 मिलियन, 211.21 मिलियन, 186.56 मिलियन और 111.68 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मौजूद थे।

वायरलेस सेगमेंट में, मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, सीडीएमए उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 4.29 मिलियन रह गई थी, जबकि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान यह 12.59 मिलियन थी।

मार्च, 2013 से मार्च, 2018 की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में सेल्युलर वायरलेस सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या **चित्र–10** में दर्शाई गई है।

चित्र–10: मार्च, 2013 से मार्च, 2018 के दौरान मेट्रो और सर्कलों में वायरलेस सेवाओं के लिए उपभोक्ता आधार (आंकड़े मिलियन में)

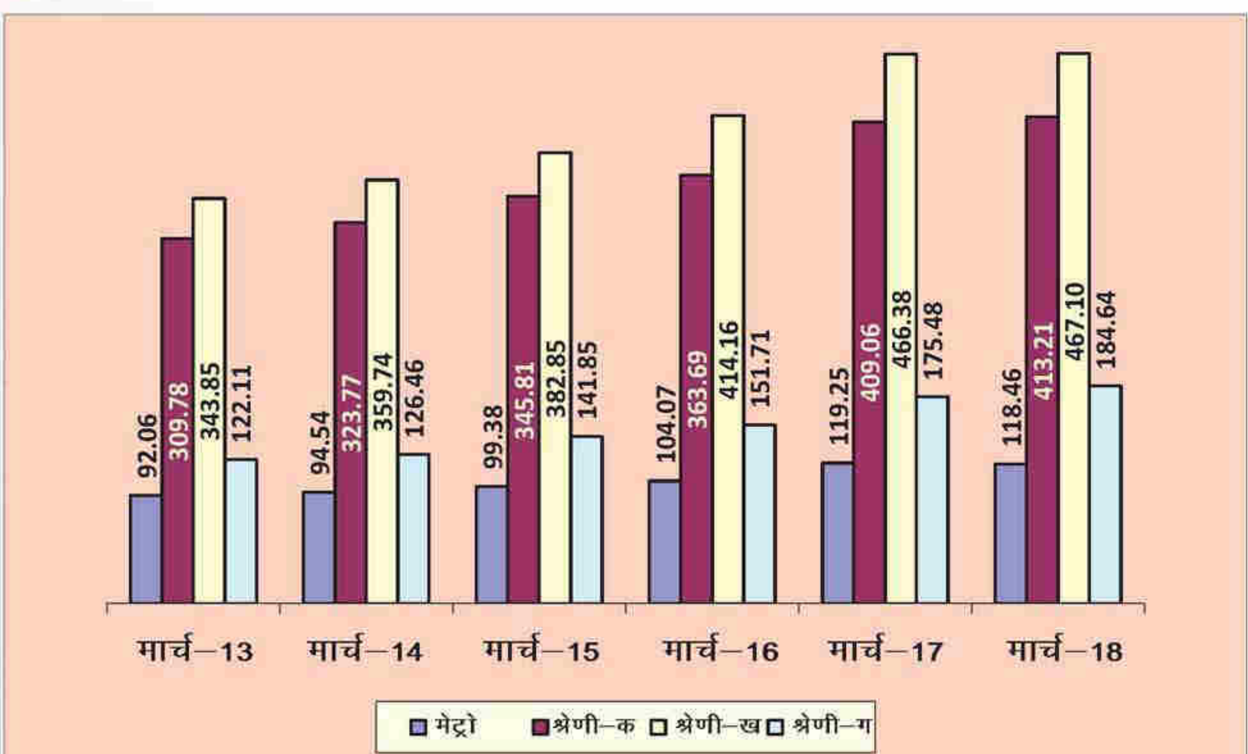

(iv) विभिन्न सेवा क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं की सूची **सारणी–11** में दी गई है।

सारणी–11: 31 मार्च, 2018 को सेल्युलर (जीएसएम व सीडीएमए) सेवा प्रदाता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	एस ए की संख्या	सेवा क्षेत्र (एस ए)
1.	भारती एयरटेल लिमिटेड	22	पूरा भारत
2.	एयरसेल समूह	22*	पूरा भारत
3.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	20	पूरा भारत (असम और पूर्वोत्तर को छोड़कर)
4.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	8	कोलकाता, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर
5.	वोडाफोन लि.	22	पूरा भारत
6.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	19	असम, पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत
7.	आइडिया सेल्युलर लि.	22#	पूरा भारत
8.	सिस्टमा श्याम टेलीलिंक	9	दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), केरल, उत्तर प्रदेष (पष्चिमी), राजस्थान, पष्चिम बंगाल
9.	भारत संचार निगम लि.	20^	पूरा भारत (दिल्ली और मुंबई को छोड़कर)
10.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	2^	दिल्ली, मुंबई
11.	टेलीनॉर कम्युनिकेषन (इंडिया) प्रा. लि.	6	महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), उत्तर प्रदेश (पूर्वी), बिहार
12.	रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लि.	22	पूरा भारत

(*) तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश–सीएमटीएस

(#) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश (पू.)–सीएमटीएस

(^) बीएसएनएल/एमटीएनएल–सभी एलएसए में सीएमटीएस

शेष एलएसए में टीएसपी के पास यूएसएएल, यूएल या यूएल (एएस) है।

स्रोत: दूरसंचार विभाग की वेबसाइट

वायरलाइन सेवाएं

1.2.2.2 31 मार्च, 2018 को 22.81 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं का सेवा प्रदाता–वार विवरण **सारणी–12** में दर्शाया गया और ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं का ब्यौरा **सारणी–13** में दर्शाया गया है। वायरलाइन उपभोक्ताओं के मामले में बीएसएनएल और एमटीएनएल का बाजार शेयर क्रमश 53.78 प्रतिशत और 14.67 प्रतिशत रहा, जबकि सभी छः प्राइवेट ऑपरेटरों का बाजार शेयर 31.55 प्रतिशत रहा। प्राइवेट ऑपरेटरों का शेयर 31 मार्च, 2017 के 29.71 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को 31.55 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार इसमें 6.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी–12 : 31 मार्च, 2018 को वायरलाइन उपभोक्ताओं का सेवा प्रदाता–वार विवरण

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	परिचालन का क्षेत्र	उपभोक्ताओं की संख्या (वायरलाइन)
1	बीएसएनएल	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरा भारत	12,267,391
2	एमटीएनएल	दिल्ली और मुंबई	3,346,568
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्वी और उत्तर प्रदेश–पश्चिमी	3,932,533
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	243,820
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्वी) और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और पश्चिम बंगाल	923,414
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्वी) और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) (उत्तराखण्ड सहित) और पश्चिम बंगाल	1,876,009
8	वोडाफोन	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), असम, बिह. ार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्वी) और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और पश्चिम बंगाल।	220,981
	कुल		**22,810,716**

स्रोतः टीएसपी द्वारा प्रस्तुत आंकडों के अनुसार।

सारणी–13 : 31 मार्च, 2018 को सेवा प्रदाताओं के वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	शहरी उपभोक्ता	ग्रामीण उपभोक्ता	कुल वायरलाइन उपभोक्ता
1	बीएसएनएल	8,997,388	3,270,003	12,267,391
2	एमटीएनएल	3,346,568		3,346,568
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	3,932,533		3,932,533
4	क्वाड्रेट टेलीवेंचर्स	191,352	51,868	243,820
5	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज लि.			0
6	टाटा टेलीसर्विसेज लि. (टीटीएमएल सहित)	1,821,175	54,834	1,876,009
7	रिलायंस कम्युनिकेषन्स लि.	921,774	1,640	923,414
8	वोडाफोन	220,981		220,981
	कुल	19,431,771	3,378,345	22,810,716

वायरलाइन उपभोक्ताओं में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

1.2.2.3 कुल वायरलाइन उपभोक्ताओं में से लगभग तीन–चौथाई उपभोक्ता बीएसएनएल/एमटीएनएल के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और शेष वायरलाइन कनेक्शन विभिन्न प्राइवेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या में विभिन्न सेवा प्रदाताओं का बाजार शेयर **चित्र–11** में दर्शाया गया है :–

चित्र–11 : वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

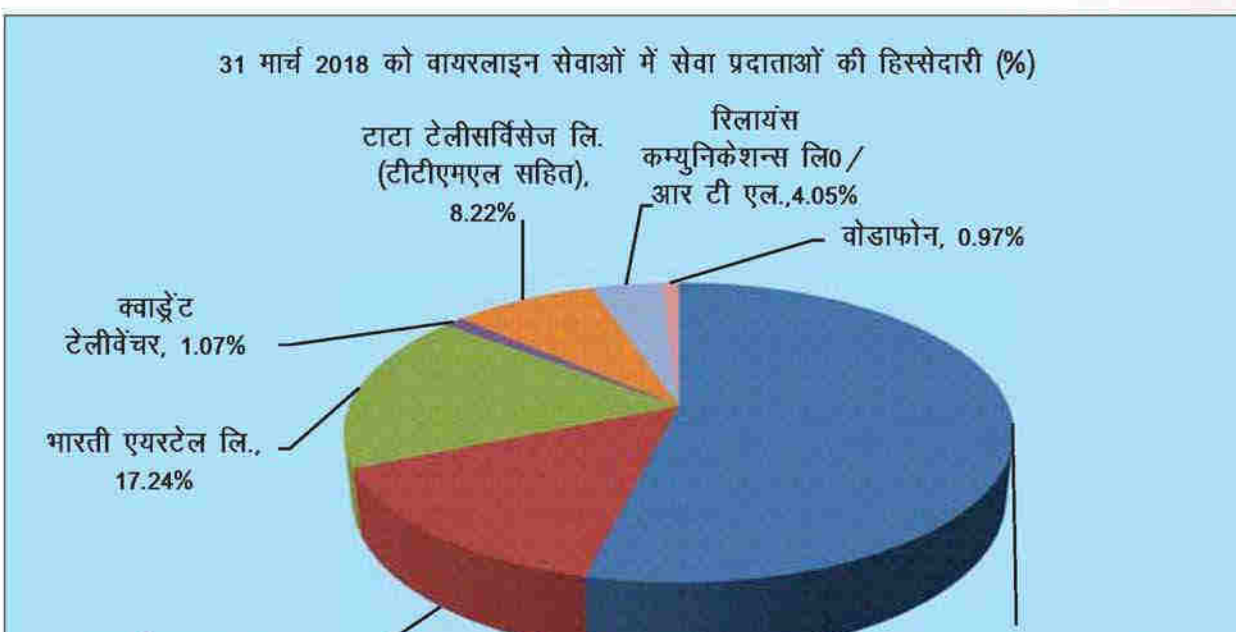

(ii) 31 मार्च, 2018 को शहरी वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 19.43 मिलियन थी, जिसमें लगभग 63.52 प्रतिशत बीएसएनल/एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार शेयर **चित्र–12** में दर्शाया गया है:–

चित्र–12: शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी की संरचना

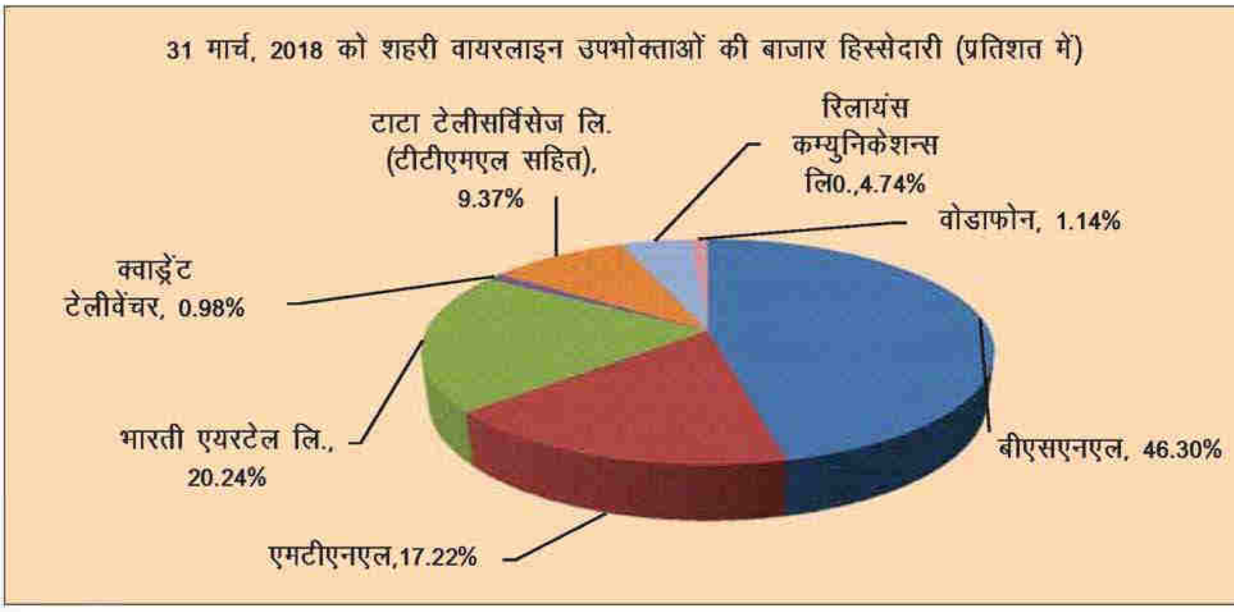

(iii) 31 मार्च, 2018 को ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 3.38 मिलियन थी। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी **चित्र 13** में दर्शाया गया है:–

चित्र–13 : ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी की संरचना

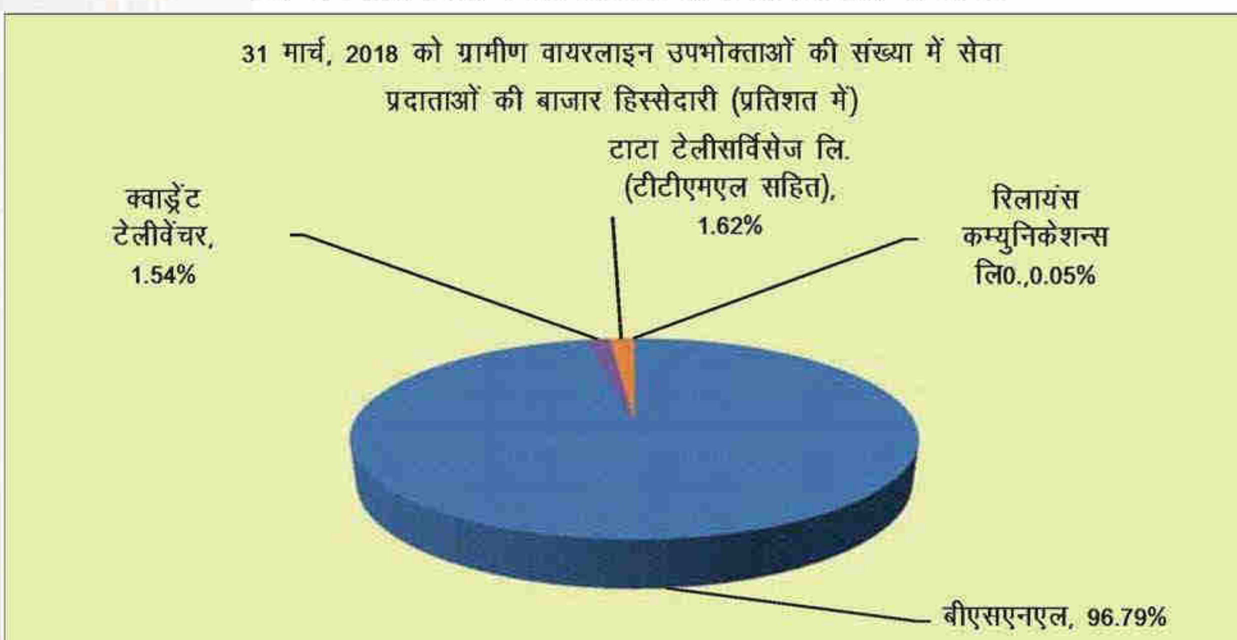

पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ):

1.2.2.4 भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उस समय पीसीओ स्थापित किए गए थे जब लास्ट माइल वायरलाइन कनेक्टीविटी यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी समय पर उपलब्ध नहीं थी। दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं के तेजी से विस्तार के चलते पीसीओ की उपयोगिता में गिरावट आई है। मोबाइल सेवाओं की पैठ के कारण भी पीसीओ क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 31 मार्च, 2018 को पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की कुल संख्या 0.36 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह संख्या 0.45 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल और प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **सारणी–14** में दर्शायी गई है:–

सारणी–14 : भारत में पब्लिक कॉल ऑफिस

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को
1	बीएसएनएल	2,78,700	2,22,721
2	एमटीएनएल	1,28,055	97,802
3	प्राइवेट ऑपरेटर	45,281	39,530
	कुल	**4,52,036**	**3,60,053**

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी):

1.2.2.5 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी), जो ग्रामीण सार्वजनिक एक्सेस फोन हैं, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को सस्ती दूरसंचार सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच मुहैया कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल है। दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार ने वीपीटीएस की उपयोगिता को प्रभावित किया है। 31 मार्च, 2018 को सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की कुल संख्या 1.99 लाख थी, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह संख्या 2.30 लाख थी। **सारणी–15** में देश में चल रहे वीपीटी की संख्या दर्शायी गई है।

सारणी–15 : भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को
1	बीएसएनएल	2,28,403	1,99,057
2	प्राइवेट ऑपरेटर	1,282	0
	कुल	**2,29,685**	**1,99,057**

सुसज्जित स्विचन क्षमता

1.2.2.6 31 मार्च, 2018 को सेवा प्रदाता–वार कुल सुसज्जित स्विचन क्षमता और चालू कनेक्शन **सारणी–16** में दर्शाए गए हैं जो दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति को स्पष्ट करती है:–

सारणी–16 : सेवा प्रदाता–वार सुसज्जित स्विचन क्षमता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2018 को	
			सुसज्जित स्विचन क्षमता (लाइनों की संख्या)	चालू कनेक्शन
1	भारत संचार निगम लिमि. टेड	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरा भारत	3,23,38,274	1,22,67,391
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई	48,81,215	33,46,568
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	11,43,216	39,32,533
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	4,73,835	2,43,820
5	रिलायंस कम्युनिकेषन्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिल. नाडु, उत्तर उत्तर प्रदेश (पूर्वी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और पश्चिम बंगाल	25,64,000	9,23,414
6	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीस. र्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर उत्तर प्रदेश (पूर्वी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और पश्चिम बंगाल	26,41,483	18,76,009
7	वोडाफोन	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर उत्तर प्रदेश (पूर्वी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और पश्चिम बंगाल	2,45,000	2,20,981

स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता

1.2.2.7 31 मार्च, 2018 को देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 493.96 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह संख्या 422.19 मिलियन थी। 31 मार्च, 2018 को देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या 412.60 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह 276.52 मिलियन थी।

31 मार्च, 2018 को देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित उपभोक्ताओं का विवरण **सारणी–17** में दिया गया है।

सारणी–17 : इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का विवरण

(उपभोक्ता मिलियन में)

	सेगमेंट		श्रेणी	इंटरनेट उपभोक्ता		% वृद्धि
				मार्च-17	मार्च-18	
क.	वायरलाइन		ब्रॉडबैंड	18.24	17.95	-1.58%
			नैरोबैंड	3.33	3.28	-1.48%
			कुल	21.58	21.24	-1.56%
ख.	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई–मैक्स, रेडियो और वीसैट)	ब्रॉडबैंड	0.560	0.457	-18.45%
			नैरोबैंड	0.022	0.014	-37.40%
			कुल	0.582	0.471	-19.15%
		मोबाइल वायरलेस (फोन+डोंगल)	ब्रॉडबैंड	257.71	394.19	52.96%
			नैरोबैंड	142.32	78.06	-45.16%
			कुल	400.04	472.25	18.05%
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर			ब्रॉडबैंड	276.52	412.60	49.22%
			नैरोबैंड	145.68	81.35	-44.15%
			कुल	**422.19**	**493.96**	**17.00%**

1.2.2.8 2017–18 को सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का विवरण **सारणी–18** में दिया गया है।

सारणी–18 : तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ता

(उपभोक्ता मिलियन में)

सेवा	जून-17	सितंबर-17	दिसंबर-17	मार्च-18
ब्रॉडबैंड	300.84	324.89	362.87	412.60
नैरोबैंड	130.38	104.34	83.09	81.35
कुल इंटरनेट	**431.21**	**429.23**	**445.96**	**493.96**

1.2.3 बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

1.2.3.1 31 मार्च, 2018 को पहुंच सेवा प्रदान करने के लिए यूएल/यूएल (एएस)/यूएएसएल/सीएमटीएस के अंतर्गत लाइसेंसों की संख्या सारणी–19 में दर्शाई गई है:–

सारणी–19: यूएल/यूएल (एएस)/यूएएसएल/सीएमटीएस के अंतर्गत लाइसेंसों की संख्या

लाइसेंस का नाम	लाइसेंसों की संख्या
बेसिक	2
यूनीफाइड लाइसेंस (यूएल)	15
यूनीफाइड लाइसेंस (पहुंच सेवाएं ख्यूएल(एएस)	6
यूनीफाइड पहुंच सेवा लाइसेंस (यूएएसएल)	88
सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस	28

स्रोतः दूरसंचार विभाग

1.2.4 सेवा प्रदाताओं के साथ तकनी. की संगतता तथा प्रभावी अंतरसंयोजन

1.2.4.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के तहत, भादूविप्रा को अंतरसंयोजन के नियम व शर्तों को निर्धारित करने और सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता तथा प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने का अधिदेश मिला हुआ है। बहु–प्रचालक परिवेश में दूरसंचार व्यापार मूलरूप से अंतरसंयोजन पर आधारित है। अंतरसंयोजन के नियम और शर्तो को विनियमित करने की आवश्यकता है ताकि सेवा प्रदाताओं को समान अवसर प्रदान किए जा सके। सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतरसंयोजन के लिए रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अंतःसंयोजन विनियम जारी किए गए:

19 सितंबर, 2017 का दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017

1.2.4.2 इन विनियमों के द्वारा वायरलेस से वायरलेस स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल्स के लिए समापन प्रभार को 1 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2019 तक की अवधि के लिए 14 पैसे प्रति मिनट से घटा कर 0.06 रू. (छह पैसा मात्र) प्रति मिनट किया गया; और यह 1 जनवरी, 2020 से यह 0 (शून्य) रुपया होगा।

1 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018

1.2.4.3 प्राधिकरण ने 1 जनवरी, 2018 को "दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018" जारी किया, जिसमें अंतरसंयोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे अंतरसंयोजन समझौता, प्रारंभिक अंतरसंयोजन मुहैया कराना और अंतरसंयोजन बिंदुओं का

संवर्धन आदि से संबंधित विनियम शामिल किए गए हैं। ये विनियम भारत में दूरसंचार सेवाएं मुहैया करा रहे सभी सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे। ये विनियम 1 फरवरी, 2018 से लागू हो गए हैं।

12 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018

1.2.4.4 इन विनियमों के माध्यम से प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर द्वारा पहुंच प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती है, को देय समापन प्रभार 0.53 रुपया (तिरपन पैसा मात्र) प्रति मिनट से घटाकर 0.30 रुपये (तीस पैसा मात्र) प्रति मिनट किया गया है। ये विनियम 1 फरवरी 2018 से लागू हो गए हैं।

1.2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

1.2.5.1 दूरसंचार क्षेत्र में बीते समय में तेज प्रौद्योगिकीय विकास देखा गया है। प्राधिकरण ने नई प्रौद्योगिकियों और विभिन्न दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के क्रमबद्ध विकास पर सरकार को कई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और ये सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं:

(i) 16 अगस्त, 2017 की ''क्लाउड सेवाओं'' पर सिफारिशें

(ii) 24 अक्टूबर, 2017 की ''इंटरनेट टेलीफोनी के लिए विनियामक रूपरेखा'' पर सिफरिशें

(iii) 28 नवंबर, 2017 की ''नेट निरपेक्षता'' पर सिफारिशें।

इन सिफारिशें के विवरण रिपोर्ट के भाग –II में उपलब्ध है।

1.2.6 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

1.2.6.1 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के मुख्य उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल करना था। बरहरहाल, मार्च, 2018 के अंत तक ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 412.60 मिलियन हो गई है जबकि मार्च, 2017 को इनकी संख्या 276.52 मिलियन थी, इस प्रकार इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के ''एक राष्ट्र – पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी'' (एफएमएनपी) के उद्देश्य को पाने के लिए प्राधिकरण ने लाइसेंस वाले क्षेत्रों के लिए 25 सितंबर, 2013 को एफएमएनपी पर अपनी सिफारिशें भेजी थी। प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने 3 नवंबर, 2014 को एमएनपी लाइसेंस अनुबंध के लिए संशोधन जारी किए। तदनुसार, प्राधिकरण ने 25 फरवरी, 2015 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के लिए छठा संशोधन जारी किया, जिसने 3 मई, 2015 से देश में पूर्ण एमएनपी (पूरे भारत में पोर्टेबिलिटी) को सुगम बना दिया है। इस संशोधन के जरिये पूरे भारत में पोर्टेबिलिटी

को सुगम बनाने के अलावा, पोर्टिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए। इसके अलावा, 31 जनवरी, 2018 के संशोधन विनियम "दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम 2018" के जरिये पोर्टिंग प्रभार को प्रत्येक सफल पोर्ट के लिए 19 रुपये प्रति पोर्ट से कम करके 4 रुपये प्रति पोर्ट किया गया है, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा किफायती हो गया है।

Dec-17	Mar-18
362.87	412.60
83.09	81.36
445.96	**493.96**

एनटीपी 2012 के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाना था ताकि समय पर और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराया जा सके। इस मामले में प्राधिकरण ने 10 मार्च, 2017 को "दूरसंचार क्षेत्र में शिकायत/निवारण" पर अपनी सिफारिशें भेजी थी।

दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–2018 बनाने के लिए भादूविप्रा की नीतिगत सूचना का सुझाव प्रस्तुत करने के लिए उसे एक पत्र भेजा था। प्राधिकरण ने समुचित परामर्श प्रक्रिया के बाद राष्ट्रीय दूरसंचार–नीति 2018 बनाने के लिए अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजी थी। प्राधिकरण द्वारा भेजी गई सिफारिशों के बारे में रिपोर्ट के भाग– II में विस्तार से बताया गया है।

Number of licence
2
15
6
88
28

1.2.7 सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)

1.2.7.1 वर्ष 2017–18 के दौरान, सेवा की गुणवत्ता की निगरानी क्यूओएस संबंधी सूचना के प्रसार के फोकस में बदलाव आया है और प्रौद्योगिकी आधारित प्रस्तुतियों पर अधिक फोकस किया जा रहा है। जून, 2017 में, भादूविप्रा ने दो ऐप और भादूविप्रा एनेलिटिक्स पोर्टल का अपग्रेड संस्करण शुरू किया था। भादूविप्रा का डीएनडी ऐप यूसीसी संबंधी शिकायतों को दर्ज करने को सुगम बनाता है और यह ऐप उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों की स्थिति जानने की भी सुविधा देता है। "ट्राई माई स्पीड" नामक ऐप ग्राहकों को अपने डेटा स्पीड अनुभव को मापने और भादूविप्रा को परिणाम भेजने की सुविधा देता है। एप्लिकेशन कवरेज, डेटा स्पीड और अन्य नेटवर्क सूचना के साथ डिवाइस एवं टेस्टों की लोकेशन को प्राप्त करता है और ट्राई–"माईस्पीड" पोर्टल पर भेजता है। ट्राई–"माई स्पीड" पोर्टल यूजर को पूरे भारत में उपभोक्ताओं के मोबाइल डेटा अनुभव के बारे में जानने में समर्थ बनाता है। वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना एक समयावधि में एकत्रित क्राउड सोर्स्ड डेटा पर आधारित है और पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है।

भादूविप्रा क्यूओएस एनेलिटिक्स पोर्टल कॉल ड्रॉप (अखिल भारतीय स्तर, सेवा क्षेत्र स्तर और बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) स्तर पर) पर 2जी सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन, बीटीएस घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर उपयोग को भारत के मानचित्र पर ग्राफ के रूप में मुहैया कराता है ताकि

उपभोक्ता को सेवा की गुणवत्ता और कवरेज के आधार पर सुविज्ञ विकल्प उपलब्ध हों।

1.2.8 सार्वभौमिक सेवा दायित्व

1.2.8.1 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (2003 और 2006 में यथा संशोधित) के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा दायित्व को किफायती और उचित दामों पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों की टेलीग्राफ सेवा तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व का अर्थ किफायती मूल्य पर परिभाषित न्यूनतम सेवा की निर्दिष्ट गुणवत्ता के साथ हर जगह सभी उपयोगकर्ता को दूरसंचार सेवा मुहैया कराना है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, देश के वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 (जिसमें 2006 में अगला संशोधन किया गया था) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2002 को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएसफ) बनाई गई थी।

'निशुल्क डेटा मुहैया कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा उपयोग को बढ़ावा देना'' पर 19 दिसंबर, 2016 की अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने अनुसंशा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वहन क्षमता के अंतर को दूर करने और डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को लगभग 100 एमबी डेटा प्रतिमाह मुफ्त देने की एक योजना शुरू की जाए और इस योजना को लागू करने की लागत यूएसओएफ से दी जाए।

(ग) प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य वातावरण की समीक्षा

1.3.1 प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत के पास, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2018 के अंत में कुल 286 मिलियन घरों में से लगभग 183[1] मिलियन घरों मे टीवी सेट होने का अनुमान लगाया गया है। ये 183 मिलियन घर केबल टीवी सेवाओं, डीटीएच सेवाओं, हिट्स सेवाओं, आईपीटीवी सेवाओं और दूरदर्शन के भौमिक टीवी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन का भौमिक टीवी नेटवर्क भौमिक ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के जरिये देश की लगभग 92[2] प्रतिशत आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। पे टीवी यूनिवर्स में लगभग 98.5 मिलियन केबल टीवी वाले घर, 67.53 मिलियन नेट एक्टिव डीटीएच उपभोक्ता और 1.5 मिलियन हिट्स[4] उपभोक्ता शामिल हैं। टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में 358[5] प्रसारक शामिल हैं, जिनमें से 49[3] पे चैनल चला रहे हैं। टेलीविजन वितरण क्षेत्र में 1469 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) हैं, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत हैं, लगभग 60,000 केबल ऑपरेटर, 2 हिट्स ऑपरेटर, 5 पे डीटीएच ऑपरेटर और कुछ आईपीटीवी ऑपरेटर शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी सेवा प्रसारक–दूरदर्शन भारत में फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा भी उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में, 31 मार्च, 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये अनुमति प्राप्त 875[5] प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल हैं, जिनमें से 213[6] एसडी पे टीवी चैनल (एक विज्ञापन फ्री पे चैनल सहित), और 95 एचडी पे टीवी चैनल हैं।

---

[1] स्रोतः फिक्की–ईवाई रिपोर्ट 2018
[2] स्रोतः एमआईबी वार्षिक रिपोर्ट 2017–18
[3] स्रोतः डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को दी गई सूचना पर आधारित
[4] एचआईटीएस का आशय हेड एंड इन द स्काई से है
[5] स्रोतः एआईबी वेबसाइटट्ट www.mib.gov.in
[6] स्रोतः प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई सूचना पर आधारित

भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2016–17 मे 58,800[7] करोड़ रुपये का था, जो 2017–18 में बढ़कर 66,000 करोड़ रुपये का हो गया है, इस प्रकार, इसमें लगभग 12.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विज्ञापन राजस्व के रूप में अन्य भाग, सब्सक्रिप्शन राजस्व की टीवी उद्योग के समग्र राजस्व में भागीदारी 59.5 प्रतिशत रही। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2016–17 के 38,700 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 39,300 करोड़ रुपये हो गया है। विज्ञापन से आय वर्ष 2016–17 के 20,100 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 26,700 करोड़ रुपये हो गई है, इस प्रकार इसमें वर्ष के दौरान शानदार 32.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एफएम (आवृत्ति मॉडुलेशन) रेडियो प्रसारण क्षेत्र में भी शानदार वृद्धि देखने को मिली। सरकारी सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के भौमिक रेडियो नेटवर्क के अलावा, मार्च, 2018 तक 324 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे। एआईआर के 469[8] केन्द्र और 662 भौमिक रेडियो ट्रांसमीटर [139 मीडियम वेव 475[9] एफएम और 48 एसडब्ल्यू (शॉर्ट वेव), का नेटवर्क है। ऑल इंडिया रेडियो सेवा देश के लगभग 99.20% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और ये 99.19% आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में, मार्च, 2018 के अंत में 216[10] सामुदायिक स्टेशनों ने काम करना शुरू कर दिया है। रेडियो उद्योग पूरी तरह से विज्ञापन से होने वाली आय पर निर्भर है, इसमें वर्ष 2017–18 के दौरान लगभग 6.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विज्ञापन से आय वर्ष 2016–17 की 2046.54 करोड़[10] रुपये की तुलना में वर्ष 2017–18 में 2170.04 करोड़[10] रुपये रही।

प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

1.4 पिछले दो दशकों के दौरान, प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। इस क्षेत्र में केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, भौमिक टीवी सेवाएं, हिट्स सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं और प्रसारण रेडियो सेवाएं शामिल हैं। एफएम रेडियो सेवाओं में निरंतर वृद्धि देखने को मिली। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के अनुरूप प्लेटफार्म की संख्या और सेवा प्रदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

सैटेलाइट टीवी चैनल

1.4.1 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत सैटेलाइट चैनलों की संख्या वर्ष 2010 के 524 से बढ़कर वर्ष 2018 में 875 हो गई है। **चित्र–14** में इस अवधि के दौरान, टीवी चैनलों की वर्ष–वार कुल संख्या दर्शाई गई हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन (एसडी) पे चैनलों की संख्या वर्ष 2010 के 147 से बढ़कर वर्ष 2018

[7] स्रोतः फिक्की–ईवाई रिपोर्ट 2018

[8] स्रोतः एआईआर वेबसाइटदृ www.air.org.in

[9] स्रोतः एआईआर वेबसाइटदृ www.air.org.in

[10] सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

में 213 हो गई है। **चित्र–15** में इस अवधि के दौरान एसडी चैनलों की वर्ष–वार संख्या दर्शाई गई है। पिछले नौ वर्षों में प्रसारकों द्वारा बड़ी संख्या में एचडी पे टेलीविजन चैनल भी शुरू किए गए हैं। **चित्र–16** में इस अवधि के दौरान एचडी चैनलों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि दर्शाई गई है। 31 मार्च, 2018 को एचडी के कुल 95 चैनल काम कर रहे थे। प्रसारकों और उनके पे टीवी चैनलों (एसडी व एचडी) की सूची इस रिपोर्ट के अंत में **अनुलग्नक- I** के रूप में संलग्न है।

चित्र–14: भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों (पे और एफटीए) की संख्या में वार्षिक वृद्धि

स्रोतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

चित्र–15: एसडी सैटेलाइट पे टीवी चैनलों की संख्या में वार्षिक वृद्धि

स्रोतः प्रसारकों की सूचना पर आधारित

चित्र–16: एचडी सैटेलाइट पे टीवी चैनलों की संख्या में वार्षिक वृद्धि

स्रोतः प्रसारकों की सूचना पर आधारित

डीटीएच सेवाए

1.4.2 वर्ष 2003 में अपनी शुरूआत से ही, डीटीएच सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। डीटीएच के सक्रिय उपभोक्ताओं की शुद्ध संख्या 67.53 मिलियन तक पहुंच गई है। मार्च, 2018 के अंत में, 5 पे डीटीएच सेवा प्रदाता इन उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं जबकि वर्ष 2016–17 में 6 पे डीटीएच सेवा प्रदाता (22 मार्च, 2018 से मैसर्स वीडियोकॉन डी2एच का मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के साथ विलय होने के कारण) इस काम को कर रहे थे। डीटीएच ऑपरेटरों की एक सूची इस रिपोर्ट के अंत में अनुलग्नक-**II** के रूप में संलग्न है। यह संख्या दूरदर्शन की निशुल्क डीटीएच सेवाओं के दर्शकों के अतिरिक्त है। सक्रिय उपभोक्ताओं की शुद्ध संख्या के संदर्भ में क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि **चित्र–17** में दर्शाई गई है।

चित्र–17: पे डीटीएच क्षेत्र के सक्रिय उपभोक्ताओं की शुद्ध संख्या में वार्षिक वृद्धि

(मिलियन में)

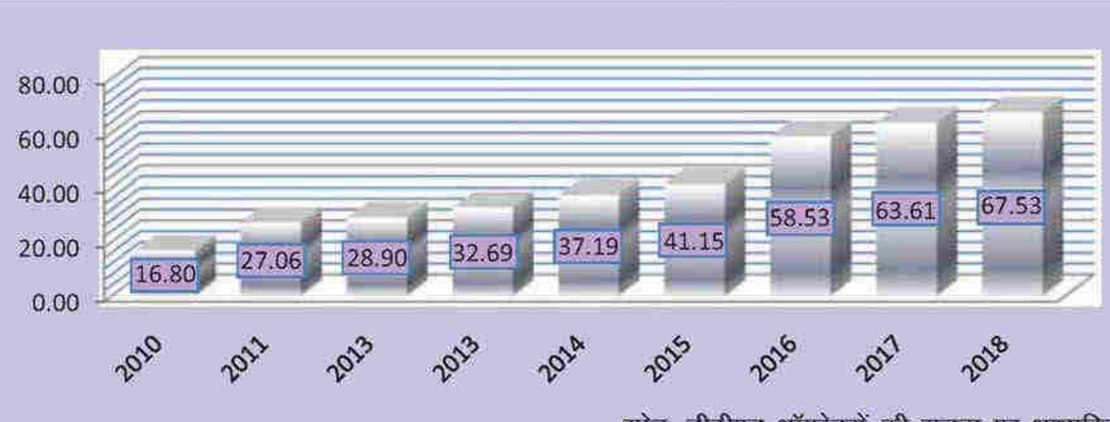

स्रोतः डीटीएच ऑपरेटरों की सूचना पर आधारित

पारंपरिक टीवी चैनलों की उपलब्धता में वृद्धि के अलावा, पे डीटीएच ऑपरेटरों ने कई नई सेवाएं और मूल्य संवर्धित सेवाएं शुरू की जैसे मूवी–ऑन–डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग, शिक्षा आदि।

केबल टीवी सेवाएं

1.4.3 केबल टीवी क्षेत्र सबसे बड़ा टेलीविजन सेवा क्षेत्र है, जिसके पास अनुमानतः लगभग 98.5 मिलियन उपभोक्ता हैं। **चित्र–18** में पिछले नौ वर्षों के दौरान, वार्षिक उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में केबल टीवी क्षेत्र की वृद्धि दर्शाई गई है।

चित्र–18 : पे केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में वार्षिक वृद्धि

(मिलियन में)

स्रोतः फिक्की–ईवाई रिपोर्ट 2018 पर आधारित

डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस)

1.4.4 पिछले दशक के दौरान, केबल और सैटेलाइट (सी और एस) टीवी बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भारत में केबल टीवी क्षेत्र का डिजिटलीकरण होना था। केबल टीवी की एड्रेसिबिलिटी के साथ डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो गया है। देश ने केबल टीवी नेटवर्क का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह एक ऐसी शानदार उपलब्धि है जो भारत को एकमात्र ऐसा विशाल देश बनाती है, जहां अनिवार्य विनियमों के जरिये 100 प्रतिशत डिजिटल केबल को हासिल किया गया है।

रेडियो

1.4.5 रेडियो अपनी विस्तृत कवरेज, पोर्टेबिलिटी, सेट–अप की कम लागत और किफायत जैसे गुणों के कारण जन संचार का एक लोकप्रिय साधन है। भारत में रेडियो कवरेज एमप्लीटयूड मॉडयुलेशन मोड में शॉर्ट–वेव (एसडब्ल्यू) और

मीडियम–वेव (एमडब्ल्यू) बैंड और एफएम बैंड में फ्रिक्वेंसी माडयुलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। आज के समय में एफएम रेडियो जनता को मनोरंजन, जानकारी और शिक्षा प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख साधन माना जाता है। मार्च, 2018 के अंत में सरकारी सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के भौमिक नेटवर्क के अलावा, 324 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे। एआईआर का 469 केन्द्रों, 662 प्रसारण ट्रांसमीटरों [(139 एमडब्ल्यू (मीडियम वेव), 475 एफएम और 48 एसडब्ल्यू (शॉर्ट वेव)] का नेटवर्क है। एआईआर देश के लगभग 99.20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और 99.19 प्रतिशत आबादी को अपनी सेवाएं दे रहा है।

सरकार ने देश में एफएम रेडियो प्रसारण की पहुंच का विस्तार करने के लिए जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपीय क्षेत्रों के प्रसारण क्षेत्रों और एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल स्थापित करने के लिए चरण–3 शुरू किया है। सरकार ने 25 जुलाई, 2011 को प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण के चरण–3 विस्तार पर समेकित नीति दिशानिर्देश जारी किए। इस चरण में, एक आरोही ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी के लिए 333 शहरों में 966 अतिरिक्त चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। 333 शहरों में से 69 शहरों में एफएम रेडियो चैनल शुरू हो गए हैं जबकि 264 ऐसे नए शहर हैं जिनमें प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा कोई एफएम रेडियो चैनल शुरू नहीं किया गया है। चरण–3 के पहले बैच में, 2015 में 69 शहरों में 135 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल की नीलामी की गई थी। इनमें से 55 शहरों में 96 एफएम रेडियो चैनल की नीलामी सफलतापूर्वक की गई। चरण–3 के दूसरे बैच में 2016 में 92 शहरों में 266 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी की गई थी। इनमें से 48 शहरों में 66 एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी सफलतापूर्वक की गई। 31 मार्च, 2018 को 34 प्राइवेट एफएम प्रसारकों द्वारा 86 शहरों में 324 एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किए गए। रेडियो प्रसारण क्षेत्र में प्राइवेट एफएम प्रसारकों के आने से रेडियो के दायरे का काफी विस्तार होने के साथ श्रोताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री मिल रही है। इसकी वजह से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला है और इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। प्राइवेट एफएम रेडियो की वर्ष–वार कुल संख्या को **चित्र–19** में दर्शाया गया है। प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों के विज्ञापन से कुल आय को **चित्र–20** में दर्शाया गया है।

चित्र–19: प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या में वार्षिक वृद्धि

चित्र–20: एफएम रेडियो विज्ञापन आय में वार्षिक वृद्धि

(करोड़ में))

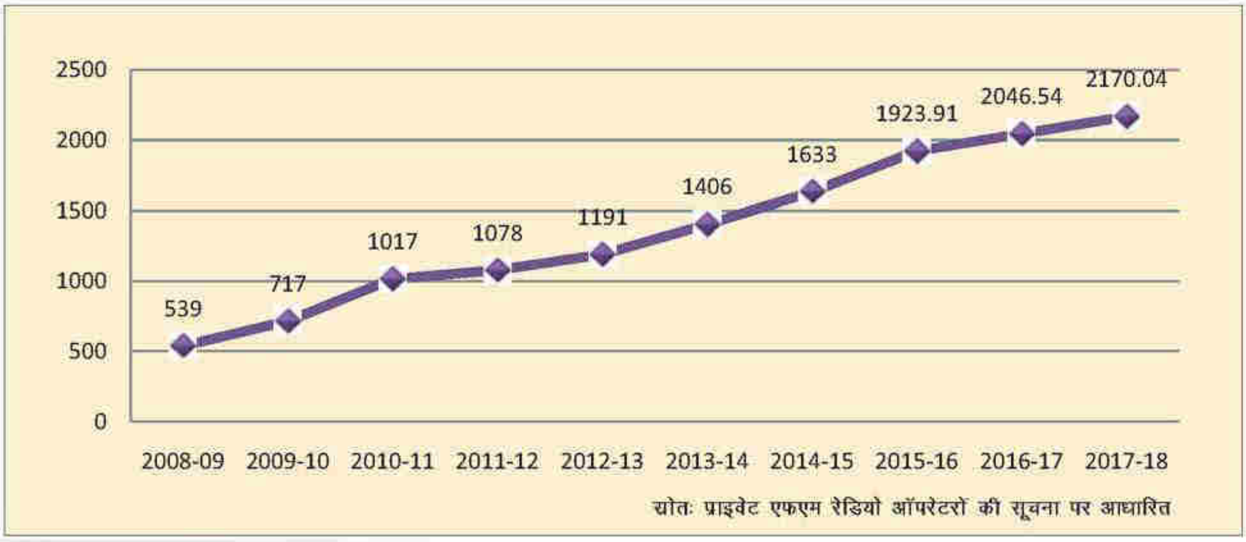

देश का रेडियो सेक्टर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की संख्या में वृद्धि का गवाह बना। देश के विशाल भूभाग, विविध भाषाओं, क्षेत्रीय रंगों और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए सीआरएस के लिए भारी संभावनाएं मौजूद हैं। सामुदायिक रेडियो प्रसारण आम आदमी की रोजमर्रा के मुद्दों पर फोकस करने के उद्देश्य के साथ छोटे समुदायों को जोड़ने का मकसद पूरा करता है और साथ ही स्थानीय अपेक्षाओं को समझने में भी उनकी मदद करता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करके सीआरएस स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2018 को **216** सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू कर दिए गए हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में वर्ष–वार वृद्धि **चित्र–21** में दर्शाई गई है।

चित्र–21: सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वार्षिक वृद्धि

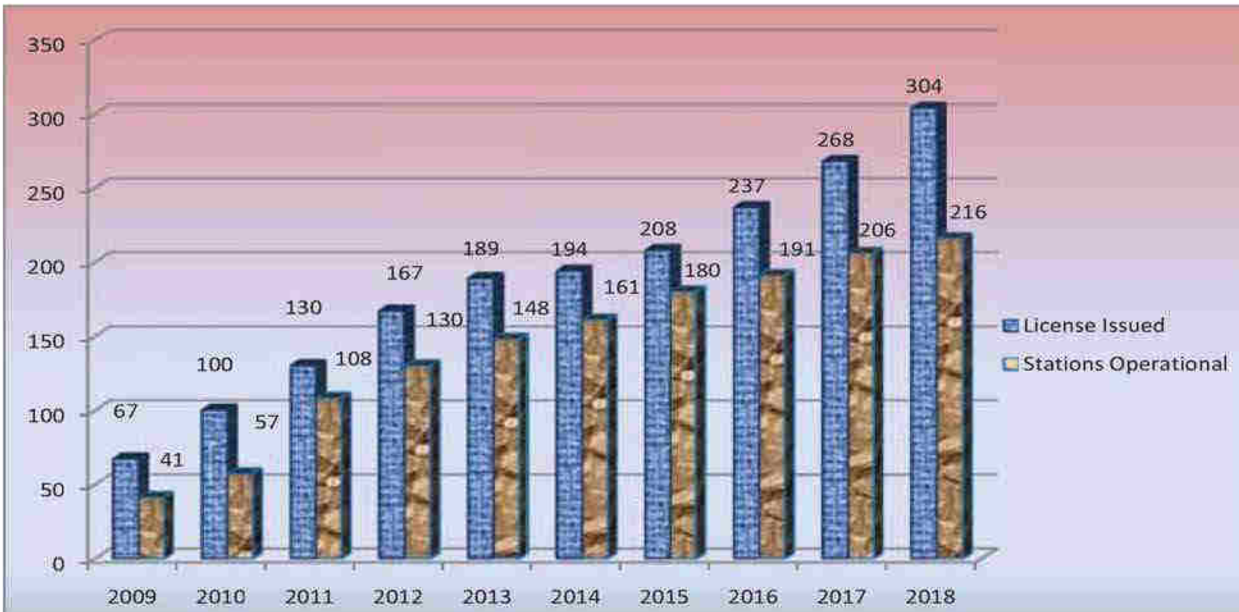

स्रोत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

टेलीपोर्ट्स

1.4.6 दुनियाभर में टेलीपोर्ट्स टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन और पोस्ट–प्रोडक्शन, कंटेंट होस्टिंग, वितरण, सिस्टम इंटीग्रेशन और नेटवर्क प्रबंधन सहित सभी प्रकार की सेवाओं के प्रदाता के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत में उदार अप–लिंकिंग दिशानिर्देश और कम परिचालन लागत एवं कुशल जनशक्ति की आसान उपलब्धता को देखते हुए चैनल, जो पहले विदेश से अपलिंक किए जा रहे थे, अब भारत से अपलिंक किए जा रहे हैं। अगर भारत "टेलीपोर्ट हब" के रूप में और विकसित होता है तो अपलिंकिंग की अनुमति देने में ज्यादा आ. सानी की वजह से भारत में अधिक चैनल टेलीपोर्ट सुविधाओं के लिए शिफ्ट होने में समर्थ बनेंगे। यहां भारी संभावनाएं हैं और यहां तक कि वो चैनल, जो भारत में डाउन लिंक के लिए नहीं है, उन्हें भारतीय सुविधाओं की सहायता से अपलिंक किया जा सकेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। इसकी प्रदर्शित तकनीकी क्षमताओं और सुविधाजनक भौगोलिक लोकेशन को देखते हुए भारत दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखे जाने वाले टीवी चैनलों के अप–लिंकिंग केन्द्र के रूप में उभर सकता है। भादूविप्रा ने इस अवसर को पहचान कर "भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग संबंधी मुद्दों" पर 22 जुलाई, 2010 की अपनी सिफारिशों में सरकार को भारत को टेलीपोर्ट हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था। 28 फरवरी, 2018 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सिफारिशों के साथ इन सिफारिशों को दोहराया गया है।

टीवी प्रसारण क्षेत्र में टैरिफ रुझान

1.4.7 उपभोक्ताओं को कम लागत पर प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए भादुविप्रा समय–समय पर टैरिफ आदेशों के रूप में विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम जैसे डीएएस, डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी आदि के माध्यम से सेवित क्षेत्रों के टैरिफ भादूविप्रा द्वारा जारी टैरिफ आदेशों द्वारा शासित होते हैं। सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्म के लिए लागू दिनांक 21 जुलाई, 2010 का टैरिफ आदेश, जिसमें संशोधन भी किया गया है, सभी सेवा प्रदाताओं को अपने उपलब्ध सभी चैनल खुदरा स्तर पर अ–ला–कार्टे आधार पर ऑफर करने का अधिदेश देता है। भादूविप्रा ने 3 मार्च, 2017 को समीक्षा करने के बाद संशोधित विस्तृत ''टैरिफ आदेश' भी जारी किया है, जिसके लागू होने के बाद प्रसारण क्षेत्र में पे चैनलों के मूल्यनिर्धारण के 'स्थगन' का प्रारंभ होगा। बहरहाल, नया टैरिफ आदेश अभी विचाराधीन है।

केबल और सैटेलाइट टीवी सेवा क्षेत्र में हितधारक

1.4.8 मार्च, 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत टीवी चैनलों की कुल संख्या 875 थी, जिसमें 213 एसडी पे चैनल (1 विज्ञापन रहित पे चैनल सहित) और 95 एचडी पे चैनल शामिल हैं। एसडी पे चैनलों और एचडी पे चैनलों की सूची इस रिपोर्ट के इस भाग के अंत में **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है।

प्रसारण और केबल सेवा निष्पादन संकेतक

1.4.9 देश में प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति को **तालिका–20** में दर्शाया गया है।

तालिका–20: 31 मार्च, 2018 को प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं की समग्र स्थिति

पे केबल टीवी घरों की संख्या (अनुमानित)	98.5 मिलियन
प्राइवेट डीटीएच सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय पे उपभोक्ताओं की शुद्ध संख्या	67.53 मिलियन
केबल ऑपरेटरों की संख्या (अनुमानित)	60,000
एमआईबी के साथ पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की संख्या	1469
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	5
सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या	875
एसडी पे टीवी चैनलों की संख्या	213
एचडी टीवी चैनलों की संख्या	95
एफएम रेडियों स्टेशनों की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो को छोड़कर)	324
प्रचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	216

1.4.10 2017–18 की पिछली चार तिमाहियों में, प्रसारण क्षेत्र के निष्पादन संकेतक **तालिका–21** में दर्शाए गए हैं:–

तालिका–21: प्रसारण और केबल सेवाओं के निष्पादन संकेतक

प्रसारण और केबल सेवाएं	को समाप्त तिमाही			
	जून 2017	सितंबर 2017	दिसंबर 2017	मार्च 2018
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत चैनलों की कुल संख्या	883	877	877	875
एसडी पे–चैनलों की संख्या (चालू)	210	215	216	213
एचडी पे–चैनलों की संख्या (चालू)	83	85	88	95
सक्रिय डीटीएच उपभोक्ताओं की शुद्ध संख्या* (मिलियन में)	65.13	66.09	67.56	67.53
प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	310	322	326	324

* कुल सक्रिय उपभोक्ताओं की शुद्ध संख्या में अस्थायी रूप से निलंबित वे उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्हें निष्क्रिय तो किया गया मगर 120 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं।

अनुलग्नक - I

31 मार्च, 2018 को पे टीवी चैनलों की सूची

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
1	9 एक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	9 एक्सएम	एसडी
2	एबीपी न्यूज नेटवर्क प्रा. लिमिटेड	2	एबीपी आनंद	एसडी
		3	एबीपी माझा	एसडी
3	एईटीएन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	4	द हिस्ट्री चैनल	एसडी
		5	एफवाई1टीवी18	एचडी
		6	हिस्ट्री टीवी 18 एचडी	एचडी
4	एशियानेट कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	7	एशियानेट	एसडी
		8	एशियानेट प्लस	एसडी
		9	एशियानेट मूवीज	एसडी
		10	सुवर्ना प्लस	एसडी
		11	स्टार सुवर्ना एचडी	एचडी
		12	एशियानेट एचडी	एचडी
		13	स्टार सुवर्ना (पुराना नाम "सुवर्ना")	एसडी
5	एएक्सएन नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	14	सोनी ईएसपीएन (पुराना नाम "सोनी केआईएक्स")	एसडी
		15	एएक्सएन एचडी	एचडी
6	बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	16	आठ	एसडी
7	बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17	बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़	एसडी
8	बेनेट, कोलेमैन एंड कंपनी लिमिटेड	18	जूम	एसडी
		19	रोमेडी नाउ	एसडी
		20	एमएन+ (पुराना नाम "मूवीज नाउ+")	एचडी
		21	मिरर नाउ (पुराना नाम "मैजिकब्रिक्स नाउ")	एसडी
		22	ईटी नाउ	एसडी
		23	टाइम्स नाउ	एसडी
		24	रोमेडी नाउ एचडी	एचडी
		25	मूवीज नाउ एचडी	एचडी
		26	एमएनएक्स एचडी (पुराना नाम "मूवीज नाउ 2 एचडी")	एचडी
		27	एमएनएक्स (पुराना नाम "मूवीज नाउ 2")	एसडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		28	टाइम्स नाउ एचडी	एचडी
9	बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	29	बीटीवीआई (पुराना नाम "ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया")	एसडी
10	सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	30	ट्रेवल एक्सपी एचडी (पुराना नाम "ट्रेवल एक्सपी")	एचडी
		31	ट्रेवल एक्सपी तमिल	एसडी
11	सीएसएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	32	जन टीवी प्लस	एसडी
12	डिस्कवरी कम्युनिकेशन्स इंडिया	33	एनिमल प्लानेट	एसडी
		34	डिस्कवरी चैनल	एसडी
		35	डिस्कवरी चैनल–तमिल	एसडी
		36	डिस्कवरी किड्स चैनल	एसडी
		37	डिस्कवरी साइंस	एसडी
		38	डिस्कवरी टर्बो	एसडी
		39	डिस्कवरी जीत (पुराना नाम "आईडी इन्वेस्टीगेशन डिस्कवरी")	एसडी
		40	डिस्कवरी एचडी वर्ल्ड (पुराना नाम "डिस्कवरी एचडी")	एचडी
		41	एनिमल प्लानेट एचडी वर्ल्ड (पुराना नाम "डिस्कवरी होम एंड हेल्थ")	एचडी
		42	टीएलसी एचडी वर्ल्ड (पुराना नाम "मिलिट्री चैनल")	एचडी
		43	डिस्कवरी जीत एचडी	एचडी
		44	टीएलसी	एसडी
		45	डीस्पोर्ट	एसडी
13	डिजनी ब्रॉडकॉस्टिंग (इंडिया) लिमिटेड	46	डिजनी जूनियर (पुराना नाम "यूटीवी कॉमेडी")	एसडी
		47	यूटीवी मूवीज	एसडी
		48	डिजनी एक्सडी (पुराना नाम "यूटीवी वर्ल्ड मूवीज")	एसडी
		49	डिजनी इंटरनेशनल एचडी (पुराना नाम "बिंदास प्ले")	एचडी
		50	द डिजनी चैनल	एसडी
14	ई–24 ग्लेमर लिमिटेड	51	ई 24	एसडी
15	इनाडू टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	52	ईटीवी तेलुगु	एसडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		53	ईटीवी आन्ध्र प्रदेश (पुराना नाम "ईटीवी–2")	एसडी
		54	ईटीवी–तेलंगाना (पुराना नाम "ईटीवी–3")	एसडी
		55	ईटीवी सिनेमा	एसडी
		56	ईटीवी लाइफ	एसडी
		57	ईटीवी प्लस	एसडी
		58	ईटीवी अभिरूचि	एसडी
		59	ईटीवी एचडी	एचडी
16	एपिक टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	60	एपिक टीवी (एचडी वितरण)	एचडी
17	जेनएक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड	61	यूटीवी बिंदास	एसडी
		62	यूटीवी एक्शन	एसडी
18	ग्रेसेल्स18 मीडिया लिमिटेड	63	टॉपर टीवी रुद्ध	एसडी
19	आईबीएन लोकमत न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	64	न्यूज 18 लोकमत (पुराना नाम "आईबीएन लोकमत")	एसडी
20	लिविंग एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लि.	65	लिविंग फूड्ज एचडी	एचडी
21	माविस सतकॉम लिमिटेड	66	जे मूवीज	एसडी
		67	जया मैक्स	एसडी
		68	जया प्लस	एसडी
		69	जया टीवी एचडी	एचडी
22	एमएसएम वर्ल्ड वाइड फेक्च्युअल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	70	सोनी बीबीसी अर्थ	एसडी
		71	सोनी बीबीसी अर्थ एचडी	एचडी
23	एनडीटीवी लाइफ स्टाइल लिमिटेड	72	एनडीटीवी गुड टाइम्स	एसडी
24	नीओ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड	73	निओ प्राइम (पुराना नाम "निओ क्रिकेट")	एसडी
		74	निओ स्पोर्ट्स	एसडी
25	न्यू डेल्ही टेलीविजन लिमिटेड	75	एनडीटीवी 24x7	एसडी
		76	एनडीटीवी प्रॉफिट	एसडी
26	एनजीसी नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	77	फॉक्स लाइफ	एसडी
		78	नेशनल ज्योग्राफिक चैनल (एनजीसी)	एसडी
		79	फॉक्स लाइफ एचडी	एचडी
		80	नेट जिओ वाइल्ड	एसडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		81	नेशनल ज्योग्राफिक एचडी	एचडी
		82	नेट जिओ म्यूजिक एचडी	एचडी
		83	नेट जिओ वाइल्ड एचडी	एचडी
		84	नेज जिओ पीपल एचडी	एचडी
		85	बेबी टीवी एचडी	एचडी
27	नोयडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	86	एनएचके वर्ल्ड प्रीमियम (एचडी वितरण)	एचडी
28	ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड	87	प्रार्थना	एसडी
		88	तरंग	एसडी
		89	तरंग म्यूज़िक	एसडी
		90	अलंकार	एसडी
29	पैनोरमा टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	91	न्यूज 18 बिहार झारखण्ड (पुराना नाम "ईटीवी बिहार झारखण्ड")	एसडी
		92	न्यूज 18 मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ (पुराना नाम "ईटीवी मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़")	एसडी
		93	न्यूज 18 राजस्थान (पुराना नाम "ईटीवी राजस्थान")	एसडी
		94	न्यूज 18 उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल (पुराना नाम "ईटीवी उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल")	एसडी
		95	न्यूज 18 उर्दू (पुराना नाम "ईटीवी उर्दू")	एसडी
		96	न्यूज 18 कन्नड़ (पुराना नाम "ई. टीवी न्यूज कन्नड़")	एसडी
		97	न्यूज 18 बांग्ला (पुराना नाम "ईटीवी न्यूज बांग्ला")	एसडी
		98	न्यूज 18 पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश (पुराना नाम "ईटीवी हरियाणा/हिमाचल प्रदेश")	एसडी
		99	न्यूज 18 गुजराती (पुराना नाम "ईटीवी न्यूज गुजराती")	एसडी
		100	न्यूज 18 उड़िया (पुराना नाम "ई. टीवी न्यूज उड़िया")	एसडी
30	पॉल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	101	9एक्स टशन (पुराना नाम "पूर्विया")	एसडी
31	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड	102	राज म्यूज़िक कन्नड	एसडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		103	राज डिजिटल प्लस	एसडी
		104	राज म्यूज़िक	एसडी
		105	राज न्यूज़	एसडी
		106	राज टीवी	एसडी
		107	विसा टीवी	एसडी
32	सहारा इंडिया कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड	108	सहारा फिल्मी	एसडी
		109	सहारा वन	एसडी
33	सार्थक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	110	सार्थक टीवी	एसडी
34	सिल्वरस्टार कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	111	मेगा 24	एसडी
		112	मेगा म्यूज़िक	एसडी
		113	मेगा टीवी	एसडी
35	सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	114	सोनी वाईएवाई! (पुराना नाम "एनिमैक्स")	एसडी
		115	एएक्सएन	एसडी
		116	सेट मैक्स	एसडी
		117	एमआईएक्स	एसडी
		118	सब	एसडी
		119	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल (सेट)	एसडी
		120	पिक्स	एसडी
		121	सिक्स	एसडी
		122	मैक्स 2 (पुराना नाम "मैक्स एचडी")	एसडी
		123	पल (पुराना नाम "सब एचडी")	एसडी
		124	सेट एचडी	एचडी
		125	सिक्स एचडी	एचडी
		126	पिक्स एचडी	एचडी
		127	मैक्स एचडी	एचडी
		128	सोनी ईएसपीएन एचडी	एचडी
		129	ली प्लेक्स एचडी	एचडी
		130	टेन 2 एचडी	एचडी
		131	टेन 3 एचडी	एचडी
		132	सब एचडी	एचडी
		133	सोनी रॉक्स एचडी	एचडी
36	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	134	चैनल (वी)	एसडी
		135	स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल (पुराना नाम "स्टार स्पोर्ट्स 4")	एसडी
		136	स्टार स्पोर्ट्स सलेक्ट 2 (पुराना नाम "एफएक्स")	एसडी
		137	स्टार भारत (पुराना नाम "लाइफ ओके")	एसडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		138	मूवीज़ ओके (पुराना नाम "गोल्ड एक्शन")	एसडी
		139	स्टार स्पोटर्स 1 हिंदी (पुराना नाम "स्टार स्पोट्र्स 3")	एसडी
		140	स्टार गोल्ड	एसडी
		141	स्टार जलसा	एसडी
		142	स्टार मूवीज़	एसडी
		143	स्टार गोल्ड सलेक्ट (पुराना नाम "स्टार मूवीज़ एक्शन")	एसडी
		144	स्टार प्लस	एसडी
		145	स्टार प्रवाह	एसडी
		146	स्टार स्पोटर्स 1	एसडी
		147	स्टार स्पोटर्स 2	एसडी
		148	स्टार वर्ल्ड	एसडी
		149	जलसा मूवी (पुराना नाम "स्टार बंगाली")	एसडी
		150	स्टार स्पोटर्स एचडी 2	एचडी
		151	स्टार स्पोटर्स एचडी 1	एचडी
		152	स्टार भारत एचडी (पुराना नाम "लाइफ ओके एचडी")	एचडी
		153	स्टार गोल्ड एचडी	एचडी
		154	स्टार मूवीज एचडी	एचडी
		155	स्टार प्लस एचडी	एचडी
		156	स्टार वर्ल्ड प्रीमियर एचडी	एचडी
		157	स्टार स्पोट्र्स 1 एचडी हिंदी (पुराना नाम "स्टार स्पोट्र्स एचडी 3")	एचडी
		158	स्टार स्पोट्र्स सलेक्ट 1 (पुराना नाम "स्टार स्पोट्र्स एचडी 4")	एसडी
		159	स्टार मूवीज सलेक्ट एचडी	एचडी
		160	स्टार वर्ल्ड एचडी	एचडी
		161	स्टार स्पोट्र्स फर्स्ट (पुराना नाम "एफएक्स एचडी")	एसडी
		162	मां गोल्ड	एसडी
		163	मां मूवीज़	एसडी
		164	मां म्यूज़िक	एसडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		165	मां टीवी	एसडी
		166	स्टार प्रवाह एचडी	एचडी
		167	स्टार जलसा एचडी	एचडी
		168	जलसा मूवीज एचडी	एचडी
		169	स्टार स्पोर्ट्स सलेक्ट एचडी 1	एचडी
		170	स्टार स्पोर्ट्स सलेक्ट एचडी 2	एचडी
		171	मां एचडी	एचडी
		172	स्टार गोल्ड सलेक्ट एचडी	एचडी
		173	मां मूवीज एचडी	एचडी
37	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	174	आदित्य टीवी	एसडी
		175	चिंटू टीवी	एसडी
		176	छुट्टी टीवी	एसडी
		177	जेमिनी कॉमेडी	एसडी
		178	जेमिनी लाइफ	एसडी
		179	जेमिनी मूवीज़	एसडी
		180	जेमिनी म्यूज़िक	एसडी
		181	जेमिनी न्यूज़	एसडी
		182	जेमिनी टीवी	एसडी
		183	के टीवी	एसडी
		184	सूर्या मूवीज (पुराना नाम "किरन टीवी")	एसडी
		185	कुशी टीवी	एसडी
		186	सन लाइफ	एसडी
		187	सन म्यूज़िक	एसडी
		188	सन न्यूज़	एसडी
		189	सूर्य म्यूजिक (पुराना नाम "सन न्यूज इंग्लिश")	एसडी
		190	सन टीवी	एसडी
		191	सूर्या कॉमेडी (पुराना नाम "सन टीवी आरआई")	एसडी
		192	सूर्या टीवी	एसडी
		193	उदय कॉमेडी	एसडी
		194	उदय मूवीज़	एसडी
		195	उदय म्यूजिक	एसडी
		196	उदय न्यूज	एसडी
		197	उदय टीवी	एसडी
		198	कोचु टीवी	एसडी
		199	सन टीवी एचडी	एचडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		200	केटीवी एचडी	एचडी
		201	सन म्यूजिक एचडी	एचडी
		202	जेमिनी टीवी एचडी	एचडी
		203	जेमिनी म्यूजिक एचडी (पुराना नाम "सन एक्शन")	एचडी
		204	जेमिनी मूवीज एचडी (पुराना नाम "जेमिनी एक्शन")	एचडी
		205	सूर्या एचडी (पुराना नाम "सूर्या एक्शन")	एचडी
		206	उदय एचडी (पुराना नाम "सूर्या टीवी")	एचडी
38	ताज टेलीविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	207	टेन 2 (पुराना नाम "टेन एक्शन")	एसडी
		208	टेन 1 (पुराना नाम "टेन स्पोर्ट्स")	एसडी
		209	टेन 3	एसडी
		210	टेन गोल्फ एचडी	एचडी
		211	टेन 1 एचडी (पुराना नाम "टेन एचडी")	एचडी
39	टर्मरिक विजन प्राइवेट लिमिटेड	212	फूड फूड टीवी	एसडी
40	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	213	कार्टून नेटवर्क	एसडी
		214	सीएनएन इंटरनेशनल	एसडी
		215	एचबीओ	एसडी
		216	पोगो	एसडी
		217	टूनामी (पूराना नाम "बूमरंग")	एसडी
		218	डब्ल्यूबी	एसडी
		219	एचबीओ एचडी (पुराना नाम "एचबी. ओ हिट्स एचडी")	एचडी
41	टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	220	सीएनएन न्यूज 18 (पुराना नाम "सीएनएन–आईबीएन")	एसडी
		221	सीएनबीसी बाजार	एसडी
		222	सीएनबीसी टीवी 18 प्राईम	एचडी
		223	सीएनबीसी आवाज	एचडी
		224	सीएनबीसी टीवी 18	एसडी
		225	आज तक	एसडी
42	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	226	दिल्ली आज तक	एसडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		227	इंडिया टूडे (पुराना नाम "हेडलाइन्स टुडे")	एसडी
		228	आज तक तेज	एसडी
43	यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	229	हंगामा टीवी	एसडी
44	वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	230	कलर्स	एसडी
		231	कॉमेडी सेन्ट्रल (एचडी वितरण)	एचडी
		232	एमटीवी	एसडी
		233	निक	एसडी
		234	निक जूनियर (पुराना नाम निक जूनियर/टीन निक")	एसडी
		235	सोनिक	एसडी
		236	वीएच 1 (एचडी वितरण)	एचडी
		237	कलर्स इन्फिनिटी एचडी	एचडी
		238	कलर्स इन्फिनिटी	एसडी
		239	कलर्स एचडी	एचडी
		240	निक एचडी+	एचडी
		241	एमटीवी इंडीज (एचडी वितरण)	एचडी
		242	रिश्ते सिनेप्लेक्स	एसडी
		243	एमटीवी बीट्स (पुराना नाम "एक्स जोन")	एसडी
		244	कलर्स कन्नड़ एचडी	एचडी
		245	कलर्स मराठी एचडी	एचडी
		246	कलर्स बांग्ला एचडी	एचडी
		247	कलर्स सुपर	एसडी
		248	कलर्स बांग्ला (पुराना नाम "ईटीवी बांग्ला")	एसडी
		249	कलर्स गुजराती (पुराना नाम "ईटीवी गुजराती")	एसडी
		250	कलर्स कन्नड़ (पुराना नाम "ईटीवी कन्नड़")	एसडी
		251	कलर्स मराठी (पुराना नाम "ईटीवी मराठी")	एसडी
		252	कलर्स उड़िया (पुराना नाम "ईटीवी उड़िया")	एसडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		253	एमटीवी बीट्स एचडी	एचडी
		254	कलर्स तमिल (पुराना नाम "एनएक्सटी")	एसडी
		255	सिनेप्लेक्स एचडी	एचडी
		256	वीएच 1	एसडी
		257	कलर्स तमिल एचडी	एचडी
		258	कॉमेडी सेंट्रल	एसडी
45	विजय टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	259	विजय टीवी (तमिलनाडु को छोड़कर)	एसडी
		260	विजय सुपर	एसडी
		261	विजय एचडी	एचडी
46	ज़ी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	262	24 घंटा	एसडी
47	ज़ी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड	263	ज़ी ईटीसी बॉलीवुड (पुराना नाम "ज़ी बॉलीवुड")	एसडी
		264	एक्शन सिनेमा	एसडी
		265	ज़ी बांग्ला सिनेमा	एसडी
		266	ज़ी कैफे एचडी	एचडी
		267	ज़ी कैफे	एसडी
		268	ज़ी सिनेमा	एसडी
		269	क्लासिक सिनेमा	एसडी
		270	ज़ी स्टूडिया	एसडी
		271	ज़ी टॉकीज	एसडी
		272	ज़ी टीवी	एसडी
		273	जिंग	एसडी
		274	एंड पिक्चर	एसडी
		275	ज़ी बांग्ला	एसडी
		276	ज़ी मराठी	एसडी
		277	लिविंग फूड्ज (पुराना नाम "जी खाना खजाना")	एसडी
		278	ज़ी टीवी एचडी	एचडी
		279	ज़ी सिनेमा एचडी	एचडी
		280	ज़ी स्टूडिया एचडी	एचडी
		281	एंड टीवी	एसडी
		282	एंड टीवी एचडी	एचडी

क्र.सं.	प्रसारक का नाम	क्र.सं.	चैनल का नाम	एसडी या एचडी के रूप में घोषित
		283	ज़ी कन्नड	एसडी
		284	ज़ी तेलुगु	एसडी
		285	एंड पिक्चर एचडी	एचडी
		286	ज़ी सिनेमालु	एसडी
		287	ज़ी युवा	एसडी
		288	ज़ी मराठी एचडी	एचडी
		289	लिविंग जेन	एसडी
		290	एंड प्राइव एचडी	एचडी
		291	ज़ी बांग्ला एचडी	एचडी
		292	ज़ी तमिल एचडी	एचडी
		293	ज़ी सिनेमालु एचडी	एचडी
		294	ज़ी तेलुगु एचडी	एचडी
		295	ज़ी तमिल	एसडी
		296	ज़ी कन्नड़ एचडी	एचडी
		297	ज़ी टॉकीज एचडी	एचडी
48	ज़ी मीडिया कार्पोरेशन लिमिटेड	298	ज़ी 24 ताश	एसडी
		299	ज़ी कलिंगा (पुराना नाम "जी 24 घंटालु")	एसडी
		300	ज़ी बिजनस	एसडी
		301	ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल (पुराना नाम "जी पंजाबी")	एसडी
		302	ज़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	एसडी
		303	ज़ी सलाम	एसडी
		304	ज़ी 24 क्लॉक	एसडी
		305	डब्ल्यूआईओएन	एसडी
		306	ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	एसडी
		307	ज़ी राजस्थान न्यूज (पुराना नाम "जी मरूधारा" और "जी राजस्थान प्लस")	एसडी
49	जूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	308	मूवीज नाउ	एसडी

अनुलग्नक-II

पे–डीटीएच ऑपरेटरों की सूची

क्र.सं.	डीटीएच ऑपरेटर
1.	मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड
2.	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
3.	सन डायरेक्ट टीवी (प्राइवेट) लिमिटेड
4.	भारती टेलीमीडिया लिमिटेड
5.	रिलायंस बिग टीवी प्राइवेट लिमिटेड

भाग – II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट का भाग–एक देश में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में प्रचलित सामान्य परिवेश का परिदृश्य प्रस्तुत करता है और 2017–18 के दौरान, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश के अनुरूप, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सभी सेवा प्रदाताओं हेतु एक समान अवसर को बढावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करना और सभी के लिए तकनीकी लाभों को सक्षम करना, इसका प्रयास रहा है।

2.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत भादूविप्रा को अन्य बातों के साथ ही साथ लाईसेंस के नियम और शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, टैरिफ नीति विनिर्दिष्ट करना और नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तो के साथ ही साथ किसी सेवा प्रदाता को लाईसेंस के लिए नियम व शर्तो की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। भादूविप्रा के कामकाज के दायरे में टैरिफ नीति की निगरानी, अंतर्सयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं, कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांतों, उपभोक्ताओं हेतु विभिन्न सेवा प्रदाताओं तक स्वतंत्र चुनाव और आसान पहुंच, बाजार के घटनाक्रमों और विभिन्न दूरसंचार सेवाओं हेतु विविध नेटवर्क संरचनाओं के कारण पैदा होने वाले विवादों का समाधान, मौजूदा नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता और सेवा प्रदाताओं के बीच तथा प्राधिकरण के उपभोक्ता संगठनों के साथ संपर्क हेतु मंचों का विकास भी शामिल है। सरकार ने दिनांक 09 जनवरी, 2004 एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को भी दूरसंचार

सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, इस प्रकार, इन क्षेत्रों को भादूविप्रा के कार्यक्षेत्र के दायरे में लाया गया है। सरकार ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (घ) के अंतर्गत दिनांक 09 जनवरी, 2004 को एक दूसरी अधिसूचना भी जारी की, जिससे भादूविप्रा को कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपे गये हैं। ये कार्य उपभोक्ताओं को "एड्रेसेबल प्रणाली" उपलब्ध कराने और पे– चैनलों के साथ ही साथ अन्य चैनलों पर विज्ञापनों हेतु अधिकतम सीमा समय के विनियम के लिए मानदंडों के बारे में नियमों और शर्तो की सिफारिश करने से संबंधित थे।

2.3 सिफारिशें तैयार करने और नीतिगत पहलों के संबंध में सुझाव देने के लिए, भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं, उद्योग संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहो (सीएजी)/ उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों, जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जो सभी हितधारकों और आम जनता को मांगे जाने पर, अपने विचार रखकर नीति निर्माण के संबंध में विचार– विमर्श में भाग लेने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, एक परामर्श पत्र को जारी करना और उन मुद्दों पर हितधारकों के मत प्राप्त करना, देश के विभिन्न शहरों में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) बैठकें आयोजित करना, ई–मेल पर और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना और नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श के सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन होता है, जो कि निर्णय लेने के आधार की व्याख्या करता है। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई भागीदारी और व्याख्यात्मक प्रक्रिया को व्यापक सराहना प्राप्त हुई है।

2.4 प्राधिकरण, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों/ गैर– सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विचारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी संपर्क करता है। इसके पास दूरसंचार सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/ गैर– सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अंतराल पर उनके साथ संपर्क करने की एक प्रणाली मौजूद है। भादूविप्रा, उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाने के उपायों को लगातार अपनाता रहता है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ सम्मेलनों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है तथा इन सम्मलेनों में हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान संस्थानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत, दूरसंचार और केबल सेवाओं के मामले में प्राधिकरण को या तो *स्वतः* अथवा लाईसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर अनुशंसाएं करनी होती हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान, भादूविप्रा द्वारा सरकार को निम्नवत सिफारिशें दी गई हैं :–

दूरसंचार क्षेत्र

क्रम सख्या	सिफारिशों की सूची
1.	"फिक्स लॉइन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन हेतु ई– केवाईसी सेवा यूआईडीएआई को अपनाना" विषय पर दिनांक 16 मई, 2017 की सिफारिशें।
2.	मैसर्स भारती एयरटेल लि., मैसर्स वोडाफोन लि. और मैसर्स आईडिया सेल्युलर लि. द्वारा "आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के लाइसेंस समझौते के प्रावधानों और सेवा गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन" विषय पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 की प्राधिकरण की सिफारिशों पर दिनांक 5 अप्रैल, 2017 के दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर दिनांक 24 मई, 2017 की प्राधिकरण की प्रतिक्रिया।
3.	"भारत में विदेशी आपरेटरों के ग्लोबल कॉलिंग कार्ड अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों की बिक्री / उन्हें किराए पर देने" विषय पर दिनांक 14 जून, 2017 की अतिरिक्त सिफारिशें।
4.	"कैप्टिव वीसेट सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों" पर दिनांक 18 जुलाई, 2017 की सिफारिशें।
5.	"इश्यू रिलेटिड टू क्लोजर ऑफ एक्सेस सर्विस" पर दिनांक 31 जुलाई, 2017 की सिफारिशें।
6.	"क्लॉउड सेवाओं" के संबंध में दिनांक 16 अगस्त, 2017 की सिफारिशें।
7.	"मशीन से मशीन (एम2एम) संचार में स्पेक्ट्रम, रोमिंग और क्यूओएस संबंधी अपेक्षाओं" पर दिनांक 05 सितम्बर, 2017 की सिफारिशें।
8.	"सेवा क्षेत्र के रूप में किसी राज्य के जिले के साथ श्रेणी ख के लाइसेंस के लिए एक्सेस सर्विस प्राधिकरण हेतु यूएल (वीएनओ) को आरंभ करना" विषय पर दिनांक 08 सितम्बर, 2017 की सिफारिशें।
9.	"धारणीय दूरसंचार हेतु पद्धति" विषय पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 की सिफारिशें।
10.	"इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामकारी रूपरेखा" विषय पर दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 की सिफारिशें।
11.	अंतर मंत्रालयी समूह रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्पेक्ट्रम कैप से संबंधित इन मुद्दों पर दिनांक 21 नवम्बर, 2017 की भादूविप्रा की प्रतिक्रिया।
12.	"नेट न्युट्रिलिटी" विषय पर दिनांक 28 नवम्बर, 2017 की सिफारिशें।
13.	निशुल्क डेटा के प्रावधान पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 की भादूविप्रा की सिफारिशों पर दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के दूरसंचार विभाग के संदर्भ में दिनांक 29 नवम्बर, 2017 की प्राधिकरण की प्रतिक्रिया।
14.	"दूरसंचार कारोबार करने में सुगमता" विषय पर दिनांक 30 नवम्बर, 2017 की सिफारिशें।
15.	"वाणिज्यिक सेवाओं को आरंभ करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण" विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 की सिफारिशें।
16.	"विमान के भीतर कनेक्टिविटी" विषय पर दिनांक 19 जनवरी, 2018 की सिफारिशें।
17.	"राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को तैयार करने के लिए जानकारी" विषय पर दिनांक 02 फरवरी, 2018 की सिफारिशें।
18.	दूरसंचार सुविधा प्रदाता द्वारा इन बिल्डिंग एक्सेस के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2017 की भादूविप्रा की सिफारिशों पर दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के पूर्व संदर्भ के संबंध में दिनांक 09 मार्च, 2018 का भादूविप्रा का उत्तर।

सिफारिशें

➢ **"फिक्स लॉइन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन हेतु ई– केवाईसी सेवा यूआईडीएआई को अपनाना" विषय पर दिनांक 16 मई, 2017 की सिफारिशें।**

2.5.1 प्राधिकरण ने "फिक्स लॉइन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन हेतु ई केवाईसी सेवा यूआईडीएआई को अपनाना" विषय पर अपनी सिफारिशों को 16 मई, 2017 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को अग्रेषित कर दिया।

दूरसंचार विभाग ने ई– केवाईसी सेवाओं का इस्तेमाल कर नए मोबाईल कनेक्शन के सत्यापन करने और मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं के पुनर्सत्यापन के लिए उपभोक्ता आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) का निर्धारण किया है। अब तक इस अपेक्षा को इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और फिक्स लॉइन के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित नहीं किया गया है।

चूंकि आधार आधारित ई–केवाईसी प्रमाणीकरण न सिर्फ तीव्र और विश्वसनीय है बल्कि इसके परिणामस्वरूप उद्योग को पर्याप्त बचत भी हो सकती है, इसलिए, प्राधिकरण ने इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ लेने वाले सभी उपभोक्ताओं (फिक्स लाइन सहित) के सत्यापन/ पुनर्सत्यापन तथा मोबाइल कनेक्शनों के समान उनके सत्यापन के लिए आधार आधारित ई–केवाईसी सेवाओं को अपनाने के लिए एक उपयुक्त प्रारूप (सीएएफ) को निर्धारित करने की सिफारिश की।

➢ **मैसर्स भारती एयरटेल लि., मैसर्स वोडाफोन लि. और मैसर्स आईडिया सेल्युलर लि. द्वारा "आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के लाइसेंस समझौते के प्रावधानों और सेवा गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन" विषय पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 की प्राधिकरण की सिफारिशों पर दिनांक 5 अप्रैल, 2017 के दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर दिनांक 24 मई, 2017 की प्राधिकरण की प्रतिक्रिया।**

2.5.2 दूरसंचार विभाग ने अपनी टिप्पणियों/ अवलोकनों के आलोक में अपने पुनर्विचारित मतों को प्रदान करने के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लि., मैसर्स वोडाफोन लि. और मैसर्स आईडिया सेल्युलर लि. द्वारा "आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के लाइसेंस समझौते के प्रावधानों और सेवा गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन" विषय पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 की प्राधिकरण की सिफारिशों पर दिनांक 05 अप्रैल, 2017 के दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर दिनांक 24 मई, 2017 की प्राधिकरण की प्रतिक्रिया को दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को वापस भेज दिया। प्राधिकरण ने उचित विचार किए जाने के पश्चात् अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 24 मई, 2017 को दूरसंचार को अग्रेषित कर दिया।

➢ **"भारत में विदेशी आपरेटरों के ग्लोबल कॉलिंग कार्ड अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों की बिक्री करने/ उन्हें किराए पर देने" विषय पर दिनांक 14 जून, 2017 की अतिरिक्त सिफारिशें।**

2.5.3 दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 मार्च, 2017 को इस प्राधिकरण से भारत में विदेशी आपरेटरों के ग्लोबल कॉलिंग कार्ड अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों की बिक्री करने/ उन्हें किराए पर देने के संबंध में अतिरिक्त सिफारिशें, यदि कोई हो, देने का अनुरोध किया जिसे दिनांक 9 मई, 2016 को दूरसंचार विभाग को अग्रेषित कर दिया गया था।

उचित रूप से विचार किए जाने के पश्चात् प्राधिकरण ने भारत में विदेशी आपरेटरों के ग्लोबल कॉलिंग कार्ड अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों की बिक्री करने/उन्हें किराए पर देने के संबंध में अतिरिक्त सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और दिनांक 14 जून, 2017 को इसे दूरसंचार विभाग को अग्रेषित कर दिया।

➢ "कैप्टिव वीसेट सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों" पर दिनांक 18 जुलाई, 2017 की सिफारिशें।

2.5.4 भादूविप्रा को दिनांक 17 मार्च, 2016 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) से संदर्भ प्राप्त हुआ। इस संदर्भ के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने कैप्टिव वीएसएटी क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) नेटवर्क में दूसरे हब और कैप्टिव वीएसएटी क्लोज़ड यूज़र ग्रुप (सीयूजी) लाइसेंस की निबंधन व शर्तों के संबंध में न्यूनतम लाइसेंस शुल्क पर भादूविप्रा की सिफारिशों की मांग की।

इस संदर्भ की प्राप्ति के पश्चात् प्राधिकरण ने कतिपय कैप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारियों से परामर्श किया जिन्होंने रॉयल्टी प्रभारों की प्रयोज्यता तथा कैप्टिव वीएसएटी के लिए बैंडविड्थ के संवर्धन में अनुमोदन में प्रक्रिया संबंधी देरी के संबंध में कतिपय अतिरिक्त मुद्दों को उठाया था। प्राधिकरण ने परामर्श के जरिये इन मुद्दों को शामिल किया ताकि कैप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारियों से संबंधित मुद्दों पर व्यापक सिफारिशें प्रदान की जा सके। प्राधिकरण ने हितधारकों से टिप्पणियों आमंत्रित करते हुए दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 को "कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श प्रक्रिया और इसके आंतरिक विश्लेषण के इनपुटों के आधार पर प्राधिकरण ने **"कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों"** पर अपनी सिफारिशें तैयार की और दिनांक 18 जुलाई को दूरसंचार विभाग को भेज दिया। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः

- कैप्टिव वीएसएटी के लिए दूसरे हब हेतु पृथक लाइसेंस शुल्क प्रभार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए;
- प्रथम हब से जुड़े वीएसएटी टर्मिनलों के लिए प्रभारित किए जा रहे 10,000 रूपए प्रति वीएसएटी टर्मिनल की दर से वर्तमान वार्षिक लाइसेंस शुल्क को प्रथम और द्वितीय हब के लिए बनाए रखा जाएगा और यह किसी न्यूनतम लाइसेंस शुल्क के बिना होगा।
- कैप्टिव वीएसएटी लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क को 50 प्रतिशत तक अर्थात् 30 लाख रूपए से घटाकर 15 लाख रूपए किया जाए।
- दो तिमाहियों के लिए लाइसेंस शुल्क के समतुल्य एफबीजी को कैप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारियों पर प्रभारित किया जा सकता है।
- कैप्टिव वीएसएटी टर्मिनलों के लिए रॉयल्टी प्रभार की दिनांक 22 मार्च, 2012 के दूरसंचार विभाग परिपत्र के तहत निर्धारित फार्मूला की तर्ज पर गणना की जानी चाहिए। रॉयल्टी प्रभार की गणना के लिए इस फार्मूला में वार्षिक रॉयल्टी कारक को केवल बैंडविड्थ कारक और समनुदेशित कैरियरों की संख्या द्वारा गुणा किए जाने की आवश्यकता होती है।
- कैरियरों की संख्या से अधिक वीएसएटी की संख्या के लिए पुनर्प्रयोग कारक के रूप में अतिरिक्त 25 प्रतिशत की राशि प्रभारित करने का कोई औचित्य नहीं है। रॉयल्टी प्रभारों की गणना के लिए इन प्रभारों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, दूरसंचार विभाग इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।
- यदि डब्लूपीसी द्वारा तदनुरूपी आधारभूत खंड फ्रीक्वेंसी के आबंटन में डीओएस द्वारा स्थान खंड के आबंटन की तिथि से 3 महीने से

अधिक की देरी होती है तो डीओएस को लाइसेंसधारियों द्वारा देय स्थान खंड प्रभारों का भार डब्लूपीसी/दूरसंचार विभाग/एनओसीसी द्वारा समय आबंटन/अनुमति दिए जाने तक दूरसंचार विभाग द्वारा उठाया जाए।

- कैप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारी के लिए बैंडविड्थ के संवर्धन की प्रक्रिया वाणिज्यिक वीएसएटी, एनएलडी, आईएलडी लाइसेंसधारियों के समतुल्य होगा। संवर्धन का कार्य केवल एनओसीसी और डब्लूपीसी (न कि शीर्ष समिति के स्तर पर) के स्तर पर किया जाना चाहिए।
- कैप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारी के लिए डब्लूओएल की वैधता वर्तमान के वार्षिक के स्थान पर एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए।
- कैप्टिव वीएसएटी के लिए अधिकतम डेटा दरों के रूप में प्रति वीएसएटी 512 केबीपीएस/2 एमबीपीएस की सीमा/अधिकतम सीमा को उर्ध्व रूप में संशोधित किया जाना चाहिए और तदनुसार ही दूरसंचार विभाग/टीईसी अपनी विशिष्टियों में बदलाव करे।

➢ "क्लोजर ऑफ एक्सेस सर्विस" संबंधी मुद्दों पर दिनांक 31 जुलाई, 2017 की सिफारिशें।

2.5.5 बाजार आधारित स्पेक्ट्रम प्रबंधन को अपनाए जाने के कारण पहुंच सेवा की निरंतरता का अब आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। हाल ही में, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इसकी लाइसेंस वैधता अवधि की समाप्ति पर किसी बैंड में अपनी स्पेक्ट्रम धारिता की पुनर्प्राप्ति के लिए असफल रहते हुए लाइसेंसधारी के रूप में; लाइसेंस धारी द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी में बदलाव; स्पेक्ट्रम कारोबार के माध्यम से समग्र स्पेक्ट्रम की बिक्री; रोमिंग व्यवस्था की समाप्ति जैसे कारकों के कारण कतिपय सेवा प्रदाताओं ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता पर पहुंच सेवाओं के बंद होने के कारण अनुचित कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, प्राधिकरण ने *स्वः प्रेरित* होकर इस मुद्दे पर परामर्श प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय लिया। तदनुसार, "क्लोजर ऑफ एक्सेस सर्विस से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र को दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को जारी किया गया जिसमें हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच करने और आंतरिक विश्लेषण करने के पश्चात् "क्लोजर ऑफ एक्सेस सर्विस से संबंधित मुद्दों" पर टिप्पणियों को दिनांक 31 जुलाई, 2017 को सरकार को अग्रेषित कर दिया गया। कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नवत् हैः

क) लाइसेंस को समर्पित करने की आवश्यकता के बिना लाइसेंस के कार्यक्षेत्र के तहत अनुमत्य इनमें से किसी सेवा को बंद करने के लिए एक यूनीफाइड एक्सेस सर्विस (यूएएस) लाइसेंसधारी को अनुमति दी जानी चाहिए।

ख) यदि यूएएस लाइसेंसधारी अपनी वॉयरलेस पहुंच सेवाओं, जिन्हें प्रशासनिक रूप से समनुदेशित स्पेक्ट्रम के माध्यम से प्रदान की जा रही थी, को बंद करने का निर्णय लेता है, तो उसे वायरलेस पहुंच सेवाओं के बंद होने के तत्काल बाद ऐसे स्पेक्ट्रम को वापस सौंपना चाहिए।

ग) यदि समग्र सेवा क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग में किसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंच सेवाओं के बंद होने के मामले में टीएसपी को लाइसेंसदाता और भादूविप्रा को 60 दिनों की सूचना देने और इसके उपभोक्ताओं को 30 दिनों की सूचना देने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए जिसमें

एमएनपी सुविधा सहित उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों का स्पष्ट उल्लेख हो।

घ) प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम कारोबार प्रक्रिया में दूरसंचार विभाग/ डब्लूपीसी और लाइसेंसधारी द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न समय सीमाओं की सिफारिश की है। इन समय सीमाओं से स्पेक्ट्रम कारोबार की समग्र प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता और निश्चितता आएगी। यदि सभी बैंडों में समग्र स्पेक्ट्रम किसी लाइसेंसधारी द्वारा बेचा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा बंद हो जाएगी, तो संस्तुत समय सीमाएं अनिश्चिताओं को समाप्त करेंगी और टीएसपी को दूरसंचार विभाग/ भादूविप्रा को 60 दिनों की सूचना और अपने उपभोक्ताओं को 30 दिनों की सूचना देने को सुगम बनाएगा।

ड.) यदि कोई उपभोक्ता एक प्रौद्योगिकी से दूसरे प्रौद्योगिकी में उसी टीएसपी में जाना चाहता है तो यह मोबाइल नम्बर पोर्टेब्लिटी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।

➢ "क्लॉउड सेवाओं" के संबंध में दिनांक 16 अगस्त, 2017 की सिफारिशें

2.5.6 प्राधिकरण ने क्लॉउड सेवाओं के संबंध में अपनी सिफारिशों को दिनाक 16 अगस्त, 2017 को दूरसंचार विभाग को अग्रेषित कर दिया। इन सिफारिशों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैः

क) क्लॉउड सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए लाइट टच विनियामक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

ख) दूरसंचार विभाग क्लॉउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) उद्योग निकाय (निकायों) के पंजीकरण के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करेगा जो लाभ के लिए नहीं है। सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले उपर्युक्त सभी सीएसपी को ऐसे उद्योग निकायों में से किसी एक का सदस्य बनना होता है।

ग) उद्योग निकाय अपने कार्यकरण के लिए एक आचार संहिता (सीओसी) निर्धारित करेगा जिनका अनुपालन इनके सदस्यों के द्वारा किया जाना होगा। सीओसी के अतिरिक्त, इस उद्योग निकाय की एक अभिशासी संरचना होगी जिसका लक्ष्य सीओसी का प्रभावी व पारदर्शी कार्यान्वयन, प्रबंधन और विकास में सहायता करना है। यह उद्योग निकाय, जो लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं है, अपने सदस्यों से उचित, उपयुक्त और गैर– विभेदकारी शुल्क प्रभारित कर सकता है।

घ) उद्योग निकाय के पास अंतर्प्रचालनता, बिलिंग, डेटा सुरक्षा और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकटन तंत्र भी होना चाहिए।

ड.) क्लॉउड सेवाओं की प्रगति की आवधिक समीक्षा करने और सरकार को कार्रवाई करने का सुझाव, यदि कोई हो, देने के लिए एक निरीक्षण निकाय के रूप में कार्य करने के लिए एक क्लॉउड सेवा परामर्शदाता समूह (सीएसएजी) का सृजन किया जाना चाहिए।

च) भारतीय दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी (टीएसडीएसआई) को क्लॉउड सेवाओं की अंतर्प्रचालनता को सुनिश्चित करने के लिए मानकों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

छ) सरकार सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक सर्वसमावेशक एवं व्यापक डेटा सुरक्षा कानून को लागू करने पर विचार कर सकती है।

ज) सरकार, क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों का समाधान करने और इस क्लॉउड संबंधी डेटा के विधि सम्मत व्यवधान अथवा पहुंच बनाने के लिए मौजूदा एमएलएटी में संशोधन करने के लिए एक ठोस परस्पर कानूनी सहायता अनुबंध (एमएलएटी) तैयार करेगी।

झ) सरकार, क्लॉउड अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से क्लॉउड सेवाओं को बढ़ावा देने के

लिए अपनी नीति को बनाए रखेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय वर्तमान में दी जा रही राजसहायता सहित इस क्षेत्र में आईसीटी को अपनाने को बढ़ावा देना भी जारी रख सकता है।

➢ "मशीन से मशीन (एम2एम) संचार में स्पेक्ट्रम, रोमिंग और क्यूओएस संबंधी अपेक्षाओं" पर दिनांक 05 सितम्बर, 2017 की सिफारिशें

2.5.7 मशीन से मशीन (एम2एम) संचार मशीनों के बीच स्वचालित सूचना आदान प्रदान के लिए आधार होता है और यह स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट वाटर, स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट हैल्थ आदि जैसे विभिन्न उद्योग स्थापनाओं को प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार ने एम2एम की क्षमता की पहचान की है और राष्ट्रीय दूरसंचार, 2012 में इस पर जोर दिया है। भादूविप्रा को दिनांक 05 जनवरी, 2016 को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें एम2एम संचारों के संबंध में तीन पहलुओं पर इस प्राधिकरण की सिफारिशों की मांग की गई है:

(क) एम2एम स्पेक्ट्रम संबंधी अपेक्षाएं

(ख) एम2एम रोमिंग संबंधी अपेक्षाएं

(ग) एम2एम सेवाओं में सेवा की गुणवत्ता।

उपर्युक्त परामर्श प्रक्रिया के बाद प्राधिकरण ने "मशीन से मशीन (एम2एम) संचार में स्पेक्ट्रम, रोमिंग और क्यूओएस संबंधी अपेक्षाओं" के संबंध में अपनी सिफारिशों को दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को अग्रेषित कर दिया। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:

I. लाइसेंस और स्पेक्ट्रम संबंधित पहलु:

- सभी पहुंच सेवा प्रदाता यथा सीएमटीएस, यूएएसएल, यूएल (एएस) और यूएल धारक जो लाइसेंसयुक्त पहुंच स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहे हैं, को अपने मौजूदा प्राधिकरणों के क्षेत्र में एम2एम कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, सभी मूलभूत सेवा लाइसेंसधारी और आईएसपी लाइसेंसधारी को एम2एम सेल्युलर सेवाओं को छोड़कर अपने मौजूदा प्राधिकार के क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस रहित बैंड सहित एम2एम कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति होगी। दूरसंचार विभाग संबंधित लाइसेंसों में लाइसेंस शर्तों में उचित संशोधन कर सकता है।
- सभी यूएल (वीएनओ) धारकों को भी तदनुसार अपने मौजूदा प्राधिकारों में प्राधिकृत रूप में एम2एम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। दूरसंचार विभाग यूएल (वीएनओ) की लाइसेंस शर्त में उपर्युक्त तरीके से संशोधन कर सकता है। बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम में परिचालन कर रही एलपीडब्लूएएन का प्रयोग करने वाले कनेक्टिविटी प्रदाता को यूएल (एम2एम) जैसे यूएल के तहत नए प्राधिकार के माध्यम से लाइसेंस के तहत शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे लाइसेंसधारियों को विशेषरूप से एम2एम सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम हेतु बोली लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- यूएल (एम2एम) प्राधिकार में तीन श्रेणियां शामिल होंगी यथा यूएल (एम2एम) श्रेणी– क– राष्ट्रीय क्षेत्र, यूएल (एम2एम) श्रेणी –ख– दूरसंचार सर्किल/ मेट्रो क्षेत्र, यूएल (एम2एम) श्रेणी– ग–एसएसए/ जिला क्षेत्र।
- राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए यूएल (एम2एम) श्रेणी 'क', दूरसंचार सर्किल/ महानगर क्षेत्र के लिए यूएल (एम2एम) श्रेणी 'ख' और एसएसए क्षेत्र हेतु यूएल (एम2एम) श्रेणी 'ग' के तहत प्राधिकार प्राप्त करने के लिए प्रवेश शुल्क, पीबीजी, एफबीजी रूप में देय राशि आईएसपी श्रेणी हेतु यूएल में मौजूदा प्रावधानों के समान होना चाहिए।

- दूरसंचार विभाग के माध्यम से सरकार को एम2एम क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं की पहचान करनी चाहिए और इन सेवाओं को लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम का प्रयोग कर कनेक्टिविटी प्रदाता द्वारा ही प्रदान किए जाने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए।
- विनियामक प्राधिकरण जिनके क्षेत्र एम2एम संचार यथा भादूविप्रा, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, आदि द्वारा प्रभावित होंगे तथा विधि व न्याय मंत्रालय को दूरसंचार विभाग द्वारा गठित एम2एम शीर्ष निकाय में सदस्य भी होना चाहिए।
- एम2एम सेवा प्रदाता (एमएसपी) को एम2एम सेवा प्रदाता के रूप में दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यह पंजीकरण विशेषरूप से एमएसपी के लिए होगा न कि मौजूदा ओएसपी संगठन के भाग के रूप में।
- टीईसी के तत्त्वावधान में एक राष्ट्रीय न्यास केन्द्र (एनटीसी) का सृजन एम2एम उपकरणों और एप्लिकेशनों (हार्डवेयर और साफ्टवेयर) के प्रमाणन के लिए किया जाना चाहिए।
- स्पेक्ट्रम आबंटन प्रौद्योगिकी और सेवा तटस्थ होना चाहिए। एम2एम सेवाओं के लिए विशेषरूप से किसी पृथक स्पेक्ट्रम बैंड का आबंटन नहीं किया जाना होता है।
- एम2एम संचार के कारण जुड़े उपकरणों के अनुमानित अंतर्प्रवाह को पूरा करने के लिए पहुंच सेवाओं हेतु अतिरिक्त लाइसेंसयुक्त स्पेक्ट्रम की आवश्यकता की डब्लूआरसी–19 के बाद प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जाएगी।
- लाइसेंस मुक्त स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हुए एम2एम सेवाओं को सही तरीके से आरंभ करने को सुकर बनाने के लिए 868 मेगाहर्ट्ज (867–868) में 01 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम और 915–935 मेगाहर्ट्ज में 06 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के एक भाग को लाइसेंसमुक्त करने की सिफारिश की जानी होती है।
- कई अवसरों पर प्राधिकरण द्वारा यथा संस्तुत वी– बैंड (57–64 गीगाहर्ट्ज) को लाइसेंस मुक्त करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है।

II. सिम और रोमिंग संबंधित पहलु:

- पहले से ही प्री– फिटिड एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड (ईयूआईसीसी) वाले उपकरणों को केवल तभी आयात करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए जब उसमें स्थानीय सबसक्रिप्शन के साथ "ओवर द एयर" (ओटीए) 'री–कंफिगर' किए जाने की क्षमता हो जीएसएमए अनुमोदित दिशानिर्देशों का अनुसरण ओटीए प्रणाली के साथ सूदूर रूप से नया प्रोफाइल की व्यवस्था करने के लिए किया जाएगा।
- ई–यूआईसीसी युक्त उपकरणों को निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय टीएसपी के नेटवर्क में रोमिंग को सक्रिय करने एवं भारतीय टीएसपी सिम में अनिवार्य रूप से परिवर्तित किए जाने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षो के लिए रोमिंग में परिचालन करने अथवा इस उपकरण के स्वामित्व में बदलाव होने पर, जो भी पहले हो, की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- एम2एम में अंतरराष्ट्रीय रोमिंग को मानदंडों और प्रक्रियाओं के समरूप बनाए रखने के लिए जीएसएमए 'एम2एम अनुबंध' के बेहतर मान्यताप्राप्त ढ़ांचे के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी।
- भारत में एम2एम आईओटी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश विशेष में द्विपक्षीय समझौते के आधार पर उपयुक्त रूपरेखा के साथ आईएमएसआई रेंजों के अतिरिक्त स्थलज उपयोग की अनुमति की संभाव्यता पर विचार कर सकती है।

III. सेवा की गुणवत्ता, सुरक्षा और गोपनीयता संबंधित पहलु:

- सेवा की गुणवत्ता, भादूविप्रा का एक विशेष क्षेत्राधिकार होता है। इसलिए, एक बार एम2एम क्षेत्र विकसित होने के बाद, प्राधिकरण सेवा आवश्यकताओं के अनुसार एम2एम संचार में क्यूओएस मानकों के संबंध में व्यापक विनियमों को लाएगा।
- वर्तमान में एम2एम उपकरणों की संस्थापना और सेवाओं के चरण में उपकरण स्तर और नेटवर्क स्तर दोनों पर 10 प्रतिशत का ड्यूटी चक्र संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।
- एम2एम में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर प्राधिकरण दिनांक 09 अगस्त, 2017 को जारी ''दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व'' विषय पर परामर्शदात्री पत्रों के माध्यम से उद्धृत मुद्दों पर उचित विचार–विमर्श के बाद व्यापक सिफारिशों को जारी करेगा।

➢ ''सेवा क्षेत्र के रूप में किसी राज्य के जिले के साथ श्रेणी 'ख' के लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकरण हेतु यूएल (वीएनओ) को आरंभ करना'' विषय पर दिनांक 08 सितम्बर, 2017 की सिफारिशें

2.5.8 दिनांक 11 जुलाई, 2016 के अपने संदर्भ के माध्यम से दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि वे वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर्स (वीएनओ) के लिए एक सेवा क्षेत्र के रूप में किसी राज्य के जिलों के साथ श्रेणी 'ख'' लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार के लिए उसकी सिफारिशों को अग्रेषित करे।

वॉयरलाइन खंड में दूरसंचार विभाग ने लोगों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के अपने प्रयासों के लिए वर्ष 1994 में 'डायरेक्ट इनवार्ड डायलिंग' (डीआईडी) नामक एक योजना को आरंभ किया ताकि दूरसंचार विभाग के फ्रेंचाइजी के रूप में निजी कंपनियों द्वारा समूह इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ईपीएबीएक्स) की सुविधाएं दी जा सके।

दिनांक 01 मई, 2015 के 'दूरसंचार क्षेत्र में वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर्स को लाने' के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशों के अनुसरण में दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) प्रदान करने के लिए दिनांक 31 मई, 2016 को दिशानिर्देश जारी किया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 05 जुलाई, 2016 की अपनी अधिसूचना के तहत दूरसंचार विभाग ने 'डायरेक्ट इनवार्ड डायलिंग (डीआईडी)' फ्रेंचाइजी जैसे उद्यमियों के लिए एक सेवा क्षेत्र के रूप में किसी राज्य के जिलों के साथ श्रेणी 'ख' लाइसेंस के लिए प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) देने हेतु अलग से दिशानिर्देशों को जारी किया।

भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियों/ प्रति टिप्पणियों की मांग करते हुए दिनांक 20 मार्च, 2017 को 'किसी सेवा क्षेत्र के रूप में किसी राज्य के जिलों के साथ श्रेणी 'ख' लाइंसस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) को लागू करने' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

इनमें शामिल विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने एवं अपनी लिखित प्रतिक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद और खुला मंच चर्चा, संगठन के भीतर विश्लेषण और अनुसंधान करने के दौरान भादूविप्रा ने दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को 'किसी सेवा क्षेत्र के रूप में किसी राज्य के जिलों के साथ श्रेणी 'ख' लाइंसस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) को लागू करने' विषय पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

- एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) के तहत गैर–विशिष्ट आधार पर किसी सेवा क्षेत्र के रूप

में जिलों के साथ श्रेणी 'ख' लाइसेंस के रूप में पहुंच सेवा के लिए एक नई श्रेणी का प्राधिकार लागू कर सकता है। अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए मौजूदा डीआईडी फ्रैंचाइजी को यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' पर स्थानांतरण करना चाहिए।

- नए लाइसेंस को केवल मौजूदा डीआईडी फ्रेंचाइजी तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए और इसे ऐसी सेवा देने का इरादा रखने वाली सभी कंपनियों के लिए खुला होना चाहिए।
- प्रस्तावित यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंस का कार्यक्षेत्र किसी जिले में केवल वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं को प्रदान करने के लिए होना चाहिए। वॉयरलेस पहुंच सेवाएं यूएल वीएनओ श्रेणी ख के कार्यक्षेत्र का भाग नहीं होगा।
- यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंस की अवधि, यूएल (वीएनओ) नीति के संगत होगी।
- लाइसेंस की 10 वर्ष की अवधि के लिए 1,65,000 रूपए का प्रवेश शुल्क, यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंस धारियों के लिए प्रयोज्य होगा। 1,00,000 रूपए की वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंसधारी के लिए प्रयोज्य होगी।
- यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंसधारी के पास प्रति प्राधिकार 5 लाख रूपए से अधिक का न्यूनतम निवल मूल्य होगा।
- फिक्स्ड लॉइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग को 'त्वरित रूप से ब्रॉडबैंड देनाः हमें क्या करना चाहिए?' विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2015 की भादूविप्रा की सिफारिशों को लागू करना चाहिए जिसमें फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड से अर्जित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क में कम से कम पांच वर्ष के लिए छूट दी जानी चाहिए।
- वीएनओ पद्धति को आरंभ किए जाने पर दोहरे कराधान का एक मुद्दा उठा है। दूरसंचार विभाग एजीआर संघटकों की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है तथा सेवाओं के प्राप्त करने के लिए टीएसपी/ एनएसओ को वीएनओ लाइसेंसधारी द्वारा चुकाए गए प्रभारों को एजीआर की गणना के उद्देश्य के लिए प्रभारों के माध्यम से पास के रूप में काटे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि आईयूसी, रोमिंग प्रभारों आदि जैसे यूएल के तहत प्रभारों के माध्यम से अन्य 'पास थ्रू चार्जेज' की अनुमति प्रदान की जाती है। यह वस्तु और सेवा कर पद्धति के तहत जानकारी टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) विशेषता की तर्ज पर होगा।
- यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंसधारी पर अधिकतम अर्थदंड की राशि वही होनी चाहिए जिसे यूएल (वीएनओ) नीति में आईएसपी श्रेणी 'ग' के लिए प्रावधान किया गया है। यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंसधारी को समय–समय पर भादूविप्रा द्वारा जारी प्रशुल्क आदेश/ विनियमों/निदेशों आदि से उत्पन्न दायित्वों का अनुपालन करना होता है।
- कनेक्टिविटी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस वाले परिचालन क्षेत्र अर्थात् किसी जिले के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर, ईपीएबीएक्स के माध्यम से वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं के प्रावधान के मामले में, भिन्न टीएसपी/एनएसओ के साथ भिन्न स्थानों पर कनेक्टिविटी के लिए व्यवस्था करने की अनुमति दी जा सकती है।
- यूएल (वीएनओ) (पहुंच सेवा) लाइसेंस को संशोधित किया जा सकता है ताकि ईपीएबीएक्स के माध्यम से वॉयरलाइन पहुंच सेवाओं के प्रावधान के मामले में ही एसएसए के विभिन्न स्थानों पर वॉयरलाइन नेटवर्क के लिए किसी वीएनओ द्वारा बहु एनएसओ के साथ 'पैरेंटिंग' की अनुमति के प्रावधान में समर्थ हो सके।
- उसी ईपीएबीएक्स पर एक से अधिक टीएसपी/ एनएसओ से कनेक्टिविटी की अनुमति के लिए व्यवस्था की अनुमति अपेक्षित विशिष्टियों के

साथ टीईसी/दूरसंचार विभाग द्वारा उपयुक्त जांच और अनुमोदन के बाद ही दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ऐसी व्यवस्थाओं की निरंतरता डीओटी/ टीईसी के निर्णय के परिणाम पर निर्भर करेगा।

- टीएसपी/एनएसओ प्रदाता अनिवार्य रूप से यूएल (वीएनओ) श्रेणी 'ख' लाइसेंसधारी के साथ सेवा स्तर समझौता (एसएलए) करेगा।

➢ "स्थायी दूरसंचार के प्रति दृष्किोण" विषय पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 की सिफारिशें

2.5.9 भादूविप्रा को (एक) कार्बन उत्सर्जन मापन की पद्धति (दो) अंशांकन निर्देश के संबंध में सिफारिशों के लिए एक दूरसंचार विभाग द्वारा एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसे उसके द्वारा वर्ष 2012 में कार्यान्वयन हेतु पहुंच के लिए जारी किया गया था। उचित परामर्श और आंतरिक विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को दूरसंचार विभाग को "स्थायी दूरसंचार के प्रति दृष्किोण" विषय पर अपनी सिफारिशों को अग्रेषित कर दिया। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैः

- कार्बन फुट प्रिंट की गणना के सूत्र को आईटीयू मानक के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।
- समग्र कार्बन फुट प्रिंट के लिए लक्ष्य की संस्तुति की गई है और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य (आरईटी) के प्रवर्तन के लिए कोई उप लक्ष्य संस्तुत नहीं की गई है।
- दिनांक 04 जनवरी, 2012 को दूरसंचार विभाग के निर्देशों का अंशाकन किया गया है और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को 2011–12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2019–20 तक 30 प्रतिशत और वर्ष 2022– 23 तक 40 प्रतिशत तक करने का निर्धारण किया गया है।

➢ "इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामकारी रूपरेखा" विषय पर दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 की सिफारिशें

2.5.10 भादूविप्रा ने दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को "इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामक रूपरेखा" पर सरकार को अपनी सिफारिशें अग्रेषित की है। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

i. वर्तमान पहुंच सेवा लाइसेंस की प्राधिकरण की समझ के अनुसार इंटरनेट टेलीफोनी सेवा आधारभूत पहुंच नेटवर्क से बंधा नहीं है। दूसरे शब्दों में, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा को पहुंच सेवा प्रदाता द्वारा अपने उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो अन्य पहुंच सेवा प्रदाताओं के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग को इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। यदि दूरसंचार विभाग का विचार भिन्न हो तो प्राधिकरण यह सिफारिश करता है कि दूरसंचार विभाग पहुंच सेवा लाइसेंसों में संशोधन जारी करे ताकि इंटरनेट टेलीफोनी सेवा आधारभूत पहुंच नेटवर्क से जुड़ा नहीं हो।

ii. पहुंच सेवा प्राधिकरण के साथ यूएल (वीएनओ) लाइसेंसधारी को निर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में उन्मुक्त इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने की भी अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

iii. इंटरनेट टेलीफोनी कॉल जो अंतरराष्ट्रीय स्थानों से अंतरराष्ट्रीय रोमर द्वारा शुरूआत की जाती है, को लाइसेंसयुक्त आईएलडीओ के अंतरराष्ट्रीय गेटवे पर दिया जाना चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय समाप्ति प्रभारों को समाप्त होने वाले पहुंच सेवा प्रदाता को प्रदान किया जाना चाहिए। यदि पहुंच सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है कि देश के बाहर आरंभ हुई इंटरनेट टेलीफोनी कॉल आईएलडीओ गेटवे के माध्यम से आ रही है तो इस पहुंच सेवा प्रदाता के

इंटरनेट टेलीफोनी डपभोक्ताओं के अंतरराष्ट्रीय ऑउट रोमिंग की अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए।

iv. मोबाइल नम्बर क्रमों का इस्तेमाल किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। टीएसपी को सेल्युलर मोबाइल सेवा और इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के लिए सब्सक्राइबर हेतु उसी नम्बर को आबंटित करने के लिए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

v. एसडीसीए संबद्ध नम्बर क्रम का इस्तेमाल किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। तथापि, इस मामले में सचलता उपभोक्ता के भवन तक ही सीमित होनी चाहिए।

vi. पहुंच सेवा लाइसेंसधारी को ई.164 से लेकर एसआईपी/ एच. 323 पतों तक और इसके अनुलोमतः टेलीफोन संख्या मैपिंग के लिए अपने नेटवर्क में निजी ईएनयूएम का प्रयोग करना चाहिए।

vii. पहुंच सेवा प्राधिकार के साथ वीएनओ द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी के प्रावधान के मामले में मूल एनएसओ द्वारा नम्बर संसाधन आबंटन किया जाना चाहिए।

viii. इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान कर रहे पहुंच सेवा प्रदाता को अवस्थिति संबंधी सेवाओं का प्रयोग करते हुए आपातकालीन नम्बर तक पहुंच देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है; तथापि, उन्हें वर्तमान में ऐसी सेवाओं को प्रदान करने के लिए अधिदेशित नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट टेलीफोनी डपभोक्ताओं को पूर्णतः स्पष्ट शर्तों में आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।

ix. इंटरनेट टेलीफोनी संबंधी क्यूओएस को बाजारी ताकतों पर छोड़ा जा सकता है। सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उनके द्वारा समर्थित क्यूओएस मानकों के बारे में सूचना अवश्य प्रदान की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ता सूचना आधारित निर्णय ले सके। प्राधिकरण, उपयुक्त समय पर इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं के लिए क्यूओएस को अधिदेशित किए जाने के संबंध में इस निर्णय की समीक्षा करेगा।

➢ अंतर मंत्रालयी समूह रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्पेक्ट्रम कैप से संबंधित इन मुद्दों पर दिनांक 21 नवम्बर, 2017 की भादूविप्रा की प्रतिक्रिया

2.5.11 सरकार ने ''चुने हुए क्षेत्रों में तुलन पत्रों पर दबाव'' विषय पर एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया है। अन्यों के साथ आईएमजी ने दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के लिए प्रयोज्य स्पेक्ट्रम कैप की समीक्षा की। आईएमजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्पेक्ट्रम कैप के मुद्दे पर विस्तृत जांच एवं क्षेत्र पर निगरानी करने वाले विनियामकों से विभिन्न प्रकार के जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। आईएमजी की रिपोर्ट के आलोक में दूरसंचार विभाग ने दिनांक 29 सितम्बर, 2017 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वे स्पेक्ट्रम कैप के संबंध में अपने विचार प्रदान करें।

तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100/ 2300/ 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में समनुदेशित कुल स्पेक्ट्रम के 25 प्रतिशत का तथा इस प्रत्येक सेवा क्षेत्र में दिए गए बैंड के भीतर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा थी।

भादूविप्रा ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से टिप्पणियां मांगी और अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को नोट किया:

- जब किसी एलएसए में 6–10 टीएसपी था तो एक बार में समग्र रूप से 25 प्रतिशत के

स्पेक्ट्रम कैप को लागू किया गया था। इस क्षेत्र में चल रहे एकीकरण के बाद किसी एलएसए में टीएसपी की संख्या बहुत कम हो सकती है।

- नीलामी के माध्यम से प्रदान किया जा रहा स्पेक्ट्रम एक उदारीकृत स्पेक्ट्रम होता है। वर्तमान में, विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा धारित 80 प्रतिशत से अधिक स्पेक्ट्रम उदारीकृत स्पेक्ट्रम है जिनमें वे किसी बैंड में अपनी पसंद की किसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा बहु बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- चूंकि एलटीई उपकरण पारिस्थितिकी प्रणाली इस प्रत्येक स्पेक्ट्रम बैंड में विकसित हो रही है इसलिए, प्रत्येक स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम कैप रखने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में, इसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसी टीएसपी की मांग करने से नेटवर्क की लागत में बढ़ोतरी होती है किंतु कोई लाभ नहीं होता है।
- उप –1 गीगाहर्ट्ज बैंड को कम जनसंख्या घनत्व वाले बड़े क्षेत्रों में वॉयरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे इष्टतम बैंड माना जाता है। इसलिए उप–1 गिगाहर्ट्ज रैंज अर्थात् 700 मेगा हर्ट्ज, 800 मोगा हर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम को पृथक रूप में माना जाए और एकाधिकार होने से बचाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं।

दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को दूरसंचार विभाग को दिए गए अपने उत्तर में भादूविप्रा ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

(i) समग्र स्पेक्ट्रम कैप को वर्तमान सीमा 25 प्रतिशत से संशोधित कर 35 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

(ii) वर्तमान अंतः बैंड कैप को हटाया जाना चाहिए। इसके बदले उप–1 गीगाहर्ट्ज बैंड (700 मेगा हर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड) में संयुक्त स्पेक्ट्रम धारण पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा होनी चाहिए।

➢ "नेट न्युट्रिलिटी" विषय पर दिनांक 28 नवम्बर, 2017 की सिफारिशें

2.5.12 भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को 'नेट न्युट्रिलिटी' पर अपनी सिफारिशें सौंपी है। इन सिफारिशों की कतिपय मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

क) लाइसेंस संबंधी शर्तों को और व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि दिए जा रहे तत्वों, उपयोग किये जा रहे प्रोटोकोल अथवा लगाए जा रहे यूजर उपकरणों के आधार पर इंटरनेट पहुंच में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर स्पष्टरूप से पाबंदी लगायी जा सके। इन तत्वों में सभी सामग्री, एप्लिकेशन, सेवाएं और कोई अन्य आंकड़ा और इसकी आखिरी सूचना जिसे इंटरनेट पर खंगाला या प्रेषित किया जा सकता है, शामिल होगी।

ख) सामग्री के निरूपण के संदर्भ में "विभेदकारी निरूपण" में किसी सामग्री को रोकने, खराब करने, धीमा करने अथवा अधिमान गति प्रदान करने अथवा निरूपण जैसे प्रचालनों सहित किसी भी रूप में भेदभाव, सामग्री के निरूपण में प्रतिबंध अथवा हस्तक्षेप शामिल होगा।

ग) सेवा प्रदाता को किसी भी व्यक्ति के साथ स्वाभाविक या कानूनी रूप में, किसी भी रूप में, किसी व्यवस्था, समझौता अथवा करार करने को रोका जाना चाहिए जिसका सामग्री के आधार पर विभेदकारी निरूपण, प्रेषक या प्राप्तकर्ता, प्रोटोकॉल अथवा यूजर उपकरण पर प्रभाव होता हो।

घ) गैर– विभेदकारी निरूपण संबंधी प्रस्तावित सिद्धातों का कार्यक्षेत्र "इंटरनेट पहुंच सेवा" पर

विशेषरूप से लागू होता है जो सामान्यतः लोगों के लिए उपलब्ध होता है।

ङ) किसी भी संदिग्धता को समाप्त करने के लिए इंटरनेट पहुंच सेवाओं को परिभाषित किया गया है।

च) विशेषीकृत सेवाएं यथा इंटरनेट पहुंच सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाएं जिन्हें विशिष्ट सामग्री, प्रोटोकोल अथवा यूजर उपकरण के लिए इष्टतम उपयोग में लाया जाता है और जहां सेवाओं की आवश्यकताओं की विशिष्ट गुणवत्ता को पूरा करने के लिए इष्टतम उपयोग आवश्यक होता है, विभेदकारी निरूपण के सिद्धांतों से मुक्त होंगी।

छ) दूरसंचार विभाग विशेषीकृत सेवाओं की पहचान कर सकता है। तथापि, यदि विशेषीकृत सेवाएं इंटरनेट पहुंच सेवाओं के लिए प्रतिस्थापक के रूप में उपयोगी नहीं है (अथवा नहीं प्रदान किया जाता है); और ऐसी सेवाओं का प्रावधान इंटरनेट पहुंच सेवाओं की उपलब्धता और समग्र गुणवत्ता के लिए घातक नहीं है तो सेवा प्रदाता द्वारा ऐसी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

ज) सेवाओं के एक वर्ग के रूप में 'इंटरनेट आफ थिंग' (आईओटी) को गैर–विभेदकारी निरूपण संबंधी प्रतिबंध के दायरे से हटाया नहीं जाता है। तथापि, महत्वपूर्ण आईओटी सेवाएं जिन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा पहचान की गई है, और जो विशेषीकृत सेवाओं की परिभाषा के अनुरूप है, को स्वतः ही हटा दिया जाएगा।

झ) विषयवस्तु प्रदाता नेटवर्क (सीडीएन) जो दूरसंचार प्रदाता (टीएसपी) को सार्वजनिक इंटरनेट के माध्यम में जाए बिना अपने नेटवर्क में ही विषयवस्तु उपलब्ध कराने में समर्थ बनाता है, गैर– विभेदकारी निरूपण संबंधी किसी भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त होता है।

ञ) इंटरनेट पहुंच सेवा प्रदाता, ट्रैफिक प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय कर सकता है, बशर्ते कि यह आनुपातिक, अस्थायी और पारदर्शी हो वे नेटवर्क की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने, आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए, न्यायालय के आदेश अथवा सरकार के निर्देश के कार्यान्वयन के लिए अथवा अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुसरण में उपयुक्त उपाय भी कर सकते हैं।

ट) जब कभी भी टीएसपी को अपने ट्रैफिक प्रबंधन प्रचलन (टीएमपी) को लागू किया जाएगा तो उन्हें इसे घोषित करने की आवश्यकता होगी और इसका प्रभाव उपयोगकर्ताओं पर हो सकता है। प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं में विशेषीकृत सेवाओं, उनके द्वारा समझौता किए गए प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवस्था के संबंध में सूचना भी शामिल होगी।

ठ) उल्लंघन की निगरानी और जांच करने के लिए एक बहु–हितधारक निकाय, जिसमें टीएसपी और आईएसपी के विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, बड़े और मझौले विषयवस्तु प्रदाता, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र के प्रतिनिधिगण, नागरिक समाज संगठन और उपभोक्ता प्रतिनिधिगण शामिल हैं, के रूप में एक सहयोगपूर्ण तंत्र को स्थापित किए जाने की संस्तुति की गई है। यह निकाय टीएमपी की निगरानी व गैर– विभेदकारी निरूपण के संबंध में इन सिद्धांतों के प्रवर्तन के संबंध में तकनीकी मानकों को विकसित करने तथा प्राधिकरण को उपयुक्त सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार/ प्राधिकरण के पास इस समिति से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने, अपने सभी सदस्यों के साथ पारदर्शी और उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए उसके व्यवहार की जांच करने

और यथा आवश्यक रूप से उपयुक्त विनियमों, निर्देशों, आदेशों अथवा दिशानिर्देशों को जारी करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ड) इन सिफारिशों को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अनुरूप, प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकारों और कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना तैयार किया जा रहा है। इसलिए, इन सिफारिशों पर विचारण को लंबित रखते हुए प्राधिकरण उस तरीके को विनियमित कर सकता है जिस तरीके से इंटरनेट पर सभी सामग्रियों तक अबाधित पहुंच के वर्तमान लाइसेंस संबंधित अपेक्षाओं को लागू एवं प्रवर्तित किया जाता है। प्राधिकरण, द्वारा जब कभी आवश्यक समझे, विनियमों को तैयार कर सकता है अथवा अन्य उपाय कर सकता है।

➢ निशुल्क डेटा उपलब्ध कराने पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 की भादूविप्रा की सिफारिशों पर दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के दूरसंचार विभाग के संदर्भ में दिनांक 29 नवम्बर, 2017 की प्राधिकरण की प्रतिक्रिया

2.5.13 दूरसंचार विभाग ने दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के अपने पत्र के माध्यम से कतिपय सिफारिशों पर पुनर्विचारण करने के लिए वापस भेजा है जिसमें भादूविप्रा ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 एमबी डेटा निशुल्क उपलब्ध कराने और यूएसओएफ में से कार्यान्वयन लागत के वित्तपोषण करने की सिफारिश की गई थी। दूरसंचार विभाग ने समूहक संबंधी शिकायतों के लिए समूहक एवं उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र संबंधी कारोबारी मॉडल पर अधिक स्पष्टता की भी मांग की थी। दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के पत्र की विषयवस्तु पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण की प्रतिक्रिया को अंतिम रूप प्रदान किया गया और इसे दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को दूरसंचार विभाग को अग्रेषित कर दिया गया।

➢ "दूरसंचार कारोबार करने में सुगमता" विषय पर दिनांक 30 नवम्बर, 2017 की सिफारिशें

2.5.14 "करोबार करने में सुगमता" को बढ़ावा देना दूरसंचार क्षेत्र के अबाधित विकास के लिए आवश्यक है और सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सामान्यतया भादूविप्रा की सिफारिशों पर सरकार द्वारा दूरसंचार कारोबार करने में सहूलियत के लिए पहले ही कई कदम उठाए गए हैं। इस समयावधि में नीतियों में बदलाव और तकनीकी विकास के साथ ही कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जो अनावश्यक हो गई हो अथवा जिन्हें दक्ष व पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, भादूविप्रा ने स्वतः ही दिनांक 14 मार्च, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें हितधारकों से मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन बाधाओं, अवरोधों अथवा रूकावटों की पहचान करने के लिए अनुरोध किया गया है जिसके कारण भारत में दूरसंचार कारोबार करना मुश्किल हो रहा है और इस प्रकार एक विनियामक हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और आगे के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने "दूरसंचार कारोबार में सुगमता" पर अपनी सिफारिशों को निरूपित किया और दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को इन्हें दूरसंचार विभाग को भेज दिया। इनमें से कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैः

क) एसएसीएफए अनुमति एवं सभी लाइसेंसों/ अनुमोदन, जिन्हें डब्लूपीसी द्वारा जारी किया जाता है, प्रदान करने की समग्र प्रक्रिया को कागज रहित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरूआत से लेकर अंत तक लागू किया जाना चाहिए।

ख) तीस दिनों से अनधिक की एक सुपरिभाषित समय– सीमा होनी चाहिए जिसके अंतर्गत एक आयात लाइसेंस दिया जाना चाहिए और इसे पोर्टल और नागरिक संहिता दोनों में घोषित किया जा सकता है।

ग) लाइसेंसप्रदाता द्वारा लाइसेंसों के अंतरण/ विलय का लिखित अनुमोदन प्रदान करने के लिए एनसीएलटी अनुमोदन के पश्चात् दूरसंचार विभाग को एक सुपरिभाषित समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जो तीस दिनों से अनधिक हो और इसे लिय और अर्जन दिशानिर्देशों का एक भाग होना चाहिए।

घ) यदि अनुमेय स्पेक्ट्रम की अधिकतम सीमा से इतर इस विलय का परिणाम अधिक स्पेक्ट्रम धारण होता है तो अंतरणकर्ता कंपनी/ परिणामी कंपनी को एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अपने स्पेक्ट्रम धारण को या तो सौंपने या बेचने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

ड.) स्पेक्ट्रम कारोबार की अनुमति सभी पहुंच स्पेक्ट्रम बैंड में दी जानी चाहिए जिन्हें नीलामी के लिए रखा गया है। किसी एक बैंड में कारोबार के लिए अनुमेय ब्लॉक आकार वही होना चाहिए जिसे आयोजित किए गए नवीनतम नीलामी के लिए एनआईए में विनिर्दिष्ट किया गया है।

च) केवल डीएचक्यू/ बीएचक्यू/ एसडीसीए के लिए ही टीएसपी को आरंभ करने संबंधी देयता परीक्षण शुल्क के लिए प्रभारित किया जाना चाहिए जिनकी वास्तविक रूप में टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा परीक्षण किया जाता है।

छ) सेवा प्रारंभ करने के दायित्वों के किसी विशेष चरण के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी (पीबीजी) को टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा सफलतापूर्वक प्रमाणन के बाद जारी किया जाना चाहिए। यदि टीईआरएम प्रकोष्ठ पेशकश की तिथि के बाद 12 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने में असफल होता है तो पीबीजी को परीक्षण के लंबित रहने के कारण रोक कर नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग को बैंक गारंटी की वापसी के लिए सीसीए द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की भी समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीए बैंक गारंटी को जारी करने के लिए 30 दिनों से अधिक का समय नहीं लें।

ज) दूरसंचार विभाग को इस घटना की गंभीरता एवं अर्थदंड के आरोपण के लिए उल्लंघन की पुनरावृत्ति के लिए अर्थदंड से संबद्ध उपयुक्त मैट्रिक्स तैयार करनी चाहिए।

➢ ''वाणिज्यिक सेवाओं को आरंभ करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण'' विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 की सिफारिशें

2.5.15 दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) को उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए एप्लिकेशन प्रणाली को स्थापित करना होता है। टीएसपी को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी सेवा दूरसंचार विभाग (डीओटी) एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानकों (क्यूओएस) पर खरी उतरे। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि वाणिज्यिक सेवा को आरंभ करने से पूर्व सभी एप्लिकेशन प्रणालियों का परीक्षण किया जाए। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 9 सितम्बर, 2016 के अपने पत्र के माध्यम से यह बताया कि वर्तमान में लाइसेंस धारकों द्वारा दूरसंचार विभाग/ बीएसएनएल द्वारा पूर्व में अपनाई गई प्रथाओं के आधार पर नेटवर्क परीक्षण किया जा रहा है; और सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने से पूर्व नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ऐसे लाइसेंस धारकों द्वारा परीक्षण सिम कार्डों को जारी किया जाता

है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी विभिन्न सेवाओं के लिए वर्तमान लाइसेंसों में लाइसेंस धारकों द्वारा सेवा को वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण के लिए किसी समयावधि का निर्धारण नहीं होता है। इसलिए, दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, परीक्षण अवधि आदि के पूर्व परीक्षण उद्देश्यों के लिए उपभोक्ताओं के नामांकन सहित वाणिज्यिक सेवाओं को आरंभ करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रदान करें। इस संबंध में, दिनांक 1 मई, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था जिसमें विभिन्न मामलों को शामिल किया गया तथा इस मामले पर स्पष्टता लाने के लिए संभावित रूपरेखा पर चर्चा की गई तथा अपनी टिप्पणियां व प्रति टिप्पणियों देने के लिए हितधारकों से अनुरोध किया गया। प्राप्त टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने "वाणिज्यिक सेवाओं को आरंभ करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण" पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है और इसे दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 को दूरसंचार विभाग को भेज दिया है। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैः–

क) टीएसपी को अपनी सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने से पूर्व नेटवर्क परीक्षण करने के लिए परीक्षण चरण में जांच उपभोक्ताओं को नामित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

ख) परीक्षण उपभोक्ताओं की संख्या जिन्हें एलएसए में किसी टीएसपी द्वारा नामांकित किया जा सकता है, उक्त एलएसए की स्थापित नेटवर्क क्षमता के 5 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। सेवा प्रदाता, दूरसंचार विभाग और भादूविप्रा को परीक्षण उपभोक्ताओं के नामांकन को आरंभ करने से कम से कम 15 दिन पूर्व इस नेटवर्क की विस्तृत क्षमता संबंधी गणना सौंपेगा।

ग) परीक्षण उपभोक्ताओं वाले परीक्षण चरण के संबंध में नब्बे दिनों की सीमा होनी चाहिए। तथापि, यदि टीएसपी वैध कारणों से नेटवर्क परीक्षण को पूरा करने में असफल रहता है तो, वह विस्तृत औचित्य देते हुए नेटवर्क परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए लाइसेंसप्रदाता को एक अभ्यावेदन दे सकता है, जिस पर मामला दर मामला आधार पर लाइसेंसप्रदाता द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

घ) यदि टीएसपी उपभोक्ताओं को परीक्षण हेतु नामित करना चाहता हो तो, उसे परीक्षण उपभोक्ताओं का नामंकन आरंभ करने से कम से कम 15 दिन पूर्व दूरसंचार विभाग और भादूविप्रा को पूर्व सूचना प्रदान करनी चाहिए।

ड.) सुरक्षा और निजता से संबंधित सभी लाइसेंस संबंधी प्रावधान जैसे किसी सब्सक्राइबर के रूप में प्रत्येक उपभोक्ता को नामित करने से पूर्व उसके पर्याप्त सत्यापन को सुनिश्चित करना, संचार की सुरक्षा और निजता, कॉल ब्योरे का रिकार्ड (सीडीआर)/आईपी ब्योरे के रिकार्ड (आईपीडीआर) को बनाए रखने, सूचना की निजता, विधिसम्मत रूप से कॉल को बीच में सुनने अथवा संदेश को पढ़ने और निगरानी आदि का लाइसेंसधारी द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।

च) एमएनपी सुविधा को परीक्षणाधीन नेटवर्क पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

छ) यदि कोई टीएसपी अपने नेटवर्क के परीक्षण के लिए परीक्षण उपभोक्ताओं को नामांकित करना चाहता है तो उसे पारदर्शी रूप से परीक्षण उपभोक्ताओं के नामांकन करने के समय उन्हें निम्नलिखित सूचना देनी चाहिए:

(1) परीक्षण चरण के दौरान, टीएसपी को सेवा की गुणवत्ता के विशिष्ट स्तर का पालन नहीं करना होता है। इसलिए, नेटवर्क का कार्यनिष्पादन इष्टतम नहीं भी हो सकता है।

(2) इस परीक्षण अवधि के दौरान सेवाओं का कार्यक्षेत्र।

(3) इस सेवा को वाणिज्यिक रूप से आरंभ किए जाने तक एमएनपी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(4) परीक्षण चरण के दौरान कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा (नियत प्रभार अथवा उपयोग आधारित प्रभार)।

(5) वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने की संभावित तिथि।

➢ "विमान के भीतर कनेक्टिविटी" विषय पर दिनांक 19 जनवरी, 2018 की सिफारिशें

2.5.16 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने 10 अगस्त, 2017 के पत्र के माध्यम से यह बताया था कि भारतीय विमान क्षेत्र में उड़ने वाली घरेलु, अंतरराष्ट्रीय और ओवरफ्लाइंग उड़ानों के लिए भारतीय वायुक्षेत्र के उपर वॉयस, डेटा और वीडियो सेवाओं के लिए विमान के भीतर कनेक्टिविटी (आईएफसी) लागू करने का एक प्रस्ताव है। दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से वॉयस, डेटा और वीडियो सेवाओं के लिए आईएफसी के प्रावधान हेतु तथा उपयोग प्रभार एवं आबंटन पद्धति व अन्य शर्तों सहित प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम संबंधी मुद्दे जसे संबद्ध मुद्दों के लिए लाइसेंस संबंधी निबंधन व शर्तो से जुड़ी सिफारिशें देने का भी अनुरोध किया था।

इस संबंध में, हितधारकों की टिप्पणियों की मांग करते हुए दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को "विमान के भीतर कनेक्टिविटी" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को संबंधित मुद्दों पर एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई थी।

परामर्श और खुला मंच चर्चा के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के विश्लेषण के पश्चात् भादूविप्रा ने "विमान के भीतर कनेक्टिविटी" विषय पर अपनी सिफारिश को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 19 जनवरी, 2018 को सरकार को भेज दिया। इन सिफारिशों की विशेषताएं निम्नवत् हैः

क) भारतीय वायु क्षेत्र में विमान के भीतर कनेक्टिविटी (आईएफसी) के रूप में इंटरनेट और एमसीए सेवा की अनुमति दी जानी चाहिए।

ख) एमसीए सेवाओं के परिचालन की अनुमति स्थलज मोबाइल नेटवर्क के साथ इसकी अनुकूलता के लिए भारतीय वायुक्षेत्र में 3000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई सीमा के साथ दी जानी चाहिए।

ग) वाई– फाई ऑन बोर्ड के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विमान में / एयरप्लेन मोड में ही प्रयोग करने की अनुमति दी जाती हो।

घ) "आईएफसी सेवा प्रदाता" की एक पृथक श्रेणी को भारतीय वायु क्षेत्र में आईएफसी सेवाओं को अनुमति प्रदान करने के लिए सृजित किया जाना चाहिए। आईएफसी सेवा प्रदाता को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए और इसका भारतीय कंपनी होना आवश्यक नहीं होना चाहिए।

ङ.) आईएफसी सेवा प्रदाता को एकीकृत लाइसेंसधारक, जिसके पास उपर्युक्त प्राधिकार हो, के साथ समझौता करने के बाद ही आईएफसी सेवाओं को प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

च) यदि आईएफसी सेवा प्रदाता आईएफसी के एक भाग के रूप में ऑनबोर्ड इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट सेवा (श्रेणी 'क') वाले एकीकृत लाइसेंसधारी के साथ साझेदारी करता है तो (1) यदि लाइसेंसधारी के पास भी वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा प्राधिकार हो, तो वह उपग्रह लिंक भी प्रदान कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, (2) राष्ट्रीय लंबी

दूरी (एनएलडी) सेवा प्राधिकार वाला एकीकृत लाइसेंसधारी उपग्रह लिंक प्रदान कर सकता है।

छ) भारतीय वायुक्षेत्र में आईएफसी सेवाएं देने के लिए भारतीय पंजीकृत और विदेशी पंजीकृत विमान कंपनियों के लिए विनियामकारी अपेक्षाएं एक जैसी होनी चाहिए।

ज) भारत में किसी गेटवे की तैनाती विमान के भारतीय वायुक्षेत्र में रहते हुए केबिन के भीतर इंटरनेट ट्रैफिक के कानूनी इंटरसेप्ट और निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। इसलिए, ऑनबोर्ड इंटरनेट ट्रैफिक को भारतीय क्षेत्र में उपग्रह गेटवे की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बाध्यता इस बात की अनपेक्षतः होनी चाहिए कि प्रश्नगत उपग्रह, भारतीय उपग्रह प्रणाली है अथवा नहीं।

झ) आईएफसी सेवा प्रदाता को या तो इनसैट प्रणाली (भारतीय उपग्रह प्रणाली अथवा विदेशी उपग्रह क्षमता, जो डीओएस के माध्यम से पट्टे पर हो) अथवा भारतीय वायुक्षेत्र में इनसैट प्रणाली के बाहर विदेशी उपग्रह के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए।

ञ) भारतीय वायुक्षेत्र में आईएफसी सेवाओं को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए आईएफसी सेवा प्रदाता पर एक रूपए की सांकेतिक राशि का समान वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, बाद में इसकी समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है।

ट) इस शर्त के अध्यधीन स्पेक्ट्रम निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी बैंड को आईटीयू स्तर पर उपयोग के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड में सामंजस्य और समन्वय स्थापित किया गया है। इससे सभी बैंडों (एल, केयू और केए), जिनमें आईएफसी सेवाएं वर्तमान में प्रदान की जा रही हैं, में आईएफसी सेवाएं सुकर होंगी।

ठ) भारतीय वायुक्षेत्र में आईएफसी सेवाओं के लिए संस्तुत रूपरेखा को सभी प्रकार के विमानों के लिए प्रयोज्य बनाया जाना चाहिए यथा वाणिज्यिक विमान कंपनी, बिजनेस जेट, एक्जीक्यूटिव विमान आदि।

➢ ''राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को तैयार करने के लिए जानकारी'' विषय पर दिनांक 02 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

2.5.17 दूरसंचार विभाग ने दिनांक 21 अगस्त, 2017 के अपने पत्र के तहत भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–2018 (एनटीपी– 2018) को तैयार करने के लिए अपनी नीति संबंधी सुझाव दें। सरकार का अनुरोध प्राप्त होने पर भादूविप्रा ने एनटीपी–2018 में समाधान किए जाने वाले प्रस्तावित मुद्दों को लेकर एक शुरूआती प्रारूप तैयार किया और इन्हें प्रारंभिक चर्चाओं के लिए हितधारकों के साथ साझा किया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार उपकरण निर्माताओं, उद्योग संघों, परामर्शदात्री कंपनियों, क्लॉउड सेवा प्रदाता आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ प्रारंभिक चर्चाओं के आधार पर प्राधिकरण ने एनटीपी– 2018 को निरूपित करने के लिए प्रारूप जानकारी तैयार किया और हितधारकों की राय लेने के लिए दिनांक 03 जनवरी, 2018 को एक परामर्श पत्र जारी किया।

प्राधिकरण ने उचित परामर्श प्रक्रिया और आंतरिक विश्लेषण करने के बाद इन मुद्दों पर अपनी सिफारिशें निरूपित की और दिनांक 02 फरवरी, 2018 को दूरसंचार विभाग को अग्रेषित कर दिया। प्राधिकरण ने एनटीपी– 2018 के लिए निम्नलिखित विजन, मिशन और उद्देश्यों की सिफारिशें कीः

विजन

स्थानीय और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले, विश्वसनीय, वहनीय और

उपभोक्ता अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने हेतु अत्याधुनिक सर्वव्यापी डिजिटल संचार अवसंरचना तैयार करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी, धारणीय और निवेश हितैषी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बाजार विकसित करना तथा इस प्रक्रिया में भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना, सहायक समावेशी विकास, नवोन्मेष को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना।

मिशन

1. धारणीय आधार पर वहनीय मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले अनुभव के साथ निशक्त जनों, सरकारों, उद्यमियों और उद्योगों सहित लोगों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करना;
2. 'आब्जेक्ट मशीन' और उपकरणों के लिए अत्यधिक कम 'लेटेंसी' सहित सर्वव्यापी, लचीली, विश्वसनीय और अत्यधिक उच्च गति वाली कनेक्टिविटी देने के लिए अत्याधुनिक, सुरक्षित और ऊर्जा दक्ष डिजिटल संचार अवसंरचना को विकसित करना;
3. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी व सेवाओं के संबंध में अनुसंधान और विकास, पेटेंट सृजन और मानकीकरण के लिए भारत को एक वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए नवोन्मेषी और उद्यमशील अवसर प्रदान करने हेतु परिवेश तैयार करना;
4. स्थानीय और वैश्विक बाजारों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी, उपकरण, प्लेटफार्म और एप्लिकेशन पारिस्थितिकी विकसित करना;
5. भारत को नेट न्युट्रिलिटी वातावरण में क्लॉउड कंप्युटिंग, विषयवस्तु समूहन करने व प्रदान करने तथा डेटा संचार प्रणाली व सेवाओं के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करना;
6. जागरूकता बढ़ाकर और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित कर, अनुभव की गुणवत्ता में सुधार कर, नेटवर्क, संचार और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित कर, आईसीटी के माहौल और सुरक्षा मानकों के अनुकूलन को बढ़ावा देकर और लोक सुरक्षा एवं आपातकालीन संचार नेटवर्क को आधुनिक बनाकर उपभोक्ता हितों की रक्षा करना;
7. लाइसेंस देने और विनियामक रूपरेखा को सरलीकृत कर, करों, आरोपण और संबंधित अनुपालन को युक्तियुक्त बनाकर तथा स्पेक्ट्रम सहित संसाधनों की उपलब्धता को सुकर बनाकर कारोबार में सहुलियत को बढ़ाकर निवेश को आकर्षित करना।

उद्देश्य

1. वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत जनसंख्या तक उपग्रह के माध्यम से वॉयरलेस ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए वहनीय मूल्य पर पहुंच देने में समर्थ बनाना;
2. वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत परिवारों और वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत परिवारों तक केबल टीवी और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सहित वॉयरलाइन के माध्यम से मांग होने पर बैंडविड्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करना;
3. वर्ष 2022 तक लोगों को वॉयरलेस ब्रॉडबैंड सेवाओं में समर्थ बनाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को कम से कम 1 जीबीपीएस डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करना;

4. 2 एबीपीएस की डॉउनलोड स्पीड के साथ 900 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शनों की प्राप्ति करना जिसमें से 2022 तक कम से कम 150 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन 20 एमबीपीएस की डॉउनलोड स्पीड के साथ हो और 25 मिलियन ब्रॉडबैंड, 50 एमबीपीएस की डॉउनलोड स्पीड के साथ हो;

5. वर्ष 2020 तक 95 प्रतिशत लोगों और वर्ष 2022 तक शतप्रतिशत लोगों को मोबाइल नेटवर्क कवरेज देते हुए वर्ष 2020 तक 55 प्रतिशत और वर्ष 2022 तक 65 प्रतिशत की "विशिष्ट मोबाइल उपभोक्ता घनत्व" की प्राप्ति करना;

6. वर्ष 2020 तक देश में वाई– फाई हॉटस्पाट सहित 2 मिलियन डब्लूएलएएन और वर्ष 2022 तक 5 मिलियन डब्लूएलएएन को स्थापित करना;

7. वर्ष 2022 तक प्रत्येक वर्ष आईटीयू द्वारा जारी आईसीटी विकास सूचकांक (आईडीआई) में भारत को शीर्ष 50 देशों में शामिल करना;

8. वर्ष 2020 तक 1 बिलियन और वर्ष 2022 तक 5 बिलियन आईआटी/एम2एम सेंसर/उपकरणों से जोड़ने के लिए पहुंच में समर्थ बनाना;

9. वर्ष 2020 तक संचार क्षेत्र में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2022 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर निवेश को आकर्षित करना;

10. वर्ष 2022 तक संचार प्रणाली और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निवल धनात्मक बनना;

11. वर्ष 2022 तक आईसीटी क्षेत्र में 2 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां तैयार करना;

12. वर्ष 2018 के अंत तक लोकपाल आधारित उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना;

13. वर्ष 2019 तक एकल खिड़की अनुमति के लिए 'राइट ऑफ वे' (आरओडब्लू) अनुमति के प्रावधान के लिए ऑनलाइन केन्द्रीकृत प्लेटफार्म को स्थापित करना;

14. वर्ष 2022 तक कम से कम 60 प्रतिशत बेस स्टेशनों पर ऑप्टिकल फाइबर पर बैकहाउल कनेक्टिविटी की प्राप्ति करना;

15. वर्ष 2019 तक स्पेक्ट्रम और लाइसेंस संबंधी सूचना, एप्लिकेशन, अनुमति, अनुपालन और भुगतान सहित सभी सरकार से कारोबार (जी2बी) क्रियाकलापों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म स्थापित करना;

16. वर्ष 2019 तक लाइसेंस और विनियामक ढ़ांचे को सरल बनाना और कर, प्रशुल्क और संबंधित अनुपालनों को युक्तिसंगत बनाना;

17. वर्ष 2019 तक एक मजबूत 'एन्क्रिप्शन' नीति द्वारा एक लचीला, मजबूत डेटा संरक्षण तंत्र स्थापित करना;

18. वर्ष 2019 तक डेटा केन्द्रों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए एक नीतिगत रूपरेखा की स्थापना करना।

➢ दूरसंचार सुविधा प्रदाता द्वारा भवन के भीतर पहुंच के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2017 की भादूविप्रा की सिफारिशों पर दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के पूर्व संदर्भ के संबंध में दिनांक 09 मार्च, 2018 का भादूविप्रा का उत्तर

2.5.18 प्राधिकरण ने "दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा इन बिल्डिंग पहुंच" के संबंध में अपनी सिफारिशों को दिनांक 27 जनवरी, 2017 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेज दिया। दिनांक 22 नवम्बर, 2017 को दूरसंचार विभाग ने इन सिफारिशों पर टिप्पणियों/ अवलोकनों पर सुविचारित राय की मांग की। प्राधिकरण ने दिनांक 9 मार्च, 2018 को सरकार को अपनी प्रतिक्रिया सौंपी। सरकार के उत्तर को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाल दिया गया है।

प्रसारण क्षेत्र

क्र. सं.	सिफारिशों की सूची
1.	"भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" विषय पर दिनांक 01 फरवरी, 2018 की सिफारिशें।
2.	"प्रसारण क्षेत्र में कारोबार में सुगमता" विषय पर दिनांक 26 फरवरी, 2018 की सिफारिशें।

सिफारिशें

➤ "भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर दिनांक 1 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

2.5.19 भादूविप्रा ने दिनांक 1 फरवरी, 2018 को भारत में "डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर अपनी सिफारिशों को सरकार को भेज दिया है। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

i) सरकार को डिजिटल रेडिया प्रसारण सेवाओं को आरंभ करने के लिए स्पष्ट रूपरेखा के साथ समयबद्ध तरीके से भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए नीति रूपरेखा को अधिसूचित करना चाहिए।

ii) दूरसंचार विभाग के डब्लूपीसी विंग को एमडब्लू, एसडब्लू, और वीएचएफ–II फ्रीक्वेंसी बैंड में डिजिटल रेडियो प्रसारण की अनुमति प्रदान करने के लिए एनएफएपी–2011 में आवश्यक संशोधन करना चाहिए।

iii) निजी क्षेत्र को एफएम रेडियो प्रसारण के लिए प्रयुक्त 88–108 मेगाहर्ट्ज के मौजूदा फ्रीक्वेंसी बैंड के तहत डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

iv) वीएचएफ–II (88 से 108 मेगाहर्ट्ज) और वीएचएफ–III (174 से 230 मेगाहर्ट्ज) बैंड में रिक्त 600 किलोहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हुए डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए फ्रीक्वेंसी और भौगोलिक क्षेत्र कवर योजना को चरणबद्ध तरीके से बीईसीआईएल, आकाशवाणी और डब्लूपीसी को एक साथ मिलकर पूरा करना किया जाना चाहिए।

v) डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए वीएचएफ–II बैंड में 200 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी चाहिए। इस नीलामी को 'ए'+ और 'ए' श्रेणी वाले शहरों से आरंभ होकर बाद में अन्य श्रेणियों वाले शहरों में चरणबद्ध रूप से किया जाना चाहिए

vi) डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक नीलामी के तत्काल बाद मौजूदा एफएम रेडियो प्रसारकों को अपनी मौजूदा फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ +100 किलोहर्ट्ज, जिसे उदारीकृत रूप से एफएम रेडियो के चरण–III में नीलामी के माध्यम में पहले ही आबंटित किया गया है, एनालॉग एफएम रेडियो सेवाओं के साथ 'सिमुलकास्ट मोड' में डिजिटल रेडियो प्रसाण सेवाओं को देने की पेशकश की जानी चाहिए।

vii) एफएम रेडियो के चरण– III में एफएम रेडियो प्रसारकों को पहले से ही आबंटित मौजूदा स्पेक्ट्रम को उदारीकृत करने के लिए उन्हें किसी शहर में डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए समतुल्य स्पेक्ट्रम की नीलामी निर्धारित मूल्य के अंतर के समान राशि और एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी के आबंटन के लिए चुकाई गई राशि का भुगतान करना होगा।

vii) यदि डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए 200 किलोहर्ट्ज का बाजार निर्धारित मूल्य एफएम रेडियो प्रसारणकर्ताओं द्वारा चुकाई गई राशि

से कम या उसके समान है तो एफएम रेडियो प्रसारणकर्ताओं को कोई अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी और उसे शेष अवधि की अनुमति के लिए भी डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी।

viii) प्रसारणकर्ताओं को अनुकूलन, यदि कोई हो, के अध्यधीन समय समय पर एमआईबी/ भादूविप्रा द्वारा संस्तुत डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए आबंटित/ उदारीकृत स्पेक्ट्रम के तहत आईटीयू द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उपलब्ध डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ix) रेडियो प्रसारण सेवाओं को डिजिटल रूप में ढ़ाले जाने के लिए इस स्तर पर किसी तिथि की घोषणा नहीं की जानी चाहिए।

x) मौजूदा एनालॉग एफएम रेडियो चैनलों को उनके चरण– III अनुमति की शेष अवधि के लिए परिचालन में रहने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

xi) मौजूदा एनालॉग एफएम रेडियो चैनलों, जिन्होंने डिजिटल रेडियो प्रसारण आरंभ नहीं किया है, के परिचालन की निरंतरता की समीक्षा उनके मौजूदा चरण– III अनुमति की समाप्ति के बाद की जानी चाहिए।

xii) चरण– III के शेष चैनलों की नीलामी को उन्हें प्रौद्योगिकी से असंबद्ध किए जाने के बाद किया जाना चाहिए। प्रसारणकर्ताओं को भविष्य में नीलामी के माध्यम से आबंटित फ्रीक्वेंसी के संबंध में रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी (एनालॉग अथवा डिजिटल अथवा दोनों) के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

xiv) डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति की घोषणा के बाद शुरूआती तीन वर्षों के लिए सरकार को डिजिटल रेडियो रिसीवरों के निर्माताओं के लिए निम्न कर दरों के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए।

➢ ''प्रसारण क्षेत्र में कारोबार में सुगमता'' विषय पर दिनांक 26 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

2.5.20 प्रसारण क्षेत्र में कारोबार करने में सुगमता प्रदान करने के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 26 फरवरी, 2018 को अपनी सिफारिशें प्रदान की हैं। अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने कहा है कि यह आवश्यक है कि एमआईबी को प्रसारण क्षेत्र में अनुमति/ पंजीकरण/ लाइसेंसों की अनुमति के लिए प्रक्रिया संबंधी रूपरेखा की समीक्षा करनी चाहिए जिन्हें इस दौरान लागू किया गया था। जो प्रक्रियाएं अनावश्यक हो अथवा जिनका इस नीति के कथित उद्देश्य से कोई संबंध नहीं हो और/ अथवा वे जिनका कोई मूल्यवर्धन नहीं हो, को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जो प्रक्रियाएं अपर्याप्त और अप्रचलित हो, उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। भादूविप्रा ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद अपनी सिफारिशें दी हैं। इनमें से कतिपय सिफारिशें निम्नवत् हैं:

i) प्रसारण सेवाओं के लिए अनुमति/ लाइसेंस/ पंजीकरण की प्रक्रिया को अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर, आवश्यक प्रक्रियाओं को लाकर और आईसीटी का प्रयोग कर इन्हें दक्ष बनाकर युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

ii) सरकार को प्रसारणकर्ताओं, टेलीपोर्ट प्रचालकों, और टेलीविजन चैनलों के वितरकों के लिए एक ऑनलाइन समेकित पोर्टल स्थापित करना चाहिए जो सामान्य डॉटाबेस के साथ आवेदनों को भरने, संसाधित करने, भुगतान करने, फ्रीक्वेंसी आवंटन, पृष्ठांकन और नवीकरण की सुविधा प्रदान करे।

iii) प्रसारण सेवा के लिए अनुमति / लाइसेंस प्रदान करने हेतु अपेक्षित सुरक्षा अनुमति को 60 दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

iv) वाणिज्यिक उपग्रह प्रयोग के लिए स्पेक्ट्रम का आबंटन वर्ष भर किया जाना चाहिए। विंडों के आंतरायिक शुरूआत की इस वर्तमान प्रक्रिया का न तो कोई उद्देश्य है और न ही यह स्पेस– स्पेक्ट्रम के औचित्यपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करता है।

v) प्रसारण सेवाओं के लिए अनुमति / लाइसेंस जारी करने के लिए एमआईबी, डब्लूपीसी, एमएचए और एनओसीसी द्वारा लिए गए समय सहित सभी प्रक्रियाओं को छह महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

vi) एलसीओ का पंजीकरण और इसके नवीकरण को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए।

vii) सरकार को विशिष्ट रूप से प्रसारण सेवाओं के लिए उत्कृष्टता केन्द्र का गठन करने पर विचार करना चाहिए।

2.6 वर्ष 2017–18 के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने सौंपे गए कार्यों को करने के लिए दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित विनियमों को तैयार किया गया है:

दूरसंचार क्षेत्र– विनियम

क्रम संख्या	विवरण
1.	दिनांक 28 जुलाई, 2017 का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति) (बारहवां संशोधन) संबंधी विनियम, 2017
2.	दिनांक 18 अगस्त, 2017 का आधारभूत टेलीफोन सेवा (वायरलॉइन) की गुणवत्ता मानक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017
3.	दिनांक 19 सितंबर, 2017 का दूरसंचार अंतर्संयोजन प्रयोक्ता प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017
4.	दिनांक 16 नवंबर, 2017 का कार्य संचालन हेतु भादूविप्रा की बैठकें (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017
5.	दिनांक 01 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतसंयोजन विनियम, 2018
6.	दिनांक 12 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतर्संयोजन प्रयोक्ता प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018
7.	दिनांक 31 जनवरी, 2018 का दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018

विनियम

➢ दिनांक 28 जुलाई, 2017 का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति) (बारहवां संशोधन) संबंधी विनियम, 2017

2.6.1 प्राधिकरण ने दिनांक 28 जुलाई, 2017 को भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति) (बारहवां संशोधन) संबंधी विनियम, 2017 अधिसूचित किया। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं : –

i) दिनांक 8 जून, 2016 के ग्यारहवें संशोधन के माध्यम से मुख्य विनियम में शामिल किए गए तकनीकी अधिकारी (इंजीनियरिंग) का एक नया ग्रेड और ड्राइवर (विशेष ग्रेड) और ड्राइवर (साधारण ग्रेड) को विनियम के इस बारहवें संशोधन के माध्यम से लोप किया गया है।

ii) सचिव, भादूविप्रा पद के लिए अपेक्षित अर्हता को संशोधित किया है। इस संशोधन के साथ मूल आधार पर एचएजी (पूर्व संशोधित) में धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने अकार्यरत स्तरोन्यन (एनएफयू) आधार पर अपने संवर्ग में एचएजी (पूर्व संशोधित) पाया है और "एसएजी" ग्रेड में चार वर्षो की नियमित सेवा पूरी की है, उन्हें सचिव, भादूविप्रा के पद के लिए अर्हक बनाया गया है ।

➢ दिनांक 18 अगस्त, 2017 का आधारभूत टेलीफोन सेवा (वायरलॉइन) की गुणवत्ता मानक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017

2.6.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 18 अगस्त, 2017 को "आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) की गुणवत्ता मानक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017" जारी किया। इस विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :–

- कॉल ड्रॉप के निष्पादन को सेवा क्षेत्र में एक माह के लिए सभी सेलों के निष्पादन के औसत के आधार पर सम्रग रूप में उस सेवा क्षेत्र के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है।
- वस्तुतः औसत निकालने से कुछ क्षेत्रों में सेलों का खराब निष्पादन छिप जाता है ।
- यद्यपि, सभी सेवा प्रदाताएं कॉल ड्रॉप पर मानक को पूरा कर रहे हैं तथापि, उपभोक्ता सेवा की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायत कर रहे थे।
- इस पृष्ठभूमि में भादूविप्रा ने मोबाइल सेवाओं के लिए नेटवर्क मानदंडों की समीक्षा की और दिनांक 18 अगस्त, 2017 को विनियमों का संशोधन जारी किया ।
- सभी बीटीएस के कॉल ड्रॉप के औसत की मौजूदा प्रणाली की बजाय ड्रॉप कॉल दर (डीसीआर) के मूल्यांकन के लिए संशोधित प्रणाली प्रतिशतक आधार पर होगी जो औसतीकरण की विसंगति को दूर करेगा।
- डीसीआर के लिए संशोधित दृष्टिकोण सेवा प्रदाता के नेटवर्क निष्पादन में बेहतर जानकारी देगा और उन स्थानीय क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करेगा जहां सेल(लों) ने कई दिनों से बेहतर निष्पादन नहीं किया है और साथ ही उन दिन(नों) की पहचान करने में भी सहायता करेगा जब नेटवर्क में अनेक सेलों ने अच्छा निष्पादन नहीं किया।
- संशोधन विनियम में कॉल ड्रॉप पर विद्यमान दो मानदंडों को दो नए मानदंडों से बदला गया है।

- नया मानदंड डीसीआर क्षेत्रगत संवितरण उपाय अथवा डीसीआर नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90) (बैंचमार्क 2 प्रतिशत) का अभिप्राय है कि नेटवर्क में कम से कम 90 प्रतिशत सेलों को न्यूनतम 90 प्रतिशत दिनों में विनिर्दिष्ट 2 प्रतिशत बैंचमार्क से बेहतर निष्पादन करना चाहिए।
- इसी प्रकार, नया मानदंड बीसीआर 'टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन मैज़र' अथवा डीसीआर नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90) यह आत्मविश्वास देगा कि कम से कम 90 प्रतिशत दिनों में नेटवर्क का निष्पादन कम से कम 97 प्रतिशत सेलों के लिए विनिर्दिष्ट बैंचमार्क 3 प्रतिशत से बेहतर होगा।
- कॉल ड्रॉप के संबंध मे नए मानदंडों हेतु बैंचमार्क का अनुपालन करने में असफल रहने पर दोनों मानदंडों के लिए संयुक्त रूप से ग्रेडेड वित्तीय निरूत्साहन की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपए निर्धारित की गई है ।
- संशोधन विनियम की दूसरी विशेषता यह है कि नेटवर्क मानदंडों को प्रौद्योगिकी निरपेक्ष बनाया गया है और यह 2जी, 3जी और 4जी नेटवर्क के लिए अनुप्रयोज्य होंगे ।

➢ दिनांक 19 सितंबर, 2017 का दूरसंचार अंतर्संयोजन प्रयोक्ता प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017

2.6.3 भादूविप्रा ने दिनांक 19 सितम्बर, 2017 को "दूरसंचार अंतर्संयोजन प्रयोक्ता प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 5)" जारी किया। इस विनियम के द्वारा वायरलेस से वायरलेस स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए समाप्ति प्रभार को कम करके निम्नवत पहले के 14 पैसा प्रति मिनट से निम्नवत किया गया है :–

(क) दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2019 तक प्रभावी 0.06 रुपए (केवल छह पैसा) प्रति मिनट।

(ख) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी 0 (शून्य)।

➢ दिनांक 16 नवंबर, 2017 का कार्य संचालन हेतु भादूविप्रा की बैठक (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017

2.6.4 कार्य संचालन करने हेतु भादूविप्रा की बैठक संबंधी विनियम, 1999 में कार्य संचालन करने हेतु आवश्यक गणपूर्ति सहित भादूविप्रा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण की बैठकों में अनुसरण किए जाने वाले समय, स्थान और प्रक्रिया का उपबंध किया गया है ।

कार्य संचालन करने हेतु भादूविप्रा की बैठकों संबंधी विनियम, 1999 की धारा IV के खंड 6 के अनुसार कार्य संचालन के लिए बैठक माह में एक बार होगी। इसके अतिरिक्त, धारा IV की खंड 5 अध्यक्ष को प्राधिकरण की बैठक का स्थान और समय निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है ।

विनियम 15(1) में उपबंध है कि मिसिलों के परिचालन के माध्यम से निर्णय लिया जा सकता है और उत्तरवर्ती बैठकों में इन निर्णयों की पुष्टि की जाएगी। इसलिए, यह महसूस किया गया कि प्राधिकरण की बैठक तीन माह में एक बार करने के लिए विनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

तदनुसार, प्राधिकरण की बैठक को तीन माह में एक बार आयोजित करने के संबंध में दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के कार्य संचालन करने हेतु भादूविप्रा की बैठकों (तीसरा संशोधन) संबंधी विनियम, 2017 के माध्यम से विनियमों में संशोधन किया गया।

➢ दिनांक 01 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018

2.6.5 भादूविप्रा ने दिनांक 01 जनवरी, 2018 को "दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018" जारी किया जिसमें अंतर्संयोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विनियम यथा अंतर्संयोजन करार, आरंभिक अंतर्संयोजन का प्रावधान और प्वॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) का संवर्धन, अंतर्संयोजन संबंधी मामले शामिल हैं। यह विनियम भारत में दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं पर लागू होगा । यह विनियम दिनांक 01 फरवरी, 2018 से प्रभावी हुआ ।

➢ दिनांक 12 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतर्संयोजन प्रयोक्ता प्रभार (चौदहवां प्रतिवेदन) विनियम, 2018

2.6.6 भादूविप्रा ने दिनांक 12 जनवरी, 2018 को "दूरसचार अंतर्संयोजन प्रयोक्ता प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया जो अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति प्रभार को विहित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति प्रभार (आईटीसी) वे प्रभार होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक (आईएलडीओ) द्वारा देश से बाहर कॉल ले जाने के लिए देश में उन पहुंच प्रदाता को देना होता है जिनके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती है।

इस विनियम के माध्यम से प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक (आईएलडीओ) द्वारा उन पहुंच प्रदाताओं, जिनके नेटवर्क में कॉल समाप्त होती है, को दिए जाने वाले समाप्ति प्रभार को 0.53 रुपए (केवल तरेपन पैसा) प्रति मिनट से घटाकर 0.30 रुपए (केवल तीस पैसा) प्रति मिनट कर दिया है। यह विनियम दिनांक 01 फरवरी, 2018 से प्रभावी हुए।

➢ दिनांक 31 जनवरी, 2018 का दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018

2.6.7 प्राधिकरण ने दिनांक 31 जनवरी, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 03) जारी किया जिसके द्वारा प्रति सफल पोर्टिंग के लिए 'प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार' को 19 रूपए से घटाकर 4 रूपए कर दिया गया।

"दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009" को दिनांक 20 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था जिसमें 'प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार' के लिए 19 रुपए निर्धारित किए गए थे और "दूरसंचार प्रशुल्क (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 को दिनांक 20 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया जिसमें अधिकतम सीमा के रूप में प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार 19 रुपए निर्धारित किया गया।

दिनांक 03 जुलाई, 2015 (जब संपूर्ण भारत में मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी की अनुमति दी गई) से पोर्टिंग संबंधी अनुरोधों की बहुआधिक्य संख्या को मद्देनजर रखते हुए और पिछले दो वर्षों के दौरान दोनों मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) के वित्तीय परिणामों पर विचार करने पर प्राधिकरण का मत है कि संव्यवहार में शामिल लागत और प्रमात्रा की तुलना में वर्तमान उच्चतम सीमा रुपए 19/– बहुत अधिक है। इसलिए,

प्राधिकरण ने प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार के लिए अधिकतम सीमा की समीक्षा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, "मसौदा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवसहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2017 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर दिनांक 18 दिसंबर, 2017 को जनता के परामर्श के लिए अपलोड कर दिया गया। इस विषय पर दिनांक 16 जनवरी, 2018 को एक खुला मंच चर्चा भी आयोजित की गई।

परामर्श की प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अन्य प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार को कम किया जा सकता है क्योंकि एमएनपीएसपी की प्रचालन लागत बहुत कम हो गई है और एमएनपी ट्रैफिक की प्रमात्रा बढ़ गई है। तदनुसार, प्राधिकरण ने "दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (वर्ष 2018 का तीसरा)" अधिसूचित किया जिसमें प्रति सफल पोर्टिंग के लिए 'प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार' चार रुपए निर्धारित किया गया है।

"दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (वर्ष 2018 का तीसरा)" राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी होने के तिथि से प्रवत्त होंगे।

"दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009" (2019 का 09) (समय–समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा उपभोक्ता से प्रभारित किए जाने योग्य प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार की अधिकतम सीमा को दूरसंचार प्रशुल्क (उनचसवां संशोधन) आदेश, 2019 द्वारा निर्धारित किया गया है। अब, उक्त विनियमों में इस संशोधन की अधिसूचना से उपभोक्ता से प्रभारित किए जाने वाले प्रभार की सीमा स्वतः घटकर चार रुपए हो गई है। तथापि, प्राप्तकर्ता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए उपभोक्ता से इससे कम राशि प्रभार करने के लिए स्वतंत्र है।

2.7 वर्ष 2017–18 के दौरान प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रशुल्क आदेश जारी किए :

दूरसंचार क्षेत्र

क्रम संख्या	प्रशुल्क आदेश की सूची
1.	दूरसंचार प्रशुल्क (तिरसठवां संशोधन) आदेश, 2018

प्रशुल्क आदेश

➢ दूरसंचार प्रशुल्क (तिरसठवां संशोधन) आदेश, 2018

2.7.1 भारतीय दूसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता, गैर–विभेदकता और गैर–अपहारकता सुनिश्चित करने के लिए "प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामककारी सिद्धांतों" पर दिनांक 16 फरवरी, 2018 को दूरसंचार प्रशुल्क (तिरसठवां संशोधन) आदेश, 2018 जारी किया।

विस्तृत जनपरामर्श के उपरांत उक्त संशोधन जारी किए गए हैं, जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 2017 को 'प्रशुल्क मूल्यांकन का विनियामककारी सिद्धांत' पर परामर्श पत्र जारी करने से शुरू

होकर दिनांक 30 मई, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा आयोजित की गई थी और व्यापक अनुसंधान के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अनुपालन किया गया। प्राधिकरण ने खुदरा प्रशुल्क के लिए न्यूनतम मूल्य के कुछ स्वरूप के साथ इस मुद्दे पर दिनांक 15 जून, 2017 को दूरसंचार कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इसी मुद्दे पर दिनांक 21 जुलाई, 2017 को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ एक और बैठक की गई, जिसमें बहुसंख्यक मत यह था कि अभी भादूविप्रा को आधार मूल्य निर्धारित नहीं करना चाहिए और खुदरा प्रशुल्क के लिए आईयूसी को न्यूनतम मूल्य नहीं मानना चाहिए। यह संशोधन प्रशुल्क के विनियामक सिद्धांत– पारदर्शिता, गैर–विभेदकता और गैर–अपहारकता से संबंधित प्रावधानों को और स्पष्ट करती है और उसे आधार प्रदान करती है। संशोधन में रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं, प्रशुल्क प्रस्तावों में पारदर्शिता की जांच हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत, गैर–विभेदकता की परिभाषा, और गैर– अपहारकता मूल्यनिर्धारण के सिद्धांतों का अनुपालन, मनमाने मूल्य–निर्धारण की परिभाषा, प्रासंगिक बाजार, महत्वपूर्ण बाजारी शक्तियों (एसएमपी) का मूल्यांकन और अन्य संबंधित उपबंधों पर कार्यवाही की गई है।

यह संशोधन उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और विनियामक के लिए लाभप्रद होगा।

वैसे भी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पारदर्शिता के मार्गदर्शी सिद्धांतों की तुलना में प्रशुल्क प्रस्तावों में पारदर्शिता का निष्पक्षता से अनुपालन किया जाएगा। इसी प्रकार, भादूविप्रा पहुंच, सटीकता, तुलनीयता और सम्पूर्णता की कसौटी पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रशुल्क की जांच भी करेगा। इस बात कर भी ध्यान रखा जाएगा कि क्या प्रशुल्क विशिष्ट और पहचान योग्य, स्पष्ट और गैर– भ्रामक, साधारण और असंदिग्धार्थी आदि है। यह उपभोक्ताओं को दूरसंचार प्रशुल्क के पारदर्शी प्रस्ताव सुनिश्चित करेगा।

इसके अतिरिक्त, गैर– विभेदकता की परिभाषा गैर–विभेदककारी आधार पर उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव लाने में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए स्पष्ट बैंचमार्क उपलब्ध कराता है ।

एसएमपी, मनमाने मूल्य निर्धारण आदि की परिभाषा से संबंधित संशोधन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य उचित और स्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा। बदले में, इससे उपभोक्ताओं के लिए 'चुकाए गए दाम का ज्यादा मूल्य' मिलेगा।

यह संशोधन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिक नवोन्मेषी पद्धति से अपने प्रशुल्क तैयार करने और विनियमकारी सिद्धांतों का निर्बाध रूप से अनुपालन करने में भी सक्षम बनाने में उक्त विनियमकारी सिद्धांत मे ज्यादा स्पष्टता प्रदान करता है।

2.8 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने आदेशों/विनियमों के अनुपालन के लिए वर्ष 2017–18 में सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए, उनमें से कुछ निदेशों का ब्योरा नीचे दिया गया है :–

दूरसंचार क्षेत्र

क्रम संख्या	निदेशों की सूची
1.	प्रशुल्क पेशकशों को जमा करने के संबंध में सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को दिनांक 25 मई 2017 का निदेश
2.	प्रतिभूति बाजार में निवेश करने के संबंध में भारी मात्रा में अवांछित एसएमएस के संबंध में सेवा प्रदाताओं को दिनांक 10 अगस्त 2017 का निदेश
3.	दूरसंचार विभाग द्वारा विनिर्धारित पद्धति के अनुसार वॉयरलेस उपभोक्ता आधार से संबंधित मासिक रिपोर्ट जमा करने हेतु दिनांक 18 अगस्त 2017 का निदेश
4.	मुम्बई महानगर और महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल, चेन्नई महानगर और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल, कोलकाता महानगर और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल और उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्त्र प्रदेश (पश्चिम) के बीच कॉलों से संबंधित मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के लिए दिनांक 24 अगस्त, 2017 का निदेश –दूरसंचार विभाग क्षेत्रों द्वारा दिनांक 20 मई, 2005 के पत्र संख्या 842–503/2004– वीएएस के तहत अधिसूचित लाइसेंस शर्तो की अनुपालना
5.	गुजरात सेवा क्षेत्र में मैसर्स रिलायंस क्म्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक सेवाओं को बंद करने के संबंध में दिनांक 19 सितंबर, 2017 का निदेश
6.	2जी सेवाओं में व्यवधान के संबंध में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को दिनांक 01 नवंबर 2017 का निदेश
7.	2जी सेवाओं में व्यवधान के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए दिनांक 01 नवंबर, 2017 का निदेश
8.	2जी/ जीएसएम सेवाओं को बंद करने और मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहर्टज् में सीडीएमए से एलटीई/ 4जी में नेटवर्क का उन्नयन करने के संबंध में सभी पहुंच संवा प्रदाताओं (वॉयरलेस) और एमएनपीएसपी के लिए दिनांक 03 नवंबर, 2017 का निदेश
9.	2जी/ जीएसएम सेवाओं को बंद करने और विभिन्न विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में सीडीएमए सेवाओं को बंद करने के परिणामस्वरूप अव्ययित प्रीपेड राशि के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को दिनांक दिनांक 17 नवंबर, 2017 का निदेश
10.	लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करके उपभोक्ताओं से प्रभारित आधिक्य राशि को टीसीईपीएफ में जमा करने के संबंध में मैसर्स वोडाफोन को दिनांक 30 नवंबर, 2017 का निदेश
11.	लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करके उपभोक्ताओं से प्रभारित आधिक्य राशि को टीसीईपीएफ में जमा करने के संबंध में मैसर्स भारती एयरटेल को दिनांक 30 नवंबर, 2017 का निदेश
12.	लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में वॉयस सेवाओं को बंद करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए एमएनपी की सुविधा देने के संबंध में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को दिनांक 13 दिसंबर 2017 का निदेश
13.	लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में वॉयस सेवाओं को बंद करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए एमएनपी की सुविधा देने के संबंध में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को दिनांक 13 दिसंबर 2017 का निदेश
14.	सेवा गुणवत्ता मानदंडों के बैंचमार्कों की अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के संबंध में दिनांक 14 दिसंबर, 2017 का निदेश
15.	सेवा गुणवत्ता मानदंडों के संबंध में निष्पादन से संबंधित जानकारी के प्रकाशन के लिए दिनांक 14 दिसंबर, 2017 का निदेश

क्रम संख्या	निदेशों की सूची
16.	एमएनपी की सुविधा प्रदान करने के लिए एयरसेल लिमिटेड और मैसर्स डिशनेट वॉयरलेस लिमिटेड को दिनांक 20 दिसंबर, 2017 का निदेश
17.	दिनांक 03 नवंबर, 2017 के निदेश के अनुसरण में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए जारी यूपीसी की वैधता अवधि को बढ़ाने के संबंध में दिनांक 01 जनवरी, 2018 का निदेश
18.	मैसर्स रिलायंस कम्यूनीकेशनस् लिमिटेड को अपने मोबाइल उपभोक्ताओं की अव्ययित शेष राशि और प्रतिभूति जमा राशि को वापस करने के संबंध में दिनांक 19 जनवरी, 2018 का निदेश
19.	मैसर्स रिलायंस कम्यूनीकेशनस् लिमिटेड को अपने मोबाइल उपभोक्ताओं के खाते में पड़ी अव्ययित शेष राशि और प्रतिभूति जमा राशि का प्रतिदाय करने के संबंध में दिनांक 19 जनवरी, 2018 का निदेश
20.	दिनांक 13 दिसंबर, 2017 के निदेश के अनुसरण में यूपीसी की वैधता अवधि को बढ़ाने के संबंध में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड का दिनांक 22 फरवरी, 2018 का निदेश
21.	13 दिसंबर, 2017 के निदेश के अनुसरण में यूपीसी की वैधता अवधि को बढ़ाने के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2018 का निदेश
22.	यूपीसी सृजन के लिए अतिरिक्त कोडों का प्रावधान किए जाने के संबंध में मैसर्स एयरसेल लिमिटेड और मैसर्स डिशनेट वायरलेस लिमिटेड को दिनांक 27 फरवरी, 2018 का निदेश
23.	दिनांक 09 जून 2005 के निदेश संख्या 406–1/2005– एफएन को वापस लेने के संबंध में सभी यूएएसपी/ बीएसओ/ सीएमएसपी के लिए दिनांक 16 मार्च, 2018 का निदेश
24.	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रशुल्क मिनट की जानकारी प्रदान करने के संबंध में सभी पहुंच प्रदाताओं, एनडीएलओ और आईएलडीओ के लिए दिनांक 20 मार्च, 2018 का निदेश

निदेश

➢ प्रशुल्क पेशकशों को जमा करने के संबंध में सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को दिनांक 25 मई, 2017 का निदेश

2.8.1 प्राधिकरण ने सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को दिनांक 25 मई, 2017 यह निदेश जारी किया। प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 13 के साथ पठित धारा 11(2) और 12(4) और दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 के उपबंधों के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके यह निदेश जारी किया। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि उपभोक्ताओं को पेशकश किए गए सभी प्रशुल्क दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 के उपबंधों के अनुरूप हो और एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच गैर– विभेदककारी हो तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि फॉरबीयरेंस पद्धति के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के ढ़ांचे के अनुरूप किसी उपभोक्ता को पेशकश किए जाने वाले प्रत्येक प्रशुल्क के बारे में प्राधिकरण को अपरिहार्य रूप से जानकारी मुहैया करवाई जाए जब तक दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 (समय पर समय पर यथा संशोधित) में स्पष्ट छूट प्रदान न की गई हो

➢ प्रतिभूति बाजार में निवेश से संबंधित थोक में भेजे जाने वाले अवांछित एसएमएस के संबंध में सेवा

प्रदाताओं को दिनांक 10 अगस्त, 2017 का निदेश

2.8.2 यह निदेश प्रतिभूतियों के संबंध में थोक संदेशों को नियंत्रित करने के लिए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को निम्नवत कदम उठाने हेतु अधिदेशित करता है :

(क) केवल सेबी से पंजीकृत निवेश सलाहकारों, स्टॉक ब्रोकरों, उप–ब्रोकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों ओर मर्चेंट बैंकरों से निवेश सलाह/स्टॉक की जानकारी से संबंधित एसएमस को पंजीकृत टेलीमार्केटियरों के माध्यम से केवल लेन–देन के संदेश के रूप में भेजा जाएगा अथवा भेजने की अनुमति होगी;

(ख) प्रतिभूति से संबंधित कतिपय मुख्य शब्दों यथा खरीदना, बेचना, रखे रखना, संचयन करना, लक्ष्य और इसके उपरांत किसी भी स्टॉक एक्सजेंच के रूप में किसी मान्यता प्राप्त कंपनी द्वारा दी गई स्क्रिप कोड/ स्क्रिप के नाम के साथ थोक एसएमएस चैनल का प्रयोग करके टेलीमार्केटियरों द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस को फिल्टर और ब्लॉक करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी; और

(ग) सेवा प्रदाता के पास टेलीमार्केटियर के रूप में पंजीकृत, प्रेषक की पहचान का सत्यापन करना, जैसा भी मामला हो, और एक वर्ष के निए पहचान किए गए दस्तावेजों को जमा करना और रखना।

➢ **दूरसंचार विभाग द्वारा विनिर्धारित पद्धति के अनुसार वॉयरलेस उपभोक्ता आधार से संबंधित मासिक रिपोर्ट जमा करने हेतु दिनांक 18 अगस्त 2017 का निदेश**

2.8.3 एकसमान उपभोक्ता आधार रिपोर्टिंग का रखरखाव करने के लिए दूरसंचार विभाग ने दिनांक 07 सितंबर, 2005 के पत्र के तहत यथा संशोधित दिनांक 29 अगस्त, 2005 के पत्र के माध्यम से उपभोक्ता आधार की रिपोर्टिंग करने के लिए नई प्रविधि का निर्धारण करने हेतु सभी लाइसेंसधारियों को अनुदेश जारी किया। तथापि, यह ध्यान में आया कि कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाता उपभोक्ता आधार की रिपोर्टिंग करने के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित निम्नवत उक्त प्रविधि का कठोरता से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए, दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित प्रविधि के अनुसार वायरलेस उपभोक्ता आधार के संबंध में मासिक रिपोर्ट जमा करने के लिए दिनांक 18 अगस्त, 2017 को सभी टीएसपी को एक निदेश जारी किया गया।

➢ **लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करके उपभोक्ताओं से वसूली गई आधिक्य प्रभार राशि को टीसीईपीएफ में जमा करने के संबंध में मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड को दिनांक 24 अगस्त, 2017, मैसर्स वोडाफोन और मैसर्स भारती एयरटेल को दिनांक 30 नवंबर, 2017 का निदेश**

2.8.4 दिनांक 20 मई, 2005 को दूरसंचार विभाग ने युग्मित सर्किलों यथा महाराष्ट्र राज्य (मुम्बई महानगर और महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र), तमिलनाडु (चेन्नई महानगर और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र), उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) {उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सेवा क्षेत्र} और पश्चिम बंगाल (कोलकाता और पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र) में पहुंच प्रदाताओं के बीच अंतःसेवा क्षेत्र कनेक्टिविटी की अनुमति प्रदान की।

भादूविप्रा ने पाया कि कतिपय मोबाइल सेवा प्रदाता बीएसएनएल और एमटीएनएल पर कॉलों के उच्च विभेदक प्रभार का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसलिए, भादूविप्रा ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं

को उक्त चारों राज्यों में तत्काल विभेदक प्रशुल्क बंद करने और इस बारे में भादूविप्रा को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2006 को निदेश जारी किया। यद्यपि, उक्त निदेश को विभिन्न याचिकाओं/ अपीलों के माध्यम से भिन्न–भिन्न अदालतों में चुनौती दी गई। भादूविप्रा ने सभी टीएसपी को अगले आदेश होने तक पृथक बैंक खाता में उपभोक्ताओं से प्रभारित आधिक्य राशि जमा करने के लिए दिनांक 22 मार्च, 2017 को निदेश दिया।

टीएसपी द्वारा दायर अपील को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज करने के परिणामस्वरूप, भादूविप्रा ने निम्नलिखित टीएसपी को लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उपभोक्ताओं से वसूले गए आधिक्य राशि को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (टीसीईपीएफ) में जमा करने का निदेश जारी किया, जिसे कॉल ब्योरों का रिकार्ड की अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं की राशि वापस नहीं किया जा सकता था :

(i) दिनांक 24 अगस्त, 2017 को मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड;

(ii) दिनांक 30 नवंबर, 2017 को मैसर्स भारती लिमिटेड; और

(iii) दिनांक 30 नवंबर, 2017 को मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड।

➢ गुजरात सेवा क्षेत्र में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक सेवाओं को बंद करने के संबंध में दिनांक 19 सितंबर, 2017 का निदेश

2.8.5 मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा गुजरात लाइसेंस सेवा क्षेत्र में अपने एकीकृत पहुंच सेवा (यूएएस) लाइसेस के समाप्त होने और दिनांक 30 सितंबर, 2017 से उक्त सेवा क्षेत्र में एकीकृत लाइसेंस के तहत पहुंच सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार के तहत नेटवर्क का 800 मेगाहर्टज् में एलटीई/ 4जी में उन्नयन के परिणामस्वरूप मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा जीएसएम सेवाओं को बंद करने के संबंध में भादूविप्रा ने मोबाइल उपभोक्ताओं को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 19 सितंबर, 2017 को मैसर्स आरसीएल, एमएनपीएसपी और टीएसपी को निदेश जारी किया।

➢ 2जी सेवाओं में व्यवधान के संबंध में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को दिनांक 01 नवंबर, 2017 का निदेश

2.8.6 सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/ मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) की 2जी सेवाओं के व्यवधान के संबंध में मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से भादूविप्रा का ध्यान आकृष्ट किया गया। इसलिए, भादूविप्रा ने दिनांक 01 नवंबर, 2017 को मैसर्स आरसीटी/आरटीएल को अन्य बातों के साथ– साथ निम्नवत निदेश जारी किया :

(i) विभिन्न सेवा क्षेत्रों में 2जी सेवाओं के व्यवधान के कारण बताना;

(ii) लाइसेंसप्रदाता और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित सम्पूर्ण नेटवर्क की सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करना ;

(iv) जैसा ही पोर्टिंग संबंधित अनुरोध प्राप्त होता है, एसएमएस के माध्यम से तत्काल उपभोक्ताओं को विशिष्ट पोर्टिंग कोड जारी करना और सूचित करना और विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा किए गए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के सभी अनुरोधों पर कार्यवाही करना;

(iv) नम्बर के पोर्टिंग संबंधी प्राप्त अनुरोधों को लाइसेंस सेवावार क्षेत्र का ब्योरा, ऐसे अनुरोधों

पर सृजित विशिष्ट पोर्टिंग कोड का ब्योरा और पिछले दो सप्ताह (दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 से) में पोर्ट किए गए उपभोक्ताओं के नम्बर का ब्योरा प्रदान करना।

➢ **मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा विभिन्न लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में 2जी/ जीएसएस सेवाओं को बंद करने और 800 मेगाहर्टज में सीडीएमए से एलटीई/ 4जी में नेटवर्क का उन्नयन करने के संबंध में सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं (वॉयरलेस) को दिनांक 03 नवंबर, 2017 का निदेश**

2.8.7 मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में 2जी/ जीएसएम सेवाओं के बंद किए जाने और मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड के लाइसेंसों का मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में विलय होने के निर्णय के परिणामस्वरूप दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कोलकाता लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहर्टज् बैंड में सीडीएमए का एलटीई/4जी में नेटवर्क का उन्नयन किए जाने के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीएल) के उपभोक्ताओं को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के लिए एमएनपीएसपी, टीएसपी को दिनांक 03 नवंबर, 2017 को निदेश जारी किया।

➢ **लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में वॉयस सेवाओं को बंद करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को एमएनपी की सुविधा प्रदान करने के संबंध में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड को दिनांक 13 दिसंबर, 2017 का निदेश**

2.8.8 मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कोलकाता, मध्य प्रदेश, मुम्बई, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में और मैसर्स रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड द्वारा असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में 31 जनवरी, 2018 से वॉयस सेवाओं को बंद करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं, एमएनपीएसपी और मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को दिनांक 13 दिसंबर, 2017 को निदेश जारी किया।

➢ **सेवा गुणवत्ता मानदंडों के बैंचमार्क का अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 14 दिसंबर 2017 का निदेश**

2.8.9 यह निदेश सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को विनियमों के विनियम 5 के क्रम संख्या 'क' में नेटवर्क सेवा गुणवत्ता मानदंडों के तहत क्रम संख्या (i), (ii), (iii) और (iv) में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के मानदंडों के संबंध में वर्ष की दिनांक 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही के अंत के 21 दिनों की अवधि के अंदर, इस विनियम के अनुबंध–1 के रूप में यथा संलग्न प्रारूप में, लिखित में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी सेवा प्रदाताओं के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यथोचित रूप में हस्ताक्षरित अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिदेशित करता है।

➢ **सेवा गुणवत्ता मानदंडों के संबंध में निष्पादन से संबंधित सूचना के प्रकाशन के लिए दिनांक 14 दिसंबर, 2017 का निदेश**

2.8.10 यह निदेश सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को विनियमों के विनियम 5 में विनिर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता मानदंडों के बैंचमार्क के संबंध में अपनी वेबसाइट पर तिमाही आधार पर इस निदेश के साथ संलग्न संशोधित प्रारूप में सूचना प्रकाशित करने का निदेश देता है कि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद पैंतालीस दिनों के अंदर सूचना प्रकाशित की जाए।

- **एमएनपी की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में एयरसेल लिमिटेड और मैसर्स डिशनेट वॉयरलेस लिमिटेड को दिनांक 20 दिसंबर, 2017 का निदेश**

2.8.11 मैसर्स एयरसेल लिमिटेड और मैसर्स डिशनेट वायरलेस लिमिटेड द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2018 से गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में एकीकृत पहुंच सेवा के खंड 10.3 के अंतर्गत प्रदत्त लाइसेंस के अभ्यर्पण के नोटिस के परिणामस्वरूप मैसर्स एयरसेल लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं, एमएनपीएसपी और मैसर्स एयरसेल लिमिटेड को निदेश जारी किया गया।

- **दिनांक 03 नवंबर, 2017 के निदेश के अनुसरण में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए जारी यूपीसी की वैधता अवधि को बढ़ाने के संबंध में दिनांक 01 जनवरी, 2018 का निदेश**

2.8.12 मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में 2जी/ जीएसएम सेवाओं के बंद करने और मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड के लाइसेंसों का मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में विलय होने के निर्णय के परिणामस्वरूप दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कोलकाता लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहर्टज् में सीडीएमए का एलटीई/ 4जी में नेटवर्क का उन्नयन के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीएल) के उपभोक्ताओं को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के लिए एमएनपीएसपी, टीएसपी को दिनांक 03 नवंबर, 2017 को निदेश जारी किया।

दिनांक 03 नवंबर, 2017 के निदेश के अनुसरण में 01 जनवरी, 2018 के निदेश के माध्यम से मैसर्स आरसीएल को अन्य बातों के साथ सृजित सभी यूपीसी को रखने का निदेश दिया और ऐसे यूपीसी जो 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त हो रहे हैं, वे दिनांक 31 जनवरी, 2018 को 23:59:59 बजे तक वैध रहेंगे। भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर निदेश अपलोड कर दिया गया है।

- **मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड को अपने मोबाइल उपभोक्ताओं के अव्ययित राशि और प्रतिभूति जमा राशि को वापस करने के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2018 का निदेश**

2.8.13 2जी/ जीएसएम, सीडीएमए सेवाओं के बंद होने और सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में वॉयस सेवाओं के बंद होने के परिणामस्वरूप, भादूविप्रा को मैसर्स आरसीएल और मैसर्स आरटीएल के उपभोक्ताओं से मैसर्स आरसीएल और मैसर्स आरटीएल के पास उनके प्रीपेड मोबाइल खाते में रिचार्ज अथवा वॉउचर/प्लान के रूप में शेष राशि की वापसी और पोस्ट-पेड मोबाइल खातों के लिए प्रतिभूति जमा राशि की वापसी नहीं होने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई। व्यापक रूप से उपभोक्ताओं के हितों

का संरक्षण करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मैसर्स आरसीएल और मैसर्स आरटीएल को अपने मोबाइल उपभोक्ताओं के अव्ययित राशि और प्रतिभूति जमा राशि को वापस करने का निदेश दिया। भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर निदेश अपलोड कर दिया गया है।

➢ दिनांक 13 दिसंबर, 2017 के निदेश के अनुसरण में जारी यूपीसी की वैधता अवधि को बढ़ाने के संबंध में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को दिनांक 22 फरवरी, 2018 का निदेश

2.8.14 दिनांक 22 फरवरी, 2018 को मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को निदेश जारी किया गया। दिनांक 03 नवंबर, 2017 के निदेश के अनुसरण में इस निदेश के माध्यम से मैसर्स आरसीएल और मैसर्स आरटीएल दोनों को अन्य बातों के साथ सृजित सभी यूपीसी को रखने का निदेश दिया और ऐसे यूपीसी जो दिनांक 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त हो रहे हैं, वे दिनांक 20 मार्च, 2018 तक वैध रहेंगे तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 तक उनके मोबाइल नम्बरों की पोर्टिंग को अनुमति दी। भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर निदेश अपलोड कर दिया गया है।

➢ यूपीसी सृजन के लिए अतिरिक्त कोडों के उपबंधों के संबध में मैसर्स एयरसेल लिमिटेड और मैसर्स डिशनेट वॉयलेस लिमिटेड को दिनांक 27 फरवरी, 2018 का निदेश

2.8.15 देश में विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा मैसर्स एयरसेल लिमिटेड की साइटों को बंद करने के परिणामस्वरूप मैसर्स एयरसेल लिमिटेड और मैसर्स डिशनेट वायरलेस लिमिटेड के उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नम्बर को पोर्ट कराने के अधिकार का प्रयोग करने में सहायता देने के विचार से उन्हें मोबाइल नम्बर की पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के लिए एमएनपीएसपी, मैसर्स एयरसेल लिमिटेड और टीएसपी को दिनांक 27 फरवरी, 2018 को निदेश जारी किया।

➢ दिनांक 9 जून, 2005 के निदेश संख्या 406–1/ 2005– एफएन को वापस लेने के संबंध में सभी यूएएसपी/ बीएसओ/सीएमएसपी को दिनांक 16 मार्च, 2018 का निदेश

2.8.16 निष्फल/ निरर्थक विनियमों को हटाने के लिए भादूविप्रा में एक समिति का गठन किया गया जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताएं और संघ शामिल हैं।

समिति ने अपने दिनांक 31 जनवरी, 2018 की सिफारिश में यह सिफारिश की कि दिनांक 09 जून, 2005 के निदेश संख्या 406–1/ 2005– एफएन को हटाया जाए क्योंकि इस मामले पर कोई शिकायतें प्राप्त नही हो रही हैं और अधिकांश टीएसपी अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहे हैं। इसे निदेश के संबंध में समिति की सिफारिशें निम्नवत हैं :

निदेश	समिति की सिफारिश
दिनांक 09 जून, 2005 के निदेश संख्या 406–1/ 2005– एफएन –टीएसपी को लाइसेंस सेवा क्षेत्र के बाहर वॉयरलेस के प्रावधान के लिए रेडियो तरंगों के बिखराव पर तिमाही रिपोर्ट देना अपेक्षित है।	निदेश को हटाया जाए क्योंकि इस मामले पर कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और अधिकांश टीएसपी अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहे हैं।

समिति की सिफारिशों के अनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 16 मार्च 2018 के निदेश द्वारा अपने दिनांक 09 जून, 2005 के निदेश संख्या 406–1/ 2005– एफएन को वापस लेने का निर्णय लिया।

➢ अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी के ट्रैफिक मिनट की जानकारी प्रदान करने के संबंध में सभी पहुंच प्रदाताओं, एनडीएलओ और आईएलडीओ को दिनांक 20 मार्च, 2018 का निदेश

2.8.17 निष्फल/निरर्थक विनियमों को हटाने के लिए भादूविप्रा में एक समिति का गठन किया गया जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताएं और संघ शामिल हैं। समिति ने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ट्रैफिक मिनट पर रिपोर्ट में पाया कि सेवा प्रदाता, जो एनएलडी/ आईएलडी लाइसेंस के अंतर्गत स्विच्ड वॉयस प्रदान नहीं करते है, 'शून्य' रिपोर्ट भेज रहे हैं।

इस विषय पर समिति की दिनांक 31 जनवरी, 2018 की सिफारिश निम्नवत है :

निदेश	समिति की सिफारिश
ऐसे आईएलडी / एनएलडीओ जो आईएलडी / एनएलडी लाइसेंस के अंतर्गत स्विच्ड वॉयस सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं, उन्हें पीओआई इंटरकनेक्ट रिपोर्ट, आईएलडी ट्रैफिक, आईएलडी प्रारूप 3,5,6,7 आदि नामक इन रिपोर्टों को भरने से छूट प्रदान की जा सकती है।	इस विनियम को इस शर्त के साथ हटाया जाए कि जब कभी भी प्रचालकों द्वारा वॉयस सेवा शुरू की जाती है उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत होगी।

समिति की सिफारिशों के अनुसार, भादूविप्रा ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2018 के निदेश के तहत स्विच्ड वॉयस सेवा प्रदान नहीं करने वाले पहुंच प्रदाताओं, एनएलडीओ और आईएलडीओ को निदेश दिया कि वे अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ट्रैफिक मिनट की तिमाही आधार पर रिपोर्ट देने से छूट प्रदान की जाती है। तथापि, जब इन प्रचालकों द्वारा स्विच्ड वॉयस सेवा देना शुरू किया जाएगा तब इन प्रचालकों को निर्धरित प्रारूप में अपने रिपोर्ट देनी होगी।

2.9 इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न हितधारियों के विचार जानने के लिए निम्नलिखित परामर्श पत्र/ परामर्श टिप्पणी/ पूर्व– परामर्श पत्र जारी किए :

दूरसंचार क्षेत्र

क्रम संख्या	परामर्श पत्रों की सूची
1.	सेवाओं की वाणिज्यिक शुरूआत करने से पहले "नेटवर्क टेस्टिंग" पर दिनांक 01 मई, 2017 का परामर्श पत्र
2.	"वायरलेस ब्रॉडबैंड प्लान के अंतर्गत डेटा की गति" विषय पर दिनांक 01 जून, 2017 का परामर्श पत्र
3.	"दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की निजता सुरक्षा और स्वामित्व" विषय पर दिनांक 09 अगस्त, 2017 का परामर्श पत्र
4.	"प्रारूप दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम 2017" विषय पर दिनांक 16 अगस्त, 2017 का परामर्श पत्र
5.	"700 मेगाहर्टज, 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मे. गाहर्टज, 2500 मेगाहर्टज, 3300–3400 मेगाहर्टज और 3400–3600 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी" विषय पर दिनांक 01 मई, 2017 का परामर्श पत्र

क्रम संख्या	परामर्श पत्रों की सूची
6.	"अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण" विषय पर दिनांक 14 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र
7.	"स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण" विषय पर दिनांक 18 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र
8.	"व्यवसाय करने में सुगमता विषय पर प्रारूप सिफारिशें" विषय पर दिनांक 19 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र
9.	"उड़ान में कनेक्टिविटी (आईएफसी)" विषय पर दिनांक 29 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र
10.	"अगली पीढ़ी के सावर्जनिक सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार नेटवर्क" विषय पर दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 का परामर्श पत्र
11.	"दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2017" विषय पर दिनांक 18 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र
12.	"दिव्यांगजनों के लिए आईसीटी की उपगम्यता बनाना" विषय पर दिनांक 20 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र
13.	"राष्ट्रीय दूरसंचार नीति– 2018 तैयार करने के लिए जानकारी" विषय पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 का परामर्श पत्र
14.	"पारदर्शी तंत्र के रूप में जन मोबाइल रेडिया ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी सहित आंवटन की पद्धति" विषय पर दिनांक 08 फरवरी, 2018 का परामर्श पत्र
15.	"एलटीई प्रयोक्ताओं को वॉयस सेवाएं (वोल्ट और सीएस फॉलबैक सहित)" विषय पर दिनांक 26 फरवरी, 2018 का परामर्श पत्र

परामर्श पत्र

➢ "सेवाओं का वाणिज्यिक आरंभ करने से पहले नेटवर्क टेस्टिंग" पर दिनांक 01 मई, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.1 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल सेवाएं देने हेतु प्रयोज्य प्रणालियों को प्रतिष्ठापन करना अपेक्षित होता है। टीएसपी को सुनिश्चित करना होता है कि उसकी सेवा दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के सेवा गुणवत्ता मानकों को पूरा करें। इसलिए, यह आवश्यक है कि वाणिज्यिक सेवाओं को आरंभ करने से पहले सभी प्रयोज्य प्रणालियों की जांच की जाए। दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 09 सितंबर, 2016 के पत्र के तहत सूचित किया कि वर्तमान में दूरसंचार विभाग / बीएसएनएल द्वारा अनुपानल किए जा रही पूर्ववर्ती परंपरा के आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा नेटवर्क टेस्टिंग की जा रही है; और सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने से पहले नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच के लिए ऐसे लाइसेंसधारियों द्वारा टेस्ट सिम कार्ड जारी किए जाते हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी विभिन्न सेवाओं के लिए वर्तमान लाइसेंस में लाइसेंसधारियों द्वारा सेवाओं की वाणिज्यिक शुरूआत करने से पहले नेटवर्क टेस्टिंग के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए, दूरसंचार विभाग ने वाणिज्यिक शुरूआत करने से पहले जांच के उद्देश्य से, जांच की अवधि आदि के लिए उपभोक्ताओं के नामांकन सहित सेवाओं की वाणिज्यिक शुरूआत करने से पहले नेटवर्क की जांच अवधि आदि पर अपनी सिफारिश देने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया।

इस संबंध में, दिनांक 01 मई, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया जिसमें विभिन्न मुद्दे शामिल थे और मामले में स्पष्टता लाने के लिए संभावित ढांचे पर विचार किया गया और हितधारियों से अपनी टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया।

➢ "वायरलेस ब्रॉडबैंड के अतंर्गत डेटा की गति" विषय पर दिनांक 01 जून, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.2 भादूविप्रा ने "वायरलेस ब्रॉडबैंड के अतंर्गत डेटा की गति" विषय पर दिनांक 01 जून, 2017 को परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र के माध्यम से प्राधिकरण वॉयरलेस ब्रॉडबैंड प्लान के अंतर्गत डेटा की गति के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए हितधारकों के विचार जानना चाहती है।

➢ "दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की निजता सुरक्षा और स्वामित्व" विषय पर दिनांक 09 अगस्त, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.3 भादूविप्रा "दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की निजता सुरक्षा और स्वामित्व" विषय पर दिनांक 09 अगस्त, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया। इसे परामर्श पत्र के माध्यम से प्राधिकरण ने निम्नवत के संबंध में हितधारियों के विचार जानने का निर्णय लिया :

(क) दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ताओं के निजी डेटा, स्वामित्व और नियंत्रण का दायरे और परिभाषा की पहचाना।

(ख) डेटा नियंत्रण के अधिकार और दायित्व की समझ और पहचान।

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में वर्तमान में लागू डेटा संरक्षण की पर्याप्तता और दक्षता।

(घ) डिजिटल सेवाओं की सपुर्दगी के संबंध में डेटा संरक्षण से संबंधित मुख्य मुद्दों की पहचान करना। इसमें दूरसंचार और दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाएं और अन्य उपकरणों, नेटवर्को और एप्लीकेशनस् जो टीएसपी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के माध्यम में प्रयोक्ताओं को जोड़ते है, और इस प्रक्रिया में प्रयोक्ता डेटा का संचयन और नियंत्रण करते हैं, शामिल हैं।

➢ "प्रारूप दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2007" विषय पर दिनांक 16 अगस्त, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.4 भादूविप्रा ने देश में एमएनपी के कार्यान्वयन के लिए मूलभूत व्यवसाय प्रक्रिया ढांचे का निर्धारण करने हेतु दिनांक 23 सितंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किया। हितधारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि और इसके विश्लेषण के आधार पर एमएनपी प्रक्रिया को उपभोक्ता के अधिकाधिक अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास में भादूविप्रा ने विभिन्न निदेशों और एमएनपी विनियमों का संशोधन जारी किया है। एमएनपी विनियमों के संशोधन पर वर्तमान परामर्श भी इसी प्रक्रिया का भाग है।

पोर्टिंग अनुरोधों को मना करने से उपभोक्ताओं में असंतोष और निराशा होती है। यह देखा गया है कि पोर्टिंग को मना करने का कारण विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) नामतः 'यूपीसी अमिलान' और 'अवैध/समाप्त यूपीसी' का संयुक्त रूप से कुल पोर्टिंग अनुरोधों को लगभग 40 प्रतिशत है। इस संशोधन के माध्यम से भादूविप्रा एमएनपी क्लीयरिंग हॉउस के साथ डोनर प्रचालक द्वारा सृजित यूपीसी का आदान–प्रदान करने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करती है, जिसमें बाद में उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए यूपीसी की सत्यता और वैधता की पुष्टि के लिए प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है। इससे पोर्टिंग संबंधी अनुरोधों के अस्वीकरण में कमी आएगी और उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ेगी।

प्रारूप संशोधन में प्रासंगिक सूचना यथा बिल की तारीख, बकाया राशि, भुगतान की अंतिम तारीख और उपभोक्ता को दी गई सूचना की अवधि को एमएनपी क्लीयरिंग हॉउस के साथ डोनर प्रचालक द्वारा पारेषित करने और डोनर प्रचालक द्वारा शुरू की गई गैर– संदाय डिस्कनेक्ट अनुरोधों को पारेषित करने का प्रावधान है। हितधारियों की टिप्पणी के लिए दिनांक 16 अगस्त, 2017 को प्रारूप संशोधन विनियम जारी किया गया।

➢ ''700 मेगाहर्टज, 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज, 2500 मेगाहर्टज, 3300–3400 मेगाहर्टज और 3400–3600 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' विषय पर दिनांक 01 मई, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.5 दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 19 अप्रैल 2017 के पत्र के माध्यम से लागू आरक्षित मूल्य, नीलाम किए जाने वाल स्पेक्ट्रम की मात्रा और 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300–3400 और 3400–3600 मेगाहर्टज बैंड पर भादूविप्रा की सिफारिश मांगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार हितधारिणें की टिप्पणी के लिए दिनांक 28 अगस्त, 2017 को परामर्श पत्र जारी किया गया।

इस परामर्श पत्र में हितधारियों के विचार के लिए विशिष्ट मुद्दे उठाए गए हैं। उठाए गए मुख्य मुद्दे हैं – नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा, इष्टतम ब्लॉक आकार, डुप्लेक्सिंग योजना, स्पेक्ट्रम सीमा, सेवा आरंभ करने की शर्तें और मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली पद्धति और स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य का आकलन करना शामिल है।

➢ ''अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण'' विषय पर दिनांक 14 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.6 भादूविप्रा ने हितधारियों के टिप्पणी के लिए अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण पर परामर्श पत्र जारी किया।

परामर्श पत्र में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा है:

- फ्रेमवर्क में उचित परिवर्तन करने के लिए यूसीसी संबंधी विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है अथवा नई प्रविष्टियां जोड़ने अथवा प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित है।
- वर्तमान पंजीकरण प्रणाली का विश्लेषण और प्रणाली को ज्यादा प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाना।
- अधिमानों के लिए उपभोक्ता को ज्यादा विकल्प देने के विकल्पों का पता लगाना।
- संबंधित कंपनियों के लिए पंजीकरण प्रणाली। यह विषयवस्तु प्रदाताओं, एग्रेगेटरों और मध्यस्थों जैसी नई कंपनियों के पंजीकरण की संभावना का पता लगाती है।
- हेडर असाइनमेंट, कंसेंट रिकार्डिंग आदि के लिए नई कंपनियां शुरू करने का सुझाव।
- यूपीसी संबंधित शिकायत पर कार्रवाई संबंधी मुद्दे और प्रणाली को ज्यादा दक्ष बनाने का सुझाव, उदाहरणार्थ, समय– सीमा में कमी लाना।

➢ ''स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण'' विषय पर दिनांक 18 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.7 भादूविप्रा ने दिनांक 18 सितंबर, 2017 को "स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ जारी किया गया :

(क) भारत में स्थानीय दूरसंचार विनिर्माण में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों की पहचान करना।

(ख) स्थानीय विनिर्माता को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में वर्तमान पेटेंट कानूनों की जांच करना।

(ग) दूरसंचार उपकरणों का मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के मुद्दे की जांच करना तथा स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को सहारा देने के लिए सुधार हेतु फ्रेमवर्क का सुझाव देना।

(घ) स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले आईपीआर से संबंधित मुद्दे की जांच करना।

(ड.) स्थानीय दूरसंचार विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान मौद्रिक प्रोत्साहनों की जांच करना और भविष्य में कार्यान्वयन के लिए उपाय की सिफारिश करना।

(च) भारत में संस्थापनाओं की स्थापना के लिए विदेशी निवेश आकृष्ट करने हेतु किए जाने वाले उपायों की पहचान करना।

➢ "व्यवसाय करने में सुगमता पर प्रारूप सिफारिश" विषय पर दिनांक 19 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.8 "व्यवसाय करने में सुगमता" को प्रोत्साहन देना दूरसंचार क्षेत्र के निर्बाध विकास के लिए अनिवार्य है और सरकार की प्राथमिकताओं में है। सामान्यतः भादूविप्रा के सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दूरसंचार व्यवसाय करने में सुगमता के लिए कई कदम पहले ही उठाए हैं। कालक्रम में नीतियों में परिवर्तन अथवा प्रौद्योगिकी विकास के चलते कुछ प्रक्रियाएं हो सकती है जो अप्रचलित हो गई हो अथवा जिन्हें दक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, भादूविप्रा ने स्वप्रेरणा से दिनांक 14 मार्च, 2017 को एक पत्र जारी किया जिसमें हितधारियों से विद्यमान प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन अवरोधों, व्यवधानों की समीक्षा करने का अनुरोध किया जो भारत में दूरसंचार व्यवसाय करने में कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं और इस प्रकार, विनियामक हस्तक्षेप अपेक्षित है। विभिन्न हितधारियों से प्राप्त जानकारी और आंतरिक विश्लेषण के आधार पर प्रारूप सिफारिशें बनाई गई और 19 सितंबर, 2017 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया ताकि हितधारियों की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें।

➢ "उड़ान में कनेक्टिविटी (आईएफसी)" विषय पर दिनांक 29 सितंबर, 2019 का परामर्श पत्र

2.9.9 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2017 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय वायुक्षेत्र में उड़ रहे विमानों में वॉयस, डेटा और वीडियो सेवाओं के लिए उड़ान मे कनेक्टिविटी (आईएफसी) शुरू करने का प्रस्ताव है। दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से वॉयस, डेटा और वीडियो सेवाओं तथा प्रयोक्ता प्रभार और आवंटन की पद्धति एवं अन्य शर्तों सहित संबंद्ध मुद्दों जैसे प्रविष्टि शुल्क, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम

संबंधित मुद्दे के लिए आईएफसी के प्रावधान हेतु लाइसेंस संबंधी शर्तों और निबंधनों पर अपनी सिफारिशें दें।

इस संबंध में, हितधारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 29 सितंबर, 2017 को "उड़ान में कनेक्टिविटी" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

➢ "अगली पीढ़ी की सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार नेटवर्क" विषय पर दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.10 अगली पीढ़ी के सार्वजनिक सुरक्षा तथा आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार जनसाधारण के रोजाना के जीवन से संबंधित व्यापक पैमाने की सेवाओं को सहायता प्रदान करता है जैसे कानून और व्यवस्था, जान और माल की सुरक्षा, आपदा राहत और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया।

प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप, समक्षमता, क्षमता तथा अंतर्प्रचालनता के संदर्भ में पीपीडीआर नेटवर्कों में नवीनतम तथा और अधिक विशेषताएं जुड़ गई हैं। ब्रॉडबैंड पीपीडीआर वॉयस संचार के अलावा अनेकानेक एप्लीकेशन जैसे 'सजीव चित्र, वीडियो तथा पाठ्य सामग्री भेजने को समर्थकारी बनाता है। देश में मौजूदा पीपीडीआर नेटवर्क एनालॉग और नेरोबैंड वॉयस तथा डेटा संचार को समर्थकारी बनाने वाली डिजिटल प्रणालियां हैं। उन्नत ब्रॉडबैंड पीपीडीआर संचार नेटवर्क के प्रारंभ होने से निर्णय लेने तथा इसमें शामिल कार्मिकों और संगठनों हेतु पीपीडीआर प्रचालन की समलाई करने में व्यापक रूप से सक्षम बनाने वाले साबित हो सकते हैं। देश में उन्नत, भरोसेमंद, सुदृढ़ तथा प्रतिक्रियात्मक ब्रॉडबैंड पीपीडीआर संचार प्रणाली को आरंभ करने हेतु एक सुदृढ़ नीतिगत ढांचे की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, भादूविप्रा ने दिनांक 09 अक्तूबर, 2017 को *स्वतः ही* हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अगली पीढ़ी के सार्वजनिक सुरक्षा तथा आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार नेटवर्कों पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया।

परामर्श पत्र में विद्यमान पीपीडीआर नेटवर्कों, अगली पीढ़ी के पीपीडीआर नेटवर्कों की विशेषताएं, तकनीकी विशेषताएं, स्पेक्ट्रम उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताओं संबंधी मुद्दे और कमियों पर व्यापक चर्चा की गई है। अगली पीढ़ी के पीपीडीआर नेटवर्क के लिए विभिन्न देशों में प्रचलित कार्यान्वयन मॉडल पर चर्चा की गई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के रूप में परामर्श पत्र में शामिल किया गया है।

➢ "दिव्यांगजनों के लिए आईसीटी की उपगम्यता बनाना" विषय पर दिनांक 20 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.11 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से जहां दिव्यांगजन को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं का उपयोग करने में हो रही समस्याओं को समझने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है दिनांक 20 दिसंबर, 2017 को "दिव्यांगजन के लिए आईसीटी की उपगम्यता बढ़ाना" विषय पर स्वप्रेरणा से एक परामर्श पत्र जारी किया गया ताकि सरकार को सिफारिश के रूप में नीतिगत स्तर पर सकारात्मक कार्यवाही करने अथवा विनियम का तैयार करने अथवा

उपकरण/ सेवा प्रदाताओं को सलाह अथवा इन सभी पर कार्यों को किया जा सके।

- **"राष्ट्रीय दूरसंचार नीति– 2018 को तैयार करने के लिए जानकारी" विषय पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 का परामर्श पत्र**

2.9.12 दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 21 अगस्त, 2017 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–2018 को तैयार करने के लिए अपनी नीतिगत जानकारी के संबंध में सुझाव देने का अनुरोध किया।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार उपकरण विनिर्माताओं, उद्योग संघों, परामर्श फर्मों, क्लॉउड सेवा प्रदाताओं आदि सहित विभिन्न हितधारियों के साथ प्रारंभिक चर्चा के आधार पर प्राधिकरण ने 'डिजिटल सेवाओं के लिए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं की तर्ज पर राष्ट्रीय दूरसंचार नीति– 2018 को तैयार करने हेतु जानकारी' पर परामर्श पत्र जारी किया है। हितधारियों के टिप्पणियों के लिए दिनांक 03 जनवरी, 2018 को यह परामर्श पत्र जारी किया गया।

इस परामर्श पत्र के माध्यम से प्राधिकरण ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति– 2018 के निर्माण के लिए सूचना हेतु हितधारियों के विचार मांगे।

- **"पारदर्शी तंत्र के रूप में जन मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी सहित आंवटन की पद्धति" विषय पर दिनांक 8 फरवरी, 2018 का परामर्श पत्र**

2.9.13 जन मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग (पीएमआरटी) सेवा एक विशिष्ट सेवा है जिसके विभिन्न क्षेत्रों यथा जन सुरक्षा, विनिर्माण, तेल और गैस, खनन, विनिर्माण उद्योग, कोरियर, आपाताकालीन सेवाएं (लॉजिस्टिक और प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष), उपयोगी सेवाएं (जैसे नगरपालिका सेवाएं, विद्युत, जल आदि), परिवहन सेवा (सड़क, वायु, बंदरगाह), ऊर्जा और संचार (दक्ष सेवा और अनुरक्षण) और सेवा उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग हैं। पूर्व में, विकल्प के रूप में प्रायः पीएमआरटी सेवाओं का उपयोग जान और माल की सुरक्षा करने, आपदा राहत और आपातकालीन राहत कार्य में लगी एजेंसियों द्वारा संवाद करने के लिए किया जाता था।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने दिनांक 13 जुलाई, 2017 के पत्र संख्या एल–14027/08/2016– एनटीजी के माध्यम से पारदर्शी तंत्र के रूप में जन मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन सहित नीलामी की पद्धति पर भादूविप्रा से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के अंतर्गत सिफारिश देने का अनुरोध किया था।

इस संबंध में, हितधारियों के टिप्पणियों प्राप्त करने के लिए दिनांक 08 फरवरी, 2018 को परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र में स्पेक्ट्रम के आवंटन की पद्धति के पहलूओं के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों यथा लाइसेंस की अवधि, स्पेक्ट्रम को प्रदान किए जाने (लाइसेंस क्षेत्र अथवा शहरवार), पीएमआरटी सेवाओं के लिए प्राथमिकता फ्रीक्वेंसी बैंड, ब्लॉक आकार, आरक्षित मूल्य, स्पेक्ट्रम की अधिकतम सीमा आदि पर भी चर्चा की गई है। कुछ देशों में अपनाई गई कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गई

है। परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

➢ "एलटीई प्रयोक्ताओं के लिए वॉयस सेवाएं (वोल्ट और सीएस फॉलबैक सहित)" विषय पर दिनांक 26 फरवरी, 2018 का परामर्श पत्र

2.9.14 भादूविप्रा ने हितधारियों के विचार जानने के लिए "एलटीई प्रयोक्ताओं के लिए वॉयस सेवाएं (वोल्ट और सीएस फॉलबैक)" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र में निम्नवत मुद्दों पर चर्चा की गई है :

- एलटीई, पैकेट स्विचिंग पर आधारित ऑल–आईपी, केवल डेटा को लाने–ले जाने की प्रौद्योगिकी है।
- एलटीई नेटवर्क में वॉयस सेवाओं को मुख्यतः दो प्रौद्योगिकियों यथा 'वॉयस ओवर एलटीई (वोल्ट)' और 'सर्किट स्विच फॉल बैक (सीएसएफबी)' द्वारा वाहित किया जाता है।
- वोल्ट एलटीई नेटवर्क पर वॉयस कॉल के ले जाने के लिए वाहकों को और अपने आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम (आईएमएस) के माध्यम से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इसका अर्थ यह है कि वॉयस कॉल और डेटा सेशन एलईटी पर एक साथ चलता है। जबकि सीएसएफबी में एलटीई नेटवर्क का उपयोग केवल डेटा के आवागमन के लिए होता है और वॉयस सेवाएं 2जी और 3जी सेवाओं को परांपरागत सर्किट स्विच्ड प्रौद्योगिकी पर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रसारण और केबल टेलीविजन क्षेत्र

क्रम संख्या	परामर्श पत्र की सूची
1.	"भारत में डिजिटल रेडिया प्रसारण से संबंधित मुद्दे" विषय पर दिनांक 10 जुलाई 2017 का परामर्श पत्र
2.	"प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता" विषय पर दिनांक 31 जुलाई 2017 का परामर्श पत्र
3.	"प्रौद्योगिकी अंतर्प्रचालनीय सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान संरचना" विषय पर दिनांक 11 अगस्त, 2017 का परामर्श पत्र
4.	"भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डॉउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दे" विषय पर दिनांक 19 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र
5.	"डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के लिए लेखापरीक्षकों का पैनल" विषय पर दिनांक 22 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र

परामर्श पत्र

➢ "भारत में डिजिटल रेडिया प्रसारण से संबंधित मुद्दे" विषय पर दिनांक 10 जुलाई, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.15 निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा डिजिटल रेडियो प्रसारण के विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हितधारियों की टिप्पणियों के लिए भादूविप्रा ने "भारत में डिजिटल रेडिया प्रसारण से संबंधित मुद्दे" विषय पर दिनांक 10 जुलाई, 2017 का परामर्श पत्र जारी किया। डिजिटल रेडियों के कुछ लाभ निम्नवत हैं :

- उच्च और सतत् ध्वनि निष्पादन के साथ बेहतर सिग्नल गुणवत्ता और स्पष्ट अभिग्रहण।

- आवंटित फ्रीक्वेंसी का दक्षतापूर्ण प्रयोग– बहु रेडियो चैनलों को एकल फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जा सकता है।
- फ्रीक्वेंसी का पुनः प्रयोग संभव– बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करना।
- पारेषण हेतु विद्युत की कम से कम आवश्यकता।
- विभिन्न निजी और सार्वजनिक रेडियो स्टेशनों की स्वतः ट्यूनिंग।
- चलते वाहनों, मोबाइल फोनों आदि जैसे स्थिर, वहनीय और सचल परिवेश में रेडियो चैनलों का दक्ष अभिग्रहण।
- आपदा स्थिति कार्यक्रम मार्गदर्शिका, आपदा चेतावनी देने की विशेषता (ईडब्ल्यूएफ), समाचार और मौसम आदि जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं को किसी रिले के साथ–साथ उपलब्ध कराया जा सकता है।
- स्पेक्ट्रम की पुनर्प्राप्ति और ज्यादा दक्षतापूर्ण तरीके से प्रयोग के लिए इसका पुनः आवंटन करने में सरकार को दक्ष बनाना।
- सिमुलकॉस्ट की संभावना जिससे प्रसारकों को एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रारूपों में सिग्नल के पारेषण की लागत में बचत करने मे सक्षम बनाता है।

➢ "प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता" विषय पर दिनांक 31 जुलाई 2017 का परामर्श पत्र

2.9.16 भादूविप्रा ने निम्नवत उद्देश्यों से "प्रसारण सेक्टर में व्यवसाय करने में सुगमता" विषय पर दिनांक 31 जुलाई, 2017 का परामर्श पत्र जारी किया :

(i) प्रसारण क्षेत्र में अनुकूल और व्यवसाय हितैषी परिवेश तैयार करने के लिए इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों की समीक्षा करना।

(ii) उन प्रक्रियात्मक अवरोधों की पहचान करना जो प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता को प्रभावित करते हैं और प्रसारण क्षेत्र में नियमों, विनियमों को सरल बनाने और नीतियों/रूपरेखा में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने की सिफारिश करना।

(iii) सुपरिभाषित और पारदर्शी प्रक्रियाओं और कार्यविधि बनाकर प्रवेश अवरोधों को दूर करना जिससे इस क्षेत्र में समान अवसर पैदा किए जा सकें और इसे प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

(iv) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी अंगीकरण को सुकर बनाना।

(v) निवेश अनुकूल नीतियों के माध्यम से निवेश आकृष्ट कर इस क्षेत्र का और अधिक विकास करने के लिए मार्गदर्शन करना।

(vi) प्रसारण उपकरणों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।

➢ "प्रौद्योगिकी अंतर्प्रचालनीय सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान संरचना" विषय पर दिनांक 11 अगस्त, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.17 तकनीकी रूप से अंतर्प्रचालनीय एसटीबी के लिए समाधान प्रस्तुत करने हेतु भादूविप्रा ने "प्रौद्योगिकी अंतर्प्रचालनीय सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान संरचना" विषय पर दिनांक 11 अगस्त, 2017 का परामर्श नोट जारी किया ताकि प्रस्तावित समाधान पर सभी संबंधित हितधारियों के टिप्पणियां प्राप्त की जा सके। समाधान संरचना के साथ परामर्श टिप्पण

भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in के यूआरएल http:// www.trai.gov.in/sites/default/files/Consultation_note_on_STB_interoperability_110817.pdf पर अपलोड किया गया है।

➢ "भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डॉउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दे" विषय पर दिनांक 19 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.18 सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डॉउनलिंकिंग और टेलीपोर्टों की स्थापना के लिए अनुमति से संबंधित मुद्दों पर हितधारियों के विचार जानने के लिए भादूविप्रा ने "भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डॉउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दे" विषय पर दिनांक 19 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र जारी किया।

भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के प्रसारण के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार ने भारत से टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश और टेलीविजन चैनलों की डॉउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किया है।

प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिनांक 21 अगस्त, 2017 के पत्र के माध्यम से बताया कि 05 दिसंबर, 2011 से प्रभावी विद्यमान अपलिंकिंग और डॉउनलिंकिंग दिशानिर्देश 5 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसारण मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, बाजार परिदृश्य और पिछले कुछ वर्षो में इसके प्रचालन में प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखकर प्रसारण क्षेत्र का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए इन कुछ दिशानिर्देशों की समीक्षा/संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। प्रसारण मंत्रालय ने सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डॉउनलिंकिंग के लिए अनुमति और टेलीपोर्टों की स्थापना की अनुमति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भादूविप्रा से सिफारिश मांगी है।

➢ "डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के लिए लेखापरीक्षकों का पैनल" विषय पर दिनांक 22 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र

2.9.19 भादूविप्रा ने विभिन्न लेखापरीक्षकों को पैनलबद्ध करने से संबंधित मुद्दों यथा लेखापरीक्षा के क्षेत्र, अर्हता मानक और अनुभव, पैनल की सीमा, लेखापरीक्षा शुल्क और भुगतान की शर्तें, जांच कार्य पूरा करने के लिए समयावधि, पैनल रद्द करने, लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में हितधारियों के टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए "डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के लिए लेखापरीक्षा के पैनल" विषय पर दिनांक 22 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र जारी किया।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भादूविप्रा, डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए विनियामक ढ़ांचा लेकर आया है और दिनांक 03 मार्च 2017 को अंतर्संयोजन विनियम नामतः दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया। इन विनियमों में तकनीकी लेखापरीक्षा और सब्सक्रिप्शन लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधान है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि प्राधिकरण इस प्रयोजन हेतु लेखापरीक्षकों को पैनल तैयार कर सकता है। वर्तमान में, यह विनियम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय

में न्यायानिर्णयाधीन है। तथापि, यह परामर्श पत्र लेखापरीक्षकों को पैनलबद्ध करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने से पूर्व प्रारंभिक कार्य है और उक्त विनियमों अथवा चल रहे वादों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यह परामर्श पत्र भादूविप्रा को उद्योग की आवश्यकता के तर्ज पर लेखापरीक्षकों से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु व्यापक दस्तावेज तैयार करने और लेखापरीक्षकों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में सक्षम बनाएगा। परामर्श पत्र का सम्पूर्ण पाठ, भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

➢ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण तथा प्रचालन की समीक्षा

भादूविप्रा के कार्यकरण तथा प्रचालन की नीतिगत ढांचे के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार; (ग) आधारभूत क्षेत्र तथा मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश; (घ) तकनीकी सुमेलता तथा सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी अंतर्संयोजन; (ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता; और (ज) वैश्विक सेवा दायित्व के संबंध में नीचे पैराओं में विस्तार से समीक्षा की गई है:–

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

2.10 वर्ष के दौरान ग्रामीण उपभोक्ता आधार में वृद्धि हुई है। कुल ग्रामीण उपभोक्ता आधार दिनांक 31 मार्च, 2017 के 501.61 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2018 को 524.61 मिलियन हो गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कुल उपभोक्ता 43.49 प्रतिशत हैं।

यद्यपि, ग्रामीण वॉयरलाइन उपभोक्ता आधार घट रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार, ग्रामीण वॉयरलाइन उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2017 के अंत तक 3.85 मिलियन की तुलना में 3.38 मिलियन था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कुल वायरलाइन उपभोक्ता केवल 14.82 प्रतिशत है।

जबकि, इसी अवधि के दौरान ग्रामीण वॉयरलाइन उपभोक्ता आधार बढ़ा है। दिनांक 31 मार्च, 2017 के 497.76 मिलियन की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2018 को कुल ग्रामीण उपभोक्ता आधार 521.23 मिलियन पहुंच गया है। कुल वॉयरलेस उपभोक्ताओं का 44.04 प्रतिशत अब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण नेटवर्क की पर्याप्त सुविधाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वृद्धि को समायोजित किया है।

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

2.11 दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार, कुल वॉयरलाइन उपभोक्ता आधार 22.81 मिलियन था। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास उपभोक्ता आधार में क्रमशः 53.79 प्रतिशत और 14.67 प्रतिशत बाजार की हिस्सेदारी है, जबकि एक साथ सभी छह निजी प्रचालकों के पास 31.55 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दिनांक 31 मार्च, 2017 निजी प्रचालाकों की भागीदारी को 29.71 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2018 को 31.55 प्रतिशत हो गई जिसमें 6.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार ने नए उपभोक्ताओं को समायोजित करने में सहायता की है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपभोक्ता आधार बढ़कर 13.23 मिलियन उपभोक्ता हो गया। वॉयरलाइन उपभोक्ता आधार दिनांक 31 मार्च, 2017 के

1170.18 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2018 को 1183.41 मिलियन हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत में 1183.41 मिलियन उपभोक्ताओं में से 1179.12 मिलियन उपभोक्ता (99.64 प्रतिशत) जीएसएम और 4.29 मिलियन (0.36 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे।

(ग) आधारभूत और मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

2.12 दिनांक 31 मार्च, 2018 की तिथि के अनुसार, पहुंच सेवा प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस /एकीकृत लाइसेंस (यूएल)/एकीकृत पहुंच सेवा लाइसेंस/सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के अंतर्गत लाइसेंसों की संख्या निम्नवत है :

लाइसेंसों के नाम	लाइसेंसों की संख्या
आधारभूत	2
एकीकृत लाइसेंस (यूएल)	15
एकीकृत लाइसेंस (पहुंच सेवाएं (यूएल (एएस))	6
एकीकृत पहुंच सेवा लाइसेंस (यूएएसएल)	88
सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस	28

स्रोत : दूरसंचार विभाग

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता तथा उनके बीच प्रभावी अंतर्संयोजन

2.13 भादूविप्रा अधिनियम के तहत प्राधिकरण, अंतर्संयोजनता की निबंधन और शर्तें निर्धारित करने तथा सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता तथा उनके बीच प्रभावी अंतर्संयोजनता सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित है। किसी बहु–प्रचालक परिवेश में दूरसंचार व्यापार की आत्मा अंतर्संयोजनता है। सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अंतर्संयोजनता की निबंधन और शर्तों को विनियमित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भादूविप्रा द्वारा अंतर्संयोजनता के संबंध में निम्नवत उपाय किए गए:–

(i) दिनांक 19 सितंबर, 2017 का दूरसंचार अंतर्संयोजनता प्रयोक्ता प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017

(ii) दिनांक 01 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतर्संयोजनता विनियम, 2018

(iii) दिनांक 12 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतर्संयोजनता प्रयोक्ता प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2017

इन विनियमों पर इस रिपोर्ट के पूर्व के भाग में पहले ही चर्चा की गई है।

(ङ.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

2.14 दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ पहुंच और संवाद को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नवत प्रौद्योगिकीय उपाय किए गए :

भादूविप्रा का वेबसाइट : मानक विषयवस्तु प्रबंधन ढांचे सहित वेबसाइटों हेतु भारत सरकार (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देश के अनुसार भादूविप्रा ने वेबसाइट का संशोधित संस्करण (www.trai.gov.in) प्रारंभ किया है। भादूविप्रा द्वारा किए गए कार्य की जानकारी को आसानी और शीघ्रता से प्रदान करने के लिए भादूविप्रा की नई वेबसाइट के सहज डिजाइन पर विशेषरूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

माई स्पीड एप : यह एप दिनांक 05 जुलाई, 2016 को शुरू किया गया और यह डेटा की गति के अनुभव को मापने की सुविधा प्रदान करता है तथा भादूविप्रा को क्रॉउडसोर्सिंग

आधार पर परिणाम भेजता है। यह एप्लीकेशन कवरेज, डेटा गति और अन्य नेटवर्क सूचनाओं सहित परीक्षणों के उपकरणों और अवस्थिति को प्राप्त करता है और भेजता है। इसके बाद दिनांक 05 जून, 2017 को डेटा की गति की स्वतः जांच करने और पृष्ठभूमि में नेटवर्क की जानकारी संग्रहित करने की विशेषता युक्त नया संस्करण आरंभ किया गया और यह एप गूगल और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है। यह एप कोई निजी प्रयोक्ता सूचना संग्रहित नहीं करता है और सभी परिणाम और जानकारियों को गुमनाम ढंग से भेजा जाता है। दूरसंचार प्रचालकों के क्रॉउडसोर्स किए गए औसत डेटा गति का विश्लेषण माईस्पीड पोर्टल (www.myspeed.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

डीएनडी 2.0 एप : दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान (टीसीसीसीपी) विनियम एक शिकायत आधारित विनियम है जिसमें शिकायत तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी कि उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के लिए सरल हो इसलिए, भादूविप्रा ने सेवा प्रदाताओं को यूसीसी शिकायत आसानी से दर्ज करने के लिए दिनांक 01 जून, 2016 को मोबाइल एप के पहले संस्करण का प्रारंभ किया। इसके बाद 05 जून, 2017 को भादूविप्रा ने डीएनडी 2.0 के रूप में उन्नत संस्करण वाला एप प्रारंभ किया, जिसमें मशीन अभिगम आधारित, स्पेम अन्वेषण इंजन, संशोधित यूजर इंटरफेस और कई नई विशेषताएं हैं। इस एप के साथ उपभोक्ता अपने डीएनडी पंजीकरण और शिकायतों की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। यह एप गूगल एप स्टोर और मोबाइल सेवा एप स्टोर पर उपलब्ध है।

माई कॉल एप : यह एप दिनांक 05 जून, 2017 को प्रारंभ हुआ और गूगल तथा एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है। इस एप के माध्यम से मोबाइल फोन प्रयोक्ता रीयल टाइम में वॉयस कॉल गुणवत्ता के बारे में अपने अनुभव की रेटिंग कर सकते हैं और भादूविप्रा को क्रॉउडसोर्स आधार पर गुणवत्ता सेवा नेटवर्क डेटा के साथ–साथ उपभोक्ता अनुभव डेटा एकत्रित करने में सहायता देता है। प्राप्त अनुभव के आधार पर यह एप कॉल के स्तर को 1 से 5 तक के पैमाने में दर्ज करने में सहज इंटरफेस प्रदान करता है। क्रॉउडसोर्स किए गए औसत वॉयस रेटिंग्स के विश्लेषण को माई कॉल पोर्टल (www.mycall.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

बीसीसीएमएस पोर्टल : भादूविप्रा ने प्रसारण और केबल सेवा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फ्रेमवर्क बनाया है जो प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा दो स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र यथा शिकायत केन्द्र और अपीलीय प्राधिकारी तंत्र उपलब्ध कराता है। भादूविप्रा को सीधे भी उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में शिकायत मिलती हैं। हाल में शुरू की गई प्रसारण उपभोक्ता शिकायत निगरानी प्रणाली (बीसीसीएमएस) (www.bccms.trai.gov.in) पोर्टल के माध्यम से, संबंधित प्रसारण और केबल सेवा प्रदाताओं को, आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायतें भेज दी जाती हैं। दिनांक 06 फरवरी, 2018 से संबंधित सेवा प्रदाताओं को बीसीसीएमएस पोर्टल की पहुंच उपलब्ध है।

प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता पोर्टल (एसपीपी) :

प्रसारण सेवाएं और केबल सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं से संबंधित जानकारी के संग्रहण हेतु भादूविप्रा को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 05 जून, 2018 को पोर्टल (www.spp.trai.gov.in) शुरू किया गया था।

डेटा विश्लेषण और क्लॉउड सेवाएं :

भादूविप्रा क्रॉउडसोर्सिंग के माध्यम से और

संबंधित सेवा प्रदाताओं से डेटा संग्रहण कर सार्थक विश्लेषण और जानकारी प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के लिए, भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों हेतु आंतरिक रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में निशुल्क/लाइसेंस प्राप्त साधनों (टूल्स) और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके समेकित डेटा विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही, भादूविप्रा के अधिकांश एप्लीकेशन 'क्लॉउड एन्वायरमेंट' पर होस्ट किए गए हैं और इस प्रकार समय तथा अवसंरचनात्मक लागत के संदर्भ में बचत के लाभ उठाए जा रहे हैं।

उपभोक्ता संपर्क :

देशभर में भादूविप्रा द्वारा आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भादूविप्रा की वेबसाइट में नया खंड जोड़ा गया है जिसके माध्यम से अन्य उपभोक्ता केन्द्रित जानकारियों सहित आगामी सीओपी अनुसूची को देखा जा सकता है। इसी खंड में उपभोक्ता द्वारा भादूविप्रा के सीओपी की अनुसूची और टीएसपी द्वारा आयोजित उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाओं की अनुसूची को देखा जा सकता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित भादूविप्रा के विज्ञापनों, लघु फिल्मों और रेडियो जिंग्लस को डॉउनलोड किया जा सकता है तथा इसी खंड से ही सोशल मीडिया पर भी साझा किया जा सकता है।

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

2.15.1 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 के तहत वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वर्ष 2020 तक 600 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में मार्च, 2018 के अंत तक ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 412.60 मिलियन पहुंच गई है और देश वर्ष 2020 तक 600 मिलियन कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 का एक उद्देश्य सामयिक और प्रभावी समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना है। इसे समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 10 मार्च, 2017 को "दूरसंचार क्षेत्र में शिकायत/परिवाद निवारण" के संबंध में अपनी सिफारिशें भेजी हैं।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भादूविप्रा से राष्ट्रीय दूरसंचार नीति– 2018 को तैयार करने के लिए अपनी नीतिगत जानकारी देने की अनुरोध किया है। यथोचित परामर्श प्रक्रिया के बाद प्राधिकरण ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति– 2018 को तैयार करने के लिए प्राप्त टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया है और दूरसंचार विभाग को भेज दिया है।

(छ) सेवा की गुणवत्ता

2.16 भादूविप्रा ने निम्नवत विनियमों के माध्यम से विभिन्न गुणवत्ता सेवा मानदंडों के लिए मानक तैयार किए हैं :

(क) आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन)– सेवा के गुणवत्ता के मानक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009

(ख) ब्रॉड सेवा की सेवा गुणवत्ता विनियम, 2006

(ग) वॉयरलेस डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2012

वॉयरलाइन, सेल्युलर और ब्रॉडबैंड के लिए विनियम नेटवर्क और उपभोक्ता मानदंडों के अनुपालन के लिए उपबंध करता है। मानदडों

के अनुपालन नहीं होने पर सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरूत्साहन लगाए जाने का उपबंध है।

बैंचमार्क के समक्ष सेवा प्रदाताओं की सेवा निष्पादन की गुणवत्ता का मूल्यांकन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं, वॉयरलेस डेटा सेवाएं, मूलभूत सेवाएं (वॉयरलाइन) और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अनुपालन रिपोर्ट तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

सेवा की गुणवत्ता विनियमों की समीक्षा वर्ष 2017 में की गई थी और भादूविप्रा ने दिनांक 18 अगस्त, .2017 को "मूलभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) की सेवा के गुणवत्ता के मानक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (पाचवां संशोधन) विनियम, 2009 जारी किया गया। इस विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :

- सभी बीटीएस के कॉल ड्रॉप के औसत की विद्यमान प्रणाली की बजाय ड्रॉप कॉल दर (डीसीआर) के मूल्यांकन के लिए संशोधित प्रणाली प्रतिशतक आधार पर होगी जो औसतीकरण की विसंगति को दूर करेगा।
- डीसीआर के लिए संशोधित दृष्टिकोण सेवा प्रदाता के नेटवर्क निष्पादन में बेहतर जानकारी देगा और उन स्थानीय क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करेगा जहां सेल(लों) ने कई दिनों से बेहतर निष्पादन नहीं किया है और साथ ही उन दिन(नों) की पहचान करने में भी सहायता करेगा जब नेटवर्क में अनेक सेलों ने अच्छा निष्पादन नहीं किया।
- संशोधन विनियम में कॉल ड्रॉप पर विद्यमान दो मानदंडों को दो नए मानदंडों से बदला गया है।
- नया मानदंड डीसीआर क्षेत्रगत संवितरण उपाय अथवा डीसीआर नेटवर्क_क्यूएसडी (90,90) (बैंचमार्क 2 प्रतिशत) का अभिप्राय है कि नेटवर्क में कम से कम 90 प्रतिशत सेलों को न्यूनतम 90 प्रतिशत दिनों में विनिर्दिष्ट 2 प्रतिशत बैंचमार्क से बेहतर निष्पादन करना चाहिए।
- इसी प्रकार, नया मानदंड बीसीआर 'टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन मैज़र' अथवा डीसीआर नेटवर्क_क्यूटीडी (97,90) यह आत्मविश्वास देगा कि कम से कम 90 प्रतिशत दिनों में नेटवर्क का निष्पादन कम से कम 97 प्रतिशत सेलों के लिए विनिर्दिष्ट बैंचमार्क 3 प्रतिशत से बेहतर होगा।
- कॉल ड्रॉप के संबंध मे नए मानदंडों हेतु बैंचमार्क का अनुपालन करने में असफल रहने पर दोनों मानदंडों के लिए संयुक्त रूप से श्रेणीबद्ध वित्तीय निरूत्साहन की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपए निर्धारित की गई है ।

"आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) –सेवा के गुणवत्ता के मानक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (पाचवां संशोधन) विनियम, 2017" के मुद्दे से पहले सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए अनुपालन रिपोर्ट 2जी और 3जी नेटवर्कों के लिए अलग से भेजी गई थी। नए विनियमों के अंतर्गत इन्हें सभी प्रौद्योगिकियों के लिए एक साथ प्रस्तुत किया जाता है।

सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्क के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए भादूविप्रा ने दूसरे

संशोधन विनियमों, जिन्हें दिनांक 08 नवंबर, 2012 में जारी किया गया था, के माध्यम से वित्तीय निरूत्साहन की प्रणाली निर्धारित की थी। इन विनियमों में बैंचमार्कों का अनुपालन नहीं करने, अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में विलंब और गलत रिपोर्ट करने के लिए वित्तीय निरूत्साहन का उपबंध है।

अनुपालन रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण मे विलंब होने पर 5000/–रुपए प्रतिदिन के दर से वित्तीय निरूत्साहन लगाया जाता है। गलत रिपोर्ट करने के लिए 10,00,000/– रुपए प्रति मानदंड की दर से वित्तीय निरूत्साहन लगाया जाता है।

गैर–अनुपालन के लिए वित्तीय निरूत्साहन का ब्योरा निम्नवत है :

सेल्युलर सेवाएं

- एक तिमाही में बैंचमार्क को प्रथम गैर–अनुपालन के लिए प्रति मानदंड एक लाख रुपए से अनधिक की राशि।
- इसके पश्चात्, लगातार दो अथवा इससे अधिक तिमाहियों में समान मानदंड के लिए बैंचमार्क का गैर–अनुपालन हेतु लगातार दूसरे उल्लंघन के लिए डेढ़ लाख रुपए से अनधिक की राशि और लगातार प्रत्येक उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए से अनधिक की राशि,
- तत्पश्चात् किसी तिमाही में समान मानदंड के लिए बैंचमार्क का अनुपालन नहीं किए जाने पर, जो लगातार किया जाने वाला गैर–अनुपालन नहीं है, प्रति मानदंड एक लाख रुपए।

आधारभूत सेवाएं (वॉयरलाइन)

बैंचमार्क के गैर–अनुपालन के लिए प्रति मानदंड वित्तीय निरूत्साहन 50,000/–रुपए है।

ब्रॉडबैंड वॉयरलाइन सेवाएं

पहली बार बैंचमार्क के गैर–अनुपालन के लिए प्रति मानदंड 50,000/–रुपए का वित्तीय निरूत्साहन लगाया जाएगा और इसके पश्चात् लगातार नहीं किए जाने वाले गैर–अनुपालन की स्थिति में वित्तीय निरूत्साहन 1,00,000/– रुपए प्रति मानदंड होगा।

भादूविप्रा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सेवा गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और मूल्यांकन भी करता है। लेखापरीक्षा और मूल्यांकन कार्य दो भिन्न तरीकों में विभक्त है और इन कार्यों के लिए भिन्न निविदाएं आमंत्रित की गई थी (1) जोन आधार पर सेवा की गुणवत्ता के लिए स्वतंत्र ड्रॉइव टेस्ट करने हेतु सभी चार जोनों के लिए मैसर्स फिमैट्रिक्स। (2) जोन आधार पर सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और मूल्यांकन के लिए सभी चारों जोनों के लिए भी मैसर्स फिमैट्रिक्स। वर्ष 2017–18 के दौरान इस आईडीटी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आईडीटी रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया और सभी हितधारियों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर जारी किया गया। सर्वेक्षण का ब्योरा भाग –III में दिया गया है ।

सेवा प्रदाताओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट और भादूविप्रा द्वारा संलग्न जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। जहां कहीं आवधिक रिपोर्टों, स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन की सूक्ष्म निगरानी करने पर सेवा बैंचमार्कों की गुणवत्ता को प्राप्त करने

में कमियां पायी जाती हैं, भादूविप्रा विभिन्न मानदंडों के लिए बैंचमार्क को प्राप्त करने में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं से साथ अनुवर्ती कार्यवाही करता है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने समय–समय पर सेवा प्रदाताओं के साथ अनेक बैठकें की गई। सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई सेवा की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण रही हैं। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर बैंचमार्क का अनुपालन नहीं होने के बारे में पता चलता है तो सेवा प्रदाता से इसका स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, गैर–अनुपालन की गंभीरता, सेवा में सुधार लाने के लिए की–गई कार्रवाई पर विचार करने के उपरांत सेवा प्रदाता पर वित्तीय निरूत्साहन अभिरोपित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सेवा गुणवत्ता के विनियमों का उल्लंघन के कारण कुल 2.18 करोड रुपए की वित्तीय निरूत्साहन राशि प्राप्त हुई। हितधारियों की जानकारी के लिए भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं के सेवा गुणवत्ता निष्पादन, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की गई सेवा गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और मूल्यांकन के परिणाम और सेवा संबंधी उपभोक्ता के अनुभव के बारे में स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की गई आईवीआर सर्वेक्षण के परिणाम से संबधित जानकारी भी अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करता है। सेवा संबधित सूचना के प्रकाशन से सेवा प्रदाताओं पर सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन में सुधार लाने हेतु बाध्य होते हैं और बैंचमार्क को प्राप्त करने के लिए कमियों को दूर भी करते हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान सेवा गुणवत्ता से संबंधित निम्नवत विभिन्न परामर्श पत्र/ विनियम/ श्वेत पत्र जारी किए गए हैं :

(i) दिनांक 14 सितंबर, 2017 का अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण संबंधी परामर्श पत्र पर परामर्श पत्र।

(ii) दिनांक 26 फरवरी, 2018 का "एलटीई प्रयोक्ताओं को वॉयस सेवाएं (वोल्ट और सीएस फॉलबैक सहित)" विषय पर का परामर्श पत्र।

(iii) दिनांक 18 अगस्त, 2017 का "आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) –सेवा के गुणवत्ता के मानक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (पाचवां संशोधन) विनियम, 2009"

(iv) दिनांक 5 फरवरी, 2018 का वॉयरलेस डेटा गति पर श्वेत पत्र ।

सेवा गुणवत्ता मानदंड की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर सेवा बैंचमार्क की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी का प्रकाशन करने के संबंध में भादूविप्रा ने भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (प) की खंड (ख) और उपधारा (प) और (v) के साथ पठित धारा 13 और सेवा की गुणवत्ता मानदंडों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सेवा की गुणवत्ता बैंचमार्को के संबंध में निष्पादन से संबंधित जानकारी को बेवसाइट पर प्रकाशित करने हेतु दिनांक 20 मार्च, 2009 के आधारभूत टेलीफोन सेवा के अंतर्गत (वॉयरलाइन) की सेवा गुणवत्ता मानक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 (2009 का 7) के विनियम 9 के अंतर्गत निदेश भी जारी किए थे। प्रतिभूति बाजार में निवेश से संबंधित थोक

में अवांछित एसएमएस के संबंध में भादूविप्रा ने भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (प) की खंड (ख) और उपधारा (प) और (v) के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत निदेश भी जारी किए थे।

(ज) वैश्विक सेवा दायित्व

2.17 प्राधिकरण ने अपने दिनांक 14 मई, 2012 के सिफारिशों के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से पहले प्रतिष्ठापित ग्रामीण वॉयरलाइन कनेक्शनों के समर्थन में सिफारिश की। पहले वर्ष के लिए सहायता के रूप में 1500 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई थी और वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई थी।

इसके अतिरिक्त, अपने दिनांक 22 जुलाई 2014 की सिफारिश के तहत 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं के सुधार' के संबंध में प्राधिकरण ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना प्रेषित की।

दूरसंचार आयोग को की गई भादूविप्रा की सिफारिशों के अनुरूप अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए समेकित और व्यापक दूरसंचार विकास योजना अनुमोदित की गई। योजना के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में समुद्री ओएफसी कनेक्टिविटी, सैटेलाइट बैंडविद्थ संवर्धन, निर्बाध 2जी कवरेज और अंतराद्वीपसमूह ओएफसी नेटवर्क उपलबध कराने के लिए 2035 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय को यूएसओ निधि से वित्तपोषित किया जाएगा।

वर्ष 2016 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वॉयरलाइन कनेक्शन के प्रचालन में बीएसएनएल को हुए घाटे की भरपाई के रूप में यूएसओएफ निधि से बीएसएनएल को 1250 करोड़ रुपए की राजसहायता देने का प्रस्ताव अनुमोदित किया था।

निशुल्क डेटा प्रदान करने के लिए दिनांक 19 दिसंबर, 2016 को अपनी हाल की सिफारिश में प्राधिकरण ने सिफारिश की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वहनीयता संबंधी समस्याओं को पाटने के उद्देश्य से और डिजिटल साधनों को प्रोत्साहित करके नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार को सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रतिमाह लगभग 100 एमबी का डेटा निशुल्क प्रदान करने की योजना शुरू की जा सकती है और योजना के कार्यान्वयन की लागत यूएसओएफ से वहन किया जा सकती है।

परामर्श

➢ भीम/यूपीआई और भारत क्यूआर कोड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने हेतु सभी डीटीएच प्रचालकों को दिनांक 07 नवंबर, 2017 का परामर्श

2.18 भीम/यूपीआई और भारत क्यूआर कोड का प्रयोग करके ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने हेतु सभी डीटीएच प्रचालकों को दिनांक 07 नवंबर, 2017 को परामर्श जारी किया गया। यह परामर्श उपभोक्ताओं के साथ–साथ सेवा प्रदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने हेतु जारी किया गया। परामर्श का पूरा ब्योरा भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

अन्य क्रियाकलाप

उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता पैदा करना भादूविप्रा के अधिदेश का भाग है और भादूविप्रा हमेशा देशभर में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन करके उपभोक्ताओं के पास पहुंचता रहा है। भादूविप्रा की वेबसाइट भी उपभोक्ता से संबंधित प्रासंगिक सूचना के प्रचार– प्रसार में सहायता करती है। भादूविप्रा उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रणाली तैयार की है। वे उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भादूविप्रा के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और उपभोक्ता शिक्षा में भादूविप्रा को सहायता करते हैं। भादूविप्रा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया अभियानों सहित शैक्षिक/ प्रचार सामग्री के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों और सेवा से संबंधित मुद्दों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी)

2.19.1 वर्ष 2017–18 के दौरान भादूविप्रा ने देशभर में 85 उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए हैं। भादूविप्रा द्वारा आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों की राज्यवार सूची इस भाग के अंत में अनुबंध के रूप में दी गई है। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा के पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहो (सीएजी) की क्षमता निर्माण के लिए 6 क्षेत्रीय कार्यशालाएं भोपाल, जोधपुर, बोधगया, कोयम्बटूर, गंगटोक और मनाली में आयोजित की गई थी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य इस क्षेत्र में हो रहे प्रमुख विकासों के संबंध में और भादूविप्रा की उपभोक्ता केन्द्रित पहलों के बारे में पर्याप्त ज्ञान देने के साथ– साथ सीएजी को सशक्त बनाना है। उपभोक्ता पहुंच समूहो के ज्ञान वर्धन के लिए वर्ष 2017–18 से महत्वपूर्ण क्षेत्रों/ विषयों पर विशेषज्ञों से अंतर्क्रियात्मक सत्रों को भी कार्यशालाओं में शामिल किया गया है।

दूरसंचार के क्षेत्र में उपभोक्ता कल्याण और उपभोक्ता शिक्षा पर संगोष्ठियां

2.19.2 दूरसंचार नेटवर्क को बैंकिंग, वाणिज्य, मीडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे अनेक सेवाओं के परिदान के लिए उतरोत्तर उपयोग किया जा रहा है। जीवन के सभी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के पदार्पण ने नए प्रकार के उपभोक्ता मुद्दों और चिंताएं को जन्म दिया है। इसे ध्यान में रखकर, इस क्षेत्र में नए और उभरते घटनाक्रमों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और उनके मध्य जागरूकता फैलाने तथा नई सेवाओं और प्रद्योगिकियों में उपभोक्ता की जिज्ञासाओ को दूर करने तथा मुद्दों का समाधान करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है। इन उद्देश्यों के साथ, नई पहल की गई है और यह निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता पहुंच समूहों, केन्द्र/ राज्य सरकार के विभागों, प्रतिष्ठित शिक्षा संगठनों, अनुसंधान संगठनों, दूरसंचार उद्योग और अन्य उद्योग/ सेवा क्षेत्रों, जो सेवाओं आदि के परिदान के लिए मुख्य आगत के रूप में दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जैसे हितधारकों के सहयोग से प्रासंगिक विषयों पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में चार संगोष्ठियां आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, "स्मार्ट सिटी और आईओटी", "बिग डेटा एनालिसिस और सॉइबर सिक्योरिटी", "डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण" और "इंटरनेट युग में स्मार्ट फोन का प्रयोग" विषय

पर चार संगोष्ठियों का क्रमशः विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), बंगलूरू (कर्नाटक), जयपुर (राजस्थान) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में वर्ष 2017–18 में आयोजित किया गया।

मीडिया अभियान

2.9.13 भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए उपभोक्ता के हित के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया अभियान शुरू किया है। इस अभियान को आगे ले जाते हुए 'डीएनडी 2.0 ऐप', 'टॉवर फ्रॉड' और 'माईस्पीड एप' जैसे मुद्दे पर देशभर में विभिन्न भाषाओं में प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी किया है। इसके अतिरिक्त, ''माईकॉल एप'' पर रेडियो स्पॉट/ जिंग्लस को एफएम रेडियो पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न शहरों में प्रकाशित किया गया है।

उपभोक्ता समर्थक समूहो का पंजीकरण

2.19.4 भादूविप्रा में पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी), भादूविप्रा के साथ समन्वय करते हैं और भादूविप्रा को उपभोक्ता शिक्षा में सहायता करने और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और प्रचार– प्रसार के लिए कार्य करने हेतु भादूविप्रा के कार्यकलापों पर उपभोक्ताओं की आवाज़ को उठाते है। भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय उपभोक्ता समर्थक समूहों के साथ बातचीत करते हैं, अपने कार्यकलापों का समन्वय करते हैं और सेवा प्रदाताओं के साथ उपभोक्ता संबंधित मुद्दे का समाधान करने में सहायता करते है। उपभोक्ता समर्थक समूह, सीओपी और अपने संबंधित क्षेत्रों में आयोजित कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दिनांक 31 मार्च, 2018 की तिथि के अनुसार 55 सीएजी भादूविप्रा में पंजीकृत हैं।

प्रसारण क्षेत्र

➢ ''डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया– वे फावर्ड'' विषय पर संगोष्ठी

2.19.5 दिनांक 4 और 5 मई 2017 को नई दिल्ली में ''डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया–वे फारवर्ड'' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों यथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संचार और सूचना प्रद्यौगिकी मंत्रालय, प्रसार भारती, आकाशवाणी, बीईसीआईएल के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ प्रसारण क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं ने इसमें भाग लिया।

➢ ''तकनीकी अंतर्प्रचालनीय सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान संरचना'' विषय पर कार्यशाला

2.19.6 दिनांक 26 सितंबर, 2017 को ''तकनीकी अंतर्प्रचालनीय सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान संरचना'' विषय पर कार्यशाला का आयोजन ''गुलमोहर'' हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में किया गया।

➢ ''भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे'' विषय पर परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी)

2.19.7 दिनांक 25 अक्तूबर, 2017 को ''भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे'' विषय पर परामर्श पत्र के संबंध में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन ''टैगोर चैम्बर'', स्कोप कन्वेंशन सेन्टर, स्कोप कम्पलेक्स, गेट न0 18, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में किया गया।

➢ "प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता" विषय पर परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा

2.19.8 दिनांक 01 जनवरी, 2017 को "प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता" विषय पर परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा का आयोजन "मिर्जा गालिब चैम्बर, स्कोप कन्वेंशन सेन्टर, स्कोप कम्पलेक्स, गेट न0 18, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में किया गया।

➢ कार्यकलापों पर रिपोर्ट

2.19.9 दिनांक 01 जनवरी, 2017 से दिनांक 31 दिसंबर, 2017 तक भादूविप्रा के कार्यकलापों पर रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई ताकि दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के विकास को बढ़ाने और उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए किए गए उपायों पर भी प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों पर हितधारियों के व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने और बेहतर समझ पैदा करने के लिए किया गया।

➢ अंतराष्ट्रीय संबंध

2.19.10 अन्य विनियामकों के साथ किए गए करार पर हस्ताक्षर / आरंभ किए गए प्रस्ताव आशय पत्र (एलओआई)

- दिनांक 22 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में मलेशियन कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया कमीशन (एमसीएमसी) और भादूविप्रा के बीच मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

➢ अन्य विनियामकों के साथ प्रस्ताव जो अभी प्रक्रियागत हैं

- अल्जीरिया रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, अल्जीरिया के साथ समझौता ज्ञापन।
- ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशन एंड मीडिया अथॉरिटी (एसीएमए), ऑस्ट्रेलिया के साथ आशय पत्र (एलओआई)
- टेलीकम्युनिकेशंस एंड रेडिया–कम्युनिकेशंस रेगुलेटर (टीआरआर), वानूआतू के साथ आशय पत्र (एलओआई)।

➢ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण / बैठकों का आयोजन

- स्पेक्ट्रम पर एसएटीआरसी कार्य समूह की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में दिनांक 16 से 17 मई, 2017 को हुआ।
- दिनांक 21 से 22 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली, भारत में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन (आईटीयू) और भादूविप्रा ने संयुक्त रूप से एशिया प्रशांत विनियामक गोलमेज (आरआर) का आयोजन किया।
- दिनांक 23 से 25 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली, भारत में अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और भादूविप्रा ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) का आयोजन किया।
- दिनांक 21 जुलाई, 2017 को काहिरा, मिस्र में भादूविप्रा और नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनटीआरए), मिस्र द्वारा 'नेट न्युट्रिलिटी' विषय पर संयुक्त संगोष्ठि का आयोजन किया गया।

➢ द्विपक्षीय बैठकें

i. श्री नौरेद्दीन बुतायेब, आंतरिक मंत्री, मोरक्को किंगडम के नेतृत्व में दस सदस्यीय मोरक्कन प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए 30 अक्टूबर, 2017 को 1600 बजे भादूविप्रा का दौरा किया।

ii. दिनांक 22 नवंबर, 2017 को श्री होलिन ज्हावो, महासचिव, आईटीयू ने भादूविप्रा का दौरा किया और भादूविप्रा के अधिकारियों को संबोधित किया।

iii. दिनांक 24 अगस्त, 2017 को बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन (बीटीआरसी) से एक प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए भादूविप्रा का दौरा किया।

iv. दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम विषय पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड नेशनल कैपीटल डेवलपमेंट फंड से एक प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया।

v. दिनांक 22 नवम्बर, 2017 को द्विपक्षीय चर्चा करने के लिए नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनटीआरए), मिस्र से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया।

vi. दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 को द्विपक्षीय बैठक करने के लिए मलेशियन कम्युनिकेशंस एंड मल्टीमीडिया कमीशन (एमसीएमसी) से एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया।

vii. दिनांक 22 जनवरी, 2018 को टेलीविजन तथा रेडियो दोनों के लिए सामुदायिक प्रसारण, लाइसेंसिग तथा विनियम के संबंध में जानने के लिए इंडीपेंडेंट कम्युनिकेशंस अथारिटी ऑफ साउथ अफ्रीका (आईसीएएसए), साउथ अफ्रीका से तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया।

viii. दिनांक 22 फरवरी, 2018 को **"दूरसंचार अवसंरचना में भारत– जापान कार्यनीतिक सहयोग"** विषय पर भादूविप्रा के अध्यक्ष महोदय के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री (एमईटीआई), जापान से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया।

ix. दिनांक 27 फरवरी, 2018 को प्रसारण संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इलेक्ट्रिानिक्स् एंड टेलीकम्यूनीकेशन्स् रिसर्च इंस्टीटयूट (ईटीआरआई), कोरिया से एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया।

x. दिनांक 16 मार्च, 2018 को प्रसारण संबंधी मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक करने के लिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्यूनीकेशन कमीशन (एनबीटीसी) से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया।

➢ प्राधिकरण के अंतराष्ट्रीय दौरों के समय आयोजित की गई द्विपक्षीय बैठकें

i. दिनांक 8 से 10 मई, 2017 को बैंकॉक, थाईलैंड में एशिया पेसेफिक डिजिटल सोसायटीज पालिसी फोरम के दौरान जीएसएमए स्पेक्ट्रम हैड, श्री ब्रेट तारुनुजर के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई।

ii. दिनांक 29 से 30 जून, 2017 को एसटोनीया, में प्रोग्राम ई– गवर्नेंस प्रोजेक्ट, डिजिटल टेक्नोलाजिज एंड डिजिटल सिस्टम्स् के दौरान हैड ऑफ ई– गवर्नेंस, सुश्री अनेला किराटस के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई।

iii. दिनांक 11 से 14 जुलाई, 2017 को नासाउ, बाहामास में ग्लोबल सिम्पोजियम फॉर रेग्यूलेटर्स (जीएसआर– 17) के दौरान फैडरेशन कम्यूनीकेशन्स कमीशन (एफसीसी) न्यू इंटरनेशनल ब्यूरो चीफ, श्री टाम सुलीवन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई।

iv. दिनांक 05 से 06 अक्तूबर, 2017 को सोची, रूस में फोरम ऑफ इनोवेटिव फाइनांशियल टेक्नोलाजीज फिनोपोलिस 2017 तथा दिनांक 09 से 12 अक्तूबर, 2017 को ब्रूसेल्स में इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ कम्यूनीकेशन्स (आईआईसी) के वार्षिक आयोजन में

- रूसी संघ के कम्यूनीकेशन्स् एंड मॉस मीडिया के उप मंत्री, श्री एलेक्से कोजाएरेव
- मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिप्पल की

सुश्री सुज़ेन आथे, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, स्टेनफोर्ड यूनीवर्सिटी के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुईं।

v. दिनांक 04 से 08 दिसम्बर, 2017 के दौरान अमेरिका में आयोजित 'स्टार्टअप ब्रिज इंडिया लीडरशिप कांफ्रेंस' के दौरान एफसीसी के अध्यक्ष श्री अजीत पाई के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई।

vi. दिनांक 26 से 28 फरवरी, 2018 को बार्सिलोना में जीएसएमए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान बीईआरईसी ग्लोबल लीडरशिप टीम और फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, एफसीसी के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुईं।

vii. दिनांक 26 से 27 मार्च, 2018 को दौरान अलजीरिया के अल्जीयर्स में 'ए न्यू इकॉनामी फॉर मिडल ईस्ट एंड नार्थ अफ्रीका कंट्रीज़: यूथ, टेक्नॉलाजी एंड फाइनांस'' तथा दिनांक 28 से 30 मार्च, 2018 के दौरान पैरिस में यूनेस्को– आईटीयू मोबाइल लर्निंग वीक 2018 विषय पर

- माल्टा के वित्त मंत्री, श्री एडवर्ड स्कील्यूना,
- अल्जीरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य के वित्त मंत्री, श्री अबडेरहमोने राउये;
- विश्व बैंक समूह के एग्रीकल्चर ग्लोबल प्रेक्टिस, ग्लोबल लीडस फॉर जाब्स्, श्री परमेश शाह के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुईं।

वर्ष के दौरान आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग

- स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 27 जुलाई, 2017 को फेडरल कम्यूनीकेशन्स् कमीशन (एफसीसी), अमेरिका के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग।
- नेट न्युट्रिलिटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2017 को बाडी ऑफ यूरोपीयन रेग्यूलेटर्स फॉर इलेक्ट्रिानिक कम्यूनीकेशन्स् (बीईआरईसी), के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग।
- प्रशुल्क के विनियामकारी सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2018 को फेडरल कम्यूनीकेशन्स् कमीशन (एफसीसी), अमेरिका के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के विचारार्थ लम्बित प्रशासनिक, विधिक और वित्तीय मुद्दे

2.20 रिपोर्ट में चर्चा किए गए विभिन्न मामलों के अलावा, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निर्णय के लिए दूरसंचार विभाग के पास लम्बित हैं। निम्नलिखित पैराओं में ऐसे प्रशासनिक, विधिक और वित्तीय मुद्दों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जो कि दूरसंचार विभाग के पास लम्बित हैं:–

(i) भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन के लिए प्रस्ताव

2.20.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ ही साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। प्राधिकरण को इसके विनियामक कार्यों के निर्वहन में निर्देशों, विनियमों और आदेशों को जारी करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, परन्तु इसके पास इसके द्वारा किए गए विनियामक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु कोई भी शक्ति नहीं है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत इसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने वर्ष 2007 में

भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद, दूरसंचार विभाग के साथ निरंतर पत्राचार किया गया और कैबिनेट के लिए दो मसौदा टिप्पणी भी दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार किए गए थे।

इस प्रकार, दिनांक 03 जून, 2016 को भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक वृहद संशोधन दूरसंचार विभाग को भेजा गया था। तत्पश्चात् दूरसंचार विभाग द्वारा कतिपय जानकारियां मांगी गई थी जो उन्हें मुहैया करवा दी गई थी। तत्पश्चात् भादूविप्रा तथा दूरसंचार विभाग के बीच भादूविप्रा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए अनेक बैठकें हुई हैं।

(ii) भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संबंधी नियम, 2002 की अनुसूची–1 में संशोधन

2.20.2 भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संबंधी नियम, 2002 की अनुसूची–1 अभी भी पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान को दर्शाती हैं, जबकि सरकार ने छठे वेतन आयोग और अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू कर दिया है।

सहायक लेखा अधिकारी और कनिष्ठ लेखा अधिकारी और पुस्तकाध्यक्ष के पदों, जिन्हें तकनीकी अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के रूप में पुनः नामकरण किया गया था, को भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–1 से लोप किया जाना है।

इसके अलावा, भादूविप्रा में 'पीसीएमओ' तथा 'डिस्पैच राइडर' के पद को आरंभ करने के लिए दूरसंचार विभाग ने दिनांक 15 जुलाई, 2004 के पत्र संख्या 10–2/ 2004– आरईएसटीजी के माध्यम से सिद्धांत रूप में अनुमति प्रदान कर दी थी। इन पदों को भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–1 में सम्मिलित किया जाना है। दूरसंचार विभाग से दिनांक 05 नवम्बर, 2014 तथा 27 नवम्बर, 2014 के पत्र सं. 5–1/2009–ए एवं पी माध्यम से उक्त नियमों की अनुसूची–I में डीओपीटी के दिनांक 04 जुलाई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी–14017/10/2014– एस्टेबलिशमेंट (आरआर) (3104937), जिसमें ड्राइवरों की भर्ती के लिए आदर्श भर्ती नियम अंतर्विष्ट है, के अनुपालन में ड्राइवरों के चार ग्रेडों को सम्मिलित किए जाने के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया गया था। दिनांक 14 सितम्बर, 2017 के पत्र संख्या 5–1/ 2014– एएंडपी के माध्यम से दूरसंचार विभाग से उक्त पदों और स्टॉफ अधिकारी, तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी) और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों को डीओटी नियम, 2002 की अनुसूची– I में सम्मिलित किए जाने तथा समूह–घ, परिचर के पद का नाम बदलकर मल्टी टास्किंग स्टाफ करने का अनुरोध किया गया था।

(iii) भादूविप्रा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ सुविधा प्रदान करना

2.20.3 भादूविप्रा के कर्मचारियों को चिकित्सा हितलाभ सुविधा, भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–II के अनुसार शासित है। दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, भादूविप्रा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ सुविधा प्रदान करने हेतु सीएस (एमए) नियम, 1944 की तर्ज पर मसौदा चिकित्सा सुविधा नियमों को तैयार किया गया और प्राधिकरण के दिनांक 14 मार्च, 2014 पत्र संख्या 9–9/2007–एएण्डपी के माध्यम से दूरसंचार विभाग को भेजा गया था। इस संबंध में, दिनांक 23 अक्तूबर, 2014 को दूरसंचार विभाग को एक अनुस्मारक भी भेजा गया था।

(iv) प्राधिकरण को ग्राह्य अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश से संबंधित मुद्दे

2.20.4 भादूविप्रा (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2000, दिनांक 26 जून, 2000 के द्वारा भादूविप्रा के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा नियम और शर्तें शासित होती हैं। उक्त नियम के नियम–3 के अनुसार, भादूविप्रा के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, देय अर्जित अवकाश में से 50 प्रतिशत तक अर्जित अवकाश का नगदीकरण करा सकते हैं। 50 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की बजाय, शत– प्रतिशत अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु नियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव, दिनांक 17 अगस्त 2013 के पत्र संख्याः 2–सदस्य (1)/2012–एएण्डपी के द्वारा दूरसंचार विभाग को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, कथित नियम, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्द्ध वेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश प्रदान करने की अनुमति नहीं देते हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्द्ध वेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश की अनुमति देने के लिए, जैसाकि केन्द्रीय सरकार के समूह–ए के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है, एक प्रस्ताव दिनांक 07 फरवरी, 2014 के अ0 शा0 पत्र सं0 13–1/ 2014– एएण्डपी के माध्यम से दूरसंचार विभाग को भेजा गया है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग को दिनांक 08 मई, 2017 के पत्र संख्या 13–1/2014–एएण्डपी के माध्यम से नियमों में संशोधन करने के लिए पुनः अनुरोध किया गया था।

अनुलग्नक

वर्ष 2017–18 के दौरान सीओपी की राज्यवार सूची

क्रम संख्या	राज्य	वर्ष 2017–18
1	असम	मंगलदोई
2		शिवसागर
3		करीमगंज
4	आंध्र प्रदेश	सूर्यपेट
5	तेलंगाना	तेनाली
6		विजयनगरम
7		कडप्पा
8		भोनगीर
9		भीमावरम
10	बिहार	किशनगंज
11		दरभंगा
12	छत्तीसगढ़	कोरबा
13		दुर्ग
14	दिल्ली	एनएलयू– द्वारका
15	गुजरात	नवसारी
16		वडोदरा
17		भावनगर
18		दाहोद
19		पाटन
20		द्वारका
21	हरियाणा	पलवल
22		सोनीपत
23	हिमाचल प्रदेश	पंचकुला
24		धर्मशाला
25		कसौली
26		चम्बा
27	जम्मू और कश्मीर	लेह
28		उधमपुर
29	झारखंड	हजारीबाग
30		धनबाद
31	कर्नाटक	बंगलोर (बीएंडसीएस)
32		रामनगर
33		मंगलोर
34		हावेरी
35		चिकबालपुर
36		चिकमंगलूर
37	केरल	नयातिनकर
38	मध्य प्रदेश	पन्ना
39		अनुपुर
40		बुरहानपुर
41		उज्जैन
42		टीकमगढ़
43		दतिया
44	महाराष्ट्र	परभनी
45		हिंगोली
46		भंडारा
47		लातुर
48		बुलढाना
49		अकोला
50		चंद्रपुर
51		अलीबाद
52		गोंडिया
53	मेघालय	शिलांग
54	मणिपुर	इंफाल
55	नागालैंड	कोहिमा
56	ओड़िशा	जाजपुर
57		राउरकेला
58		झारसुगुडा
59	पंजाब	फिरोजपुर
60		तरनतारन
61		शहीद भगत सिंह नगर

क्रम संख्या	राज्य	वर्ष 2017–18
62	राजस्थान	टोंक
63		बूंदी
64		राजसमंद
65		हनुमानगढ़
66	तमिलनाडु	तेनी
67		नागापट्टनम
68		तुतीकोरिन
69		तिरूपुर
70		विल्लुपुरम
71		तिरूचिरापल्ली
72	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर
73		सुल्तानपुर
74		रामपुर
75		मेरठ
76		फिरोजाबाद
77		सीतापुर
78	उत्तराखंड	श्रीनगर
79		हल्द्वानी
80	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
81		झारग्राम
82		बारासात
83		अलीपुरद्वार
84		हल्दिया
85		कूच बिहार

दिनांक 21–22 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित "आईटीयू–ट्राई एशिया–पेसिफिक रेगूलेटर्स राउण्डटेबल"

दिनांक 23–25 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित "आईटीयू–ट्राई अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम"।

दिनांक 05 जून, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित ट्राई मोबाईल ऐप एंव पोर्टल का शुभारंभ।

दिनांक 17 जनवरी, 2018 को आयोजित " राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–2018 तैयार करने के लिए सूचना पर परामर्श पत्र" विषय पर खुली चर्चा।

दिनांक 22 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में 'मलेशियन कम्यूनिकेशन एवं मल्टीमिडिया कमीशन (एमसीएमसी)' के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर।

दिनांक 22 फरवरी, 2018 को जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधिमण्डल के साथ "दूरसंचार बुनियादी ढांचे में भारत–जापान रणनीतिक सहयोग" विषय पर द्विपक्षीय चर्चा।

भाग – III

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यथा संशोधित अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान किया गया है कि –

(1) *भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे–*

(क) *निम्नलिखित मामलों पर स्वतः अथवा लाइसेन्सदाता के अनुरोध पर संस्तुति करना, नामतः*

(i) *नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और समय;*

(ii) *सेवा प्रदाता को लाइसेन्स देने के नियम और शर्तें;*

(iii) *लाइसेन्स के नियम और शर्तों का पालन नहीं करने पर लाइसेन्स निरस्तीकरण;*

(iv) *दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा सुकर बनाने तथा दक्षता के प्रोत्साहन हेतु उपाय करना, ताकि इन सेवाओं का विकास सुसाध्य बनाया जा सके;*

(v) *सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुधार करना;*

(vi) *नेटवर्क में प्रयुक्त उपस्कर के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का प्रकार निर्धारित करना;*

(vii) *दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा ऐसे अन्य मामलों हेतु उपाय करना, जो साधारण रूप में दूरसंचार उद्योग से संबद्ध करने योग्य है;*

(viii) *उपलब्ध स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण प्रबंधन*

(ख) निम्नलिखित कार्यदायित्वों का निर्वहन, नामतः

(i) लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले स्वीकृत लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करना;

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी समायोजनीयता तथा कारगर अंतःसंयोजन सुनिश्चित करना;

(iv) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से मिलने वाले राजस्व में सेवा प्रदाताओं के मध्य उनकी हिस्सेदारी के लिए व्यवस्था विनियमित करना;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित संरक्षित किया जा सके;

(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध कराने हेतु समय अवधि निर्धारित और सुनिश्चित करना;

(vii) अंतःसंयोजन अनुबंधों तथा ऐसे सभी मामलों का रजिस्टर तैयार करना, जिनका प्रावधान विनियमों में किया गया है;

(viii) खंड (vii) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर, जनता के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए, उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा विनियमों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने पर, उपलब्ध रखना;

(ix) सर्वसामान्य सेवा दायित्वों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) शुल्क तथा अन्य प्रभार ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में वसूल करना जैसाकि विनियम में निर्धारित किया गया है।

(घ) ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा इसको सौंपे गए प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू करने हेतु आवश्यक कार्य सम्मिलित हैं:

बशर्ते यह है कि इस उप–धारा के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की संस्तुतियां केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्ते यह भी है कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को जारी करने हेतु नए लाइसेन्स के संबंध में इस उप–धारा के खंड (क) और उप–खंड (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण की संस्तुतियां मांगेगी तथा प्राधिकरण अपनी संस्तुतियां सरकार द्वारा संस्तुतियां मांगे जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर अग्रसारित करेगा:

बशर्ते यह भी है कि प्राधिकरण केन्द्र सरकार से ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जो इस उप–धारा के खंड (क) और उप–खंड (i) एवं (ii) के अधीन संस्तुतियां करने हेतु आवश्यक है तथा कि सरकार ऐसी सूचना उस हेतु अनुरोध की प्राप्ति से सात दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी:

बशर्ते यह भी है कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को लाइसेन्स जारी कर सकती है, यदि द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर कोई संस्तुति प्राप्त नहीं होती है:

बशर्ते यह भी है कि यदि केन्द्र सरकार प्राधिकरण की संस्तुति पर विचार किए जाने के बाद प्रथमदृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है अथवा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, यह संस्तुति प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी तथा प्राधिकरण, पुनर्विचार अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर, सरकार द्वारा संदर्भित पुनर्विचार के उपरांत अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को अग्रेसित करेगा। केन्द्र सरकार अतिरिक्त संस्तुति, यदि कोई हो, की प्राप्ति के पश्चात अंतिम निर्णय करेगी।

(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण, समय–समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में दरें अधिसूचित कर सकता है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भारत के भीतर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनमें वे दर शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है:

बशर्ते यह है कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है तथा जहां उपरोक्तानुसार भिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलेखबद्ध करेगा।

(3) प्राधिकरण उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के अधीन अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के हितविरूद्ध कार्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

3. प्राधिकरण ने, उद्योग का विकास सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हित संरक्षित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसरण में, स्वतः स्फूर्त विधि में अथवा सरकार द्वारा इसके विचारार्थ प्रेषित मामलों पर अनेक संस्तुतियां की हैं; अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं; लाइसेन्स के नियम एवं शर्तें लागू करने हेतु कार्रवाई की गई है; तथा अन्य अनेक मुद्दों पर कार्य आरंभ किया है। विभिन्न संस्तुति संबंधी तथा विनियामक कार्यों के निर्वहन द्वारा भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा पूरे देश में दूरसंचार सेवाए प्रदायक नेटवर्क उपलब्ध कराने के रूप में प्रसारण एवं केबल सेवाएं सहित दूरसंचार सेवाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। इन सतत् उपायों के परिणामस्वरूप उपभोक्तागण सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवा की घटी दरों, सेवा की बेहतर गुणवत्ता

इत्यादि के रूप में समग्र रूप से लाभान्वित हुए हैं। भादूविप्रा द्वारा भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में विभिन्न मामलों के संबंध में निष्पादित कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

(क) दूरसंचार दरें, भारत के अंदर और भारत से बाहर दोनों के लिए, जिनमें भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजने की दरें सम्मिलित हैं।

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित, की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जिन पर भारत के अंदर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इनमें वे दरें सम्मिलित हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं हेतु लागू टैरिफ व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, भादूविप्रा से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बाजार में विद्यमान टैरिफ विनिर्दिष्ट टैरिफ व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए वसूल की जा रही दरों की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिक्त, पे चैनलों के लिए तथा केबल सेवाओं के लिए दरें तय करने हेतु मानदंड निर्धारित करने का कार्य भी भादूविप्रा को सौंपा गया है। भादूविप्रा द्वारा 2017–18 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र तथा प्रसारण एवं केबल क्षेत्र में की गई कार्रवाई की चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

3.1.1 भादूविप्रा टैरिफ विनियम द्वारा उपभोक्ता हितों की संरक्षा करता है। टैरिफ विनियम, उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जहां, बाजार यथेष्ट दरें प्रदान नहीं कर रहा है, वहां टैरिफ प्रभार तय किए जाने के रूप में होता है। दूरसंचार क्षेत्र में निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :–

➢ दूरसंचार टैरिफ (तिरसठवां संशोधन) आदेश 2018

3.1.1.1 प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और नॉन–प्रीडेशन सुनिश्चित करने के लिए "टैरिफ मूल्यांकन के विनियामक नियम" पर 16 फरवरी, 2018 को 'दूरसंचार टैरिफ (63वां संशोधन), आदेश, 2018 अधिसूचित किया था।

संशोधन टैरिफ–पारदर्शिता, निष्पक्षता और नॉन–प्रीडेशन के विनियामक नियमों से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट और मजबूत करते हैं। टैरिफ अदेशों में पारदर्शिता की जांच हेतु रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, मार्गदर्शी नियमों, निष्पक्षता की परिभाषा, नॉन–प्रीडेशन मूल्य निर्धारण के नियमों का अनुपालन, नॉन–प्रीडेशरी मूल्य निर्धारण की परिभाषा, संगत बाजार, महत्वपूर्ण बाजार शक्ति (एसएमपी) का आंकलन और अन्य संबंधित प्रावधानों पर विचार किया जाता है।

ये संशोधन उपभोक्ताओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए भी लाभप्रद होंगे। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ प्रस्तावों में पारदर्शिता का पारदर्शिता के मार्गदर्शी नियमों की तुलना में निष्पक्षता से जांच की जाएगी। इसी तरह, भादूविप्रा सुगम्यता, सटीकता, तुलनात्मकता और

पूर्णता के मापदंड पर दूरसंचार सेवा प्रदाता के टैरिफों की जांच करेगा। यह इस पर भी विचार करेगा कि टैरिफ विशिष्ट एवं पहचान योग्य, स्पष्ट, सरल और अभ्रामक है। यह उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार टैरिफ के पारदर्शी प्रस्ताव सुनिश्चित करेगा।

इसके अलावा, निष्पक्षता की परिभाषा, निष्पक्षता के आधार पर उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ प्रस्ताव लाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के स्पष्ट मापदंड उपलब्ध कराती है।

एसएमपी, प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण आदि की परिभाषा से संबंधित संशोधनों के द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य भेदभाव रहित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी। इसके परिणामस्वरूम उपभोक्ताओं को अपने 'पैसे का अधिक मूल्य' मिलेगा।

संशोधन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने टैरिफ को नए तरीके से तैयार करने और विनियामक सिद्धांतों का सुगमता से अनुपालन करने में समर्थ बनाने के उपर्युक्त विनियामक सिद्धांतों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं।

(ख) (i) नए सेवा प्रदाताओं की आवश्कयता और समय; (ii) नए सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस के नियम और शर्तें; तथा (iii) लाइसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन न करने के लिए लाइसेंस के प्रतिसंहरण पर सिफारिशें।

3.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (क) के अंतर्गत, प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में प्राधिकरण के लिए अपनी ओर से अथवा लाइसेंसर अर्थात् दूरसंचार विभाग या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए जाने पर सिफारिशें करना अपेक्षित है। भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान सरकार को की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) "फिक्स्ड–लाइन, इंटरनेट और प्रसारण कनेक्शन हेतु ई–केवाईसी सेवा यूआईडीएआई" पर 16 मई, 2017 की सिफारिशें

(ii) "भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड/ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री/किराया" पर 14 जून, 2017 की अतिरिक्त सिफारिशें

(iii) "कैप्टिव वीसेट सीयूजी नीतिगत मुद्दों" पर 18 जुलाई, 2017 सिफारिशें

(iv) "पहुंच सेवाओं को बंद करने से संबंधित मुद्दों" पर 31 जुलाई, 2017 की सिफारिशें

(v) "क्लाउड सेवाएं" पर 16 अगस्त, 2017 की सिफारिशें

(vi) "मशीन–से–मशीन संचार की अपेक्षाओं से संबंधित स्पेक्ट्रम, रोमिंग और क्यूओएस" पर 5 सितंबर, 2017 की सिफारिशें

(vii) "सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिले में श्रेणी ख लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) को शुरू करना" पर 8 सितंबर, 2017 की सिफारिशें

(viii) "सतत् दूरसंचार के लिए दृष्टिकोण" पर 23 अक्टूबर, 2017 की सिफारिशें

(ix) "इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामक रूपरेखा" पर 24 अक्टूबर, 2017 की सिफारिशें

(x) "नेट न्यूट्रिलिटी" पर 28 नवंबर, 2017 की सिफारिशें

(xi) "ईज ऑफ डूइंग दूरसंचार बिजनेस" पर 30 नवंबर, 2017 की सिफारिशें

(xii) "वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर 4 दिसंबर, 2017 की सिफारिशें

(xii) "इन–फ्लाइट कनेक्टीविटी" पर 19 जनवरी, 2018 की सिफारिशें

(xiv) "भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर 1 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

(xv) "राष्ट्रीय दूरसंचार निति निर्धारण हेतु सूचना" पर 2 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

(xvi) "प्रसारण क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" पर 26 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

इन सिफारिशों के विवरण पर रिपोर्ट के भाग–II में चर्चा की जा चुकी है।

(ग) तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना

3.3 नेटवर्कों के मध्य निर्बाध दूरसंचार व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न नेटवर्क अंतर्संयोजित रहें। लाइसेंस की शर्तें भी यह निर्धारित करती हैं कि समस्त एक्सेस प्रदाताओं को एक–दूसरे के साथ तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों के नेटवर्क के साथ अंतर्संयोजन करना चाहिए। तदनुसार, रिपोर्ट की अवधि के दौरान भादूविप्रा द्वारा निम्नलिखित अंतर्संयोजन सिफारिशें और विनियम जारी किए गए:

➢ **"दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018" पर 1 जनवरी, 2018 का विनियम।**

3.3.1 भादूविप्रा ने 1 जनवरी, 2018 को "दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018" (2018 का 1) जारी किया जिसमें अंतरसंयोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे अंतरसंयोजन अनुबंध, प्रारंभिक अंतरसंयोजन का प्रावधान एवं अंतरसंयोजन के बिंदुओं (पीओआई) का उन्नयन, अंतरसंयोजन मामलों से संबंधित विनियम शामिल किए गए। ये विनियम भारत में दूरसंचार सेवाएं मुहैया करा रहे सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे। ये विनियम 1 फरवरी, 2018 से लागू हो गए हैं।

(घ) सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के माध्यम से प्राप्त किए गए उनके राजस्व की साझेदारी के लिए उनके मध्य व्यवस्था का विनियमन

3.4 अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) व्यवस्था एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं को दूसरे सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने में समर्थ बनाने के लिए एक अनिवार्य अपेक्षा है। अंतर्संयोजन प्रदान करने के लिए लागत देनी होती है जिसके लिए सेवा प्रदाताओं को उचित रूप से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता होती है। आईयूसी व्यवस्था न केवल सेवा प्रदाताओं के लिए प्रोद्भूत राजस्व को निर्धारित करती है बल्कि यह भी निर्दिष्ट करती है कि इस राजस्व का वितरण उनके मध्य किस प्रकार किया जाएगा। एक प्रभावी अंतर्संयोजन और प्रभार प्रणाली विभिन्न नेटवर्कों के मध्य कार्यकुशल और निर्बाध संयोजनता के लिए केन्द्र बिंदु की भांति है।

प्राधिकरण ने पहली बार 2003 में आईयूसी निर्दिष्ट किए थे। इसके उपरांत इन प्रभारों को विभिन्न संशोधनों किए गए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए दो विनियमों के तहत वर्तमान प्रभारों में संशोधन किया गया, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) 19 सितंबर, 2017 का दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017 – इन विनियमों के जरिये वायरलेस से वायरलेस लोकल और राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के लिए समापन प्रभारों को 1 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2019 के लिए चौदह (14) पैसे प्रति मिनट से घटाकर छह (6) पैसे प्रति मिनट और तत्पश्चात प्रभारों को कम करके शून्य किया गया है।

(ii) 12 जनवरी, 2018 का दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018–इस विनियम के माध्यम से प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर (आईएलडीओ) द्वारा पहुंच प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती है, को देय समापन प्रभारों को 0.53 रु. (तिरपन पैसा मात्र) प्रति मिनट से घटाकर 0.30 रु. (तीस पैसा मात्र) प्रति मिनट किया है।

(ङ.) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समय–सीमा

3.5 निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता पूर्वानुमानित और युक्तिसंगतिता सुनिश्चित करने तथा डीएलसी/स्थानीय लीड के प्रावधान को अनुमति प्रदान करने हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए भादूविप्रा ने 14 सितम्बर, 2007 को डीएलसी विनियम जारी किए थे। ये विनियम किसी मीडिया अर्थात् कॉपर, फाइबर, वायरलेस आदि पर उपलब्ध कराए गए तथा किसी संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले डीएलसी तथा स्थानीय लीड को कवर करते हैं। ये विनियम कॉपर, फाइबर अथवा वायरलेस की क्षमता रखने वाले सभी ऐसे सेवा प्रदाताओं, जिन्हें लाइसेंस के अंतर्गत डीएलसी उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई है, के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वे इसे अन्य सेवा प्रदाताओं को साझा करें। प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि डीएलसी विनियमों के जारी होने के बाद से, डीएलसी/स्थानीय लीड के प्रावधान को सरल और कारगर बनाया गया है।

(च) लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

3.6 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

➢ दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 अगस्त, 2017 के निर्देश

3.6.1 दूरसंचार विभाग ने 29 अगस्त, 2005 के पत्र, जिसमें 7 सितंबर, 2005 के पत्र द्वारा संशोधन किया गया था, के द्वारा उपभोक्ताओं की संख्या की एकसमान रिपोर्टिंग के लिए सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश जारी किए थे, जिनमें उपभोक्ताओं की संख्या की रिपोर्टिंग के लिए नई कार्यपद्धति निर्धारित की गई थी। बहरहाल, यह ध्यान में आया था कि कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं की संख्या की रिपोर्टिंग के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा बनाई गई कार्यपद्धति का अनुसरण नहीं कर रहे थे। इसलिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार, वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 अगस्त, 2017 को सभी टीएसपी को निर्देश जारी किया गया था।

➢ एमएनपी को सुगम बनाने के संबंध में एयरसेल लि. और मैसर्स डिशनेट वायरलेस लि. के लिए 20 दिसंबर, 2017 के निर्देश

3.6.2 मैसर्स एयरसेल लि. और मैसर्स डिशनेट वायरलेस लि. द्वारा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में एकीकृत पहुंच सेवा के खंड 10.3 के तहत लाइसेंस जमा करने के नोटिस के अनुसरण में मैसर्स एयरसेल लि. के उपभोक्ताओं के लिए 30 जनवरी 2018 से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सुगम बनाने के लिए सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं, एमएनपीएसपी और मैसर्स एयरसेल लि. को निर्देश जारी किया गया था।

(छ) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए किए गए उपाय

भादूविप्रा उपभोक्ता जानकारी और जागरूकता को बढ़ाने के लिए भादूविप्रा के पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की क्षमता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम, संगेष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करता है और उपभोक्ता शिक्षण सामग्री निकालता है और मीडिया अभियान चलाता है। 2017–18 के दौरान, आयोजित कार्यक्रमों और चलाए गए अभियानों का विवरण रिपोर्ट के भाग.प्ट में दिया गया है।

मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा

3.7.1 दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा की तथा 25 मार्च, 2013 को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम, 2013 जारी किए। इस संशोधन का उद्देश्य (प) मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन की जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाना; (पप) बिलिंग के मापन में सटीकता और विश्वसनीयता से संबंधित मानदण्ड निर्दिष्ट करना; (पपप) सेवा प्रदाताओं द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली बिलिंग की सटीकता का मापन करने तथा उनकी तुलना मानदण्डों से करना ताकि निष्पादन के स्तर का आंकलन किया जा सके; (पअ) बिल संबंधी शिकायतों को न्यूनतम करना (अ) और दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

विनियमों में सेवा प्रदाताओं के लिए अधिदेशित किया गया है कि वे भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किसी भी लेखापरीक्षक के माध्यम से वार्षिक आधार पर उनकी मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करें तथा प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के अपश्चात् उसके संबंध में एक लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र भादूविप्रा को प्रेषित करें। विनियमों में यह उपबंध भी है कि सेवा प्रदाताओं को एजेंसी द्वारा प्रमाण–पत्र में उल्लिखित किसी अपर्याप्तता, यदि कोई है, के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तथा उस पर की–गई–कार्रवाई की रिपोर्ट प्रत्येक वित्त वर्ष के 15 नवम्बर के अपश्चात् भादूविप्रा को प्रेषित करनी होगी। इसके अलावा, इन विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भादूविप्रा ने वार्षिक रिपोर्टों और की–गई–कार्रवाई की रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए 1,00,000/– रुपए प्रति सप्ताह की दर से वित्तीय हतोत्साहन तथा गलत या अपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रति की–गई–कार्रवाई रिपोर्ट 10,00,000/– रुपए से अनधिक का वित्तीय हतोत्साहन भी प्रवर्तित किया है। सेवा

प्रदाताओं ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टें और की–गई–कार्रवाई रिपोर्टें समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत की है। लेखापरीक्षा ने बिलिंग और चार्जिंग में कमियों की पहचान करने में मदद प्रदान की है जिसके फलस्वरूप प्रभावित उपभोक्ताओं से उद्ग्रहित अतिरिक्त प्रभारों की वापसी की गई है और मुद्दों का व्यवस्थित रूप से हल करने में मदद मिली है।

प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए उठाए गए कदम

3.7.2 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 जारी किया था जो पूरे भारत में एड्रेसेबल सिस्टम के जरिये मुहैया कराए गए टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं पर लागू है।

इसके अलावा, अवधि के दौरान, भीम/यूपीआई और भारत क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भुगतान को सुकर बनाने के लिए सभी डीटीएच ऑपरेटरों के लिए सलाह जारी की गई। यह सलाह उपभोक्ताओं के साथ–साथ सेवा प्रदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए भी जारी की गई थी।

(ज) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम जिससे कि ऐसी सेवाओं के विकास को सहायता मिल सके।

3.8 भादूविप्रा ने सदैव ही ऐसी नीतियां स्थापित करने का प्रयास किया है जो समसामयिक हों, वर्तमान घटनाक्रमों के अनुकूल हों, सरल और व्यावहारिक हों। उनका प्रतिस्पर्धा, अवरंचना, राजस्व और उपभोक्ता कल्याण पर अपेक्षित प्रभाव होना चाहिए। प्राधिकरण इस तथ्य के बारे में सतर्क है कि उपयुक्त व्यवसाय कार्यनीतियां तैयार करने, प्रतिस्पर्धा को संवर्धित करने और इसके द्वारा अभिनवता का लाभ उपभोक्ता को देने के लिए एक विनियामक निश्चितता अनिवार्य है। भादूविप्रा ने प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा समस्त गंभीरता के साथ प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को आसान बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया है। सिफारिशों/विनियमों/टैरिफ आदेशों/निदेशों आदि के रूप में किए गए उपाय उद्योग के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा कार्यकुशलता में वृद्धि लाने के लिए भादूविप्रा द्वारा 2017–18 में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

➢ फिक्स्ड लाइन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए ई–केवाईसी सेवा यूआईडीएआई को अपनाने पर सिफारिशें

3.8.1 "फिक्स्ड लाइन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए ई–केवाईसी सेवा यूआईडीएआई को अपनाना" से संबंधित सिफारिशें दूरसंचार विभाग को 16 मई 2017 को भेजी गई थी। दूरसंचार विभाग ने मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं के पुनर्सत्यापन के लिए और ई–केवाईसी सेवाओं के द्वारा नए मोबाइल कनेक्शन का सत्यापन करने के लिए ग्राहक आवेदन फार्म (सीएएफ) तैयार किया है। अभी तक यह फार्म इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड लाइन के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित नहीं की गई है।

चूंकि आधार आधारित सत्यापन न केवल तेज एवं विश्वसनीय है बल्कि इससे उद्योग को भी भारी बचत का लाभ मिलता है इसलिए प्राधिकरण ने इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ ले रहे सभी उपभोक्ताओं (फिक्स्ड लाइन सहित) के सत्यापन/पुनर्सत्यापन का

एक उपयुक्त फार्मेट (सीएएफ) तैयार करने और उनके सत्यापन के लिए मोबाइल कनेक्शन की तरह ई–केवाईसी आधारित सेवाओं को अपनाने की सिफारिश की है।

➢ **मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा "बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्यलुर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम 2009 और लाइसेंस अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन" पर प्राधिकरण की 21 अक्टूबर 2016 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के 5 अप्रैल, 2017 के पत्र के लिए प्राधिकरण का उत्तर**

3.8.2 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा "बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्यलुर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम 2009 और लाइसेंस अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन" पर प्राधिकरण की 21 अक्टूबर 2016 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के 5 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकरण को दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों/प्रेक्षणों के आलोक में पुनर्विचारित राय प्रस्तुत करने के लिए लिखा था।

प्राधिकरण ने इस पर समुचित विचार–विमर्श करने के बाद अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और 24 मई 2017 को इसे दूरसंचार विभाग को भेज दिया।

➢ **'भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम/ग्लोबल कार्ड/ग्लोबल कॉलिंग कॉर्ड की बिक्री/किराया' पर अतिरिक्त सिफारिशें**

3.8.3 दूरसंचार विभाग ने 10 मार्च, 2017 को प्राधिकरण को 'भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम/ग्लोबल कार्ड/ग्लोबल कॉलिंग कॉर्ड की बिक्री/किराया', जो दूरसंचार विभाग को 9 मई, 2016 को भेजी गई थी, पर अतिरिक्त सिफारिशें, यदि कोई हों, भेजने का अनुरोध किया था। इनको प्रस्तुत करने की योजना है।

प्राधिकरण ने विधिवत विचार–विमर्श करने के बाद 'भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम/ग्लोबल कार्ड/ग्लोबल कॉलिंग कॉर्ड की बिक्री/किराया' पर अतिरिक्त सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और इन्हें 14 जून 2017 को दूरसंचार विभाग को भेज दिया गया है।

➢ **"इंटरनेट टेलीफोनी के लिए विनियामक रूपरेखा" संबंधी सिफारिशें**

3.8.4 भादूविप्रा ने 24 अक्टूबर 2017 को "इंटरनेट टेलीफोनी के विनियामक रूपरेखा" पर अपनी सिफारिशें जारी की थी।

इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. वर्तमान पहुंच सेवा लाइसेंस के लिए प्राधिकरण की समझ के अनुसार, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा एक बुनियादी पहुंच नेटवर्क से संबद्ध नहीं है। अर्थात् इंटरनेट टेलीफोनी सेवा पंहुच सेवा प्रदाता द्वारा अपने उन उपभोक्ताओं को मुहैया कराई जा सकती है जो हो सकता है कि दूसरे पंहुच सेवा प्रदाताओं के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हों। दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। यदि दूरसंचार विभाग की समझ अलग है तो प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि दूरसंचार विभाग पंहुच सेवा लाइसेंसों के लिए संशोधन जारी करे ताकि इंटरनेट टेलीफोनी सेवा बुनियादी पहुंच नेटवर्क से असंबद्ध रहे ।

ii. पंहुच सेवा प्राधिकार के साथ यूएल (वीएनओ) लाइसेंसधारकों को निर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में असंबद्ध इंटरनेट टेलीफोनी मुहैया कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।

iii. अंतर्राष्ट्रीय आउट रोमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से प्रारंभ की गई इंटरनेट टेलीफोनी कॉल्स लाइसेंस प्राप्त आईएलडीओ के अंतर्राष्ट्रीय गेटवे पर सौंपी जानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार का भुगतान समापन पहुंच सेवा प्रदाता को किया जाना चाहिए। यदि पंहुच प्रदाता यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं है कि देश के बाहर से प्रारंभ इंटरनेट टेलीफोनी कॉल आईएलडीओ गेटवे के जरिये आ रही है तो पंहुच प्रदाता के इंटरनेट टेलीफोनी उपभोक्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय आउट–रोमिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv. सेवा प्रदाता द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी मुहैया कराने के लिए मोबाइल नंबरिंग सीरीज का उपयोग किया जाना चाहिए। टीएसपी को सेल्युलर मोबाइल सेवा और इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, दोनों के लिए उपभोक्ताओं को एक जैसा नंबर आवंटित करना चाहिए।

v. सेवा प्रदाता द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी मुहैया कराने के लिए एसडीसीए संबद्ध नंबरिंग सीरीज का उपयोग किया जा सकता है। बहरहाल, इस मामले में मोबिलिटी उपभोक्ता के परिसरों तक सीमित होनी चाहिए।

vi. पंहुच सेवा लाइसेंसधारक को ई.164 से एसआईपी/एच.323 पतों तक और इसके विलोमत टेलीफोन नंबर मैपिंग के लिए अपने नेटवर्क पर प्राइवेट ईएनयूएम का उपयोग करना चाहिए।

vii. पंहुच सेवा प्राधिकार के साथ वीएनओ द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी मुहैया कराने के मामले में मूल एनएसओ द्वारा नंबरिंग संसाधन आवंटन का कार्य किया जाना चाहिए।

viii. इंटरनेट टेलीफोनी सेवा मुहैया कराने वाले पंहुच सेवा प्रदाताओं को लोकेशन सेवाओं का इस्तेमाल करके आपात नंबर कॉल्स के लिए पंहुच दी जानी चाहिए; बहरहाल, वर्तमान में उन्हें ये सेवाएं मुहैया कराने का अधिदेश नहीं दिया जा सकता है। उपभोक्ताओं को सुस्पष्ट संदर्भ में इंटरनेट टेलीफोनी उपभोक्ताओं के लिए आपात सेवा के लिए पहुंच देने की सीमाओं के बारे में बताया जाना चाहिए।

ix. इंटरनेट टेलीफोनी पर क्यूओएस को बाजार शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उनके द्वारा समर्थित क्यूओएस मापदंडों के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि उपभोक्ता एक सुविचारित निर्णय ले सके। प्राधिकरण उचित समय पर इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं के लिए क्यूओएस को अनिवार्य करने से संबंधित निर्णय की समीक्षा करेगा।

➢ मुफ्त डेटा मुहैया कराने के संबंध में भादूविप्रा की 19 दिसम्बर 2016 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के 25 सितम्बर 2017 के पत्र के लिए प्राधिकरण का उत्तर।

3.8.5 दूरसंचार विभाग ने 25 सितंबर, 2017 के अपने पत्र के द्वारा कतिपय सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था, जिनमें भादूविप्रा ने ग्रामीण उपभोक्ताओं का हर माह 100 एमबी डेटा मुफ्त मुहैया कराने और इसकी पूर्ति यूएसओएफ से करने की सिफारिश की थी। दूरसंचार विभाग ने समूहकों के बिजनेस मॉडल और समूहक संबंधी शिकायतों के उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के बारे में और स्पष्टीकरण देने का भी अनुरोध किया था।

25 सितम्बर 2017 के पत्र की विषयवस्तु पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने अपने उत्तर को अंतिम रूप दिया और इसे दूरसंचार विभाग को 29, नवम्बर 2017 को भेजा।

3.8.6 दिव्यांगों को दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने में आ रही कठिनायों को समझने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से "दिव्यांगों के लिए आईसीटी को सुगम्य बनाना" विषय पर 20 दिस्मबर 2017 को अपने आप से एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी ताकि सरकार को सिफारिशों के रूप में नीति स्तर पर सकारात्मक कार्यवाही या विनियम बनाकर या उपस्कर/सेवा प्रदाताओं के लिए सलाह या इनको संयुक्त रूप में संपन्न किया जा सके। वर्तमान में, इस मामले पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(झ) ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्कों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं

3.9 भादूविप्रा को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए टैरिफ नीतियों का निर्णय लेने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा टैरिफ के विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों का ध्यान रखता है। टैरिफ विनियमन उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा वहां टैरिफ प्रभार निर्धारित करने का स्वरूप लेता है, जहां बाजार इष्टतम दरें प्रदान नहीं कर रहा है।

(ञ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.10 प्राधिकरण ने ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए सहायता पर दिनांक 14 मई, 2012 की अपनी सिफारिशों में यह अनुशंसा की थी कि 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के संपोषण के लिए मैसर्स बीएसएनएल को सहायता जारी रखी जाए। सहायता राशि पहले वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपए तथा दूसरे वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए होगी। प्राधिकरण ने "अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार" पर दिनांक 22 जुलाई, 2014 की अपनी सिफारिशों में इन क्षेत्रों की दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए उपायों की अनुशंसा की थी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकरण ने "निःशुल्क डेटा के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा उपयोग को प्रोत्साहित करना" पर 19 दिसम्बर, 2016 की अपनी सिफारिशें अग्रेषित कीं। इस अनुशंसा में प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि इस योजना का वित्तपोषण यूएसओएफ से किया जाए।

(ट) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित मामले में तथा दूरसंचार उद्योग से सामान्य तौर पर संबंधित किसी अन्य मामले में केन्द्रीय सरकार को प्रदान की गई सलाह के विवरण

3.11 दूरसंचार तथा प्रसारण केबल क्षेत्रों के विकास से संबधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को भादूविप्रा द्वारा प्रदान की गई सलाह के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(i) "फिक्स्ड–लाइन, इंटरनेट और प्रसारण कनेक्शन हेतु ई–केवाईसी सेवा यूआईडीएआई" पर 16 मई, 2017 की सिफारिशें

(ii) "भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड/ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री/किराया" पर 14 जून, 2017 की अतिरिक्त सिफारिशें

(iii) "कैप्टिव वीसेट सीयूजी नीतिगत मुद्दों" पर 18 जुलाई, 2017 सिफारिशें

(iv) "पहुंच सेवाओं को बंद करने संबंधित मुद्दों" पर 31 जुलाई 2017 की सिफारिशें

(v) "क्लाउड सेवाएं" पर 16 अगस्त, 2017 की सिफारिशें

(vi) "मशीन–से–मशीन संचार की अपेक्षाओं से संबधित स्पैक्ट्रम, रोमिंग और क्यूओएस" पर 5 सितंबर, 2017 की सिफारिशें

(vii) "सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिले में श्रेणी ख लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) को शुरू करना" पर 8 सितंबर, 2017 की सिफारिशें

(viii) "सतत् दूरसंचार के लिए दृष्टिकोण" पर 23 अक्टूबर, 2017 की सिफारिशें

(ix) "इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामक रूपरेखा" पर 24 अक्टूबर, 2017 की सिफारिशें

(x) "नेट न्यूट्रिलिटी" पर 28 नवंबर, 2017 की सिफारिशें

(xi) "ईज ऑफ डूइंग दुरसंचार बिजनेस" पर 30 नवंबर, 2017 की सिफारिशें

(xii) "वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर 4 दिसंबर, 2017 की सिफारिशें

(xiii) "इन–फ्लाइट कनेक्टीविटी" पर 19 जनवरी, 2018 की सिफारिशें

(xiv) "भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर 1 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

(xv) "राष्ट्रीय दूरसंचार निति निर्धारण हेतु सूचना" पर 2 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

(xvi) "प्रसारण क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" पर 26 फरवरी, 2018 की सिफारिशें

इस रिपोर्ट के भाग–II में इन सिफारिशों के विवरणों पर चर्चा की जा चुकी है।

(ठ) सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी तथा ऐसी सेवाओं के संवर्धनात्मक सर्वेक्षण के विवरण

(i) सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टें बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाएं

3.12.1 भादूविप्रा बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा निष्पादन की निगरानी उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता के सुधार के क्रम में, भादूविप्रा ने बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के माध्यम से बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा ऑपरेटरों पर नेटवर्क सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों तथा उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों के लिए मानदंडों का पालन नहीं किए जाने पर वित्तीय निरूत्साहन निर्धारित किए हैं। इन विनियमों में सेवा मानदंडों की गुणवत्ता की असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए वित्तीय निरूत्साहन के रूप में दंडात्मक सुधार की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।

ब्रॉडबैंड सेवा

भादूविप्रा इसके द्वारा निर्धारित सेवा मानदंडों की गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियम दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के तहत तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट का विश्लेषण क्यूओएस मानदंड के संबंध में उनके निष्पादन के आंकलन हेतु किया जाता है। मानदंडों का स्तर और ऊंचा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा ब्रॉडबैंड के गति सुधार के लिए 25 जून, 2014 को ''ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा की गुणवत्ता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012'' जारी किए गए।

नेटवर्क/अंतरसंयोजन का बिन्दु (पीओआई) रिपोर्ट

भादूविप्रा, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर व्यस्तता के स्तर की मासिक आधार पर निगरानी कर रहा है। यह ऑपरेटर एक नेटवर्क के उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य नेटवर्क के उपभोक्ता के साथ संचार की आसानी को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि दो नेटवर्क के बीच अंतरसंयोजन कितना प्रभावपूर्ण है। भादूविप्रा द्वारा इस ऑपरेटर हेतु क्यूओएस विनियम में अधिसूचित मानदंड <0.5 प्रतिशत है। भादूविप्रा सेवा की गुणवत्ता मानदंडों के संबंध में बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के निष्पादन के आंकलन हेतु उनसे मासिक पीओआई व्यस्तता रिपोर्ट प्राप्त करता है।

वायरलेस डेटा स्पीड पर श्वेत पत्र

भादूविप्रा ने 5 फरवरी, 2018 को वायरलेस डेटा स्पीड पर एक श्वेत पत्र जारी किया था। भादूविप्रा ने इस संबंध में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए कई नए कदम उठाए हैं। इनमें से एक कदम वायररेस डेटा नेटवर्क के लिए मानदंड निर्धारित करना और आवधिक आधार पर नेटवर्क के प्रदर्शन का आंकलन करना भी है। भादूविप्रा ने ब्रॉडबैंड की स्पीड खुद मापने और इसकी रिपोर्ट भादूविप्रा को देने के मकसद से उपभोक्ताओं के लिए ट्राई माई स्पीड नामक एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। यह श्वेत पत्र ट्राई माई स्पीड ऐप के संचालन के पीछे टेस्ट सेटअप और तरीकों के बारे में अधिक सूचना प्रदान करता है।

निष्कर्ष की मुख्य बातें हैः

- ब्रॉडबैंड की स्पीड को मापना एक जटिल प्रक्रिया है और इसके परिणाम परीक्षण के तरीके और परीक्षण दशाओं पर निर्भर करते हैं।
- परीक्षण के नतीजों की अनुमान और व्याख्या उस मकसद को ध्यान में रखकर की जाती है जिसके लिए ये परीक्षण तैयार और विकसित किए गए थे।
- स्पीड मापने के एकल टेस्ट के दौरान कभी–कभी काफी भिन्नताएं देखी जाती हैं जिसका कारण नेटवर्क की स्थिति और मापन की कम अवधि का होना है। एक समय पर किए गए परीक्षणों के साथ समस्या वाले क्षेत्र में नेटवर्क के प्रदर्शन के नतीजों के साथ एकल यूजर परिणाम ब्रॉडबैंड नेटवर्क के प्रत्याशित प्रदर्शन के बारे में बेहतर तस्वीर पेश कर सकते हैं।
- विभिन्न स्पीड मापन ऐप प्रदाताओं के परिणामों की तुलना करने के लिए ऐसे सभी प्रदाताओं

को पब्लिक डोमेन में अपनी पद्धतियों और डेटा प्रोसेसिंग का पूरा विवरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि यूजर सहित विभिन्न हितधारक उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके और उनकी व्याख्या कर सके।

- अखिल भारतीय स्तर पर स्पीड मापन को एकल मान द्वारा प्रस्तुत करने के स्थान पर जिलों और दिन के विभिन्न समय पर स्थानिक और अस्थायी वितरणों के साथ प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- डाउनलोड थ्रुपुट वितरण ग्राफ अत्यंत विषम हैं, इसे केवल एकल मान जैसे माध्य या माध्यिका द्वारा प्रस्तुत करने के स्थान पर पांच प्वाइंट सार द्वारा प्रस्तुत किए जाने की जरूरत है जैसा कि बॉक्स प्लॉट में दर्शाया गया है।

ट्राई माईकॉल ऐप

''ट्राइ माईकॉल ऐप'' क्राउड सोर्सिंग के जरिये कॉल की क्वालिटी जानने के लिए है। ट्राई माईकॉल ऐप क्राउड सोर्स्ड वॉइस कॉल मॉनिटरिंग के लिए एक एंड्रायड एप्लिकेशन है। यह एप्लिकेशन फोन उपयोगकर्ताओं की रीयल टाइम में वॉइस कॉल की क्वालिटी के बारे में अपने अनुभव का मूल्यांकन करने और भादूविप्रा की नेटवर्क डेटा के साथ उपभोक्ताओं के अनुभव संबंधी डेटा प्राप्त करने में मदद करता है। यह ऐप सहजज्ञ और यूजर फ्रेंडली है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद, एक पॉप–अप उपयोगकर्ता से उसकी कॉल समाप्त होने के बाद इसे रेटिंग देने का अनुरोध करता है। (पॉप–अप की फ्रिक्वेंसी उपयोगकर्ताओं द्वारा कॉन्फिगर की जा सकती है)। कॉलर स्टार के रूप में अपनी रेटिंग को चुनता है और दर्शाता है कि कॉल इंडोर, आउटडोर या यात्रा के दौरान की गई थी। कॉलर शोर या ऑडियो डिले आदि के बारे में अतिरिक्त विवरण दे सकता है या कॉल को 'ड्रॉप' के रूप में चिन्हित कर सकता है, यदि उनको लगता है कि कॉल कैसे समाप्त हुई।

निष्पक्ष एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता का आंकलन

भादूविप्रा, निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए ऑडिट तथा आंकलन के माध्यम से भी सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता है। इन रिपोर्ट का विश्लेषण किए जाने के बाद इन्हें, सभी हितधारकों की सूचना के लिए, भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाला जाता है। रिपोर्ट में इंगित किए गए चिन्ता के सभी क्षेत्रों को सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ साझा भी किया जाता है।

सेवा गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और आंकलन के भाग के रूप में, भादूविप्रा ने निष्पक्ष एजेंसियों के माध्यम से चुनिंदा शहरों में मोबाइल नेटवर्क का व्यापक ड्राइव परीक्षण संचालित किया। भादूविप्रा द्वारा निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा संचालित किए गए इन ड्राइव परीक्षणों में शामिल शहर हैं: कोलकाता, अमृतसर, आगरा, सूरत, पटना, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, रांची, धनबाद, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, नासिक, कोयंबटूर, राजकोट, गुवाहाटी, जोधपुर, वड़ोदरा, देहरादून, इलाहाबाद, जबलपुर, वारंगल, थ्रिसूर, गोवा, पुणे, बैंगलोर, अगरतला, आसनसोल, भिवानी, कोटा, इंदौर, रायपुर, पुदुचेरी, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोजीकोडे, नागपुर, मैसूर, आइजोल, ईटानगर, अहमदाबाद, ग्वालियर, नासिक, बेलगाम, जमशेदपुर, कोहिमा और इंफाल। इन शहरों के अलावा भादूविप्रा ने निष्पक्ष एजेंसियों के माध्यम से अहमदाबाद–मुंबई, इंदौर–बिलासपुर, भुवनेश्वर– खड़गपुर– टाटानगर, हावड़ा–धनबाद–गया, डिब्रुगढ़–दीमापुर–गुवाहाटी और दिल्ली–चंडीगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर तथा

जयपुर–कोटा, लखनऊ–गोरखपुर–इलाहाबाद, हैदराबाद–बैंगलोर, बैंगलोर–बेलगाम, पटना–हजारीबाग–रांची, सिलचर–शिलांग–गुवाहाटी एवं बेलगाम के बीच रेल मार्गों पर भी ड्राइव परीक्षण संचालित किए। इन ड्राइव परीक्षणों के परिणाम भादूविप्रा की वेबसाइट के ट्राई एनालाइटिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

आईवीआर सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा के बारे में उपभोक्ता अनुभव का आंकलन

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में, भादूविप्रा निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के बारे में उपभोक्ता के अनुभव का आंकलन करता है। इस आंकलन के कार्यों में (1) उपभोक्ताओं के हित में भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों, निर्देशो तथा आदेशों की प्रभावोत्पादकता का कार्य रूप में परिणित किया जाना तथा (2) बेसिक, सेल्युलर मोबाइल तथा ब्रॉडबैण्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दूरसंचार सेवाओं के बारे में उपभोक्ता बोध का आंकलन का कार्य आईवीआर सर्वेक्षण के माध्यम से दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रदान किया जा रहा है। आईवीआर सर्वेक्षण कार्य स्वतंत्र आईवीआर सर्वेक्षण एजेंसी अर्थात् मैसर्स विवाकनेक्ट प्रा. लि. को प्रदान किया गया। तथापि, वर्ष के दौरान, तीन सेवा क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में आईवीआर टेलीफोन सर्वेक्षण अनुसंधान उपकरण के माध्यम से सर्वेक्षण संचालित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को अंतिम रूप दे दिया गया है, रिपोर्ट भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आईवीआर सर्वेक्षण की क्रियाविधि के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन, डेटा स्पीड, कॉल प्रभारों, टैरिफ प्लान और यूसीसी विनियम के बारे में जागरूकता से संबंधित विनियमों की प्रभावकारिता का आकलन करने तथा विनियम में विनिर्दिष्ट पांच गुणवत्ता मानदण्डों से संबधित उपभोक्ताओं की समग्रता का आंकलन करने के लिए आईवीआर सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार की गई है। प्रतिभागियों से 1–5 के पैमाने पर उनकी संतुष्टि को निर्धारित करने के लिए कहा गया था जहां 1 और 2 प्रतिक्रिया को 'असंतुष्ट', 3 को सामान्य और 4 और 5 को 'संतुष्ट उपभोक्ता' माना गया था तथा 'एन' प्राप्त किया गया नमूने का कुल आकार था।

आईवीआर सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई आईवीआर सर्वेक्षण रिपोर्टों को हितधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा के वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया है।

(ड) नेटवर्क में प्रयुक्त उपस्कर का निरीक्षण और सेवा प्रदाताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए उपस्कर के प्रकार के लिए की गई सिफारिश

3.13 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस शीर्ष के तहत उठाए गए विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैः

➢ **"वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर 4 दिसंबर, 2017 की सिफारिशें**

3.13.1 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाएं देने के लिए लागू प्रणालियां संस्थापित करनी जरूरी होती है। एक टीएसपी को सुनिश्चित करना होता है कि उसकी सेवाएं दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानकों

को पूरा करती हैं। अतः वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले सभी लागू प्रणालियों का परीक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 9 सितंबर, 2016 के अपने पत्र के द्वारा प्राधिकरण से वाणिज्यिक प्रारंभ, परीक्षण अवधि आदि से पहले परीक्षण के लिए ग्राहकों का नामांकन करने के साथ सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने से पहले नेटवर्क का परीक्षण करने पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, 1 मई, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दों और मामलों, जिन पर चर्चा हो चुकी है, पर स्पष्टता लाने के लिए संभावित फ्रेमवर्क शामिल किया गया था और हितधारकों से उनकी टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां मांगी गई थी। प्राप्त टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने ''वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण'' अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और 4 दिसंबर, 2017 को दूरसंचार विभाग को भेज दी। सिफारिशों का विवरण रिपोर्ट के भाग-II में दिया गया है।

➢ ''स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देना'' पर 18 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र

3.13.2 भादूविप्रा ने 18 सितंबर, 2017 को ''स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देना'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। यह परामर्श पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जारी किया गया था:–

क. भारत में स्थानीय दूरसंचार विनिर्माण के इनोवेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों की पहचान करना।

ख. स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा पेटेंट कानूनों की जांच करना।

ग. दूरसंचार उपस्करों के मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के मुद्दों की जांच करना और स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को समर्थन देने के लिए सुधार के ढांचे का सुझाव देना।

घ. स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले आईपीआर से संबंधित मुद्दों की जांच करना।

ड. स्थानीय दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा आर्थिक प्रोत्साहनों की जांच करना और भविष्य में कार्यान्वित करने के उपायों का सुझाव देना।

च. भारत में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करना।

परामर्श प्रक्रिया के निष्कर्ष के आधार पर इस मुद्दे पर सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

➢ ''दिव्यांगों के लिए आईसीटी को सुगम्य बनाने'' पर 20 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र

3.13.3 प्राधिकरण ने 20 दिसंबर, 2017 को ''दिव्यांगों के लिए आईसीटी को सुगम्य बनाने'' पर एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस पत्र का उद्देश्य ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना था, जिनमें दिव्यांगों को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को समझने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि सरकार को सिफारिशें देकर नीति स्तर पर सकारात्मक कार्यवाही की जा सके या उपकरण/सेवा प्रदाताओं के लिए विनियम या परामर्श निर्धारित किए जा सके या ये दोनों कदम उठाए जा सके। इस संबंध में सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भाग – IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन

क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

4.1 इस खंड में, भादूविप्रा के संगठनात्मक मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है, विशेष रूप से जो संगठन संरचना, निधियन, मानव संसाधन से संबंधित है तथा इनमें भर्ती, क्षमता निर्माण और कुछ सामान्य मुद्दे शामिल किए गए हैं।

(क) संगठन

4.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) उपरोक्त नाम द्वारा एक निगमित निकाय है, जिसको सतत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मोहर और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल एवं अचल सम्पत्तियां अधिगृहीत करने, धारण करने तथा निपटान करने और संविदा करने की शक्ति प्राप्त है तथा यह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा अथवा इसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जाएगा। भादूविप्रा (संशोधित) अधिनियम, 2000 के परिणामतः प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दिनांक 31 मार्च, 2018 को प्राधिकरण का गठन अगले पृष्ठ पर प्रदर्शित है :

अध्यक्ष
आर एस शर्मा

सदस्य
(पूर्णकालिक)
अनिल कौशल

सदस्य
(पूर्णकालिक)
(एच. प्रदीप राव)

सदस्य
(अंशकालिक)
डॉ. एम. जगदीश कुमार

सदस्य
(अंशकालिक)
प्रो. अभय करंदीकर

(ख) भादूविप्रा का सचिवालय (मुख्यालय)

4.3 प्राधिकरण, सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है और इस काम में उनकी सहायता सात प्रभागों द्वारा की जाती है, जो निम्नानुसार हैं :–

(1) प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (ए एवं आईआर); (2) प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एवं सीएस); (3) वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एवं ईए); (4) नेटवर्क स्पेक्ट्रम तथा लाइसेंसिंग (एनएसएल); (5) सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस); (6) विधि;(7) उपभोक्ता मामले तथा सूचना प्रौद्योगिकी (सीए एवं आईटी)

प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग

4.4. प्रशासन प्रभाग सभी प्रशासनिक तथा कार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जिनमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की योजना एवं नियंत्रण के साथ प्राधिकरण के उपयोग के लिए सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रशासन प्रभाग की जिम्मेदारी में प्रशासन एवं कार्मिक अनुभाग (ए एवं पी), सामान्य प्रशासन अनुभाग (जीए), संचार एवं जन संपर्क अनुभाग, राजभाषा अनुभाग, प्रबंधन प्रतिनिधि तथा आरटीआई (एमआर एवं आरटीआई) अनुभाग के कार्यकलापों का प्रबंधन और नियंत्रण शामिल है। प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी देखता है जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों / निकायों यथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू), एशिया पेसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी), वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेग्युलेटर्स काउंसिल (एसएटीआरसी), आर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) और अन्य देशों के नियामक निकाय शामिल हैं।

प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग

4.5 प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग प्राधिकरण को सैटेलाइट टीवी चैनलों का प्रसारण, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं, केबल टीवी सेवाएं, हेड–एंड इन द स्काई (हिट्स) सेवाएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाएं, एफएम रेडियो प्रसारण सहित प्रसारण क्षेत्रों के लिए समग्र विनियामक संरचना निर्धारित करने के संबंध में सलाह देने हेतु उत्तरदायी है, जिसके दायरे में टैरिफ, अंतः संयोजन और सेवा की गुणवत्ता के पहलू सम्मिलित हैं। प्रभाग पर प्रसारण क्षेत्र के आधुनिकीकरण / डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने और सरकार द्वारा प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए लाइसेंसों/अनुमतियों के नियम एवं शर्तों तथा विभिन्न नीतियों पर सिफारिशें देने की जिम्मेदारी है। प्रभाग प्रसारण क्षेत्र के सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण के उपाय करने के संबंध में प्राधिकरण को सुझाव देता है, जिनमें उपभोक्ता विकल्पों को सुगम बनाना, किफायती दामों पर वांछनीय गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है।

वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए) प्रभाग

4.6 वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए) प्रभाग, दूरसंचार सेवाओं की लागत क्रियाविधियों तथा लागत निर्धारण, लेखा पृथक्करण तथा सेवा प्रदाताओं के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण इत्यादि से संबंधित सभी पहलुओं पर सुझाव देने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग, प्राधिकरण को समय–समय पर दूरसंचार सेवाओं हेतु उपयुक्त टैरिफ नीति तैयार करने; भारत में टैरिफ विनियमन के अधीन विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में सलाह देता है, जिनमें घरेलू लीजशुदा सर्किट्स, अंतर्राष्ट्रीय लीजशुदा सर्किट्स तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में राष्ट्रीय रोमिंग के टैरिफ शामिल हैं। यह प्रभाग, लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभार तय करने संबंधी मामलों तथा भारत में दूरसंचार सेवा बाजार के विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु उपायों पर भी सलाह देता है। यह प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट" का संकलन और तिमाही आधार पर इसका प्रकाशन भी करता है।

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम तथा लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग

4.7 नेटवर्क, स्पेक्ट्रम तथा लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग अंतःसंयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने, अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) निर्धारण सहित अंतःसंयोजन के सभी मुद्दों को देखने तथा उनकी नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के अंतःसंयोजन के मुद्दों को भी देखता है। इसके अलावा, यह प्रभाग इंटरनेट/ब्रॉडबैंड, राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) की सेवा, अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) की सेवा, मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा और मूल्य संवर्धित सेवाएं जैसे ऑडियो कॉनफ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉइस मेल सहित पहुंच सेवा के लाइसेंस की शर्तों से संबंधित मामलों पर सिफारिश तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी

है। यह प्रभाग, इसकी पुनर्रचना सहित स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन पर भी सिफारिशें देता है। प्रभाग नई प्रौद्योगिकियां और सेवाएं शुरू करने से संबंधित मामलों पर सिफारिशें देने के लिए भी उत्तरदायी है। सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) हेतु सतत् दूरसंचार एवं रेडियो संचार प्रणालियों, अवसंरचना को साझा करने से जुड़े मामलों को भी देखा जाता है। प्रभाग नेशनल नंबरिंग प्लान, इन्टेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवा और कॉलिंग कार्ड से संबंधित मामलों को भी देखता है।

प्रभाग उपरोक्त सभी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन की निगरानी भी करता है। प्रभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) और सभी संबंधित मामलों पर सिफारिशों को भी देखता है। प्रभाग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को नियंत्रित करता है और इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है।

सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रभाग

4.8 सेवा गुणवत्ता प्रभाग सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करने, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करने के लिए उत्तरदायी है ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। यह प्रभाग अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर का रख–रखाव करने तथा ऐसे सभी अन्य मामलों के लिए भी उत्तरदायी है जो विनियमों में उपबंधित किए जाएं।

विधि प्रभाग

4.9 विधि प्रभाग को प्राधिकरण को सभी विनियामक मुद्दों पर विधिक सलाह प्रदान करने, सभी विधिक दस्तावेजों को तैयार करने और उनकी जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रभाग उन सभी वाद मामलों का प्रबंधन करता है, जिनमें भादूविप्रा एक पक्ष होता है।

उपभोक्ता मामले और सूचना प्रौद्योगिकी (सीए और आईटी) प्रभाग

4.10 **उपभोक्ता मामले** (सीए) प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता परामर्श के विकास तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं के मध्य आम जागरूकता का सृजन करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग समूचे देश के उपभोक्ता संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को भादूविप्रा के साथ पंजीकृत करने में सहायता देता है तथा उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ संपर्क स्थापित करता है। प्रभाग के अन्य कार्यकलापों में उपभोक्ता शिक्षा/पहुंच कार्यक्रमों का आयोजन करना, संबंधित विषयों पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करके भादूविप्रा के साथ पंजीकृत संगठनों की क्षमता का निर्माण करना, मीडिया अभियानों को संचालित करना, उपभोक्ता जानकारी में वृद्धि करने के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता शिक्षण सामग्री तैयार करना और प्रकाशन करना आदि भी शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभागः किसी भी संगठन की सफलता में उसका आईटी विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भादूविप्रा में आईटी प्रभाग विभिन्न प्रभागों की आईटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है जैसे डेटा का विश्लेषण और परिकल्पना, विभिन्न पोर्टल और भादूविप्रा की वेबसाइट का कार्यान्वयन और अनुरक्षण, वेब एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप विकास,

वीडियो कान्फ्रेंसिंग आदि। भादूविप्रा का आईटी प्रभाग भादूविप्रा की समस्त कंप्यूटर हार्डवेयर परिसंपत्तियों तथा नेटवर्क सेटअप का अनुरक्षण भी करता है।

आईटी प्रभाग प्रख्यात व्यक्तियों के साथ उनके क्षेत्रों में मासिक आधार पर तकनीकी सत्र भी आयोजित कर रहा है ताकि भादूविप्रा के अधिकारियों में नई प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनमें क्षमता का निर्माण किया जा सके। प्रभाग दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में जानकारी का प्रसार करने के लिए 'टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट'' के रूप में एक मासिक सूचना पत्र का भी प्रकाशन कर रहा है।

(ग) मानव संसाधन

4.11 भादूविप्रा के सचिवालय (मुख्यालय) में कार्य संचालन हेतु कुल 182 (31–03–2018 को) कर्मचारी/अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करते हैं। जहां आवश्यक होता है, परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(i) *भादूविप्रा मुख्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या (31–03–2018 को)*

4.12 31–03–2018 को भादूविप्रा (मुख्यालय) की कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या इस प्रकार थी :

क्र. सं.	पद	स्वीकृत	वास्तविक
1.	सचिव	01	01
2.	प्रधान सलाहकार	14	13
3.	सलाहकार		
4.	संयुक्त सलाहकार	25	21
5.	उप सलाहकार	10	10
6.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
7.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	35	23
8.	प्रधान निजी सचिव	05	04
9.	तकनीकी अधिकारी	12	12
10.	तकनीकी अधिकारी, (इंजीनियरिंग)	5	0
11.	अनुभाग अधिकारी	20	16
12.	निजी सचिव	12	11
13.	सहायक	48	36
14.	निजी सहायक	18	08
15	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	00
16.	अवर श्रेणी लिपिक	07	02
17.	चालक विशेष ग्रेड	01	00
18.	चालक ग्रेड-I	04	02
19.	चालक ग्रेड-II	04	04
20.	चालक साधारण ग्रेड	04	05
21.	पीसीएमओ	02	02
22.	डिस्पैच राइडर	01	01
23.	अटैंडेंट	05	08
योग		**237**	**182**

4-13- भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	
1	श्री सुनील कुमार गुप्ता सचिव	
2	श्री यू.के. श्रीवास्तव प्रधान सलाहकार (एनएसएल)	
3	श्री सुनील बाजपेयी प्रधान सलाहकार (सीए, क्यूओएस एवं आईटी)	
4	श्री एस.के. मिश्रा प्रधान सलाहकार (एफ एवं ईए)	
5	श्री देबकुमार चक्रबर्ती प्रधान सलाहकार (बी एवं सीएस)	
6	श्री संजीव कुमार शर्मा सलाहकार (प्रशासन एवं आईआर)	
7	श्री अनिल कुमार सलाहकार (बी एवं सीएस)–II	
8	श्री सुनील कुमार सिंघल सलाहकार (बीबी एवं पीए)	
9	श्री संजीव बांझल सलाहकार (सीए एवं आईटी)	
10	श्री अरविंद कुमार सलाहकार (बी एवं सीएस)–I	
11	श्री एस.टी. अब्बास सलाहकार (एनएसएल)–I	
12	श्री राजीव रंजन तिवारी सलाहकार (विधि)	
13	श्री आसित कादयान सलाहकार (क्यूओएस)	
14	श्री कौशल किशोर सलाहकार (एफ एवं ईए)	
15	रिक्त सलाहकार (एफ एवं ईए)	

4.14. भादूविप्रा में अधिकांश कर्मचारी सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन इत्यादि क्षेत्रों में अनुभवी इन पदाधिकारियों को प्रारंभ में दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके पश्चात, यदि अपेक्षित होता है, संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों को उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है। प्रशिक्षित और अनुभवी विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तार का प्रयास प्रायः कठिन होता है। जबकि प्राधिकरण के कार्यों के दायरे, स्तर और जटिलता में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, प्राधिकरण इन प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों को उनके मूल विभागों को वापस भेजे जाने के कारण प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिक की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए प्राधिकरण ने ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को भादूविप्रा में स्थायी रूप से समाहित करने के विकल्प के साथ कौशल और विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का एक संवर्ग बनाया है।

ii) भर्ती

4.15. प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारियों को समाहित कर, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का अपना स्वयं का एक विशिष्ट संवर्ग तैयार किया है। तथापि, अधिकांश प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक, विशेष रूप से वरिष्ठ और मध्य स्तर के पदाधिकारी, स्थायी रूप से समाहित किए जाने के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए, इसके सचिवालय के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू से प्रतिनियुक्ति द्वारा कार्मिक भर्ती अभी जारी है। इसका कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों में, विशेषज्ञता प्रमुख रूप से मंत्रालयों अथवा सरकारी स्वाधिकृत दूरसंचार ऑपरेटरों के पास उपलब्ध है। बहरहाल, सेवा के अनाकर्षक नियमों एवं शर्तों के कारण प्राधिकरण विशेषज्ञता प्राप्त कर्मियों की भर्ती करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है।

(iii) प्रशिक्षण

4.16. भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्रों में विशेष रूप से टैरिफ और सेवा की गुणवत्ता के मानक, सेवा की गुणवत्ता पर सर्वेक्षण संचालन तथा अन्य उपभोक्ता संबंधी मामलों के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मानव संसाधन संबंधी नए उपायों को सर्वाधिक महत्व देता है। यह पहल, इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए परामर्श दस्तावेज तैयार करने तथा प्राप्त सुझावों तथा प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने, दोनों के माध्यम से प्राधिकरण के लिए परामर्शी प्रक्रिया में प्रभावोत्पादक ढंग से भाग लेने हेतु तथा खुला मंच चर्चा के दौरान भी उपयोगी सिद्ध हुई है। इससे दूरसंचार क्षेत्र के नियंत्रण में उठने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए नीति विकसित करने में भी सहायता मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के चयन तथा तैयार करने में, भादूविप्रा वृहद स्तर नीति और नीतियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु प्रासंगिक तकनीकी–आर्थिक कार्य विवरण के संचालन के लिए विविध कौशल प्रदान करने हेतु प्रयास करता है। भादूविप्रा की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान करने/उन्हें तैयार किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण अपने अधिकारियों को संगठन के भीतर उनकी विशेषज्ञता के और अधिक विकास के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी भेजता है।

4.17. इस वर्ष, भादूविप्रा के कुछ अधिकारी विभिन्न संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भेजे गए। अधिकारियों ने इन प्रशिक्षणों के माध्यम से बहुमूल्य जानकारियां हासिल की हैं तथा इससे विनियामक कार्य के उनके संबद्ध क्षेत्र में उनका कौशल बढ़ा है। भादूविप्रा के अधिकारी/पदाधिकारी विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजे गए थे, जिनमें एनपीसी, नई दिल्ली के जरिये आयोजित "डिजिटल ट्रांसफार्मेशन थ्रू ई–गवर्नेंस", एनआईएफएम, फरीदाबाद के जरिये "पब्लिक प्रोक्योरमेंट", आईटीयू–भादूविप्रा, नई दिल्ली के जरिये "कोलाबोरेटिव रेग्युलेशन फॉर डिजिटल सोसाइटीज", एनपीसी, नई दिल्ली के जरिये "लीडरशिप एंड परफॉर्मेंस एक्सीलेंस", एनआईएफएम फरीदाबाद के जरिये "गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी)" आदि शामिल हैं।

4.18. भादूविप्रा के पास अपनी प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं की एक उपयुक्त व्यवस्था भी मौजूद है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित विशेषज्ञ दूरसंचार सेक्टर में नवीनतम विकास के बारे में अधिकारियो के साथ संवाद करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसी विभिन्न कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भादूविप्रा के 57 कर्मचारी भेजे गए थे जिनमें अन्य के साथ जीएसएमए लंदन के जरिये "इफैक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप इन इंडिया", जेडब्ल्यूपी–इंडिया के जरिये "प्रीवेंशन ऑफ सेक्युअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस" शामिल हैं।

(iv) संगोष्ठियां/कार्यशालाएं

4.19. विश्व भर में हो रहे विकास के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए, प्राधिकरण द्वारा इसके कर्मचारियों को विभिन्न अंतराष्ट्रीय आयोजनों, बैठकों तथा संगोष्ठियों में भेजा गया, जिससे प्राधिकरण को अपनी नीति बनाने हेतु बहुमूल्य सुझाव/जानकारियां जुटाने में मदद के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीनतम विकास की जानकारी मिली। इससे भारत तथा इसके जैसे अन्य देशों में प्रमुख विनियामक चिन्ताओं के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय फोकस लाने में मदद मिली, जिसने भारत को वैश्विक सूचना सोसायटी में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाया है।

v) कार्यालय के लिए स्थान

4.20. भारत सरकार की नीति के अनुसार, भादूविप्रा सरकारी पूल से कार्यालय परिसर के लिए पात्र कार्यालय है। परंतु, वर्ष 1997 में इसकी स्थापना के समय से ही भादूविप्रा किराए के परिसर में काम कर रहा है। विगत अवधि में भादूविप्रा ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से अपना स्वयं का कार्यालय परिसर प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए थे, परंतु ये सभी प्रयास निष्फल रहे। भादूविप्रा को दूरसंचार क्षेत्र तथा प्रसारण एवं केबल सेवाओं के मामलों के नियंत्रण हेतु स्वायत्त विनियामक निकाय होने के नाते अपने स्वयं के कार्यालय परिसर की आवश्यकता है, ताकि इसके स्वायत्त चरित्र को अक्षुण रखा जा सके। वर्तमान में, भादूविप्रा का कार्यालय एमटीएनएल की बिल्डिंग में किराया आधार पर अवस्थित है। भादूविप्रा के लिए नौरोजी नगर, नई दिल्ली में एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर में 1,30,000 वर्ग फीट बिल्ट–अप ऑफिस स्पेस खरीदने का एक प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार के विचारार्थ भेजा गया है।

एमटीएनएल से अतिरिक्त जगह लेने के बाद खुला मंच चर्चा (ओएचडी), बैठकें और कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 70 से 80 व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता वाले एक सम्मेलन कक्ष का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

vi) *भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर*

4.21. भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर सामान्य पूल आवास में बने रहने की अनुमति है, कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस शुल्क ही लिया जाता हैं। प्रतिधारण की अनुमत अवधि, कर्मचारियों के सेवानिवृति अथवा प्राधिकरण में उनके सेवाकाल, जो भी पहले हो, तक होगी। सामान्य पूल आवासीय परिसर के आबंटन हेतु पात्रता भादूविप्रा द्वारा सम्पदा निदेशालय को विशेष लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर दिल्ली में प्राधिकरण (भादूविप्रा) के सचिवालय में तैनात उन अधिकारियों तक सीमित होगी जो प्राधिकरण में नियुक्त किए जाने से पूर्व सामान्य पूल आवासीय परिसर के आबंटन हेतु ग्राह्य थे। पूर्ववर्ती स्थिति के दृष्टिगत, सम्पदा निदेशालय, भादूविप्रा में अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को समाहित किए जाने के बाद न तो सामान्य पूल से आवास आबंटित कर रहा है और न ही पहले आबंटित आवास प्रतिधारण की अनुमति दे रहा है।

एमटीएनएल/बीएसएनएल के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके भादूविप्रा के कर्मियों को आवास मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है।

(घ) निधियन

4.22. भादूविप्रा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत की समेकित निधि से प्राप्त अनुदान द्वारा पूर्णतः निधिकृत है। भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 22(1) क और ख के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण साधारण निधि नाम से एक निधि बनाई जाएगी और उसमें प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार; तथा प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त सभी राशियां जमा की जाएंगी।

भादूविप्रा के कार्यों पर वर्ष 2017–18 में कुल व्यय राजस्व शीर्ष के तहत 93.20 करोड़ रुपए था। भादूविप्रा के कार्यों के लिए किए गए मुख्य व्ययों में वेतन, किराए, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेशेवर शुल्क, प्रशिक्षण और परामर्श पर किए गए व्यय शामिल है।

4.23. भादूविप्रा का मानना है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी तरीके से काम करने के लिए, इसका निधियन इसके नियंत्रितियों से प्रशासन की लागत के रूप में वसूल किए गए लाइसेन्स शुल्क के एक अल्पांश से किया जाना चाहिए और इसको इसके कर्मचारियों के नियम एवं शर्तें निर्धारण करने में नम्यता का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि यह गैर–सरकारी स्रोतों तथा अन्य स्तरों से प्रतिभाशाली व्यक्तियों/पेशेवरों को भर्ती कर सके। उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकायों जैसे कि इरडा (आईआरडीए) तथा सेबी (एसईबीआई) का निधियन उनके द्वारा नियंत्रित सेक्टर से वसूल किए जाने वाले शुल्क के अंश से किया जाता है और इस प्रकार ये प्राधिकरण अपने कार्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

(ड.) भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

4.24. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012 में देशभर में विभिन्न स्थानों पर भादूविप्रा के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्राधिकरण ने 2014–15 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा

की और चंडीगढ़, पटना, मुंबई, गुवाहाटी तथा लखनऊ स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालय बंद करने तथा संशोधित लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के साथ हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरू, भोपाल, जयपुर एवं दिल्ली स्थित 6 क्षेत्रीय कार्यालय जारी रखने का अनुमोदन किया। भादूविप्रा के ये क्षेत्रीय कार्यालय भादूविप्रा की क्षमता निर्माण परियोजना के भाग के रूप में योजना निधि के तहत पायलट परियोजना के रूप में काम कर रहे हैं। संशोधित लाइसेंस – सेवा क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति (2017–18 के दौरान) निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	भादूविप्रा कार्यालयों के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन लाइसेन्स सेवा क्षेत्र
1	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पूर्वोत्तर, असम, बिहार
2	बेंगलुरू	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई
3	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, चेन्नई सहित तमिलनाडु, उड़ीसा
4	भोपाल	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्वी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)
5	जयपुर	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब,
6	दिल्ली	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर

भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या (31.03.2018 को)

4.25. 31–03–2018 को भादूविप्रा (क्षेत्रीय कार्यालयों) में कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत
1.	सलाहकार	06	04
2.	संयुक्त सलाहकार / उप सलाहकार	12	09
3.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	12	10
4.	सहायक	06	3
योग		**36**	**26**

4.26. भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण (31.3.2018 को)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान	अधिकारी का नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	पद
1.	कोलकाता	सौविक कुमार दास	सलाहकार
2.	हैदराबाद	रिक्त	सलाहकार
3.	भोपाल	अरविंद सिन्हा	प्रधान सलाहकार*
4.	बेंगलुरु	श्रीनिवास एस गलगली	सलाहकार
5.	जयपुर	भावना शर्मा	सलाहकार
6.	दिल्ली	रिक्त	–

*09.03.2017 से वैयक्तिक आधार पर

4.27. उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की भूमिका और कार्य हैं :–

i) टैरिफ से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के खुदरा टैरिफ की कारगर निगरानी सुनिश्चित करना;

ii) सेवा प्रदाताओं के साथ विनियामक तथा विपणन पहलुओं के संबंध में समुचित समन्वय करना;

iii) सेवा की गुणवत्ता की निगरानी तथा उपभोक्ता शिकायतों का निवारण;

iv) खुला मंच चर्चा (ओएचडी) / भादूविप्रा के उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) की बैठकें आयोजित करना;

v) भादूविप्रा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा ऑडिट तथा सर्वेक्षण का समन्वय एवं निगरानी करना;

vi) सीएजी का जिला/ब्लॉक स्तर तक विकास तथा सीएजी के साथ निकट अन्योन्यक्रिया करना;

vii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना;

viii) डीओटी के टर्म प्रकोष्ठ के साथ निकट अन्योन्यक्रिया करना;

ix) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियमों तथा अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

x) पोर्टल पर एलसीओ/एमसीओ के पंजीकरण और एलसीओ के पंजीकरण की वैधता की निगरानी करना; और

xi) प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो भादूविप्रा के मुख्यालय द्वारा इसको सौंपे जाते हैं अथवा जो भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों के निष्पादन हेतु आवश्यक हैं।

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम

4.28. वर्ष 2017–18 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अधीन विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 1245 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों को तत्परता के साथ देखा गया और निर्धारित समयावधि के भीतर उनका जवाब दिया गया।

(छ) भादूविप्रा को आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणन

4.29. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भादूविप्रा को दिसम्बर, 2004 में आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। यह तीन वर्ष की वैधता अवधि के साथ चार बार 2007, 2010, 2013 तथा 2016 में नवीनीकृत किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदान किया गया आईएसओ मानकों की वर्तमान श्रृंखला का आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र सितंबर, 2018 तक के लिए वैध है। भादूविप्रा में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन तथा प्रभाविता के मूल्यांकन हेतु बीआईएस द्वारा दिसम्बर, 2004 से प्रत्येक वर्ष में एक बार निगरानी ऑडिट संचालित किया गया तथा चार नवीनीकरण ऑडिट किए जा चुके हैं। गुणवत्ता ऑडीटरों ने क्यूएमएस कार्य संतोषजनक पाया है तथा बीआईएस द्वारा जारी लाइसेन्स जारी रखने की अनुशंसा की है। आईएस/आईएसओ 9001:2015 के लिए प्रमाणन की नई श्रृंखला जारी करने का काम चल रहा है। 5 से 6 फरवरी, 2018 के दौरान "आईएस/आईएसओ 9001:2015 के लिए पारगमन पर जगरूकता" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

(ज) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

4.30. भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण में सचिव, भादूविप्रा की देखरेख में प्राधिकरण का राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा इस विषय पर समय–समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के कार्यान्वयन का काम कर रहा है। भादूविप्रा संघीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु पूर्ण प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, जब कभी विनियम, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा सूचनाएं, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाने होते हैं तो राजभाषा विभाग विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।

4.31. भादूविप्रा के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन

की निगरानी, सलाहकार (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है। ओएलआईसी की बैठकें हर तिमाही में नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सरकारी कामकाज में राजभाषा का उपयोग निरंतर बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की जाती है तथा इस संबंध में भविष्य की कार्य–योजना भी तैयार की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य को गति प्रदान करने के लिए समिति के सदस्यों से बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान, ओएलआईसी की 4 बैठकें क्रमशः 30.06.2017, 29.09.2017, 30.12.2017 और 28.03.2018 को आयोजित की गईं।

4.32. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में, भादूविप्रा में 1 सितम्बर, 2017 से 15 सितम्बर, 2017 तक "हिंदी पखवाड़े" का आयोजन किया गया। इस अवधि में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं यथा हिंदी निबन्ध लेखन, श्रुतिलेखन, आशुरचना, पारिभाषिक शब्दावली, टिप्पण/प्रारूपण इत्यादि का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के स्तर तक के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में काफी उत्साह तथा जोश के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर, राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भादूविप्रा के अध्यक्ष का संदेश अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य वितरित किया गया।

4.33. कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का उपयोग निरंतर बढ़ाने के क्रम में भादूविप्रा में विगत नौ वर्ष से अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना नाम से प्रोत्साहन योजना चल रही है। इस योजना के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों को योजना अवधि के दौरान कार्यालय का कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना, कर्मचारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है तथा इससे कर्मचारी पूरे वर्ष के दौरान अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करने हेतु प्रेरित हुए हैं।

4.34. अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण तथा प्रारूप लेखन का काम हिंदी में करने को सरल बनाने के लिए और उनको संघ सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए भादूविप्रा में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। इन कार्यशालाओं के दौरान प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावली सहायक/संदर्भ पुस्तकें इत्यादि वितरित की जाती हैं, जो उनको अपना कार्यालयी कार्य हिन्दी में करने हेतु उपयोगी सिद्ध होती हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, भादूविप्रा में 20.06.2017, 25.09.2017, 18.12.2017 और 26.02.2018 को चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(i) आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण का क्रियान्वयन

4.35. वर्ष के दौरान, भादूविप्रा में कोई सीधी भर्ती नहीं की गई। भादूविप्रा द्वारा पदोन्नति करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी तथा अन्य पात्र श्रेणियों के लिए लागू आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित श्रेणी के प्रतिनिधित्व संबंधी मामलों के लिए उप सचिव रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

दिनांक 26 फरवरी 2018 को राजभाषा अधिनियम के प्रभावी प्रतिपालन पर आयोजित त्रैमासिक कार्यशाला

दिनांक 21 जून 2017 को ट्राई में आयोजित तृतिय अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस

दिनांक 11 जुलाई 2017 को ट्राई में आयोजित स्वच्छता पखवाडा

दिनांक 15 नवम्बर 2017 को आयोजित हिन्दी पखवाडे एवं वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण प्राधिकरण

ख) वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथा संशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (सेवा के दायित्व, शक्तियां एवं शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च, 2018 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटन मापदंड आदि के वर्गीकरण, अनुसरण के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल की गई हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व और नियमितता) और कुशलता एवं निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, से संबंधित लेनेदेनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएसी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिये सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हमने उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाई और इस तरह से काम किया कि वित्तीय विवरण मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों

और प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों का परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकंन मानकों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमने सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथा संशोधित) की धारा 23(1) के तहत महालेखा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'लेखों के एकसमान फार्मेट' में तैयार किए गए हैं; और

iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उचित लेखा बहियां और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड रखा है।

iv. भादूविप्रा के वार्षिक लेखों पर हमारी टिप्पणियां आगे के पैराग्राफ में दी गई है।

5. अनुदान सहायता

भादूविप्रा ने वर्ष के दौरान प्राप्त 100 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष की 10.13 करोड़ रु. की शेष राशि सहित) की अनुदान सहायता में से 92.42 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया और 31 मार्च, 2018 को अप्रयुक्त अनुदान राशि के रूप में 17.71 करोड़ रुपये की राशि शेष थी।

i. पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के आलोक में हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

ii. हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नितियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित और उपरोक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक–1** में वर्णित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं:

क. जहां तक यह 31 मार्च, 2018 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामलों की तुलन पत्र से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

ह॰/–
(संगीता चौरे)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक एवं दूरसंचार)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-I

हमें मुहैया कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांची गई बहियों एवं रिकार्ड और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हम अतिरिक्त टिप्पणी करते हैं कि:

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने के लिए 12 जुलाई, 2013 के परिपत्र संख्या 1–25/2012–एएण्डपी के तहत भादूविप्रा की आंतरिक लेखापरीक्षा का गठन किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि आंतरिक लेखापरीक्षक सचिव भादूविप्रा को रिपोर्ट करेंगे। तत्पश्चात, आवश्यक सुधारक उपायों के लिए रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजी जाएगी। भादूविप्रा के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में एक तकनीकी अधिकारी (आंतरिक लेखापरीक्षा यूनिट) की नियुक्ति की गई है। वर्ष 2017–18 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सचिव भादूविप्रा ने स्वीकृति प्रदान की थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा का विषय–क्षेत्र

संगठन के आंतरिक लेखापरीक्षा का विषय–क्षेत्र और कार्य, काम की प्रकृति, अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या, स्थापना की जनशक्ति, व्यय की प्रकृति और मात्रा आदि पर निर्भर करती है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं और इन्हें नियमित रूप से कार्यान्वित किया जाता है। बहरहाल, भादूविप्रा में प्रचलित दशाओं के विशेष संदर्भ सहित संगठन के दायित्वों और कार्यों को विनिर्दिष्ट करने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं की जाती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व

आंतरिक लेखापरीक्षा के निम्नलिखित दायित्व हैं:

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए विनिर्धारित लेखांकन कार्यविधियों का अध्ययन करना कि ये सही, पर्याप्त, और किसी विसंगति या खामी से मुक्त हैं;

(ii) निर्धारित कार्यविधियों और समय–समय पर जारी आदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखना;

(iii) लेखांकन यूनिट के भुगताओं और लेखांकन कार्य की जांच करना;

(iv) सभी लेखा रिकार्डों की आवधिक समीक्षा करना;

(v) एकल योजनाओं की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन करना;

(vi) सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रभाविकारिता का आकलन करना और विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की दृढ़ता और वित्तीय एवं लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता का आकलन करना;

(vii) परिणामी बजट में सम्मिलित जोखिम कारकों सहित अन्य जोखिम कारकों की पहचान और निगरानी करना;

(viii) बीच में सुधार करने को सुगम बनाने के लिए एक असरदार निगरानी प्रणाली मुहैया करना।

लेखापरीक्षा की मात्रा

आंतरिक लेखापरीक्षा के तहत पिछले निरीक्षण के बाद से कार्यालय द्वारा रखे गए सभी लेखा रिकार्डों की सामान्य समीक्षा की गई है। सामान्य समीक्षा के अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख द्वारा चुने गए वर्ष के कम से कम किसी एक माह के लेखा रिकार्डों की विस्तृत जांच की गई है। जांचों की सीमा और प्रकृति में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) डीडीओ के कार्यालयों में रखे जाने के लिए अपेक्षित लेखा रिकार्डों की विस्तृत जांच;

(ख) डीडीओ द्वारा अनुपालन की गई कार्यविधियों सहित भुगतान और लेखांकन कार्यविधियों का सत्यापन;

(ग) इस बात की जांच करना कि बिलों से की गई कटौतियां और वसूलियां क्रम में हैं, सही हैं और उनकी सही गणना गई है;

(घ) स्वीकृति और खरीद कार्यविधियों की जांच करना ताकि सुनिश्चित किया जा सकें कि ये किसी भी खामी या विसंगति से मुक्त हैं; संविदा की शर्तों के संदर्भ में संविदाओं की जांच करना;

(ङ.) परिसंपत्तियों के निपटान के लिए जिन कार्यविधियों का पालन किया गया, उनकी जांच करना ताकि सुनिश्चित किया जा सकें कि ये निर्धारित निराकरण और निपटान कार्यविधियों के अनुसार हैं।

(च) किए गए भुगतान, उन पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार किए गए हैं और उनकी गणितीय गणना सही की गई हैं;

(छ) वित्तीय और लेखांकन निहितार्थों वाले क्षेत्रों में कार्यालय प्रमुखों द्वारा अपनाई गई सामान्य कार्यालय प्रबंधन कार्यविधियों की जांच करना ताकि प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण को मजबूत बनाने के उपाय सुझाए जा सकें और खर्च में बचत एवं लेखांकन को सुगम बनाया जा सकें।

प्राप्तियों की जांच करना

भादूविप्रा के संबंधित विभाग मुख्यतया यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि सभी राजस्व (शुल्क/जुर्माने आदि) या भादूविप्रा के बकायों का सही और उचित ढंग से आंकलन हों, वसूल किए जाएं और संबंधित लेखे में क्रेडिट किए जाएं।

आंतरिक लेखापरीक्षा के तहत इसकी जांच करना अनिवार्य है कि क्या भादूविप्रा ने सभी राजस्व प्राप्तियों और रिफंड के संग्रहण और लेखांकन की असरदार जांच के लिए पर्याप्त विनियम और कार्यविधियां निर्धारित कर रखी हैं और इनका सही ढंग से पालन किया जा रहा है।

आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति

महत्वपूर्ण यूनिटों की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार की गई।

भादूविप्रा द्वारा निष्पादित कार्यों के आकार और प्रकृति को देखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

भादूविप्रा ने कर्मचारियों/अधिकारियों को नियुक्त करने, वेतन निर्धारित करने, कंसलटेंट के सेवाकाल के विस्तार, व्यक्तिगत दावों, टीए दावों, के निपटान, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरों, और भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न मामलों पर विनियमों के लिए नीतियां और कार्यविधियां निर्धारित कर रखी हैं। इनका अनुपालन किया जा रहा है। रोकड़ की प्राप्ति और संवितरण तथा रोकड़ बही बनाने का काम संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार सही ढंग से किया गया है। रोकड़ की भौतिक जांच नियमित रूप से की जाती है और प्राधिकरण द्वारा तय रोकड़ शेष की अधिकतम सीमा बनाए रखी गई। भादूविप्रा द्वारा दो प्रकार की निधियां–योजना निधि और गैर योजना निधि बनाई गई हैं और प्रत्येक निधि के लिए अलग लेखा बही बनाई गई। दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा सामान्य निधि का प्रबंधन किया है। योजना और गैर योजना शीर्षों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भादूविप्रा को दिए गए अनुदान को इस निधि में जमा किया गया है। योजना और गैर योजना शीर्षों के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अनुदान राशि से भादूविप्रा के खर्च पूरे किए जाते हैं।

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार है।

अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों के रजिस्टर हाथ से तैयार जाते हैं और ये कंप्यूटरीकृत रूप में भी रखे जाते हैं। संपत्तियों/भंडार की भौतिक जांच वार्षिक आधार पर की जा रही है।

हमारी राय में, संगठन की अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार है।

वस्तु–सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्तु–सूची के उचित रिकार्ड रखे गए हैं। वर्ष 2016–17 के लिए वस्तु–सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है।

हमारी राय में, वस्तु–सूची के सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार है।

सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित अन्य सांविधिक बकायों के संबंध में कोई भी विवादग्रस्त राशि देय नहीं थी।

हस्ता./

(राजेश रंजन)

निदेशक (एएमजी-I)

वर्ष 2017–18 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी

वर्ष 2016–17 के लिए भादूविप्रा के वार्षिक लेखों के प्रमाणन के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में मौजूद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया था और इसकी रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

1. संगठनात्मक संरचना

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य हैं। इनके कार्यों को सुचारू ढंग से निष्पादित करने में सचिव सहायता करते हैं। भादूविप्रा सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं और वे छह कार्यात्मक विभागों यथा, नेटवर्क, स्पैक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग; उपभोक्ता मामलें एवं सेवा की गुणवत्ता (सीए एंड क्यूओएस); वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए); प्रशासन एवं कार्मिक (एएंडपी), विधि; प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बीएंडसीएस) और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से काम करते हैं। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक प्रधान सलाहकार/सलाहकार होता है और वे सचिव को रिपोर्ट करते हैं। प्रत्येक प्रधान सलाहकार/सलाहकार की उनके काम में सहायता उप–सलाहकार या संयुक्त सलाहकार करते हैं, और इनकी सहायता संबंधित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी करते हैं।

2. नीतियां और कार्यविधियां

कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन निर्धारण, कंसलटेंटों के सेवाकाल के विस्तार, एकल दावों, टीए दावों के निपटान, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरों और विभिन्न मामलों के विनियमों के लिए नीतियां और कार्यविधियां भादूविप्रा अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार बनाई जाती हैं।

3. आंतरिक लेखापरीक्षा का विषय–क्षेत्र और स्वतंत्रता

भादूविप्रा का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जिसके प्रमुख तकनीकी अधिकारी हैं जो सचिव, भादूविप्रा को सीधे रिपोर्ट करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए सचिव को प्रस्तुत की जाती है, और इसके बाद, जरूरी सुधारक उपाय करने के लिए संबंधित विभागों को भेजी जाती है। विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की सतत और नियमित निगरानी की जाती है। वर्ष 2016–17 के लिए आंतरिक लेखपरीक्षा रिपोर्ट को सचिव, भादूविप्रा ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

4. रोकड़ की प्राप्ति और संवितरण

रोकड़ की प्राप्ति और संवितरण से जुड़े कार्य वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वित्त) की निगरानी में कैशियर द्वारा किए जाते हैं। रोकड़ बही कैशियर की कस्टडी में रहती है और रोकड़ का भौतिक सत्यापन नियमित आधार पर किया जा रहा है। रोकड़ शेष की अधिकतम सीमा, जो प्राधिकरण द्वारा तय की गई है, बनाए रखी जा रही है।

5. निधियों (योजना/गैर–योजना) का प्रबंधन

वित्त वर्ष 2016–17 तक भादूविप्रा दो तरह की निधियों का प्रबंधन कर रहा है – पहली योजना निधि है और दूसरी गैर–योजना निधि हैं। प्रत्येक निधि से संबंधित व्यय की पूर्ति संबंधित निधियों से की जाती थी और लेखा बहियों का अलग–अलग प्रबंधन किया जा रहा था। मगर दूरसंचार विभाग ने 27.04.2017 के अपने पत्रांक 1–15/2016–बी के द्वारा भादूविप्रा को सूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने बीई 2017–18 से राजस्व/पूंजी के अंतर्गत योजना और गैर योजना निधियों से निधियों के पूर्वानुमान/आबंटन की नीति को बदल दिया है। इसलिए अब से, योजना और गैर योजना के स्थान पर राजस्व और पूंजी खंड के तहत निधियों का आबंटन/पूर्वानुमान अपेक्षित है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान भादूविप्रा द्वारा कोई पूंजी अनुदान प्राप्त नहीं किया गया।

6. भादूविप्रा सामान्य निधि

भादूविप्रा सामान्य निधि का प्रबंधन दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है। योजना और गैर–योजना शीर्षों के तहत भारत सरकार से भादूविप्रा को मिलने वाली अनुदान राशि को इस निधि में अलग से क्रेडिट किया जाता है। भादूविप्रा के व्यय की पूर्ति दूरसंचार विभाग द्वारा योजना और गैर–योजना निधि के तहत जारी अनुदान राशि से की जाती है और जारी निधियों के उपयोग का प्रमाणपत्र भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। दूरसंचार विभाग के साथ भादूविप्रा सामान्य निधि का शेष तुलन पत्र में चालू संपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची–11) के अंतर्गत "अग्रिम एवं रोकड़ या किसी अन्य रूप में या पूंजी खाते में प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य राशियां" शीर्ष के तहत भादूविप्रा के लेखों में दर्शाया जाता है। वर्ष 2017–18 के लिए निधि में शेष की पुष्टि और दूरसंचार विभाग से मिलान का कार्य नहीं किया गया है।

7. अचल संपत्तियां

अचल संपत्तियों के रजिस्टर हाथ से तैयार जाते हैं और ये कंप्यूटरीकृत रूप में भी रखे जाते हैं। संपत्तियों/भंडार की भौतिक जांच वार्षिक आधार पर की जा रही है।

8. रोकड़ की प्राप्तियां और प्राप्य/संवितरण

सक्षम प्राधिकारी की सभी स्वीकृतियां, जो वित्त विभाग को भेजी जाती हैं, की जांच मौजूदा नियमों/आदेशों, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, लेखों के शीर्षों के आवंटन आदि के अनुसार की जाती है और भुगतान के अंतिम आदेश तदनुसार जारी किए जाते हैं। प्राधिकारी के आदेश यदि भारत सरकार के निर्णयों/आदेशों के अनुरूप नहीं हैं तो वित्त विभाग द्वारा इनमें सुधार किया जाता है।

9. व्यक्तियों को वेतन/ऋण और अग्रिम

भादूविप्रा के कर्मचारियों को वेतन/ऋण और अग्रिम भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार तैयार और अदा किए जा रहा हैं।

10. बैंक शेष/बैंक समाधान

संबंधित विभागों से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर चेक जारी किए जाते हैं। भादूविप्रा चेक जारी करने के रजिस्टर रख रहा है जिसमें जारी किए और प्राप्त किए गए चेकों का विवरण रखा जाता है। बैंक समाधान विवरण मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। सरकारी अनुदान के जरिये प्राप्त निधियां बैंक में चालू खाते में रखी जाती हैं।

11. एचबीए/एमसीए/कंप्यूटर/स्कूटर अग्रिम का रजिस्टर

भादूविप्रा द्वारा एचबीए/एमसीए/कंप्यूटर/स्कूटर अग्रिम का भुगतान कर्मचारियों को किया जा रहा है। अपने कर्मचारियों को इन अग्रिमों का भुगतान करते समय भादूविप्रा कर्मचारी, जिसने समाहन का विकल्प चुना है, के मूल/पिछले कार्यालय के डेबिट शेष पर भी विचार करता है।

हस्ता./
(राजेश रंजन)
निदेशक (एएमजी-I)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31–03–2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

		राजस्व	
		2017-18	2016-17
संग्रह/पूंजीगत निधि	1	(8,19,98,757)	52,33,50,597
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3		
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	41,28,66,474	49,96,34,422
कुल		**33,08,67,717**	**102,29,85,019**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	9,60,03,048	7,95,98,854
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		
निवेश–अन्य	10		
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	23,48,64,669	94,33,86,165
विविध खर्च			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**33,08,67,717**	**102,29,85,019**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह॰/–	ह॰/–	ह॰/–	ह॰/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	अनुसूची	राजस्व	
		चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
बिक्री/सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सब्सिडी	13	100,03,96,000	73,00,00,000
शुल्कअंशदान	14		
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15		
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17		
अन्य आय	18	3,92,449	40,60,160
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		
कुल (क)		100,07,88,449	73,40,60,160
व्यय			
स्थापना व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	20	41,68,47,773	31,41,33,702
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	21	50,44,03,030	45,87,16,872
ब्याज	22		
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)	23		
कुल (ख)		1,07,67,990	1,21,68,065
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)			
विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		93,20,18,793	78,50,18,639
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण			
संग्रह/पंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष		6,87,69,656	-50,958,479
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31–03–2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 1 – संग्रह/पूंजीगत निधि

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
वर्ष के आरंभ में शेष	52,33,50,597	107,44,98,135
जोड़े/घटाएं: संग्रह/पंजीगत निधि की ओर योगदान	(67,41,19,010)	(50,01,89,059)
जोड़े (कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	6,87,69,656	-50,958,479
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	(8,19,98,757)	52,33,50,597

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष

		गैर–योजना	
		चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1.	पूंजी आरक्षितः	-	
	पिछले खाते के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2.	पुनर्मल्यांकन आरक्षितः विशेष आरक्षितः	-	-
	पिछले खाते के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3.	विशेष आरक्षितः	-	-
	पिछले खाते के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4.	सामान्य आरक्षितः	-	-
	पिछले खाते के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल		-	-

ह0/–
परामर्शदाता (एफ एवं ईए)

अनुसूची 3–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि – रूपए)

	निधिवार विवरण				कुल	
	निधि	निधि	निधि	निधि	राजस्व	
	डब्ल्यू डब्ल्यू	एक्स एक्स	वाई वाई	जैड जैड	चालू वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2016-17
क) निधि में वृद्धि						
ख) निधि का आरंभिक शेष					396,000.00	
i. दान / अनुदान स्वच्छ भारत अभियान						
ii. निधि के खाते में निवेश से आय						
iii. अन्य जमा (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)						
कुल (क + ख)						
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय						
i. पंजीगत व्यय						
– स्थायी परिसंपत्ति					शून्य	शून्य
– अन्य						
कुल						
ii. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
– किराया					396,000.00	
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल						
कुल (ग)						
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)					**0**	

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए

2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ह0/–

परामर्शदाता (एफ एवं ईए)

अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण और उधार

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	
6. डिबेंचर और बांड	-	
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 5–अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1. केंद्र सरकार		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-
3. वित्तीय संस्थाएं		-
4. बैंक		-
क) सावधि ऋण		-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		-
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		-
6. डिबेंचर और बांड		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
कुल		

टिप्पणी एक वर्ष के अंदर देय राशि

ह0 /–

परामर्शदाता (एफ एवं ईए)

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
क) पुंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी एक वर्ष के अंदर देय राशि

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(राशि–रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता	-	-
2) विविध ऋणदाता	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-
ख) अन्य	-	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:	-	-
क) प्रतिभूति ऋण / उधार	-	-
ख) अप्रतिभूति ऋण / उधार	-	-
5) सांविधिक देयताएं	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	-	-
6) अन्य चालू देयताएं	-	-
1) ट्राई सामान्य निधि (ईएमडी) के लिए	48,66,903	64,44,155
2) टेलीमार्किटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	8,631,619	1,22,00,149
3) ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए		
4) टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	20,05,675	20,37,519
5) वित्तीय दंड / जुर्माना	3,67,15,100	13,31,91,141
कुल (क)	5,22,19,297	15,38,72,964
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी	6,11,30,896	4,55,16,025
3. अधिवर्शिता / पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण	6,56,17,861	5,99,88,841
5. व्यापार वारंटी / दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	23,38,98,420	24,02,56,592
व्यय के लिए प्रावधान		
कुल (ख)	**36,06,47,177**	**34,57,61,458**
कुल (क+ख)	41,28,66,474	49,96,34,422

ह0 / –

परामर्शदाता (एफ एवं ईए)

अनुसूची 8–स्थायी परिसंपत्तियां गैर–योजना

(राशि–रूपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दा. ैरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4. वाहन	67,79,327			67,79,327	47,61,207	5,82,206		53,43,413	14,35,914	20,18,120
5. फर्नीचर, फिक्सचर	2,60,21,191	13,00,885		2,73,22,076	1,93,41,829	14,04,613		2,07,46,442	65,75,634	66,79,362
6. कार्यालय उपस्कर	3,46,81,508	13,66,726		3,60,48,234	2,04,95,265	41,29,755		2,46,25,020	1,14,23,214	1,41,86,243
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल	10,61,77,714	22,52,656		10,84,30,370	5,15,09,984	40,30,139		5,55,40,123	5,28,90,247	5,46,67,730
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन	89,40,243	1,49,414		90,89,657	70,63,845	5,71,031		76,34,876	14,54,781	18,76,398
9. पुस्तकालय पुस्तकें	44,22,182	12,010		44,34,192	42,51,181	50,246		43,01,427	1,32,765	1,71,001
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां		2,20,90,493		2,20,90,493					2,20,90,493	
चालू वर्ष का योग	18,70,22,165	2,71,72,184	-	21,41,94,349	10,74,23,311	1,07,67,990	0	11,81,91,301	9,60,03,048	7,95,98,854
पिछला वर्ष	17,64,23,133	1,11,94,783	5,95,751	18,70,22,165	9,56,56,195	1,21,68,065	4,00,949	10,74,23,311	7,95,98,854	8,07,66,938
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

ह0/–

परामर्शदाता (एफ एवं ईए)

अनुसूची 9–निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि–रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 10–निवेश अन्य

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	
कुल	-	-

ह0/–

परामर्शदाता (एफ एवं ईए)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि–रूपए)

विवरण	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड	-	-
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट	-	-
ख) अन्य		-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	1,54,309	97,388
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		-
– चालू खाता ट्राई सामान्य निधि पर	17,71,43,721	10,12,76,399
– चालू खाता पंजीकरण शुल्क पर	86,31,619	1,22,00,149
टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	20,05,675	20,37,519
– बचत खाता ग्राहक शिक्षा शुल्क पर		
– बचत खाता वित्तीय निवर्तक पर	3,67,15,100	13,31,91,141
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		-
– जमा खाते पर	-	-
– बचत पर	-	-
5. डाकघर बचत खाता	-	-
कुल (क)	22,46,50,424	24,88,02,596

ह0/–

परामर्शदाता (एफ एवं ईए)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि–रुपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम)	1996602	21,51,171
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूली योग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशि:		
क) पूंजीगत खाते पर		67,10,00,000
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्य	70,95,925	2,00,68,317
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधार्रित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश–अन्य पर		
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	11,21,718	13,64,081
घ) अन्य		
(देय आय में वसूली न गई राषि सहित)		
5. दावे प्राप्तयोग्य		
कुल (ख)	1,02,14,245	69,45,83,569
कुल (क+ख)	**23,48,64,669**	**94,33,86,165**

ह0/–

परामर्शदाता (एफ एवं ईए)

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रुपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

	राजस्व	
(अवसूलनीय अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1) केंद्र सरकार	100,00,00,000	73,00,00,000
2) राज्य सरकार		
3) सरकारी एजेंसियां		
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	3,96,000	
कुल	**100,03,96,000**	**73,00,00,000**

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		

टिप्पणीः प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि–रुपए)

(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	निर्धारित निधियों से निवेश	
	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-
ख) अन्य बॉड/डिबेंचर्स	-	-
2) लाभांश	-	-
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3) किराया	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित		

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17–अर्जित ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1) सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2) बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋणों पर	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) अन्य	-	-
4) ऋणों एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	0	0

टिप्पणी: स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया गया है

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		24,363
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई		
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय	3,92,449	40,35,797
5. टेलीमार्किटर्स से पंजीकरण शुल्क		
6 टेलीमार्किटर्स से ग्राहक शिक्षा शुल्क		
7 टेलीमार्किटर्स से जुर्माना		
8 वित्तीय निवर्तक		
कुल	3,92,449	40,60,160

अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
क) अंतिम स्टॉक		
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिशील कार्य	-	-
ख) घटाएं: आंरभिक स्टॉक		
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिशील कार्य	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क – ख)	-	-

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
क) वेतन एवं मजदूरी	31,41,02,227	28,76,41,384
ख) भत्ते एवं बोनस	4,62,836	7,57,692
ग) भविष्य निधि में योगदान	1,24,02,305	1,24,16,795
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड) स्टाफ कल्याण खर्च	4,48,109	7,02,197
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ	7,08,96,107	5,01,06,861
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए)	1,85,36,189	1,67,68,810
कुल	**41,68,47,773**	36,83,93,739

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
क) खरीद	-	-
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार		-
घ) विद्युत एवं पॉवर	23,29,210	19,41,981
ड़) जल प्रभार		
च) बीमा और बैंक शुल्क	122,843	91,863
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	73,95,174	38,79,077
ज) सीमा शुल्क		
झ) किराया, दर और कर	26,71,14,171	23,76,36,561
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	20,14,196	23,79,242
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	82,08,553	89,05,305
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	63,65,429	64,89,580
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	4,37,97,730	4,27,20,827
ण) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	1,91,07,126	63,97,032
त) अंशदान व्यय	49,84,309	9,60,477
थ) पूर्व अवधि के खर्च	808376	
द) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	1,66,900	1,77,785
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क	22,31,940	17,13,295
न) पेशवेर शुल्क	6,02,98,331	2,86,55,261
प) परामर्श खर्च और प्रशिक्षण	46,450,734	42,208,348
फ) संपत्तियों की बिक्री से हानि		
ब) परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान		17,569
भ) फ्रेट और फॉरवर्डिंग व्यय		
म) सॉफ्टवेयर विकास व्यय	5,901,731	2,796,271
य) विज्ञापन एवं प्रचार	29,58,063	
म) स्वच्छ भारत शुल्क	3,96,000	
य) हाउसकीपिंग एवं विविध आदि को भुगतान	2,37,52,214	1,74,86,361
कुल	50,44,03,030	**40,44,56,835**

ह०/–
कंसलटेंट (एफएवंईए)

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया सब्सिडी	-	-
कुल		

टिप्पणीः संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 – ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	
कुल	-	-

ह०/–
कंसलटेंट (एफएवंईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31–03–2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

प्राप्ति	राजस्व		भुगतान	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17		चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
I. आरंभिक शेष			**1. व्यय**		
क) हाथ में नकदी	97,388	50,225	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	37,50,37,598	28,08,90,744
i) चालू खाते में	10,12,76,399	7,08,00,748	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	53,80,89,126	40,42,38,027
ii) जमा खाते में					
iii) बचत खाते–दंड	20,37,519	2,65,91,413	**II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
पंजीकरण शुल्क	1,22,00,149	8,47,72,637	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा		
ग्राहक शिक्षा शुल्क		2,32,000	परियोजना का नाम दर्शाया जाए)	1,96,953	
वित्तीय निवर्तक	13,31,91,141	38,74,71,105			
II. प्राप्त अनुदान			**III. किए गए निवेश एवं जमा**		
क) केंद्र सरकार से	100,00,00,000	73,00,00,000	क) निर्धारित/बंदोबस्ती से		
ख) राज्य सरकार से			ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें)	3,96,000				
(पूंजी एवं राजव्य व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)			**IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय**		
III. निम्न में निवेश से आय			क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	2,28,53,105	1,06,60,326
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि			ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ख) स्वयं की निधियां	2,42,363		**V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी**		

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राप्ति	राजस्व		भुगतान	राजस्व	
	चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17		चालू वर्ष 2017-18	पिछला वर्ष 2016-17
IV. **प्राप्त ब्याज**			क) भारत सरकार को		
क) बैंक जमा पर			ख) राज्य सरकार को		
ख) ऋण, अग्रिम आदि		2,56,325	ग) टेलीमोर्केटर पंजीकरण शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को	1,22,00,149	8,47,72,637
			ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को		232,000.00
			टेलीमोर्टर्स से जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को	20,37,519	2,65,91,413
			वित्तीय दंड/जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को	13,31,58,278	38,74,71,105
ग) विविध	3,92,449	40,95,562	VI. **वित्तीय प्रभार (ब्याज)**		
V **अन्य आय (निर्दिष्ट करें**					
विविध आय को			VII. **अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
			ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा	15,77,252	1,28,76,818
VI **उधार ली गई राशि**			VIII. **अंतिम शेष**		
VII. **कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)**			क) हाथ में नकदी	1,54,309	97,388
			ख) बैंक शेष		
प्रतिभूति जमा से	1,26,47,464	50,93,455	1) चालू खाता में – ट्राई मान्य निधि	17,71,43,720	10,12,76,687
अन्य अग्रिम			i) चालू खाता में –पंजीकरण शुल्क	86,31,619	1,22,00,149
परिसंपत्तियों की बिक्री से			ii) जमा खाता में		
ऋण एवं अग्रिम और			2) बचत खाता		
प्रतिभूति जमा से पंजीकरण शुल्क से	86,31,619		i) ग्राहक शिक्षा शुल्क		
ग्राहक शिक्षा शुल्क से		1,22,00,149	ii) टेलीमार्किटर्स से दंड	20,05,675	20,37,519
टेलीमार्किटर्स से लिए दंड से	20,05,675	20,37,519	iii) वित्तीय निवर्तक	3,67,15,100	13,31,91,141
वित्तीय निवर्तक से	3,66,82,237	13,31,91,141			
कुल	**130,98,00,403**	**145,65,35,954**	**कुल**	**130,98,00,403**	**145,65,35,954**

ह॰/–	ह॰/–	ह॰/–	ह॰/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 लेखा परंपराएं

(क) वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक के दिनांक 23.07.2007 के पत्रांक F.No.19(1)/Misc./2005/TA/450-490 द्वारा यथा अनुमोदित "समान लेखा प्रणाली" में तैयार किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 27.04.2017 के अपने पत्रांक 1-15/2016-B द्वारा सूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने बीई 2017–18 से राजस्व/पूंजी के अंतर्गत योजना और गैर–योजना निधियों से निधियों के प्रक्षेपण/आबंटन की नीति को बदल दिया है। इसलिए इसके बाद से योजना और गैर–योजना के स्थान पर राजस्व और पूंजी खंड के तहत निधियों के आबंटन/प्रक्षेपण को किया जाना अपेक्षित होगा। वर्ष 2017–18 के दौरान, भादूविप्रा को कोई पूंजी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है अतः लेखे राजस्व शीर्ष के तहत तैयार किए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष अर्थात, 2017–18 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) खाता बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपयों में समेकित कर दिया गया है।

(ङ.) तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

2 स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

3 मूल्यह्रासः

(क) अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के भाग "सी" की निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति से दिया गया है, जिसमें नीचे वर्णित श्रेणियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन पर मूल्यह्रास उच्च दरों से लगाया गया है।

वर्ग	कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्यह्रास दर	लागू मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	19.00%	19.00% *
फर्निचर और फिक्स्चर	9.50%	10.00%
विद्युत उपस्कर	9.50%	10.00%
एयर कंडीशनर	9.50%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	6.33%	20.00%

* कार्यालय उपस्करों में कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को मुहैया कराए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2007 के आदेश संख्या 2.1/97-LAN के तहत ववज के पैटर्न पर इन हैंडसेटों को तीन वर्षों में मुहैया/बट्टे खाते में डालने का निश्चय किया है। तदनुसार, 2007–08 से मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से प्रभारित किया गया है

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के परिवर्धन के संबंध में, मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर माना जाता है।

(ग) 5000/– रुपये या कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं।

ह०/–
कंसलटेंट (एफएवंईए)

4 **विदेशी मुद्रा लेनदेन:**

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन–देन को लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5 **सेवानिवृत्ति लाभ**

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में 31.03.2018 के लिए समय–समय पर बुनियादी नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2017–18 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्यूटी का प्रावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6 **सरकारी अनुदान:**

(क) चालू वर्ष के दौरान विशिष्ट स्थायी संपत्तियों के संबंध में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है। बहरहाल, दूरसंचार विभाग ने स्वच्छ भारत अभियान कार्य योजना को चलाने के लिए विशिष्ट अनुदान के रूप में 3.96 लाख रुपये दिए हैं और इसे अलग से दर्शाया गया है।

(ख) सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के आधार पर सरकारी अनुदानों को लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के खाते में प्राप्त राशि का नकदी आधार पर हिसाब किया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1 **आकस्मिक देयताएं:**

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)

2 **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:**

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर एक मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

3 **कराधान:**

ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, ट्राई को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

4 **अनुदान**

लेखांकन वर्ष अर्थात् 2017–18 के दौरान, सरकारी अनुदान की मद में 100 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं। वर्ष 2014–15 तक भादूविप्रा ने उपचय आधारित अनुदान की लेखांकन नीति को अपनाया था, जिसके कारण 2.75 करोड़ रुपये और 64.35 करोड़ रुपये क्रमशः गैर योजना और योजना के खाते में दूरसंचार विभाग से वसूलीयोग्य के रूप में

ह०/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)

दर्शाए जा रहे थे। चूंकि लेखांकन नीति सरकारी अनुदानों की मद में उपचय आधार के स्थान पर रोकड़ आधार वाली हो गई है इसलिए वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 67.10 करोड़ रुपये की उक्त राशि को पूंजी निधि के माध्यम से दर्शाया गया है।

5 दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2010 से संबंधित लेन–देन

"दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण ग्राहक वरीयता विनियम, 2010" के प्रावधानों के अनुसार, भादूविप्रा ने पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्केटरों से प्राप्त जुर्माना राशि और वित्तीय हतोत्साहन राशि जमा कराने के लिए कार्पोरेशन बैंक में चार खाते खुलवाए थे। वर्ष 2017–18 के दौरान, ग्राहक पंजीकरण शुल्क, टेलीमार्केटरों से जुर्माने और भादूविप्रा द्वारा विभिन्न विनियमों के उल्लंघन पर लगाए गए वित्तीय हतोत्साहन की मद में क्रमशः 86प31प619 रुपयेए 2005675 रुपये और 36682237 रुपये प्राप्त किए गए। इन्हें चालू देयताओं की अनुसूची 7 में दर्शाया गया है। भादूविप्रा ने वर्ष 2016–17 के दौरान, दूरसंचार विभाग को ग्राहक पंजीकरण शुल्क, टेलीमार्केटरों से जुर्माने और वित्तीय हतोत्साहन की मद में 2200149 रुपयेए 2037519 रुपये और 13358278 रुपये का विप्रेषण किया है। वित्तीय हतोत्साहन, टेलीमार्केटरों से जुर्माने और पंजीकरण शुल्क के अंतिम शेष में ब्याज के लिए क्रमशः 5057246 रुपये 199375 रुपये और 536609 रुपये की राशि शामिल है।

6 वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान, स्वच्छ भारत कार्य योजना की मद में दूरसंचार विभाग से 3.96 लाख रुपये प्राप्त किए गए, जबकि वास्तविक व्यय के रूप में 397097 रुपये खर्च किए गए और 1097 रुपये की आधिक्य राशि की पूर्ति भादूविप्रा सामान्य निधि से की गई।

7 विदेशी मुद्राओं में लेनदेन

जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष अर्थात् पूर्व अवधि से संबंधित व्यय/आय को पूंजी निधि के माध्यम से फैलाया गया है।

8 विदेशी मुद्राओं में लेनदेन

विदेशी मुद्रा में व्ययः	राजस्व शून्य
(क) यात्राः	अधिकारियों को विदेश यात्रा के टीए/डीए खर्च के लिए 40,46,688/– रुपये की राशि का भुगतान किया गया। विदेशी संस्थानों के लिए भागीदारी शुल्क हेतु 49,24,309 रु. का भुगतान किया गया था।
(ख) वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज का भुगतान	शून्य
(ग) अन्य व्ययः	शून्य

9 1 से 25 तक की अनुसूचियों को संलग्न किया गया है और उन्हें 31 मार्च 2018 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

ह॰/–	ह॰/–	ह॰/–	ह॰/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

ग) वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण –अंशदायी भविष्य निधि खाता 31 मार्च, 2018 को तुलन-पत्र

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वार्षिक लेखों –अंशदायी भविष्य निधि खाता पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. परिचय

हमने 10 अप्रैल, 2003 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) के तहत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली 2003 के नियम 5 (5) साथ पठित महालेखा परीक्षक एवं लेखापरीक्षक की (सेवा के दायित्व, शक्तियां एवं शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च, 2018 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता के संलग्न तुलन पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटन मापदंड आदि के वर्गीकरण, अनुसरण के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की टिप्पणियां शामिल की गई हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व और नियमितता) और कुशलता एवं निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, से संबंधित लेनदेनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिये सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हमने उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाई और इस तरह से काम किया कि वित्तीय विवरण मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों का परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकंन मानकों और प्रबंधन के महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

4. **अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :**

i. हमने सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली 2003 के नियम 5 के तहत महालेखा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'लेखों के एकसमान प्रारूप' में तैयार किए गए हैं;

iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण– अंशदायी भविष्य निधि खाता द्वारा उचित लेखा बहियां और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड रखे गए हैं;

vi. हम रिपोर्ट करते है कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

v. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नितियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित और उपरोक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक–1** में वर्णित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं:

क. जहां तक यह 31 मार्च, 2018 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता के मामलों के तुलन पत्र से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'आय पर व्यय के आधिक्य' के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

ह0/–

(संगीता चौरे)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक एवं दूरसंचार)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखों – अंशदायी भविष्य निधि खाता पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–I

हमें मुहैया कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांची गई बहियों एवं रिकार्ड और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हम अतिरिक्त टिप्पणी करते हैं कि:

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

भादूविप्रा–सीपीएफ लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा अगस्त, 2018 में गई थी और सचिव, भादूविप्रा की स्वीकृति ली गई थी। संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार एवं कार्य की प्रकृति अनुरूप है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और इसके कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

ह0/–
निदेशक

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता 2017–18 में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी

वर्ष 2017–18 के लिए भादूविप्रा के वार्षिक लेखों के प्रमाणन के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)–सीपीएफ खाता में मौजूद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और इसकी रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

1. परिचय

10 अप्रैल, 2003 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) के तहत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली 2003 के नियम 3 (1) के अनुसरण में 5 मई, 2003 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता (भादूविप्रा–सीपीएफ) की स्थापना की गई थी। भादूविप्रा के पास कुल स्वीकृत पदों की संख्या 237 है और वर्तमान में 182 पद भरे हुए हैं। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, इसमें से 58 प्रतिनियुक्ति वाले और 182 नियमित पद हैं। जीपीएफ/ईपीएफ/सीपीएफ, जैसा भी मामला हो, की मद में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों के वेतन से कटौती की जाती है और इसे उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तों के अनुसार उनके मूल कार्यालय को भेजा जाता है। भादूविप्रा के नियमित कर्मियों के मामले में, भादूविप्रा द्वारा सीपीएफ नियमों के अनुसार उनके वेतन से कटौती की जाती है और कर्मियों एवं नियोक्ता की अंशदान राशि माह दर माह आधार पर प्रत्येक कर्मचारी की कटौती के ब्यौरे के साथ भादूविप्रा–सीपीएफ खाते में भेजी जाती है।

2. संगठनात्मक संरचना

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के पास अलग से अपने कोई कर्मचारी नहीं हैं। भादूविप्रा–सीपीएफ खाते की देखरेख का संपूर्ण कार्य एक न्यासी मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल भादूविप्रा के कर्मचारी शामिल हैं। भादूविप्रा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए) न्यासी मंडल के सचिव हैं। मंडल के न्यासियों के नाम निम्नानुसार हैं:

(i)	सलाहकार (प्रशासन)	:	अध्यक्ष (पदेन)
(ii)	उप–सलाहकार (एचआर)	:	न्यासी (पदेन)
(iii)	संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए)	:	न्यासी
(iv)	निजी सचिव (एफ एंड ईए)	:	न्यासी
(v)	संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए)	:	सचिव सीपीएफ न्यासी

न्यासी मंडल के सचिव पर भादूविप्रा–सीपीएफ खाता के लेखों के रखरखाव और न्यासी मंडल की बैठकें आयोजित करने की जिम्मेदारी है। न्यासी मंडल के सभी निर्णय उनकी आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

3. आंतरिक लेखापरीक्षा का विषय–क्षेत्र और स्वतंत्रता

भादूविप्रा का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जिसके प्रमुख तकनीकी अधिकारी (आईएयू) हैं। सीपीएफ–लेखों सहित आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए सचिव को प्रस्तुत की जाती है, और इसके बाद, जरूरी सुधारक उपाय करने के लिए संबंधित विभागों को भेजी जाती है। विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की सतत और नियमित निगरानी की जाती है।

4. निधियों की प्राप्ति और संवितरण

निधियों की प्रप्ति और संवितरण से संबंधित कार्य, न्यासी मंडल के पर्यवेक्षण में एक अनुभाग अधिकारी द्वारा किया जाता है। भादूविप्रा–सीपीफ खाते में कोई नकद लेनदेन नहीं किया जाता है क्योंकि सभी प्राप्तियां और भुगतान चेक द्वारा किए जाते हैं। भादूविप्रा से सीपीएफ कटौतियों की प्राप्ति और सीपीएफ आहरण एवं अग्रिम की मद में भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के सदस्यों को किए गए भुगतान, यदि कोई हों, नियमित आधार पर बैंक बही में दर्ज किए जाते हैं।

5. निवेश

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते की निधियों का निवेश सरकारी मानदंडों के अनुसार विभिन्न प्रतिभूतियों में किया जाता है। इन प्रतिभूतियों पर उपार्जित/प्राप्त ब्याज को ब्याज खाते में जमा किया जाता है। निवेश करने संबंधी निर्णय न्यासी मंडल की आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

6. ब्याज

सदस्यों की सीपीएफ जमाराशियों पर ब्याज को सामान्य भविष्य निधि के लिए अंशदान पर ब्याज के भुगतान हेतु समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उनके व्यक्तिगत क्षातें में जमा किया जाता है। यदि सदस्यों को देय ब्याज में कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति भादूविप्रा सामान्य निधि से की जाती है।

7. सीपीएफ का आहरण/अग्रिम

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के सदस्यों को सीपीएफ नियमावली के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी शेष राशि को आहरित करने या अस्थासी अग्रिम लेने का हक है। सदस्यों को दिए गए अग्रिमों के मामले में, भादूविप्रा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिमों की वसूली करने के लिए संबंधित सदस्यों के वेतन से मासिक कटौतियां करने के बारे में सूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश रंजन)

निदेशक (एएमजी–I)

वत्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31.3.2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री /सेवाओं से आय	12		-
अनुदान /सब्सिडी	13		-
शुल्क /अंशदान	14		-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15	6,195,919.44	5,102,687.61
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		-
अर्जित ब्याज	17	6,751,556.19	5,566,021.47
अन्य आय	18	-	28,824.00
तैयार माल के स्टॉक में बढोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		-
कुल (क)		**12,947,475.63**	**10,697,533.08**
व्यय			
स्थापना व्यय	20		-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	61,725.00	1,717.50
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22		
ब्याज	23	14,110,703.81	9,432,500.00
म्यचूअुल फंडों में निवेश मूल्य में कमी			
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		**14,172,428.81**	**9,434,217.50**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		-1,224,953.18	1,263,315.58
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अंतरित परंतु बट्टे खाते में नहीं डाला गया।			-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		-1,224,953.18	1,263,315.58
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष			
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
श्री ए.के. धींगरा	श्रीमती शालिनी कटोच	श्री के. वि. सेबेस्टियन	श्री अनुराग शर्मा	श्री संजीव शर्मा
संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	निजी सचिव (एफएवंईए)	संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	उप–सलाहकार (प्रशासन)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	न्यासी	न्यासी	पूर्व–पदेन न्यासी	पूर्व–पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र

संग्रह/पूंजीगत निधि	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ट्राई –सीपीएफ सदस्य खाता	1	183,120,188.00	146,057,794.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	5,459,305.12	6,684,258.30
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3		
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	-	3,446,852.35
कुल		**188,579,493.12**	**156,188,904.65**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8		-
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश – अन्य	10	151,732,748.00	110,400,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	36,846,745.12	45,788,904.65
विविध खर्च			-
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		188,579,493.12	156,188,904.65
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
श्री ए.के. धींगरा	श्रीमती शालिनी कटोच	श्री के. वि. सेबेस्टियन	श्री अनुराग शर्मा	श्री संजीव शर्मा
संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	निजी सचिव (एफएवंईए)	संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	उप–सलाहकार (प्रशासन)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	न्यासी	न्यासी	पूर्व–पदेन न्यासी	पूर्व–पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचिया

अनुसूची 1 – ट्राई – सीपीएफ सदस्य खाता

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष	146,057,794.00	107,944,782.00
घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन		
जोड़ें: सदस्यों के खाते में अंशदान	37,062,394.00	38,113,012.00
जोड़े (कटौती): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		
आय एवं व्यय खाता		
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**183,120,188.00**	**146,057,794.00**

अनुसूची 2–आरक्षित एवं अधिशेष

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	पूंजी आरक्षित:		
	पिछले खाते के अनुसार		
	वर्ष के दौरान जमा		
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2.	पुनर्मल्यांकन आरक्षित:		
	पिछले खाते के अनुसार		
	वर्ष के दौरान जमा		
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3.	विशेष आरक्षित:		
	पिछले खाते के अनुसार		
	वर्ष के दौरान जमा		
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4.	सामान्य आरक्षित:		
	पिछले खाते के अनुसार	6,684,258.30	5,420,942.72
	वर्ष के दौरान जमा	-1,224,953.18	1,263,315.58
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
	कुल	**5,459,305.12**	**6,684,258.30**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि – रूपए)

	निधिवार विवरण				चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जैड जैड		
क) निधि का आरंभिक शेष						
ख) निधि में वृद्धि						
i. दान / अनुदान				N. A.		
ii. निधि के खाते में निवेश से आय						
iii. अन्य जमा (शेष प्रकृति)						
कुल (क + ख)						
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग / व्यय						
i. पंजीगत व्यय						
– स्थायी परिसंपत्ति						
– अन्य						
कुल						
ii. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि				N. A.		
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल						
कुल (ग)						
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)						

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए

2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4–प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		N. A.
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बांड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 5–अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि–रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		N. A.
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बांड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
ख) अन्य		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि–रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		-
4) प्रोदभूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूति ऋण/उधार		
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार		
5) सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
1) कार्पोरेशन बैंक आसफ अली रोड़ – बुक ओवरड्राफ्ट		3,446,852.35
कुल	-	**3,446,852.35**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी / दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	-	**3,446,852.35**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि – रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़होल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीज़होल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं						N. A.				
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर										
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल										
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

(टिप्पणी: उपरोक्त सहित किराया क्रय पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि – रूपए)

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर एवं बांड		N. A.
5.	सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल			

अनुसूची 10 – निवेश अन्य

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में	80,700,000.00	59,700,000.00
	दीर्घावधि निवेश - ₹		
	चालू निवेश -		
2.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर एवं बांड		
5.	सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6.	अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा) – दीर्घावधि	71,032,748.00	50,700,000.00
कुल		**151,732,748.00**	**110,400,000.00**

TRAI

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि – रुपए)

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क.	चालू परिसंपत्तियां:		
1.	सामान		
	क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
	ख) लूज टूल्स	-	-
	ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
	तैयार माल	-	-
	कार्य प्रगति पर	-	-
	कच्चा माल	-	-
2.	विविध देनदारी		
	क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट	-	-
	ख) अन्य	-	-
3.	हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4.	बैंक शेष:		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	– चालू खाता पर	-	-
	– जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	33,468,947.00	37,700,780.00
	– बचत खाते पर	16,919.85	11,360.22
	ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
	– चालू खाता पर	-	-
	– जमा खाते पर	-	-
	– बचत खाते पर	-	-
5.	डाकघर बचत खाता	-	-
कुल (क)		**33,485,866.85**	37,712,140.22

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		-
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशि		
क) पूंजीगत खाते पर		-
ख) पूर्व भुगतान		-
ग) अन्य		-
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		-
ख) निवेश – अन्य पर	3,360,878.27	8,076,764.43
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य		
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. दावे प्राप्तयोग्य -		
कुल (ख)	**3,360,878.27**	**8,076,764.43**
कुल (क + ख)	**36,846,745.12**	**45,788,904.65**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		लागू नही
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)		
1) केंद्र सरकार		
2) राज्य सरकार		
3) सरकारी एजेंसियां		लागू नही
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क		लागू नही
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणीः प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

	निवेश – अन्य	
(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	6,195,919.44	5,102,687.61
ख) अन्य बोंड / डिबेंचर्स		
2) लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3) किराया		
4) अन्य		
कुल	**6,195,919.44**	**5,102,687.61**

निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों को अंतरित

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		लागू नही
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	6,750,885.19	5,559,055.47
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ	-	
घ) अन्य		
2) बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	671.00	6,966.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4) डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	**6,751,556.19**	**5,566,021.47**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	-	28,824.00
कुल	**-**	**28,824.00**

अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि / (कमी)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		N. A.
ख) घटाएंः आंरभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
निवल वृद्धि / (कमी) (क – ख)		

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी		
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) भविष्य निधि में योगदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		N. A.
ड) स्टाफ कल्याण खर्च		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ		
छ) अन्य		
कुल		

TRAI

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) खरीद	-	-
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पॉवर	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	-	-
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	-	-
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	-	-
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	-	-
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	-	-
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय	-	-
त) अंशदान व्यय	-	-
थ) शुल्क पर व्यय	-	-
द) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क	-	-
न) पेशवेर शुल्क	-	-
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष	-	-
भ) पैकिंग प्रभार	-	-
म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
य) वितरण व्यय	-	-
र) विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
व) अन्य		
डीएलआईएस	60,000.00	
– बैंक एवं वित्त प्रभार	1,725.00	1,717.50
कुल	**61,725.00**	**1,717.50**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान		
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दी गई सब्सिडी		लागू नही
कुल		

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख कर

अनुसूची 23 – ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर		-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) –सदस्यों को देय ब्याज	11,814,844.00	9,432,500.00
वित्त प्रभार	2,295,859.81	
कुल	**14,110,703.81**	**9,432,500.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता
31–03–2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आरंभिक शेष			1. व्यय		
क) हाथ में नकदी			क) स्थापना व्यय		-
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	1,725.00	1,717.50
i) चालू खाते में					
ii) जमा खाते में	37,700,780.00	2,773,365.00			
iii) बचत खाते	27,744.87	175,011.89			
II. प्राप्त अनुदान			II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान		
क) भारत सरकार से			(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें)					
(पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)					
III. निम्न में निवेश से आय			III. किए गए निवेश एवं जमा		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि			क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		
			ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)	116,032,748.00	21,000,000.00
ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर)					
			(निवेश – फ्लेक्सी खाता)	33,468,947.00	37,700,780.00
IV. प्राप्त ब्याज			IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय		

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) बैंक जमा पर	12,336,016.84	3,437,557.48	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ग) विविध	5,326,673.95	5,089,405.00			
घ) बचतों पर ब्याज	671.00	6,966.00			
V अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			V. अधिशेष राशि / ऋण की वापसी		
विविध आय को			क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		
VI उधार ली गई राशि			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
VII कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)	2,295,859.81	
शुल्क					
पूंजीगत निधि			VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
प्रकाशन की बिक्री			अंतिम भुगतान	12,897,825.00	7,054,991.00
परिसंपत्तियों की बिक्री			अग्रिम एवं निकासी	7,068,450.00	2,740,119.00
परिसंपत्तियों की बिक्री	30,615,100.00	26,792,210.00			
ट्राई से अंशदान	10,223,268.00	12,060,702.00	VIII. अंतिम शेष		
शेष का अंतरण			क) हाथ में नकदी		
अग्रिमों का पुनःभुगतान	852,220.00	990,135.00	ख) बैंक शेष		
एफडी की परिपक्वता / म्युचूअल फंड का नकदीकरण	74,700,000.00	17,200,000.00	i) चालू खाते में		
		-	ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते मे	16,919.85	27,744.87
कुल	**171,782,474.66**	**68,525,352.37**	**कुल**	**171,782,474.66**	**68,525,352.37**

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
श्री ए.के. धींगरा	श्रीमती शालिनी कटोच	श्री के. वि. सेबेस्टियन	श्री अनुराग शर्मा	श्री संजीव शर्मा
संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	निजी सचिव (एफएवंईए)	संयुक्त सलाहकार (एफएवंईए)	उप–सलाहकार (प्रशासन)	सलाहकार (प्रशासन)
सचिव (सीपीएफ)	न्यासी	न्यासी	पूर्व–पदेन न्यासी	पूर्व–पदेन अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 लेखा परंपराएं :

i) वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 दिनांकित 23.07.2007 द्वारा अनुमोदित "खातों के एकसमान प्रारूप" में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखा चालू वर्ष अर्थात् 2017–18 के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii) अनुसूची 10 (निवेश – अन्य) में दिखाया गया निवेश कीमत पर लिया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं:

1 संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे – शून्य

खातों पर टिप्पणियां

1 वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना, जो 1 अप्रैल, 2015 से लागू है, में विनिर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश किए गए हैं।

2 अनुसूची 10 (निवेश–अन्य) में दर्शाये गए निवेश में सरकारी प्रतिभूतियों में 80700000 रुपये का निवेश और अन्य (बैंकों/पीएसयू को सावधि जमाएं) में 71032748 रुपये की राशि शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में से 80700000 रुपये का निवेश दीर्घकालिक निवेश है क्योंकि इन्हें इनको निवेश किए जाने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के लिए रखा जा रहा है।

3 जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

4 दो दिवंगत (मृतक) कर्मचारियों के लिए 60,000 रुपये का जीएलआईएस भुगतान वर्ष 2016–17 से संबंधित है, जिसे गलती से सीपीएफ सदस्य खाते में दर्शाया गया था, इसे अब ठीक कर लिया गया है।

सत्यमेव जयते

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA